(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1)   विधान सभा के प्रथम सत्र का दसवां दिवस   (संख्या 10

गुरुवार
दिनांक 28 मार्च 1985

विधान सभा की बैठक म. पू.

11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम

71. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम पर वर्ष 1984-85 में प्रशासनिक व्यय कितना हुआ ?

(2) गठन काल से इस निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कितनी सहायता एवं कितना ऋण दिया गया ?

(3) इस निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में आटो रिक्शों, दुकानों आदि हेतु स्व-रोजगार योजना का कितना लक्ष्य रखा गया था और कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) वर्ष 1984-85 में दिनांक 15-3-85 तक निगम का प्रशासनिक व्यय 8,49,092. 58 रु. रहा है।

(2) निगम के गठन काल से इस निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 2354.64 लाख रुपये की राशि सहायता/अनुदान के रूप में और 60 84 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गयी है।

(3) निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 में आटो रिक्शा एवं दुकान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के क्रमशः 500 एवं 3000 परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। फरवरी, 1985 तक 140 व्यक्तियों को आटो रिक्शा उपलब्ध करावाये गये हैं तथा 3000 दुकानों के लक्ष्यों का विभाजन कर सम्बन्धित निकायों व अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित कर दिये हैं।

निगम ने वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति के 36100 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं

(श्री छोगाराम बकोलिया)

के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था जिसमें से प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में फरवरी, 1985 तक 11082 लोग लाभान्वित किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निगम के लक्ष्यों के विरुद्ध लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से आना बाकी है।

श्री राजकुमार जयपाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि प्रशासनिक व्यय कितने प्रतिशत हुआ या यह बता दें कि यह कुल व्यय का 2/3 या 1/4 या 1/3 हुआ ?

दूसरा प्रश्न, जो सहायता या ऋण का लक्ष्य रखा गया था, अध्यक्ष महोदय, वह पूरा क्यों नहीं हुआ ? उसके कारण क्या हैं ? क्या राज्य सरकार द्वारा सही ढंग से उसका विज्ञापन नहीं किया गया ? माध्यम सही नहीं था ? एप्लीकेशन नहीं आयीं ?

दूसरा, जैसा लक्ष्य रखा था 300 रिक्शा देने का उसके स्थान पर 140 को दिया तो क्या बाकी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की एप्लीकेशन नहीं आयी या एडवरटाइज नहीं किया था ? मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि दुकानों के ऊपर अभी तय नहीं किया। आपने प्रगति विवरण दिया है उसमें यह विवरण दिया है कि 1200 दुकान अलाट की है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, विभाग का 12 लाख 53 हजार 500 खर्च आया उसमें से प्रशासनिक खर्च 8 लाख 49 हजार 92 रु. 58 पैसे का खर्च हुआ।

श्री राजकुमार जयपाल : प्रतिशत कितना।

श्री अध्यक्ष : प्रतिशत निकाल लें आप।

श्री छोगाराम बकोलिया : जहां तक आटो रिक्शा के बारे में कहा 140 दिये 500 के अगेंस्ट में, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि आटो रिक्शा की प्रक्रिया बहुत लम्बी चौड़ी है। आपको पता ही है, अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम अलाट कराना पड़ता है उसके बाद ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट से उसके लिये रेफर करना पड़ता है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कन्सर्निंग मेन्युफेक्चरर के पास रिकमंड करता है। फिर जिसका चयन किया जाता है उसके नाम वह अलाट करते हैं। इन्टीमेशन आती है, उसके बाद बैंक में लोन के लिये एप्लाई कराया जाता है, वहां से लोन दिलाया जाता है और अनुदान देते हैं। इस सारी प्रक्रिया में समय लग जाता है उसके कारण देरी होती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : आपका यह हाल है तो जनता का क्या होता होगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : हमारे हाल तो ठीक हैं। नियमों के अनुसार यह बताया है। प्रक्रिया के अनुसार यह है। यह गवर्नमेंट प्रक्रिया के अनुसार चलती है, आपकी सरकार नहीं है जो प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलती थी इसलिये ढ़ाई साल में ही चली गई।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया को सरल करने का दायित्व है।

श्री भवरलाल शर्मा : वह नहीं कर रहे हैं।

श्री राजकुमार जयपाल : अध्यक्ष महोदय, दुकानों का····

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। दुकानें अलाट कीं, उसका बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : दुकानों के चयन के सम्बन्ध में निवेदन है उनका शत प्रतिशत अलाटमेंट करने के लिये हर जिले को अलाटमेंट कर दिया गया है। टार्गेट के अनुसार प्रक्रिया के आधार पर ज्यादा से ज्यादा को अलाटमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी एक प्रक्रिया है जो निकाय के अध्यक्ष होते हैं····

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आपसे पहले वाले मंत्री महोदय ने कर दिया कि आप कर रहे हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : हम कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन पेंडिंग थीं उन सबको डिस्पोज आफ कर दिया है। नई पेंडिंग एप्लीकेशन हैं बाकी। जयपुर में आप एप्लीकेशन देंगे तो अलाट कर देंगे। किसी को भी आवश्यकता रहे तो हमें सूचित करें, हम उसको दुकान अलाट कर सकते हैं। इस सरकार की किसी प्रकार यह मंशा नहीं है कि दुकान नहीं दे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री अमरचन्द चौधरी (गंगरार) : मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : We feel pity on the poor Minister.

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मंत्री महोदय पूछना चाहता हूं कि आई. आर. डी. पी. और दूसरी स्कीम है उसमें उनको लोन दिया जा रहा है···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तक सीमित रहें।

श्री हीरालाल आर्य : इसमें जो 50 प्रतिशत अनुदान का पहले था वह अब····

श्री अध्यक्ष : यह जनरल सवाल नहीं है····

(व्यवधान)

आप बैठें।

श्री हीरालाल आर्य : 50 प्रतिशत सब्सिडी घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है।

(4)

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरचन्द ।

श्री अमरचन्द : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि अनुसूचित जाति के लोगों को दुकानें अलाट की गयी हैं उनको उनका कब्जा दिया गया है ? नहीं दिया गया है तो कब तक दे देंगे ।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जिन दुकानों का पूरा कन्सट्रक्शन हो गया है, उनका कब्जा जल्दी से जल्दी दिलाया जायेगा। वैसे यह अलग से प्रश्न है मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि कितनों को कब्जा दिया गया है, कितनों को कब्जा नहीं दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निगम द्वारा जो भी इसमें सहायता कोष दिया जाता है उसमें आई. आर. डी. पी. के अन्दर 20% निगम के द्वारा दिया जाता है और बाकी 50% सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। यह प्रक्रिया निगम के द्वारा संचालित नियम में है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । माननीय सदस्य हो गया

श्री हीरालाल आर्य : केवल 30% सब्सिडी मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इसका कारण जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने बता दिया । उनको 50% सब्सिडी मिल रही है ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज । मैने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है । संयम रखें ।

सहकारी बैंकों व अन्य शीर्ष संस्थाओं के चुनाव

72. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है राज्य के सहकारी बैंकों, क्रय विक्रय समितियों, भूमि विकास बैंकों व अन्य शीर्ष संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) उक्त संस्थाओं के चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

(सहकारिता मंत्री) श्री शीशराम ओला : (1) जी हां, प्रश्न में वर्णित संस्थाओं में से अधिकतर में प्रशासक दिनांक 3-9-77, 12-7-78 व 1-6-84 से नियुक्त हैं। इनकी नियुक्ति पुनर्गठन योजना की क्रियान्विति एवं चुनाव शीघ्र कराने के लिये की गयी थी ।

(2) राज्य सरकार इन संस्थाओं के यथा-शीघ्र चुनाव कराने की मन्शा रखती है ।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इससे पहले प्रशासन ने कब-कब

(श्री हरजीराम बुरडक)

चुनाव कराने की घोषणाएं की और उस समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए उसका क्या कारण था ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, चुनाव कुछ संस्थाओं के हो गये हैं और कुछ के नहीं हुए। लोकसभा का चुनाव आ जाने से चुनाव रोकना पड़ा। उसके तत्काल बाद विधान सभा के चुनाव की घोषणा हो गयी। सरकार की कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि चुनाव न हो। मैं स्वयं इस पक्ष का हूं कि चुनाव करवाये जाने चाहिए लेकिन कुछ कारणों से चुनाव नहीं कराये गये।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने लोक सभा के चुनाव की बात कह दी, विधान सभा के चुनाव की बात कह दी लेकिन इसको तो एक साल के आस पास हो गया। आपने कहा कि कई के चुनाव हो गये कृपया उनके नाम बता दें ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय।

श्री शीशराम ओला : चुनाव तीन जगह हुए हैं···

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : नाम बताइये शीर्ष संस्थाओं के

श्री शीशराम ओला : शीर्ष संस्थाओं के नहीं हुए हैं। नीचे से हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कहा कि शीर्ष संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए।

श्री शीशराम ओला : मैं यह निवेदन कर दूं कि निम्न प्रकार से चुनाव सम्पन्न कराये गये केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर, पाली, सहकारी भूमि विकास बैंक ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शीशराम ओला : जो स्थिति है उससे मैं अवगत करा रहा हूं। मैं जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चुनाव निश्चित रूप से सरकार कराना चाहती थी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही करना चाहती थी कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव आ गये। मैं कह रहा हूं मैं स्वयं इस पक्ष का हूं कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव करा देने से माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके। एक साथ नहीं।

श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने अपने जवाब में बताया कि तीन बार चुनाव शुरू कराया गया। क्यों तीनों बार लोक सभा और विधान सभा चुनावों के कारण रोकना

(6)

(श्री नत्थीसिंह)

पड़ा ? दूसरे कारण क्या थे ? शीर्ष में तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ भी आता है। क्या उसमें शुरू से ही प्रशासक है और क्या अब भी उसका चुनाव कराने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन बार चुनाव पोस्टपोंड करने की बात नहीं बल्कि केवल एक बार करने की बात कही है। शीर्ष संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए किन्तु जल्दी कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है ...

श्री नत्थीसिंह : उपभोक्ता संघ का क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : साथ-साथ नहीं, माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री पंकज पंचोली।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सहकारी बैंक में संख्या 30-40 हजार हो गयी है जिससे चुनाव विधिवत ढंग से होने में दिक्कत आती है। 1965 में कानून बना था उस समय संख्या बहुत कम थी सौ-दो सौ थी। अब एक-एक जिले में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री पंकज पंचोली : प्रक्रिया को सरल करने का विचार रखती है ?

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव नहीं कराने का उद्देश्य ये है कि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : इसका राजनैतिक उपयोग ये इस तरह से करते हैं मान लें किसी विधायक को खुश करना है तो उसे अध्यक्ष बना दिया। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया जाता है जबकि कानून में सिर्फ प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार की कहीं यह मन्शा नहीं है कि चुनाव न कराये जायं। नोमिनेशन की डेट तय कर दी गयी गंगानगर, सिरोही....

(व्यवधान)

आप सुनिये उत्तर दे रहा हूं।

जोधपुर, पाली, गंगानगर चार के लिये निर्णय लिया था। शेष राजस्थान के किसी जिले के लिये ऐसा निर्णय नहीं लिया। लेकिन राजस्थान सरकार ने निर्णय

(श्री शीशराम ओला)

किया कि प्रशासक नियुक्त होने चाहिये इसके लिये 1-6-84 को एक ही रात में सारे राजस्थान में उनकी अवधियां समाप्त कीं और प्रशासक नियुक्त किये। इसलिये कहीं भी यह सरकार की मन्शा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। मंत्री महोदय ने स्पष्ट बता दिया है कि चुनाव कराने जा रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : निश्चित तिथि तो बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री शीशराम ओला : 1982-83 में दो बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी। दोनों बार सब सदस्यों को चुनाव के लिये सूचित कर दिया गया था····

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप तिथि बता दें चुनाव के लिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। चुनाव के लिये आश्वस्त कर दिया सदन को। मैं समझता हूं अब कोई विशेष बात नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : क्या शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के भी चुनाव करवायेंगे? यह साफ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : यह भी शीर्ष संस्थाओं में आते हों तो यह भी शामिल होंगे।

नेक्स्ट।

श्री पंकज पंचोली : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : इन मन्त्री महोदय ने जितने भी आश्वासन इस हाउस के अन्दर दिये हैं एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। एक भी पूरा किया हो····

श्री पंकज पंचोली : मेरा जवाब भी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था

73. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) व

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा एवं झालावाड़ जिलों में कहां-कहां उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये किन-किन स्थानों पर भवन बना दिये गये हैं और कहां-कहां भवन नहीं बनाये गये हैं? ऐसे स्थानों पर कब तक भवन बना दिये जायेंगे?

(2) कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.

(श्री जगन्नाथ)

एन. एम. कार्यरत हैं और कहां-कहां नहीं है ? जहां नहीं हैं वहां ए. एन. एम. कब तक लगा दी जावेंगी ?

(3) हर वर्ष उप स्वास्थ्य केन्द्रों को कितनी कीमत की दवाइयां दी जाती हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतर उप केन्द्रों में पूरी दवाइयां एवं अन्य आवश्यक उपकरण आदि नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो विभाग इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। संलग्न सूची में भवन व्यवस्था का विवरण भी अंकित किया गया है। जहां भवनों का निर्माण नहीं हुआ है, या अपूर्ण है योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इन पर अन्य स्थानों के साथ विचार किया जा सकेगा।

(2) 221 उप केन्द्रों पर ए. एन. एम. कार्यरत हैं तथा 36 उप केन्द्रों पर ए. एन. एम. पद स्थापित नहीं हैं। प्रशिक्षित ए. एन. एम. उपलब्ध होने पर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) प्रत्येक उप केन्द्र पर दो हजार रुपये वार्षिक के हिसाब से दवाइयों का बजट आवंटित किया जाता है। आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त भी जिला स्तर से दवाइयां दी जाती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जगन्नाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेमली हाट में भवन निर्माण की बात कही गयी है यह कतई गलत है। रूमालिया में भी जो बात कही गयी है यह बात भी गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी भवन हैं उनकी भी हालत बहुत दयनीय है। ए. एन. एम. वहां रह नहीं सकते। दो हजार की दवाइयों की जो बात कही गयी है, दो हजार रुपये हमारे इलाके के लिए बहुत ही कम हैं। दो हजार की दवाइयां इस जमाने में बहुत ही कम हैं। हजारों आदमी मर रहे हैं इसलिए कोई व्यवस्था की जाय।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भवन बनाने का काम चालू नहीं हो रहा है ? जो काम हो भी रहा है वह राजनीतिक आधार पर हो रहा है ? क्या यह सही है कि सब सेन्टर्स में टिन्चर, आयोडिन और पट्टियां उपलब्ध नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं ? यह स्थिति कर रखी है। वहां ए. एन. एम. चली जाती है तो उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। आपने बताया कि 36 केन्द्रों पर ए. एन. एम. नहीं हैं। यह 36 नहीं 136 है। मुझे आश्चर्य इस बात का है आखिर गांव के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों ? जो भी भवन बनाये जा रहे हैं वह पूर्ण नहीं बनाये जा रहे हैं, यहां तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय, नींव खोदकर छोड़ दी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न कर लें। भाषण नहीं, माननीय सदस्य। बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : वहां दवाइयां नहीं दी जा रहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें आप।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने जो सूची दी है इसमें 102 नम्बर पर जो दुर्गमपुर है वह मेरे क्षेत्र का है। वहां जो भवन बना था बनते ही गिर गया। वहां आज भवन उपलब्ध ही नहीं है जबकि इसमें लिखा है, भवन उपलब्ध है। मन्त्री महोदय यह बतलायें कि इस प्रकार जो लिखा हैं कि भवन उपलब्ध है, यह सही है क्या ? कौन सूचना देता है कि भवन है ? है नहीं, भवन तो धाराशायी हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह सूची दी गयी है कि कोटा जिले में 197 केन्द्र हैं। 197 में से 77 स्थानों पर तो भवन ही नहीं है। 24 स्थानों पर ए. एन. एम. नहीं है। यह फिर चीज क्या है ? भवन भी नहीं, प्रसारक भी नहीं, आखिर कर यह है क्या ? मेरा निवेदन है, कृपा कर यह बताने की कृपा करें कि सात जगह भवन निर्माणाधीन बताये हैं वह कौन-कौन सी जगह हैं ? पांच जगह तो नींव चार साल से खोदकर पटक रखी है। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, राज्य सरकार का एक रत्ती भर नहीं लगता, केवल व्यवस्था करने में अव्यवस्था है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है, जिला स्तर पर भी जो दवाइयां दी जाती हैं, आप यह बतायें कि कोटा जिले में इन प्रसारक केन्द्रों पर कितनी दवाइयां आपने मुहैया कराई एक समय में ?

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवन बहुत बढ़िया बने हुए हैं लेकिन आज तक कोई ए. एन. एम. नहीं है, न आज तक स्टाफ पहुंचा है। मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, क्या वह स्टाफ की भर्ती करवा सकेंगी ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है। आप अलग से पूछ लें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि पंचायत भवन में काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात उठायी गयी, भवनों की कमी है। दूसरी बात यह बतायी गयी कि सूची के अन्दर कुछ भवन निर्माणाधीन बताये जा रहे हैं, वहां नहीं हैं। और कुछ स्थानों पर भवन उपलब्ध हैं, यह जो सूचना दी गयी है यह गलत है।

श्री हरीश शर्मा : पंचायत भवन में चलते हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : सूची गलत, जवाब गलत है ।

श्रीमती कमला : उत्तर तो सुनें, माननीय सदस्य । इतना संयम तो रखें । आप पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद विस्तार से पूछ लें ।

तो मेरा निवेदन यह है कि सूची में अगर कोई सूचना गलत दी गयी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अधिकारियों से जवाब-तलब करूंगी । सदन के पटल पर सूची रखी जाती है, विवरण रखा जाता है उसके अन्दर इस तरह गलती अगर की गयी है तो वह क्षम्य नहीं है । मैं उसके ऊपर निश्चित रूप से कदम उठाऊंगी ।

आपने यह कहा है कि बहुत सी जगह भवनों की कमी है । यह बात सही है कि कमी है । जितने प्रावधान राज्य सरकार को भवन निर्माण के लिए मिलने चाहिए आम तौर पर उतने साल दर साल नहीं मिल पाये इसलिए बहुत इलाकों के अन्दर, जहां कहीं पंचायत समितियां सजग हैं उन्होंने एन. आर. ई. पी. के तहत इस तरह भवन का निर्माण किया है । पंचायत भवन भी बनाये हैं । इसी तरह सब सेन्टर्स के मकान भी बनाये हैं, औषधालय भवन भी बनाये हैं, स्कूल भवन भी बनाये हैं । बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर भवन उपलब्ध थे वह उन्होंने सरकार को दे दिए । इसके बावजूद भवनों की कमी है । एक तो माननीय सदस्यों को सदन की मार्फत यह निवेदन करना चाहती हूं कि एन. आर. ई. पी. के अन्दर जो काम पंचायत समितियों में है उनमें स्कूल भवन, औषधालय भवन, सब सेन्टर्स के भवन, डिस्पेंसरीज भवन निर्माण में प्राथमिकता दिलायें तो बहुत सी कमियां पूरी हो सकती हैं, फिर भी राज्य सरकार ने इस बात को महसूस किया है और साल दर साल इस तरह की योजनाएं रखती भी है । अभी अस्सी सब सेन्टर्स खोले हैं इनके भवन निर्माणाधीन हैं जिसके लिए बत्तीस लाख की मांग रखी है । उसके अलावा पांच सौ नये सब सेन्टर्स के लिए पांच सौ लाख की मांग रखी है । कितना मिल पायेगा उसके मुताबिक राज्य सरकार इसके अन्दर सहयोग करेगी ।

दूसरी बात आपने जो कहा, ए एन. एम. नहीं है । यह बात सही है कि इस तरह के कम्पाउण्डर्स और ए. एन. एम. के ट्रेन्ड स्टाफ की काफी कमी रहती है । पिछले कुछ वर्षों में इसकी कमी को कम करने के लिए काफी कुछ प्रयत्न किये गये । भारत सरकार ने नये ट्रेनिंग सेन्टर्स हमको दिये हैं । उसके आधार पर जितनी कमी पिछले कुछ सालों में रहती रही थी उतनी कमी अब नहीं होगी । अभी जुलाई के महीने में तीन सौ ए. एन. एम. का बैच निकलने वाला है । नवम्बर माह में दूसरा बैच तीन सौ का निकलने वाला है । इसलिए अब जितनी कमी हमारे सामने है उसमें कमी होने की व्यवस्था हम कर पायेंगे । भारत सरकार से मेल नर्सेज के लिए पांच नये ट्रेनिंग सेन्टर्स और फीमेल नर्सेज के लिए छः नये सेन्टर्स अभी मिले हैं । इसलिए

(श्रीमती कमला)

इस वृद्धि के साथ हमारी जो कमी है उसकी पूर्ति की व्यवस्था कुछ और की जा सकेगी। लेकिन चूंकि ट्रेनिंग की कार्यवाही में समय लगता है, कोई ट्रेनिंग पीरियड डेढ़ साल के कोई दो साल के रोटेशन का है तो डेढ़ साल के बाद में काफी कुछ राहत पहुंचाने वाली बात हो सकेगी।

जहां तक दवाइयों का मामला है, माननीय सदस्यों ने कहा कि दवाइयां उपलब्ध नहीं रहती हैं, दवाइयों के बिना काम नहीं चलता है। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है कि वहां पर दवाइयां उपलब्ध रहती हैं और बहुत ही तात्कालिक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो जिला स्तर पर अधिक दवाइयों का प्रबन्ध कर दिया जाता है। इस तरह की कोई स्थिति हो तो आप मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य क्या आप बोलने के लिये ही खड़े होना चाहते हैं ? क्या बात हुई यह ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सारी स्थिति स्पष्ट है....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायें।

आपको अब तसल्ली हो जानी चाहिए, माननीय मंत्री महोदया ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, ए. एन. एम. की पूर्ति किस प्रकार की जायगी, दवाइयों की पूर्ति किस प्रकार की जायगी। यह समझने की कोशिश तो करें। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, इस प्रश्न के माध्यम से जो सूचना दी जा सकती थी वह दे दी....

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैं अब कुछ भी सुनने के लिये तैयार नहीं हूं : आप अलग से प्रश्न कर लें, माननीय मन्त्री महोदया से मिल लें ..

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब कोई काम नहीं होता है तो हमारी इमेज हमारे क्षेत्र में खराब होती है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों का ध्यान रखें।

अगला प्रश्न।

दूदू क्षेत्र में विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पूर्ति

74. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र, दूदू में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं तथा कहां-कहां स्थित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

(2) इस क्षेत्र के उक्त किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों की कमी है तथा इसका क्या कारण है ?

(3) इस क्षेत्र के जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, उसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री रामलाल उपाध्याय): (1) निर्वाचन क्षेत्र दूदू में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 9 माध्यमिक विद्यालय एवं 4 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस क्षेत्र में 40 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार सूची संलग्न है। सेवा निवृत्ति, पदोन्नति एवं चयन प्रक्रिया में विलम्ब हो जाने के कारण पद रिक्त रह जाते हैं।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास नियमानुसार किए जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इनके यहां 418 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 378 अध्यापक कार्यरत हैं। 40 पद रिक्त हैं उनके चयन की प्रक्रिया नियमानुसार जारी है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, परीक्षायें शुरू होने वाली हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं हैं, तो उनको पढ़ायेगा कौन ? विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो परीक्षा का परिणाम क्या आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : परीक्षायें तो चालू हो गईं, अब तो परिणाम आने वाला है। कृपया बैठ जायें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, परीक्षायें तो 10वीं कक्षा की शुरू हुई हैं। मेरा निवेदन यह है कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे किताबें खोलकर पढ़ायेगा कौन ? माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग बराबर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, तो मैं क्यों न मन्त्री महोदय को परेशान करूं ?

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जितनी पोस्टें खाली हैं उतनी पोस्टें इनके पास हैं ? यदि पोस्ट हैं तो क्या उन पर नियुक्ति के लिए अध्यापक नहीं मिले ? दोनों में से क्या स्थिति है ? या तो इनके पास पोस्ट नहीं हैं और यदि पोस्ट हैं तो अध्यापक नहीं मिले, क्या स्थिति है, क्यों नहीं पूर्ति हो रही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने समय से ये पद रिक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें ।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, यह पद रिक्तता की तो निरन्तर प्रक्रिया है । यह प्रक्रिया यावत् चन्द्र दिवाकर चलती रहेगी । क्योंकि हमारा समाज दिन-प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, नये विद्यालय खुलेंगे, तो पद भी क्रमोन्नत होंगे, नई आवश्यकताओं की अपेक्षा होगी, व्यवस्था करते रहेंगे लेकिन इसमे वित्त बाधक है । वित्त की पूर्ति करके इस प्रकार का क्रम चलता रहेगा ।

दूसरा मुद्दा श्री भारद्वाज जी ने फरमाया, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह विषय कई बार सदन के सामने चर्चित हो चुका है । वास्तव में शिक्षा विभाग के पास अध्यापकों की कमी है । जिस गति से ..

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) · यों ही चलती रहेगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए, 400 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये, कई प्राथमिक शालायें सामुदायिक विकास की तरफ से नयी खुली हैं, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं और शिक्षा विभाग द्वारा भी चलाई जा रही हैं तो अध्यापकों की कमी की तो निरन्तर प्रक्रिया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले बजट में प्रावधान की व्यवस्था की जायेगी । बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं हो इस तरह की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मन्त्री महोदय, क्या आगामी बजट में सब अध्यापकों की कमी की पूर्ति कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कहा है, समझने की कोशिश करिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने यह जानकारी चाही थी कि जो 40 पद रिक्त हैं वह कब से रिक्त हैं ? दूसरा ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय नोट कर लें, 40 पद कब से रिक्त हैं, यह सवाल पूछा था आपने । आप एक साथ पूछ लीजिये । दुबारा आपको मैं मौका नहीं दूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय ने कहा कि बजट का प्रावधान नहीं है । मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल जब क्रमोन्नत किये गये हैं तो बजट का प्रावधान भी निश्चित रूप से होगा, सूची भी बनी होगी, सीनियोरिटी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

साइमलटेनियसली अध्यापकों का चयन भी ?....

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लें।

श्री भैरूलाल।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि अध्यापकों की कमी तो रहेगी, यह प्रक्रिया तो चलती रहेगी। स्कूल खोलने के पहले बजट की कमी रहती है, अध्यापकों की कमी रहती है या और कोई समस्या रहती है तो क्यों नहीं बजट स्वीकृत करके, अध्यापकों को नियुक्ति देकर स्कूल खोले जाते हैं जिससे कमी न रहे ? हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गांवों में बच्चे पढ़ें। दूसरी तरफ अध्यापकों की कमी के कारण विद्यालय हैं तो अध्यापक नहीं हैं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या और परिणाम क्या आयेगा ? जीरो ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी पाठशाला के अन्दर पदों की कमी नहीं है, किसी भी अध्यापक का पद रिक्त नहीं है ? जबकि क्रमोन्नत सभी शत-प्रतिशत, 60 पर्सेन्ट, 80 पर्सेन्ट ऐसे स्कूल हैं जिनमें पद रिक्त हैं ? क्या सरकार अथवा शिक्षा विभाग इस बात को उचित समझता है कि जो नये पद स्वीकृत करेंगे सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों, जहां पर कि पद रिक्त पड़े हैं लम्बे समय से, में भरने की बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नये सब्जेक्ट खोले जाते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार टीचर्स भी जाने चाहिये। लड़के वहां पर एडमिशन ले लेते हैं लेकिन टीचर्स नहीं होते हैं, तो लड़कों का रिजल्ट क्या रहेगा ? राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लड़के एडमिशन ले लें और पढ़ाने वाले वहां पहुंचे नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची मुझे उपलब्ध कराई है उसमें अध्यापकों की जो कमी बताई है—राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आसलपुर में 5, मागरलू में 2, घोरसीना में 2, महलोला में 3, उरखेड़ा में 3, पड़ासोली में 4 रोजड़ी में 2, निनोदिया में 3, बाकी में एक-एक नहीं है। मेरा निवेदन है माननीय मन्त्री महोदय से कि जब माध्यमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सब्जेक्ट बढ़ाये जाते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं खुद भी अध्यापक व लेक्चरार रहा हूं, तो एक स्कूल में पांच-पांच अध्यापकों की कमी रहती है, एक-दो सब्जेक्ट के अध्यापक रहते हैं। इस समय परीक्षाएं चल रहीं हैं नाइन्थ क्लास की, तो मेरा निवेदन है कि उस

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

स्कूल के बच्चे क्या करेंगे और उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी ?

श्री बाऊदयाल जोशी : भाषण नहीं, प्रश्न ।

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : मेरा निवेदन है कि बच्चे फेल हो जायेंगे तो एक साल का खर्चा क्या सरकार बरदाश्त करेगी। इसलिए अध्यापकों की तुरन्त पूर्ति की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस तरह से प्रश्न पूछोगे तो फिर आगे के प्रश्न नहीं हो सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री खेमराज ।

श्री खेमराज कटारा(उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की कमी रहती है। वह डेपूटेशन पर शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि डेपूटेशन की जो प्रक्रिया है उसको बन्द किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग करें।

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अध्यापकों की कमी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, मैं उन सबका आदर करता हूं। कई प्रश्न सामने आये हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि नई जितनी भी क्रमोन्नत शालायें हैं किसी भी स्थान पर उनके लिये बजट की कमी की बात नहीं है उनके लिए पूर्ण रूप से बजट स्वीकृत होता है। यह जो कमी है, यह बैकलॉग की वजह से है कि कुछ अध्यापक परीक्षा देने चले जाते हैं, किसी का ट्रान्सफर हो जाता है, कोई विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं, कोई काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में भी चला जाता है जिसके कारण यह हमको कठिनाई उठानी पड़ती है।

माननीय सदस्य कोटा से आने वाले ने जो बात कही, मेरा निवेदन है कि जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : बहुत सोच समझकर जवाब देना, यह गलत है कि नये विद्यालयों में कोई कमी नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सोच समझकर ही जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : सदस्य महोदय की भावना से मैं परिचित हूं और विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो प्रत्युत्तर दिये जाते हैं सोच समझकर और पूर्ण दायित्व के साथ दिये जाते हैं इसलिए इसमें कोई...

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(व्यवधान)

आप धैर्य रखें। मैं निवेदन करता हूं कि एक प्राथमिक शाला को जब उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया जाता है तो नियमानुसार एक हैड मास्टर सेकण्ड ग्रेड टीचर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिये जाते हैं पंचायत समिति के अध्यापक भी वहां लगे रहने चाहिये। मैं इस बारे में सामुदायिक विकास मन्त्रालय से भी विचार कर रहा हूं। उनके ख्याल से एक दो साल में वहां से हटने चाहिये जबकि एक दो महीने में ही वहां लगा दिये जाने चाहिए, इस प्रकार का प्रयास जल्दी ही किया जायगा।

लूनी से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध है, नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक अध्यापकों की बात कह रहे थे उससे मैं काफी सहमत हूं। राज्य सरकार की यह कोशिश होगी कि नगरपालिका क्षेत्रों में काफी ...

श्री रामसिंह विश्नोई : एक्सेस रहते हैं।

1

श्री यदुनाथ सिंह : बैकलॉग शहर में क्यों नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्यक्ष : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी काफी बैकलॉग की बात कही, इस पर भी सरकार विचार करेगी।

(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : कृपया।

नेक्स्ट श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

हरिजन बस्तियों में हैण्डपम्प से पेय जल सुविधा

75. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों मे हैण्डपम्प लगाने के मामले में हरिजन बस्तियों को प्राथमिकता दिये जाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं ?

(2) यदि हां, तो जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में विगत 5 वर्ष में किस किस हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? कृपया सूची सदन पटल रखें।

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार पेयजल सुविधा से वंचित इन हरिजन बस्तियों में हैण्डपम्प लगाकर उन्हें पेयजल सुविधा कब तक सुलभ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री, (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्ती में हैण्डपम्प लगाने को प्राथमिकता दी जाती है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) शेष हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता

(श्रीमती कमला)

के आधार पर एवं धन उपलब्धि और उपयुक्तता के अनुसार हैण्डपम्प लगाये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल आप इस पर बोल चुके हैं वही मसला है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मेरा प्रश्न लगता ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप दो प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं राज्य सरकार की नीति हरिजन परिवारों को सुविधायें देने की है। उस नीति के अनुरूप पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसके बारे में आपके विभाग में कभी क्या इस बात की जांच की ? मैंने विधान सभा के गत सत्र में भी एक प्रश्न पूछा था और यह जवाब आया था कि रेगर बस्ती में हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। उस समय मैंने कहा था कि वहां रेगर बस्ती नहीं है, सवर्ण बस्ती है। उस समय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे, एक तो यह कि इसकी जांच हुई है और क्या हैण्ड पम्प लगा दिये गये ?

दूसरा यह कि जो सूची दी है उसमें अधिकतर सवर्ण बस्ती में हैं और हरिजन बस्ती में नहीं लगाये गये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को सूची दे रहा हूं उसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कितने दिनों में हैण्ड पम्प लगा देंगे। जहां नल लगाये गये वह भी सवर्ण जाति के मोहल्ले में लगाये गये और हरिजनों के मोहल्लों में नहीं लगाये गये। क्या मन्त्री महोदया उन मोहल्लों में भी नल लगायेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सूची के ऊपर आपत्ति की है कि ज्यादातर हैण्ड पम्प सवर्ण मोहल्लों में लगाये गये हैं। मैं पढ़कर सुना सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : कोली मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला, रैगर मोहल्ला, ये सब जो हरिजन केटेगरी के मोहल्ले हैं उनमें कोई एकाध मोहल्ला हरिजन मोहल्ले में नहीं आता हो और लगा दिये हों तो और बात है।

श्री अध्यक्ष : सूची दे रहे हैं आप इसकी जांच करवा लीजिये।

श्रीमती कमला : मैंने अध्यक्ष महोदय, इनको सूची दी उसमें यह सब पाइन्ट आउट किया है। यह बताई हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आउट करें उसकी आप जांच करवा लें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गांव का यह कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : उसके बारे में यहां पर कोई जवाब नहीं दिया है वह पिछली विधान सभा है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुन तो लें।

श्रीमती कमला : मुझे आप जवाब तो देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, नियमों का पालन कीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में एक प्रश्न के जवाब में तत्कालीन मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया था उसका, इसमें उसका उल्लेख नहीं था इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया अब जांच करके बता दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने कह दिया कि सूचना दी इसके बाद में जांच करेंगे।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती हमीदा बेगम।

ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। कृपया बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम।

नगर परिषद चूरू द्वारा सड़क निर्माण

76. **श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू नगर में नगर परिषद ने कितनी सड़कों का निर्माण गत 5 वर्षों में कराया है ?

(2) उक्त वर्षों में कितनी अनुदान राशि इन सड़कों एवं नालियों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी ? उसमें कितना कार्य कराया गया व कितना शेष है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) नगर परिषद चूरू ने गत पांच वर्षों में चूरू नगर में आठ सड़कों का निर्माण कराया है, जिनकी लम्बाई दस किलो मीटर से थोड़ी अधिक है।

(2) इन वर्षों में कच्ची बस्तियों में

(श्रीमती कमला)

सड़क एवं नालियों के निर्माण हेतु तथा अन्य विकास कार्यों हेतु नगर परिषद को 4,76,305 रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये थे। नगर परिषद द्वारा 3,055 किलोमीटर सड़क निर्माण व 4,860 किलोमीटर नालियां, 29 पी.एस.-पी., 5 रोड लाइट के खम्बे तथा 12 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। नगर परिषद ने उक्त अनुदान की राशि को सम्मिलित करते हुए कुल 11,24,495 रुपये उक्त कार्यों में खर्च किये हैं। इसके अलावा 6 सड़कों, जिनकी लम्बाई 5 किलोमीटर है, निर्माणाधीन है जिन पर करीब 10 लाख रुपया व्यय होगा। यह सम्भवतः माह अप्रेल 1985 तक पूर्ण हो जायेगी।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि पिछले पांच साल के अन्दर 8 सड़कें माननीय मन्त्री महोदया बता रही है वह कौन कौनसी सड़कें हैं? वह बता दें। मुझे तो यह पता है कि चूरू में तो एक ही सड़क है जो कलेक्टोरेट से चलकर नई सड़क, बीच में मण्डी में होती हुई गुदड़ी बाजार से आगे स्टेशन को जाती है। इसके अलावा तो मुझे किसी दूसरी सड़क का दीदार चुरू शहर में हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां कोई दूसरी सड़क नहीं है। एक प्रश्न।

दूसरे आठ सड़क वहां पर कौन कौन सी जगह पर हैं, वह मुझे बता दें। माननीय मन्त्री महोदया ने जो दस किलोमीटर लम्बी सड़क की बात कही है तो दस किलोमीटर में तो सारा चूरू शहर कवर किया जा सकता है। आठ सड़कों पर इतने लाख रुपये व्यय करने की बात कही है वह कहां हुए? मुख्य सड़क जो है वहां नालियां भी नही बनी हुई हैं तो यह नालियां बनाने की बात कहते हैं वह किस क्षेत्र में बनाई गई हैं? यह बतावें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी सूची है आप कहें तो मैं पढ़ कर किलोमीटर वाइज सुना दूं।

पहला वन विहार योजना वार्ड नम्बर 29–तीन किलोमीटर।

वर्ष 81-82 से 83-84 तक बनी लागत 12,15,784 रुपये।

दूसरी गान्धी नगर योजना वार्ड नंबर 17–दो किलोमीटर।

वर्ष 81-82 से 83-84 में बनी लागत 7 लाख 48 हजार 854 रुपये। पूरी सूची दी है।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दूंगी।

श्री शोपत सिंह : सूची पर मत चलिये सड़क पर चलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री दिग्विजय सिंह। माननीय सदस्य। आर्डर

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर। कृपया आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

जिला टोंक में खोले गये नये विद्यालय

77. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला टोंक में वर्ष 1980 से वर्ष 1984 तक कितने नये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला टोंक में इसी अवधि में कितने विद्यालयों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है, नगर फोर्ट माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत होने की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : टोंक जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्नानुसार खोले गये हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : कृपया दुबारा बोलें।

श्री रामपाल उपाध्याय : टोंक जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्नानुसार खोले गये हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

वर्ष	माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय
1980-81	4	—
1981-82	—	—
1982-83	—	4
1983-84	—	—
1984-85	11	2

(2) उक्त अवधि में 15 विद्यालयों को माध्यमिक में एवं 6 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से सिर्फ दो ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि ये आदेश क्रमोन्नत करने के कब जारी किये गये ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष तो आपने स्कूल क्रमोन्नत कर दिये पर अब आप क्या 85-86 में नगर कोट विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनियारा से आने वाले

(श्री रामपाल उपाध्याय)

माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि साल वाइज कौनसे स्कूल क्रमोन्नत हुए वह बताये हैं, 80-81 में 4 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन तो सुनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 84-85 में 11 विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये प्रश्न के जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ है, साल और समय दोनों ही स्पष्ट हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : यदि आपने स्पष्ट समय और साल 84-85 का स्कूलों को क्रमोन्नत करने का दिया है तो कौनसे महीने में की गई हैं दिसम्बर में, जनवरी में, या फरवरी में ?

श्री अध्यक्ष : कब की गई थीं।

श्री दिग्विजय सिंह : यह चुनावों से पहले की या कब की ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह : तो फिर इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने जैसी कोई बात नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि कब की गई।

श्री दिग्विजय सिंह : बगल में अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछ लें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 85 में कई आदेश स्कूलों को क्रमोन्नत करने के किये गये हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख का मुझे पता नहीं है।

(व्यवधान)

आप सुनने का कष्ट करें, यह समाज में चेतना और प्रगतिशीलता के आधार पर क्रमोन्नत किये गये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री कृपया बतावें कि जनवरी 85 में कितने स्कूल क्रमोन्नत हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया सुन लिजिये। आपका पूरा जवाब नहीं आवे तो बात है। मन्त्रीजी।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता और अपेक्षा के आधार पर समय समय पर नये स्कूल खोले जाते हैं। अगर क्रमोन्नत भी किया जाता है इसमें जनवरी में भी खोलना सम्भव है।

(22)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में स्कूल खोले गये। माननीय मन्त्री जी बतावें कि कितने स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इसकी सूचना मेरे पास नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कह रहे हैं कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यह इतना गम्भीर मामला है कि चुनावों के दिनों में स्कूलों को खोला गया और क्रमोन्नत किया गया है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना है, चुनाव के दौरान वोट के लिये स्कूल खोले गये और क्रमोन्नत किये गये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : चुनावों के दौरान कोई नये स्कूल नहीं खोले गये हैं और न क्रमोन्नत किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी, फरवरी में स्कूल खोले हैं।

श्री अध्यक्ष : जनवरी में स्कूल खोलना सम्भव होता है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : चुनावों के दौरान कोई स्कूल नहीं खोले हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें। नेक्स्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मन्त्री महोदया क्या फरमा रही हैं सुना नहीं मैंने।

श्रीमती कमला : चुनावों के दौरान कोई नये स्कूल नहीं खोले गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्या।

(12.00 मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्री सुमित्रा सिंह : यह गम्भीर बात है, मैं कहती हूं कि जनवरी 1985 में स्कूल खुले हैं। माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि नहीं खुले। मैं चेलेन्ज कर रही हूं, मैं नाम बता सकती हूं, फिर क्या करेंगी, मंत्री महोदया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : मुझे बताइये। मैं भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं

(श्रीमती कमला)-

कि चुनाव की अवधि में कोई विद्यालय नहीं खोला गया।

श्री नत्थीसिंह : जनवरी, 1985 में स्कूल खुले हैं या नहीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : राजपुरा में स्कूल खुला है।

श्रीमती कमला : कोई स्कूल नहीं खोला गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : एक मिनट।

जनवरी में चुनाव के दौरान स्कूल नहीं खुले। चुनाव से पहले खोले हैं और चुनाव के बाद खोले हैं। इस दृष्टि से खोले हैं कि इस चालू सत्र के अन्दर स्कूलों के लिए प्रावधान किया गया था वह लैप्स नहीं हो जाय। यह हमको भी पता है इस साल वह चालू नहीं हो पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 78।

एक माननीय सदस्य : जो खुले हैं वह बन्द पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सिर्फ जवाब की इजाजत है।

श्री टीकाराम जोशी : धीरे। सुनाई नहीं दे रहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप शान्त रहेंगे तो सुनने में आ जायगा। अशान्त रहेंगे तो मेरी मजबूरी है।

छतरगढ़ एवं बज्जु दुग्ध अवशीतन केन्द्र

78. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में छतरगढ़ एवं बज्जु में दुग्ध अवशीतन केन्द्र निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अवशीतन केन्द्र कब से दुग्ध अवशीतन का काम प्रारम्भ कर देंगे ?

(2) उपरोक्त अवशीतन केन्द्रों में मशीनरी एवं अन्य कार्यों में निर्धारित अवधि से अधिक समय क्यों लगा एवं उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? विलम्ब से प्रतिदिन कितने मात्रा में दुग्ध अवशीतन न होने का नुकसान हो रहा है ?

डेयरी विकास मंत्री (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। छत्तरगढ़ एवं बज्जु में दुग्ध अवशीतन केन्द्र (चिलिंग सेन्टर) निर्माणाधीन है। छत्तरगढ़ में दुग्ध अवशीतन का कार्य माह अप्रेल, 1985 एवं बज्जु में माह मई, 1985 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(2) अवशीतन केन्द्रों (चिलिंग सेन्टर) के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण टीलों को समतल करना, सीमेंट की अनुपलब्धता, टेलीफोन व बिजली का न मिलना आदि

(24)

(श्री शीशराम ओला)

हैं । अवशीतन केन्द्र प्रारम्भ न होने से दूध खराब नहीं होने का कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं हुआ ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । आपने मुझ से वायदा किया । वायदा खिलाफी नहीं ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो मिनट बाकी हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । कृपया बैठें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न पर एक नजर तो डालें ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । एक बार आप बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इनकी प्रोसिडिंग लेकर आया हूं जो पिछले सदन में. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो मिनट बाकी हैं, सिर्फ जवाब दिला दें ।

श्री अध्यक्ष : कोई दो मिनट बाकी नहीं हैं । मैं यह परम्परा नहीं रखूंगा । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, छत्तरगढ़ और बज्जु में चिलिंग सेंटर के बारे में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि इसको हम अप्रेल और मई के अन्दर शुरू कर देंगे । जब कि पिछले मन्त्री ने 18-10-84 को प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दिया था कि जहां तक छत्तरगढ़ और बज्जु....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । इसे अन्य माध्यम से उठायें ।

श्री देवीसिंह भाटी : चिलिंग सेन्टर का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मार्च, 1985 के पूर्व वहां कार्य सम्पन्न हो गया । अब आपका आश्वासन सही है मानें या XXX । अध्यक्ष महोदय, आज के दिन भी वहां 25 हजार लीटर दूध संकलित हो रहा है और भीलवाड़ा में एक लाख लीटर दूध के लिए व्यवस्था कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या करें, हमारा दूध बेकार जा रहा है । ग्वाले मर रहे है । न तो उन्हें सबसिडी दी जा रही है मात्र लापरवाही से और न आपको दूध मिल रहा है । जहां पहले से व्यवस्था है वहां और दूध ले रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि जवाब नहीं आयगा। इसे और किसी माध्यम से उठायें। मुझे मजबूर नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : आपने कितनी बार यह बात दोहराई है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में विश्वविद्यालय व नये महाविद्यालयों की मांग

81. श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र में कोटा में विश्वविद्यालय स्थापना पर विचार कर रही है ?

(2) क्या विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) आगामी सत्र में सरकार कितने नये कालेज खोलने पर विचार कर रही है ?

(4) क्या रामगंज मण्डी में नया कालेज खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट पर धनाभाव के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

(3) वर्ष 1985-86 के योजना मद में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर ही नये महाविद्यालय खोलने पर विचार करना सम्भव होगा।

(4) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला बीकानेर में पशुओं को पेयजल

82. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में पशुओं के पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुओं

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

के पेयजल हेतु जल हौज का निर्माण करने का विचार रखती है ?

(2) जिले में अब तक कुल कितने पशु पेयजल हौज बनाये जा चुके हैं।

(3) अब तक हौज निर्माण हेतु कितने गांवों से मांग प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। पशुओं के पेय-जल हेतु व्यवस्था है।

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर में पशु पेयजल योजना की व्यवस्था हैं।

(2) मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना के तहत निर्मित जल हौजों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-"अ")।

(3) पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की पंचायत समिति वार सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ब")।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला बांसवाड़ा में पशु चिकित्सालय

83. श्री नवनीत लाल नीनामा (धाटोल) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कहां कहां पशु चिकित्सालय अवस्थित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु पशुपालन पर विशेष जोर देना चाहती है ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में अधिक पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो अगले वर्ष कहां कहां खोला जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में 10 पशु चिकित्सालय हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) नये पशु चिकित्सालय साधन एवं पशु संख्या के आधार पर राज्य की स्थिति को ध्यान में रखकर खोलना सम्भव होगा। अगले वर्ष पशु चिकित्सालय खोलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजीनामा एक्सचेन्ज डीड निष्पादन में नियमों की अवहेलना

84. **श्री नाथूराम** (मेड़ता)

श्री बिरदमल (जोधपुर)

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नारायण राम बेड़ा)

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 एवं 513/10 की लगभग 91 बीघा भूमि के संबंध में एक राजीनामा में एक्सचेन्ज डीड निष्पादन करने में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा निम्न एक्ट एवं रूल्स की स्पष्ट अवहेलना की गई :—

(क) सक्षम अधिकारी, नगर सुधार जोधपुर के पत्र संख्या सीलिंग 82/83 दिनांक 1-3-83 द्वारा उपरोक्त तीनों खसरों की भूमि के हस्तान्तरण के रोक की अवमानना की गई ?

(ख) दी राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 3 व 4 के विपरीत भूखण्ड 99 वर्ष की लीज के बजाय फ्री होल्ड पर दिए गए, नियम 15 के विपरीत कामशियल नेचर के भू-खण्ड दिए एवं नियम 26 का उल्लंघन कर उपरोक्त एक्सचेन्ज डीड का प्रारूप बिना नगरीय विकास एवं विधि विभाग की पूर्व स्वीकृति के और बिना सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष के अतिरिक्त निष्पादनकर्ता के रूप में हस्ताक्षर के जारी किए गए?

(ग) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 एवं 102 (ए) के विपरीत कृषि भूमि के बिना आबादी में रूपान्तरित किए भू-खण्डों को आबादी के रूप में एक्सचेन्ज किए ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त अवैध एक्सचेन्ज डीड कब तक निरस्त कर दिए जायेंगे एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 की लगभग 91 बीघा भूमि के संबंध में एक राजीनामा कर एक्सचेन्ज डीड निष्पादित किये गये।

(क) सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर के पत्र संख्या (82) 83 दिनांक 1-3-83 द्वारा उपरोक्त खसरा की खाली भूमि मानते हुए हस्तान्तरण पर रोक लगाई। परन्तु सक्षम अधिकारी ने द्वितीय पत्र में उक्त पत्र दिनांक 1-3-83 का सन्दर्भ देकर सूचित किया कि इस भूमि के बारे में राज्य सरकार ने उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट में समक्ष अधिकारी ने भी इस भूमि के स्वामित्व तय होने से इसका निर्णय सक्षम न्यायालय से कराने की सिफारिश की थी।

(28)

(नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री)

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 में भू-खण्ड लीज होल्ड पर दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) जहां तक लीज डीड जारी करने का प्रश्न है एक्सचेन्ज डीड का प्रारूप पूर्व में ओ.बी.सी.टी. योजना में एक्सचेन्ज में दिये गये फ्री होल्ड भूखण्डों के मामलों में जो एक्सचेन्ज डीड जारी किये गये हैं। एक्सचेन्ज डीड का प्रारूप विधि विभाग से अलग से स्वीकृत नहीं करवाया गया था। एक्सचेंज डीड पर केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने की परिपाटी न्यास में दिनांक 17-7-61 की अधिसूचना अनुसार ही चली आ रही है। यद्यपि नियम 26 के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

(ग) उक्त भूमि 1947 में तत्कालीन डवलपमेंट विभाग द्वारा अवाप्त कर मसूरिया योजना के लिए प्राप्त की गई थी, एवं इसका मुआवजा भी अदा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में न्यास द्वारा स्टेट समय के नियमों की दृष्टि से इसे आवादी भूमि मानकर इसके भूखण्ड बना दिये।

(2) उक्त राजीनामे से सम्बन्धित याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित है। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

जिला कोटा व झालावाड़ के आयुर्वेदिक औषधालयों में नर्सों का पदस्थापन

85. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)

श्री हरिश (खानपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा एवं जिला झालावाड़ में किन किन आयुर्वेदिक औषधालयों में नर्स कार्यरत हैं और किन-किन औषधालयों में नर्स भेजने के प्रस्ताव हैं ?

(2) क्या जहां नर्स भेजने के प्रस्ताव हैं, वहां नर्स लगा दी गई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के 8 एवं झालावाड़ जिले के 3 औषधालयों में नर्सें कार्यरत हैं, इनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। नर्स का पृथक पद सृजित न होकर नर्स/कम्पाउण्डर के सम्मिलित नाम से ही पद सृजित हैं। नर्स अथवा कम्पाउण्डर का पद-

(आयुर्वेद मंत्री)

स्थापन उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

निम्न स्थानों पर नर्स/कम्पाउण्डर का पद सृजित होते हुए भी पद रिक्त हैं :—

कोटा जिला :

1. हापाहेड़ी (नवीन औषधालय)
2. पुरोहित जी की टापड़ी (नवीन औषधालय)
3. बधाना (नवीन औषधालय)
4. चल चिकित्सालय-कोटा (एक पद)

झालावाड़ जिला :

1. डोबड़ा (नवीन औषधालय)
2. रुण्डवाल (नवीन औषधालय)
3. देवगढ़

(2) रिक्त पदों के विरुद्ध नवीन नियुक्ति का मामला विचाराधीन है तथा योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होते ही नवीन नियुक्ति कर पदस्थापन कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिलों में लघु चल चिकित्सा इकाई

86. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का प्रत्येक जिले में लघु चल चिकित्सा इकाई बनाने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आयेगा, इसमें किस प्रकार के चिकित्सक होंगे तथा इनका गठन कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोटा में मेडिकल कालेज

87. **श्री हरि कुमार** (रामगंज मण्डी)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार की कोटा में मेडिकल कालेज कब तक प्रारम्भ करने की योजना है ? क्या कालेज के भवन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा कोटा में नवीन मेडिकल कालेज अगले सत्र से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया था एवं इस हेतु अगले वित्तीय वर्ष तथा सप्तम पंचवर्षीय योजना काल के लिये क्रमशः रु. 210.00 लाख एवं 2650.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(30)

जोधपुर नगर में मानजी के हत्थे की व्यवसायिक योजना

88. श्री नाथूराम (मेड़ता)

श्री बिरदमल (जोधपुर)

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा, जोधपुर नगर में वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983–84 एवं 1984–85 में मानजी के हत्थे की व्यावसायिक योजना के लगभग पचास लाख रुपये मूल्य के भूखण्ड नीलाम द्वारा बेचकर धनराशि प्राप्त कर ली गई परन्तु उस योजना की भूमि के मूल्य के पेटे बजट प्रावधान में दर्शाई गई रुपये बीस लाख की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो कितने मूल्य के उक्त भूखण्ड बेचे गए और वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983–84 एवं 1984-85 के बजट में इस भूमि के मूल्य पेटे कितनी धनराशि जमा कराने का प्रावधान था ?

(2) क्या यह सत्य है कि स्वीकृत बजट के अनुसार धनराशि का उपरोक्त कार्य के लिए उपयोग न कर, अन्यत्र दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

(3) उपरोक्त भूमि के मूल्य पर ब्याज की कितनी राशि देने योग्य बन चुकी है ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर नगर में वित्तीय वर्ष 1982–83, 1983–84 व 1984–85 में मानजी के हत्थे की व्यावसायिक योजना में 70 लाख रुपये मूल्य के भूखण्ड नीलामी द्वारा बेचकर धनराशि प्राप्त हुई है। परन्तु उस योजना की भूमि के मूल्य के पेटे बजट प्रावधान वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में रुपये 20 लाख का न होकर केवल 8 लाख रुपये का ही रखा गया था, जिसका प्रतिकार सम्बन्धी वाद कोर्ट में लम्बित होने के कारण नहीं किया गया।

(2) यह सही नहीं है कि स्वीकृत बजट के अनुसार धनराशि उपरोक्त कार्य के लिये उपयोग न कर अन्यत्र दुरुपयोग किया गया। बजट प्रावधान के अनुसार कोर्ट का अन्तिम निर्णय होने पर प्रतिकार की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बजट प्रावधान के अनुसार सड़क निर्माण आदि में खर्च किया गया है। अतः सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(3) उपरोक्त भूमि के मूल्य पर दिनांक 10-10-84 तक रुपये 7.17.000/- राशि ब्याज की हो चुकी है।

मेड़ता, नागौर तथा बाड़मेर में कच्चे कोयले के भण्डार

89. घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मेड़ता, नागौर तथा बाड़मेर में कच्चे कोयले के भण्डार भरे हैं ?

(2) यदि हां, तो कोयला किस किस्म का है तथा किन-किन स्थानों पर प्राप्त हुआ है तथा कितनी-कितनी मात्रा में ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह कोयला लिग्नाईट (भूरा कोयला) किस्म का है जो नागौर जिले के मेड़ता रोड क्षेत्र में तथा बाड़मेर जिला के कपूरड़ी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। मेड़ता रोड क्षेत्र में 2 करोड़ 39 लाख टन और कपूरड़ी क्षेत्र में 7 करोड़ 86 लाख टन लिग्नाईट के भण्डार अब तक किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आंके गये हैं। सर्वेक्षण अभी चल रहा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय व व्यापारिक प्रतिष्ठानों की योजना

90. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आवास की समस्या तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए कौन-कौनसी योजनायें वर्तमान में विचाराधीन हैं ?

(2) उन योजनाओं को कब कब प्रारम्भ किया जायेगा ? उन पर क्या-क्या लागत आयेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन निम्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा है :—

(अ) आवासीय योजनायें :—

1. वृहद् विद्याधर नगर योजना
2. सुदामा नगर योजना
3. अयोध्या नगर योजना

(ब) व्यापारिक प्रतिष्ठान :

1. नेहरू प्लेस योजना (टौंक रोड)
2. इन्दिरा प्लेस योजना (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
3. सीकर रोड व्यावसायिक केन्द्र
4. राजापार्क व्यावसायिक केन्द्र की गली नम्बर 5

(स) अन्य योजनायें :

32

(नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री)

1. पृथ्वी राज नगर

2. पंचवटी

3. लोहा मण्डी

(2) वृहद् विद्याधर नगर योजना, सुदामा नगर योजना, अयोध्या नगर योजना, नेहरू प्लेस योजना (टौंक रोड) इन्दिरा प्लेस योजना (जवाहर लाल नेहरू मार्ग,) सीकर रोड योजना, राजापार्क में व्यावसायिक केन्द्र गली नम्बर 5 पर कार्य वर्ष 1985-86 में प्रारम्भ किया जायेगा। पृथ्वीराज नगर, पंचवटी व लोहा मण्डी से योजना की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। सम्भवतः वर्ष 1986-87 में इन पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इन योजनाओं के विस्तृत नक्शे तैयार होने के उपरान्त ही इनकी लागत के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

91. **श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के शिक्षा विभाग में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैट्रीकुलेट हैं ?

(2) इन चपरासियों को क्लर्क पद पर लगाने की ओर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के शिक्षा विभाग में 73 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैट्रीकुलेट हैं।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार निर्धारित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिकों के पद पर, यदि वह पदोन्नति की पात्रता रखते हों, तो नियमानुसार पदोन्नत कर कनिष्ठ-लिपिकों के पद पर नियुक्त किया जाता है।

रबी और खरीफ फसलों में उत्पादन

92. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982–83, 83–84 एवं 1984–85 में रबी और खरीफ की फसलों की क्रमशः कितने-कितने हैक्टेयर भूमि में बुवाई की गई और कितना-कितना उत्पादन हुआ ? लक्ष्य क्या-क्या रखे गये थे ?

(2) रबी और खरीफ फसलों में अलग वस्तुओं का लाख टनों में कितना-कितना उत्पादन हुआ ? कृपया उपरोक्त वर्षों का गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना एवं कपास का अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) उपरोक्त वर्षों में फसलों के लिए रसायनिक खाद कितना उपलब्ध कराया गया तथा कितनी-कितनी खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया था ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) उक्त वर्षों में भिन्न-भिन्न किस्म के कितने उन्नत किस्म के बीज का वितरण किया गया एवं लक्ष्य क्या रखा गया था ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83, 83-84 व 1984–85 में खरीफ और रबी में कितने-कितने हैक्टेयर में बुवाई की गयी, कितना उत्पादन हुआ और क्या लक्ष्य रखे गए थे, का विवरण परिशिष्ट (क) में अंकित कर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट (क) में अंकित कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त वर्षों में खाद वितरण के लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट (ख) में अंकित कर संलग्न है।

(4) उक्त वर्षों में अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा अन्य प्रमाणित बीजों के विवरण के लक्ष्य एवं वितरण का विवरण परिशिष्ट (ग) में अंकित कर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भूमि की खरीद

93. श्री नाथूराम (मेड़ता) :

श्री बिरदमल (जोधपुर) :

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपाल गढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिनांक 10-6-81 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जो समझौते के आधार पर कृषि एवं आबादी भूमि क्रय की, उसका विस्तृत विवरण कृपया निम्न कालम्स में सदन के पटल पर रखें :–

(क) भूमि के विक्रेता का नाम।

(ख) भूमि की किस्म : कृषि या आबादी।

(ग) भूमि का मोहल्ला या गांव, खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल।

(घ) भूमि का टाइटल : पूर्ण स्वामित्व खातेदारी या अतिक्रमणी।

(ड.) भूमि का भाव एवं मूल्य।

(च) यदि समझौते में रोकड़ धनराशि प्रदान की तो उसकी मात्रा।

(छ) यदि उक्त भूमि के बदले में रोकड़ धनराशि के अतिरिक्त कुछ विकसित भू-खण्ड या केवल भू-खण्ड दिए गये तो उनका पूर्ण विवरण एवं बाजार मूल्य।

(ज) दिए गये भूखण्डों का टाइटल : फ्री होल्ड या लीज होल्ड।

(2) यदि उपरोक्त भूमि अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1976 के अन्तर्गत अवाप्त की जाती तो कितना मूल्य लगता है ?

(श्री नारायण राम बेड़ा)

(3) क्या कारण हैं कि उपरोक्त एक्ट का उपयोग न कर कई गुना मूल्य पर भूमि विक्रय की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 10 6–81 के बाद नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने समझौते में कृषि भूमि एवं आबादी भूमि क्रय की उसका विवरण निम्नानुसार है :—

(क) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(ख) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(ग) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(घ) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(ङ) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(च) सूचना मानचित्र में सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(छ) सूचना मानचित्र में सदन की पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "अ"

(ज) सूचना उपरोक्त मानचित्र में उपलब्ध है।

(2) नगर संकुलन जोधपुर में अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1976 के तहत सीमा से अधिक रिक्त भूमि की अवाप्ति की दर 30/- रु. प्रति वर्ग मीटर से 50/- रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाता है।

(3) उपरोक्त कृषि भूमि अवाप्ति समझौते में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-एफ (11) यू. डी. एच. 3 पी. 81 दिनांक 21-12-82 के आधार पर की गयी है भूमि की दर क्लेक्टर जोधपुर द्वारा स्वीकृत की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला कोटा एवं झालावाड़ के कच्चे मार्गों पर संचालित बसें

94. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)

श्री हरिश (खानपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा एवं झालावाड़ जिलों में किन-किन कच्चे मार्गों के लिए बसें संचालित करने के लिए किस-किस मोटर मालिक को लाइसेन्स दे रखा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिश)

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर मार्गों पर मोटर मालिक बसें ही नहीं चलाते हैं ? यदि हां तो क्यों ? क्या ऐसे मोटर मालिकों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे मोटर मालिकों के खिलाफ जनता द्वारा शिकायतें की जाने पर भी आर. टी. ओ. तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या उक्त मार्गों पर बसें संचालित की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है बल्कि अधिकांश मार्गों पर बसें चल रही हैं। मार्ग के भाग विशेष पर कहीं-कहीं बसें नहीं चल रही हैं जिसका कारण रास्ता खराब होना है। इसके अलावा कुछ मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही हैं क्योंकि मार्ग कच्चे तथा संचालन योग्य नहीं हैं। निगम के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही नहीं है। शिकायतें प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति की जांच करवायी जाती है तथा मोटर मालिकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। ऐसे मार्गों को सामान्यतः मोटर मालिकों द्वारा ठीक कराया जाता है। पूर्ण मार्ग पर बसें न चलाने पर उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया जाता है व अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

बरकतुल्ला खां स्टेडियम का निर्माण

95. श्री नाथूराम (मेड़ता)

श्री बिरदमल (जोधपुर)

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने दिनांक 11-8-1982 को बरकतुल्ला खां स्टेडियम के निर्माण के टेण्डर आमन्त्रित किए जो दिनांक 30-9-1982 को प्राप्त हुए और जिनके अनुसार न्यूनतम टेण्डर सर्व श्री जोधपुर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के रुपये 4705753/- के मूल्य का एवं द्वितीय न्यूनतम टेण्डर सर्व श्री पारसमल पारख का रुपये 5664535/- के मूल्य का

(श्री नारायणराम बेड़ा)

पाया गया ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि के थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त निर्माण कार्य पचास लाख रुपये के मूल्य से अधिक होते हुए भी राज्य सरकार से नियमानुसार स्वीकृति पूर्व में प्राप्त नहीं की गई एवं सक्षम अधिकारियों से नियमानुसार पूर्व में प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त न्यूनतम टेण्डर देने वाले सर्व श्री जोधपुर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने दिनांक 27-9-82 को पचास हजार रुपये अर्नेस्टमनी के 'ए' क्लास कन्ट्रक्टर न होने के कारण जमा करवा कर टेण्डर कापी दी ? यदि हां, तो उसके टेण्डर को किस आधार पर रिजेक्ट किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त न्यूनतम टेण्डर स्वीकृत न कर एवं द्वितीय न्यूनतम टेण्डर स्वीकृत कर न्यास कोष को लगभग रुपये 9,58,782/- की हानि पहुंचाई जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड आडिट की वर्ष 1982-83 की रिपोर्ट में भी विस्तृत की गई ? यदि हां, तो कृपया उपरोक्त आडिट आपत्ति की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(5) सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 ए के अन्तर्गत उपरोक्त हानि की राशि की वसूली कब तक कर ली जायेगी एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 11-8-82 को बरकतुल्ला खां स्टेडियम के निर्माण हेतु निविदायें जारी कर दिनांक 30-9-82 को प्राप्त की गयी थी। इन निविदाओं के अनुसार न्यूनतम निविदा मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्सन कम्पनी का रुपये 4705754.40/- का था। द्वितीय न्यूनतम निविदा मैसर्स पारसमल पारख की रु. 56,64,535.40 की थी।

(2) यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य पचास लाख रुपये से अधिक होते हुए भी राज्य सरकार एवं सक्षम अधिकारियों से वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। बरकतुल्ला खां स्टेडियम निर्माण सम्बन्धित निविदा की स्वीकृति ट्रस्ट द्वारा 13-10-82 को प्रदान की जा चुकी थी।

(3) जी हां, जोधपुर कन्सट्रक्सन कम्पनी के टेण्डर निम्न कारणों से अस्वीकृत किये गये :

1. फर्म द्वारा पूर्व में आवंटित कार्य पूरा नहीं किया जाना।

2. फर्म का "ए" श्रेणी का पंजीकृत नहीं होना।

(4) यह सही है कि जोधपुर कन्सट्रक्शन कम्पनी की निविदा न्यूनतम थी तथा

(न. वि. एवं न. आ. मंत्री)

द्वितीय न्यूनतम निविदा से रुपये 9,58,782/- कम थी। वर्ष 1982-83 की आडिट रिपोर्ट में इसकी आपत्ति लोकल फण्ड आडिट द्वारा की थी। आडिट रिपोर्ट के पैरे की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। आडिट रिपोर्ट की जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

जल योजना के नाम हुए गबन की जांच

96. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व मुख्य मंत्री के आदेशानुसार जिलाधीश, नागौर और एस. डी. ओ., डीडवाना इस बात की जांच कर रहे हैं कि लाडनूं तहसील के ग्राम खोखरी कोयलआरी बैंड के दस हजार रुपये जल योजना के नाम से लेकर गबन कर लिया गया ?

(2) यदि हां, तो कबसे और अब तक इस जांच में क्या तथ्य सामने आये ? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

(3) जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) यदि जांच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है, तो कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय के यहां से पत्र संख्या (अ.शा.) सी. एम. एस. आर./एम. एल. ए./83/140 दिनांक 21–1–83 द्वारा एक शिकायत जो श्री हरजीराम बुरडक, प्रधान पंचायत समिति द्वारा की गई थी, को जांच के लिए भिजवाया गया था। उस पर उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना को जांच करने के आदेश क्रमांक सर्वत/जांच/83/250 दिनांक 23–4–83 को दिये गये थे। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने जांच रिपोर्ट क्रमांक पी.ए./83/806 दिनांक 25–9–83 के द्वारा भिजवाते हुए लिखा कि शिकायतकर्त्ता (स्वयं श्री हरजीराम बुरडक) बावजूद नोटिस तामील के जांच में साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार सरपंच बैंड, कोयल व खोखरी भी जांच में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार शिकायत के सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं करने से व रुचि न लेने से जांच स्वतः ही नहीं हो सकी।

(2) शिकायतकर्त्ता स्वयं श्री हरजीराम बुरडक प्रधान पंचायत समिति लाडनूं ने जांच में बावजूद नोटिस तामिल व सूचना के न तो साक्ष्य व सबूत ही पेश किये न ही सहयोग किया।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

(4) प्रश्न संख्या एक के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

पंचायत समिति, मनोहरथाना की पंचायत ल्हास को पेयजल

97. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)

श्री हरिश (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मनोहरथाना की पंचायत ल्हास के लिए पेयजल हेतु योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के प्रारम्भ होने के बाद भी ल्हास के निवासियों को पेयजल नहीं मिल रहा है ? क्या यह सही है कि यह योजना दूसरे गांव के लिए कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ल्हास के निवासियों को अब कब तक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मूलतः क्षेत्रीय योजना ल्हास रानीपुरा वर्ष 1982 में सिर्फ रानीपुरा के लिये स्वीकृत हुई थी जिसका स्रोत ल्हास में है एवं ल्हास को भी जल उपलब्ध करा दिया गया।

(2) जी नहीं। ल्हास के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना ल्हास रानीपुरा के नाम से स्वीकृत है, इसलिये ग्राम रानीपुरा के निवासियों को भी पेयजल दिया जाता है।

(3) ल्हास के निवासियों को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालकों की भर्ती

98. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियमित पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन देकर राज्य परिवहन निगम चयनित चालक एवं परिचालकों की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रथम एक वर्ष तक या उससे कम समय के लिए दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में नियुक्ति देता है एवं उसके बाद उसे दो साल तक प्रोबेशनर रखा जाता है ?

(2) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने चालक परिचालक इस तरह रखे गए ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत तीन वर्षों की अवधि में 2420 चालक एवं 17860 परिचालकों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया है।

नगर परिषद्, जयपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

99. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् जयपुर में पिछले चार वर्षों से कितने कनिष्ठ लिपिक दैनिक वेतन पर अस्थाई रूप से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इनसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) विभाग का इन योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों को कब तक कनिष्ठ लिपिक की नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्त करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर में दैनिक वेतन पर 12 (बारह) कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। यदि किसी समय आवश्यकता होती है, तो शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिकों की सहायता कर देते हैं।

(3) रिक्त पद होने पर ही नियमानुसार नियुक्तियों का विचार किया जावेगा।

बिलाड़ा नगरपालिका में 'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम की उपलब्धि

100. श्री नाथूराम (मेड़ता)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व राज्य में 'प्रशासन शहरों की ओर' चलाये गये अभियान के दौरान बिलाड़ा नगरपालिका कार्यालय में समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो कृपया उनके सम्बन्ध में निम्न सूचना पृथक् से सदन के पटल पर रखें :—

(क) आवेदक का नाम

(ख) आवेदन का दिनांक

(ग) आवेदक की मांग

(घ) उपरोक्त मांग के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही।

(2) उपरोक्त अभियान में रोड़ लाइट एवं सफाई के लिए क्या कदम उठाये गये और बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र से गन्दे पानी के निकास के लिए क्या प्रयास किये गये या किये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अभियान के दौरान पिपाड़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 15 के क्षेत्र के लिए दो हजार फीट पीने के पानी की पाइप लाइन लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया था एवं उसके लिए खाई, खोद ली गई थी परन्तु यह लाइन आज तक नहीं लगाई गई ? यदि

(श्री नारायण राम बेड़ा)

हां, तो क्यों और कब तक लगा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस अभियान में रोड़ लाईट व सफाई की व्यवस्था के लिए निम्न कार्य किये :—

(क) वार्ड नं. एक में पांच पोल लगाकर स्ट्रीट लाईट लगाई गयी।

(ख) वार्ड नं. 16 की हरिजन वस्ती में एक पोल लगाकर लाइट लगाई गई।

(ग) वार्ड नं. 4 में चार पोल पर स्ट्रीट लाईट हेतु तार खींचकर रोशनी की व्यवस्था की गई।

(घ) अभियान के दौरान रोड़ लाईट के लिए चार मरकरी लैम्प, 32 ट्यूब लाइट एवं 435 बल्ब लगाये गये।

(ङ.) इन्द्रा कालोनी में विद्युत व्यवस्था हेतु तखमीने बनाये जा रहे हैं।

(च) सफाई व्यवस्था के लिए मलवे हटाये गये, 4000 फीट नालियों का निर्माण किया गया तथा करीब 400 फीट गन्दा पानी के निकास हेतु नाला बनाया गया है।

(3) जी हां। वार्ड संख्या 15 में पानी का उचित दबाव उपलब्ध न होने के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाइप लाइन नहीं डाली गई थी। पानी का उचित दबाव उपलब्ध हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

तहसील घाटोल (बांसवाड़ा) में पेयजल व्यवस्था

101. श्री नवनीत लाल मीनामा (घाटोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में पीने के पानी की अब तक कहां-कहां व्यवस्था कर दी है ? कृपया ग्रामों की सूची मय पेयजल साधन, सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिपलखूंट क्षेत्र के बहुत से गांववासियों को पीने के पानी के लिए दो किलोमीटर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे ग्रामों को पेयजल के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) तहसील घाटोल के कितने गांव हैण्डपम्प योजना से वंचित हैं ? उनमें कब तक हैण्ड पम्प्स् लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील घाटोल में आबादी वाले कुल 304 गांव हैं जिनमें से 294 गांवों को पम्प एवं टैंक, टी. एस. एस. एवं हैण्ड पम्प योजना द्वारा पेयजल से माह फरवरी, 1984 तक लाभान्वित किया जा चुका है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र के 11 गांवों के निवासियों को पीने के पानी के लिये 2 कि.मी. दूर तक जाना पड़ता है, ऐसे ग्रामों को हैंण्ड पम्प योजना द्वारा लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) तहसील घाटोल के 10 गांव हैण्ड पम्प योजना से वंचित है इनमें सन् 1985-86 में हैण्ड पम्प लगाये जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री शोपतसिंह : सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को निलम्बित करने, नौकरी से हटाने और उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमें बनाने के सम्बन्ध में,
2. श्री रमजान खां, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम गगवाना जिला अजमेर की जनता को कुओं से खारे पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में,
3. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा से पीपल्दा सड़क पर एक पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में असुविधा के सम्बन्ध में,
4. श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से टीबी, क्षेत्र के ग्राम लखीवाल में तीन माह से बिजली का ट्रान्सफार्मर जला पड़ा रहने के सम्बन्ध में,
5. श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी कमेटी श्री माधोपुर द्वारा दुकानों को गलत आवंटन के सम्बन्ध में,
6. श्री दाऊदयाल जोशी और श्री हरि कुमार औदिच्य, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील बूंदी में मैंम्स सेन्चूरी राची जी का खोखड़ा में अनधिकृत खनन कार्य के सम्बन्ध में,
7. श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से खण्डार व बोंली क्षेत्र के किसानों के विद्युत कनेक्शन के मामले दो वर्ष से न निपटाने के सम्बन्ध में,

(42)

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री लक्ष्मीनारायण किसान, सदस्य विधान सभा की ओर से फुलेरा क्षेत्र के किसानों के विरूद्ध विद्युत विभाग द्वारा झूठे मुकदमें बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9. श्री किरोड़ीलाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से मिडवे महुआ की हैन्डी क्राफ्ट काउण्टर की नीलामी में अनियमितता के सम्बन्ध में,

10. श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य विधान सभा की ओर से सांगानेर स्थित गूलर बांध 1981 की बाढ़ के पश्चात् मरम्मत न किये जाने के सम्बन्ध में,

11. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पूगल, दन्तोर व खाजूवाली की बिजली लाइन खराब होने से जनता में परेशानी के सम्बन्ध में,

12. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम कूणी जिला नागौर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कुओं का निर्माण अन्यत्र कराने के सम्बन्ध में,

13. श्री ग्यारसीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम करेड़ा बुजुर्ग पंचायत समिति निवाई में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

14. श्री घनश्याम तिवाड़ी और फूलचन्द गूजर, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले में बकाया के नाम पर विद्युत कनेक्शन काटे जाने से किसानों की फसल को नुकसान के सम्बन्ध में,

15. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत कोट किराणा तहसील रायपुर का आयुर्वेदिक औषधालय बन्द कर देने के सम्बन्ध में,

16. श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से चुनाव के समय भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खींची गई बिजली की लाइन 4-3-85 को बन्द कर देने के सम्बन्ध में,

18. श्री हंसराज मीणा····

श्री हंसराज मिढ़ा : श्री हंसराज मिढ़ा है मीणा नहीं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से अनूपगढ़ विजय नगर, सूरतगढ़ आदि गांवों में फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में,

19. श्री मोहनलाल चौहान : सदस्य विधान सभा की ओर से परबतसर के तालाब की दीवार टूटने की वजह से जनता व पशुधन के लिए

(श्री अध्यक्ष)

पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में,

20. श्री मोहन प्रकाश और श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर में परीक्षा से लौट रही एक छात्रा को दिनांक 26-3-85 को गायब कर देने के सम्बन्ध में,

21. श्री गणेशलाल बैरागी, सदस्य विधान सभा की ओर से बूंदी के जंगलों की अनियमित रूप से कटाई के बारे में,

22. श्री नवनीतलाल निनामा श्री काली चरण सर्राफ, श्री हरिशंकर भाभड़ा और श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से इंटक नेता श्री श्यामसिंह की दिनांक 24-3-1985 को बांसवाड़ा में हत्या कर देने के सम्बन्ध में,

23. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान केनाल क्षेत्र में खालों के निर्माण कार्य की अधिक कीमत वसूल किये जाने के सम्बन्ध में

24. सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से हड़ताली कर्मचारियों की पुलिस द्वारा सामान ले जाने व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

25. श्री यदुनाथ सिंह व सम्पत सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा ग्राम ललुहारा में डकैती के सम्बन्ध में,

26. श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य विधान सभा की ओर से बालोतरा में कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति व बालोतरा बस स्टैन्ड पर एक व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में,

27. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर नगर परिषद तथा एग्रो इण्डस्ट्रीज के मध्य कम्पोस्ट प्लांट तक कूड़ा कचरा पहुंचाने के समझौते के अनुसार नगर परिषद को कीमत नहीं चुकाने के सम्बन्ध में,

28. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम बीटनोक में पेयजल सप्लाई बन्द होने के सम्बंध में,

29. श्री नवरंग सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से नवलगढ़ क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के बारे में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

1. श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से खानपुर तहसील में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

44

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल का संकट।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को इन पर बोलने की अनुमति देने में भी असमर्थ हूं।

3, श्रीदाऊदयाल जोशी-सदस्य विधान सभा की ओर से सरसों की सरकार की ओर से खरीद व अधिकतम व न्यूनतम भाव निर्धारित करने के बारे में।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि केन्द्रीय सरकार ने 385 रुपया समर्थित मूल्य निर्धारित कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : 600 रुपया होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन से व्यवस्था हो रही हो उस समय व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

और भाव गिरने लगे तो नाफेड व राजफेड क्रय करेगी। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रोपतसिंह (हनुमानगढ़) : बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य श्री दाऊदयाल जोशी जो अपनी बात कहना चाहें दो मिनट में पूरी कह दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने व्यवस्था दी है, चार माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया, राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है। यही स्थगन प्रस्ताव 25 तारीख को मैं दे चुका हूं। आज हो गयी 28। चार माननीय सदस्यों ने और दिया है। राज्य सरकार की जानकारी के लिए तब भी भेज दिया गया था और अब भी भिजवा दिया। क्या बनेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं देखूंगा इसको। अगर हो सका तो कल मैं देख लूंगा। इस का आपको बता दूंगा।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री रोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी के लिए है कि कल इस सत्र का लास्ट दिन है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, एक एक करके बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री नत्थीसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है .

श्री अध्यक्ष : आपका भी पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री नत्थीसिंह : हां, पहले मेरा है ।

श्री अध्यक्ष : पहले आपका है तो आप कह दें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपको मौका दूंगा बात कहने का ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, एक सदस्य खड़े हुए हैं । एक पाइन्ट आफ आर्डर आ गया ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है, मैंने जो स्थगन का प्रस्ताव दिया था डीग, कुम्हेर और भरतपुर के तालाबों और पोखरों को भरने के लिए उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि कल सरकार उस पर वक्तव्य देगी लेकिन कल सरकार ने तालाबों के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया, पेयजल का दिया; उसका जिक्र ही नहीं हुआ है । मेरा अर्ज करना यह है कि उस पर मुझे कहने का मौका दें । उन्होंने पेयजल का दिया है, पीने के पानी का दिया है; पशुधन के लिए और तालाबों के लिए नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस संबंध में आप मुझसे बात कर लें ।

व्यवस्था का प्रश्न

सत्रावधि में प्रशासन द्वारा गठित समिति, जिसमें विधायक सदस्य हों, की बैठक

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका व्यवस्था का प्रश्न है । आर्डर प्लीज ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र से यह सूचना दी जा रही है, यह निर्देश दिये जा रहे हैं जिलाधीशों को कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाय ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूचना दे दी गयी है कलेक्टर्स को वापस ।

श्री हरीश शर्मा : नहीं । दो दो पत्र आयें हैं मेरे पास । दो दो मीटिंगें रखी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास जो सूचनाएं आई हैं वह यहां से कलेक्टर्स को ना करने से पहले जारी हो गयी होंगी इसलिए पहुंच गयी ।

श्री हरीश शर्मा : मेरा सवाल यह है सन 1980 से लगातार यह कहा जा रहा है जिलाधीशों को, कि विधानसभा का सत्र चले तो बैठक नही बुलायें । इसका मतलब, आपका अपमान करते हैं और हमारा अपमान करते हैं । यह सरकार कमजोर है, यह सरकार नाकाबिल है । इसकी बात जिलाधीश नहीं मानते ।....

(46)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मीटिंग हुई हैं उनमें हम यहां रहने की वजह से उपस्थित नहीं हो सके। कहीं तो खबर बाद में जायेगी जयपुर जिलाधीश कार्यालय में मीटिंग हो रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। मुख्य-मन्त्री ने कहा है।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

श्री देवीसिंह भाटी : यह बराबर मीटिंग होती है। असेम्बली सेक्रेटेरियट से निर्देश जारी हो चुके हैं फिर भी हर बार आपको हमें सूचित करना पड़ता है। यह आदेशों की अवहेलना क्यों करते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में आ गयी। एक मिनट कृपया बैठें।

श्री हरीश शर्मा : 29 तारीख को मीटिंग रखी है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सवाल उठा है उसका जवाब देने दीजिए मुझे। माननीय सदस्य, समझिये तो

श्री बिहारीलाल पारीक : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर एक है उसकी व्यवस्था देने दीजिए मुझे। कृपया बैठें। एक पाइन्ट आफ आर्डर चल रहा है उस पर व्यवस्था होने के बाद में दूसरा उठाइये। माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि आपके पास जिलाधीशों से आवंटन सम्बंधी मीटिंगों या अन्य मीटिंगों की सूचना प्राप्त होती है, वह सूचना उन दिनों प्राप्त हो रही है जब कि विधान सभा सेशन चालू है। राज्य सरकार से इस संदर्भ में बात हुई। आम तौर पर यह पहले भी फैसला किया हुआ है कि कमेटी की मीटिंग जिनमें विधायकों की उपस्थिति आवश्यक है और जिनमें विधायक सदस्य हैं, इन दिनों में न रखी जाये। इस संबंध में परसों ही मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सब जिलाधीशों को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग नहीं रखी जाय और जो मीटिंग रखी गयी हैं उन मीटिंगों को पोस्ट-पोन कर दिया जाय। माननीय सदस्यों को जो सूचनायें, सम्भवतः हो सकता है, मीटिंग तय करते ही जिलाधीशों के यहां से जारी हो गयी हों या फिर यह भी हो सकता है कि यह तब तय कर लिया हो जब कि असेम्बली सैशन काल करने की कोई तिथि निश्चित न हुई हो। उस समय की हो, सकता है। यह आप निश्चित मानिये, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा है अब वह मीटिंगें नहीं होंगी। यदि ऐसी बात है तो पुनः मुख्य मंत्री जी से बात करके आज ही जिलाधीशों को आगाह करा देंगे। इसलिए इसमें आपको विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, सर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री शोपत सिंह : नहीं कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है इनका ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह बिना पाइन्ट आफ आर्डर के उठ रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर माननीय सदस्य उठा रहे हैं । ..

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर....

श्री अध्यक्ष : आप फिर बोल लीजिए ना । पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। खड़े हैं आपके सामने, आपके साथी खड़े हैं, कृपया बैठें, माननीय सदस्य पहले पाइन्ट आफ आर्डर सुन लेने दीजिए मुझे ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो बिना पाइन्ट आफ आर्डर के ही खड़े हैं ।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस की अनियमितता के बारे में आपसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए अर्ज किया था ...

श्री अध्यक्ष : किस के लिए ?

श्री बिहारीलाल पारीक : पुलिस की अनियमितता के बाबत ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कोई प्रस्ताव इस प्रकार का मेरे समक्ष नहीं आया ।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैंने प्रार्थना की है ।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रार्थना की है, आप नियमों के अंतर्गत प्रार्थना करें तो उसकी बात मैं कर सकता हूं । नियमों के अन्तर्गत नहीं होगा तो मेरी मजबूरी है, माननीय सदस्य । आपने एक चिट्ठी मुझे भेजी है वह नियमों के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत करने के लिए चिट्ठी नहीं बनती । आप फिर चर्चा कर लीजिए ।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैंने सचिव महोदय को निवेदन किया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं, आपको प्रक्रिया मालूम है कि स्थगन प्रस्ताव किस तरह से दिया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किस तरह से दिया जाता है । आप मुझे चिट्ठी एड्रेस करते हैं । उस चिट्ठी का जवाब सदन में चाहते हैं, यह नियमों में कहीं नहीं आता । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिलाधीशों को निर्देश मुख्य मंत्री के मार्फत देने की बात कही है काफी मीटिंग उपनिवेश

(48)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

विभाग में ए. सी. सी. के यहां होती हैं। इसलिए कालोनाइजेशन विभाग को भी इस संबंध में निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष : इस में सम्मिलित है, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : पंचायत समिति जमवा रामगढ़ की मीटिंग हुई है उसमें हम लोग उपस्थित नहीं हो सके इसी तरह से यहां अकाल के बारे में मीटिंग हुई है उन मीटिंग का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बात हो चुकी। आप दोहरा रही हैं। कृपया शांत रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : पेयजल समस्या के बारे में मैंने पहले स्थगन प्रस्ताव रखा था 20 तारीख को उस पर कोई समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका जवाब आ जाने दीजिए। कल का दिन और बाकी है। आपको बोलने का अवसर दूंगा। माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है उसमें कहा है कि राज्य सरकार इसका जवाब देगी। कल आखिरी दिन है इस सत्र का। या तो हमको कल इस पर बात कहने का मौका दिया जाय या फिर राज्य सरकार की तरफ से क्या हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था हो सकती है मैं देखूंगा उसको। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह : क्योंकि रोडवेज बहुत बड़ी संस्था है ...

श्री अध्यक्ष : आपने लैटीट्यूड दे दिया है कल तक का। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। सम्माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आवश्यक प्रश्न है एक भूतपूर्व विधायक की मृत्यु हो गयी बस स्टैण्ड के ऊपर। आज ही मेरे पास समाचार आया है। धड़ाधड़ चोरियां हो रही हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने बोलने तक का अधिकार नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है। आपको समय नहीं दे पाऊंगा। माननीय दाऊदयाल जोशी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। एक ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन के संबंध में मैंने आपको सूचित किया है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी मेरे पास आया है। मैं उस पर विचार

(श्री अध्यक्ष)

करूंगा। आपको खुद को मालुम है इसका प्रोसीजर।

श्री माणिकचन्द सुराना : प्रोसीजर यही है कि जीरो आवर के बाद तुरन्त मैन्शन करना आवश्यक है....

(व्यवधान)

ठीक है, मैं आपसे इस सम्बन्ध में चर्चा भी करूंगा और

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में काफी जिले अकाल की चपेट में आ चुके हैं। मेरे कोटा जिले में भी सरसों की फसल पर पूरी तरह रोग लग चुका है। वह रोग नारू नाम का लगा है। फसल पूरी तरह इससे त्रस्त हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में पहली बार सरसो की फसल पर यह रोग लगा है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 से 8 सप्ताह तक के पौधे पर, भूमि सतह के पास तने पर अण्डाकार फल के भूरे रंग का धब्बा पैदा कर देता है उसके कारण खड़ी हुई फसल चौपट होती हुई चली जाती है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 पर्सेंट उस गरीब काश्तकार की लहलहाती हुई फसल इस रोग के कारण नष्ट हो गई। उसके बाद जैसे तैसे गरीब काश्तकार बाजार से दवा खरीदकर लाये। प्रथम तो कोई भी व्यक्ति गरीब काश्तकार को दवाओं के विषय में जानकारी ही नहीं देता अगर जानकारी मिल भी गई, ग्रामोकोन नाम की दवा जो लोगों ने बताई, मंहगे मूल्य में खरीदने के बाद वह अपनी फसल को बचा नहीं पाया। कोटा जिले का किसान पिछले दो साल से राज्य सरकार से इस आव्हान, दलहन दुगुनी, तिलहन तिगुनी, ने पहली बार सरसो पैदा की जैसे ही गरीब काश्तकार अपनी फसल लेकर बाजार में आया जबकि 650) रु. और 700) रु. क्विन्टल यह सरसों बिक रही थी वह कीमत दिनोंदिन गिरती चली गई और आज के भाव 400) रु. और 425) रु. के बीच में है बाजार में भाव इतना गिर गया है कि ढाई सौ तीन सौ का भाव उस गरीब काश्तकार को मिल रहा था। मुझे दुख है कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है, आज सरसो के 385) रुपये राज्य सरकार ने भाव निर्धारित किये हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि गरीब काश्तकार अपना पेट काटकर पहले तो मंहगा बीज खरीदे, मंहगा खाद खरीदें, मंहगी दवा खरीदें उसके बाद वह जब अपनी फसल बाजार में लेकर आये तो कौड़ियों के भाव में बेचने को मजबूर होना पड़े। 385 के भाव में तो गरीब काश्तकार को लागत भी नहीं मिलती। लागत ही उस को चार सौ और सवा चार सौ के बीच पड़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका साढ़े छ सौ न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाय। मुझे आश्चर्य और दुख है क्योंकि इस फसल में 385 का तो बीज ही लग जाता है और आप कह रहे हैं 385 रुपये राज्य सरकार मूल्य निर्धारित कर रही है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन है, जैसा केन्द्र में कृषि मूल्य आयोग बना रखा है पंजाब ने भी अलग से अपना मूल्य आयोग गठित किया हुआ है। पिछली बार यह आश्वासन दिया गया था कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से निर्णय लेगी कि राजस्थान के किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिले। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार भी कृषि मूल्य आयोग निर्धारित करेगी। आज हालत यह है कि पंजाब में तो गेहूं की फसल पर सब्सिडी दी जाने की, सहायता दी जाने की बात की जा रही है और राजस्थान सरकार 385 के भाव निर्धारित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ कर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार इस गरीब काश्तकार की फसल को सही सही मूल्य पर खरीदे। आज भी बाजार में फिर भाव गिर सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि मूल्य निर्धारण करने के बाद भी उसकी हालत और गिरने वाली है। अव्वल तो जो मूल्य निर्धारित किये गये है वे बहुत ही कम है। पिछली बार हमने श्रीमान् भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में बाजरे को लेकर, उसके मूल्य को लेकर आन्दोलन कर राज्य सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद करने के बाद भी हम लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि सरकार ने केवल मात्र 20 क्विन्टल बाजरा बाजार से खरीद कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली। मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार कोई न कोई माध्यम तय करे, गरीब काश्तकार की फसल, सरसों की फसल की किसी भी ऐजेन्सी द्वारा तुरन्त खरीद प्रारम्भ की जाय और उसका मूल्य साढ़े छः सौ से लेकर सात सौ रुपये तक मूल्य निर्धारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज आपका यह जवाब आया है। मेरा निवेदन करना यह है कि हमने भी इस सम्बन्ध में कई सूचनायें दी हुई हैं। लेकिन राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, फसल कट कर बाजार में आ रही है। कल हाऊस समाप्त हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, आज 18) रुपये किलो तेल का बाजार भाव है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार सौ रुपये तो उसके प्रोडक्शन की कीमत जाती है। राज्य सरकार उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं करती है। कम से कम अध्यक्ष महोदय, 600) रुपये मूल्य पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार खरीदने की व्यवस्था करवायें, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर राज्य सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं करेगी तो स्थिति गम्भीर होने वाली है..।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप राज्य सरकार से व्यवस्था चाहते हैं, वह यहां इस तरह नहीं उठाया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चाहूंगा, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र व्यवस्था कर सरसों की कीमत 600) रुपये कम से कम रखे ..

(व्यवधान)

अगर इस प्रकार का इस सदन में वक्तव्य नहीं दिया तो किसान लुटेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आज 18 रुपये किलो तेल मिलता है। तेल कारखाने हैं वे तो मुनाफा कमा रहे हैं और किसान बेचारा पिसता जा रहा है। लोगों को महंगा तेल मिल रहा है। राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं है इस पर....

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर चुकी है ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : तेल के दाम बढ़ रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आपने अपनी बात कह दी इससे तो आपकी बात की गंभीरता खत्म हो रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बाजार में तिल्ली का तेल कौड़ियों के भाव बिक रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जितनी गंभीरता से आपने अपनी बात कही थी, उस गंभीरता को आप स्वयं समाप्त करना चाहते हैं, माननीय सदस्य ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम सवाल है। सरसो का तेल 18) रुपये किलो बिक रहा है और किसान के घर में ...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं निवेदन कर दूं। राज्य सरकार व्यवस्था कर चुकी है इस विषय में, नाफेड और राजफेड को अधिकृत कर दिया है कि जहां पर 385 रुपये से नीचे के....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कोई कीमत नहीं है।

(व्यवधान)

52

श्री नदरंग सिंह : यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

एक माननीय सदस्य : किसान के साथ यह तो भारी अन्याय है....

(व्यवधान)

किसान के साथ धोखा किया गया है।

एक माननीय सदस्य : आज की कीमत क्या है, पता है क्या सरकार को ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है उस संबंध में मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने प्रदेश में जो सरसों की हालत हो रही है उसके लिये क्या सरकार ने केन्द्र सरकार को सपोर्ट प्राइस तय करने के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं? सुझाव नहीं भेजे हैं तो फिर राजस्थान को अपने किसानों के हित की चिंता तो करनी चाहिये थी और राज्य सरकार को कुछ सुझाव भेजने चाहिए थे। इस पर कोई न कोई विचार करने की तो आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं एक सवाल पूछ रहा था

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी, सरकार ने सुन ली। स्थगन प्रस्ताव में यही होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि कामर्स कालेज के बाहर करीब 100-150 झोपड़ियों में भयंकर रूप से आग लगी हुई है किन्तु वहां फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। आग बुझाने के, मैं समझता हूं, पर्याप्त साधन नहीं पहुंचाये गये हैं। यह मानवता का प्रश्न है। आप सरकार को यह चेतावनी दें कि ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

आप आ गये हैं। मुझे फैसला करने दीजिए। यह जो सूचना दी है। आग लग रही है और तत्काल वहां कोई व्यवस्था नहीं है कामर्स कालेज के सामने। कृपया इसे देखें और व्यवस्था कराने की कृपा करें।

राज्यपाल महोदय का संदेश।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कहां पर चले गये। मुझे ही पढ़ना है ?

संदेश

महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कृतज्ञता ज्ञापन

राज्यपाल ने संदेश भेजा है : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 26 मार्च, 1985 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :–

"अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 12-2-रा. भ./85 दिनांक 27 मार्च, 1985

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 26 मार्च, 1985 का अ. शा. पत्र संख्या एफ 10-1-सदन/विस/85/15244 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,
ओ पी. मेहरा

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। प्रतिवेदन एवं लेखे।

मुख्य मंत्री जी।

धरना

बीदलोक में पानी के अभाव को दूर करने की व्यवस्था न किये जाने पर श्री देवीसिंह भाटी का सदन में धरना

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीदलोक में तीन दिन से पानी नहीं आ रहा। आधा गांव खाली हो चुका है और 11 गायें मर चुकी हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सरकार की व्यवस्था के विरोध में इस सदन के पटल पर धरना दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

(धरना)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य. नियमों का पालन करें। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : काहे के नियमों का पालन करें, लोग प्यासे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चालू रखें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982–83 अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 पथ परिवहन ग्रधिनियम, 1950 की धारा 35 (2) के ग्रन्तर्गत सदन की मेज पर रखती हूं।

एक माननीय सदस्य : भई चलिये, यह कैसे होगा।

(धरना समाप्त)

श्री ग्रध्यक्ष : दोनों रख दिये ग्रापने।

याचिका का उपस्थापन

छबड़ा से धरनावदा तक की सड़क पक्की बनाने की स्वीकृति होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होना

श्री प्रतापसिंह, सदस्य विधान सभा छबड़ा से धरनावदा तक की सड़क पक्की बनाने की स्वीकृति होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ न करने सम्बन्धी एक याचिका प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रताप सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं छबड़ा से धरनावदा तक की सड़क पक्की बनाने की स्वीकृति होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने से जनता को ग्रसुविधा होने सम्बन्धी दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : विधायी कार्य। विनियोग विधेयक। पुरःस्थापित करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (स 2) विधेयक, 1985

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी स्वीकृति से मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 19:5 को पुरःस्थापित करने की ग्राज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की ग्राज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की ग्राज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मन्त्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक 1985

श्रीमती कमला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 19?5 को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मेरा सौभाग्य समझती हूं कि आज इस हाऊस के अन्दर अपने गरीब और पिछड़े इलाके की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का मुझे मौका मिल रहा है। इस देश के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको हम जानते हैं। जैसे आगरा है तो ध्यान में आता है कि वहां ताजमहल बना हुआ है। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की बात होती है तो ध्यान में आता है कि वहां व्यापार है। परन्तु जब धौलपुर का नाम उठता है तो नारी होने के नाते मेरा तो सिर शर्म से झुक जाता है, जब लोग मेरी तरफ देखकर कहते हैं कि अच्छा! वह जगह जहां महिलाओं की इज्जत चौराहे पर बिकती हैं, वह जगह जहां आदमी की जिन्दगी दो कौड़ी की होती है। मैं आप लोगों का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैं सोचती हूं कि इस मामले पर भारत भर में चर्चा हुई है। नामजद रिपोर्ट हुई है, नाम पेपर में आया है परन्तु इस मामले पर आज तक किसी ने गम्भीरता से कुछ निर्णय नहीं लिया है।

कंजरपुरा नाम का एक गांव है जो पंचगांव के पास बसाया गया हैं। यह वही कंजरपुरा है जहां इस पूरी समस्या, जो आज मैं आपके सामने रख रही हूं, की जड़ है। वहां यह चोरी होती है वहां औरतों को ला कर बेचा जाता है वहां से जब हमारी महिलाऐं छूट छूट कर थाने पहुंचती हैं तो पुलिस और उनकी साज़िश होती है। उनको उठा उठाकर वापस भेजा जाता है कोई राहत तो मिलती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इन गम्भीर समस्या के बारे में आज तक सरकार ने क्या किया है और क्या करने जा रही है? इस की ओर आप सब लोगों का ध्यान वैसे भी आकर्षित है पर इसका जो मूल कारण है उस पर किसी ने ध्यान दिया है क्या? जहां तक मैं समझती हूं, इसके दो मूल कारण है। एक तो गरीबी है जिसकी वजह से आदमी का घर तबाह हो जाता है, बच्चे भूखे मरते हैं। शायद हाल ही में दौसा में केस हुआ है जहां एक आदमी ने अपनी बीवी को 200 रुपये में बेचा है। इल्लिट्रेसी एजुकेशन की वजह भी है। पर मैं समझती हूं कि आज तक इस सम्बन्ध में कुछ काम नहीं किया गया है इस एरिया में। मैं तो समझती हूं कि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर और एमेनिटीज पर हम ध्यान नही देंगे तब तक इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

धौलपुर में जब मैंने पहली दफा दौरा किया, देख कर हैरान हो गयी कि क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया गया है। 25 साल से सरकार सोयी रही है। मैं हाथ जोड़कर आपके सामने यह बात रखना चाहती हूं, किसी आफैन्ड करने वाली भी बात नहीं है नहीं करना चाहती, नम्रता से ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहती हूं मैंने रास्तों की हालत देखी हैं, गांव गांव में घूमी हूं। खरंजे तक नहीं है। कीचड़ से भरे हुए रास्ते हैं। औरतें इस सीजन में इस महीने में कीचड़ में घूम रही है तो बरसात के मौसम में वहां क्या होता होगा, किस तरह से वह निकलती होंगी।

(56)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रास्ते गांव के नहीं हैं। मैं पहुंची खेतों के द्वारा, राह के खेतों से निकलते निकलते हैं, मेड़ों के ऊपर से निकल निकल कर पहुंची हूं गांवों में। मैं पूछना चाहती हूं कि इलैक्शन के समय पर रास्ते बनाये जा रहे थे उनका काम आज क्यों रोका गया है? मिट्टी पड़ रही थी, रोड़ी पड़ रही थी फिर काम आज क्यों रोका गया हैं? शर्म आती है कि जो हमारे स्टेट टाइम के रास्ते थे और जो जनता सरकार ने ढ़ाई साल में बनाये थे वही रास्ते आज दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा काम शुरू हुआ था इलैक्शन की वजह से, वह काम भी आज बन्द हो गया। मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? अगर आप लोगों ने इस समय इसका इंतजाम करा था तो वह इंतजाम आज भी जारी है उसको आज भी करना चाहिये, वह काम आज क्यों बन्द हो गया है।

75 पर्सेंट गांवों में आज बिजली नहीं हैं। पानी की बहुत भारी समस्या है, नहर नहीं है, इरिगेशन का कोई साधन नहीं है, हैंड पम्प जहां लगे हुए हैं वह केवल दिखावे के लिए लगे हुए है। जैसा कहते है उनके 10 फीट पाइप लगे हुए हैं, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूं कि दिखावे के लिए आपने क्यों लगाये हैं? इलैक्शन के समय में आपने क्यों घोषणाऐं की कि ये हैण्ड पम्प लगेंगे? आज तक भी हैण्ड पम्प पड़े हुए हैं, उनके लगाने का कोई अर्थ नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप इस पर ध्यान देने वाले हैं? क्या बिजली की जो लाइन पड़ी हुई है, बिजली के जो खम्बे पड़े हुए है वह लगने वाले हैं या ऐसे ही दिखावे के लिए पड़े हुए हैं? आखिर लक्ष्य आपका और हमारा एक ही है। प्रदेश की भलाई और अपने क्षेत्र की सुविधा और उन्नति के आप और हम सब लगे हुए हैं। इलैक्शन से तो यह बात सम्बन्धित है नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जो स्कूल खोलने की घोषणा की थी, शुरु करवाये गये थे आज मास्टरों को वहां से क्यों हटा दिया गया है? वह स्कूल बन्द काहे को कर दिए गए? आखिर वह भलाई के लिए रखे थे कि वोट के लिये रखे गये थे? मैं पूछना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र में पूलिंग बूथ में ऐसा गांव था जहां के वोट नहीं मिले हैं उसी एरिया में आज वह स्कूल बन्द क्यों कर दिये गये हैं? मैं जानना चाहूंगी कि आप किस का ध्यान रखते हैं? अस्पताल की हालत इतनी वाहियात है कि आपको मैं क्या कहूं। आज कोई किस्म की फैसिलिटी नहीं है वहां। लोग कहते हैं कि धौलपुर में अगर तुम्हें मरना है तो उस अस्पताल में पहुंचो। आप लोग जगदीशजी को अच्छी तरह से जानते हैं। वे वहां विधायक भी रह चुके हैं। उनकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में दो वर्ष पूर्व। उनको अस्पताल लाया गया था तो उनको पेथेड्रिन का इंजेक्शन देकर बेहोश रखा गया। आप जानते हैं कि जो भी अस्पताल में आदमी लाया जाता है, पहले यह देखते हैं कि उसके कहां चोट लगी हैं, कहां दर्द है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। परन्तु हमारे वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनको घायल हालत में बेहोशी में रखा गया ताकि किसी को मालूम नही हो। चार दिन के अन्दर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अन्दर उनकी मृत्यु हो गई। मैं तो कहती हूं तो लापरवाही की वजह से कतल हुआ है, कतल। आज भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जनाना अस्पताल में नर्स है। मैं पूछना चाहती हूं कि वहां क्यों नही फीमैल नर्स लगाई गई? वहां की फीमैल नर्स थी उसको डेपुटेशन पर अस्पताल में लगाया गया है। मैं कहना चाहती हूं कि उसको वापस भेज दिया जावे, उनकी जगह, जो खाली जगह है, पर नई नियुक्ति की जावे ताकि पोस्ट जो है उस पर काम तो हो। गांव में कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं। लोगों को दूर दूर से लाया जाता है कई कई तो इतनी गम्भीर हालत में आते हैं कि रास्ते में आते आते मर जाते हैं। इसके बारे में क्या किया जा रहा है?

मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहती। परन्तु कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा अर्ज करना चाहती हूं। थानों में कितनी अव्यवस्था है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो कोई रिपोर्ट लिखता नहीं है। उल्टा हमको धमकी दी जाती है कि आप लोग यहां से जल्दी से जल्दी चले जाइये नहीं तो आप लोगों पर कार्यवाही की जावेगी। हाल ही में मेरे पास चिट्ठी आई थी। मैं समझती हूं कि थोड़ा सा इसका रेलेवेंट पोर्शन आपके सामने पढ़ दूं। चिट्ठी आई है राजाखेड़ा से। यह श्री पाराशरजी की है। उन्होंने लिखा है, "मेरे भाई श्री पाराशरजी तारीख 15-3-85 को शाम करीब 7-45 को गोली मारकर हत्या कर दी। चार दिन हो गए हमने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने कोई भी संतोषप्रद रवैय्या अभी तक नहीं दिखाया है और न कोई उचित कार्यवाही की गई है।" यह हाल ही में आई है। चार दिन पहले की बात है। मैं पूछना चाहती हूं कि मर्डर के केस हैं, आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? कौन देखेगा? किस के पास जायेंगे ये मैसेज लेकर? बन्दूक के लाइसेन्स आप लोग देते हैं, क्या होता है कि जब भी केस आ जाता है कोई, आप लोग उनके लाइसेंस वापस ले लेते हो। रिश्वत लेते हो और फिर बन्दूक छोड़ते हो। आप लोग जानते हो कि वह एरिया कितना डिस्टर्ब एरिया है। अगर उस एरिया में आप लोगों को लाइसेंस नहीं दोगे तो बचाव किस तरह से होगा? यह डाकू समस्या प्योरली फायदे के लिए है। मैं समझती हूं कि वहां कुछ काम नहीं होने वाला है। एक्शन तो कहने की बातें हैं। अभी तक कोई संतोषजनक एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस वाले धमकी देते हैं। जो लोग फरार हो जाते हैं वह इसी वजह से फरार होते हैं कि जब केस दर्ज किया जाता है तब पुलिस की साजिश होती है, हम इनकी बन्दूक की लाइसेंस जब्त कर लेंगे, तुम इनको मरवा डालो और आपके सामने कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यह पुलिस की साजिश है। पर आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया।

देखिये, हमारा क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा सा क्षेत्र है। परन्तु

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मूल कारण हटाने में जब तक सरकार अपना साथ नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने रूंखड़े की एक कहानी सुनी होगी। हमारे क्षेत्र में एक रूंखड़ा होता है। जिसको हम बेशर्म कहते हैं। उस बेशर्म का सिर काटते रहो तो भी वह तो उगता ही रहेगा। जब तक उसकी जड़ काट कर आग नहीं लगाई जाये तब तक खतम नहीं होता। मैं सोचती हूं कि यह समस्या भी ऐसी ही समस्या है कि जब तक आप जड़ काट कर उनकी जड़ में नहीं देखें, उसकी जड़ में आग नहीं लगायें तब तक यह खतम नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से हम लोगों का एटीट्यूड ही अलग है। हम लोग यह सोचते हैं कि आज इसके घर में आग नहीं लग रही है, ठीक है इसका घर जलता रहे। जब तक हमारे घर मे आग नहीं लगती है हमें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि हमारे और आपके छप्पर लगे हुए हैं। अगर हमारे घर में आग लगती है तो कोई दिन आपके भी घर में आग लगेगी। यह नहीं है कि बात दूर की है। बीकानेर में एस पी रोहताश्व कुमार के द्वारा जो किस्सा हुआ वह आप लोगों के सामने है। उसके बारे में क्या किया गया? आप लोगों ने उसको सिर्फ बीकानेर से जयपुर ट्रांसफर किया है। क्या आप नहीं समझते कि उस घर में तबाही हुई है, उस घर में दुख हुआ है, खेद हुआ है अपने आपको उस जगह में रखकर देखिये, अगर आपके परिवार में ऐसा होता तो आप क्या करते? उसके लिए आपने क्या किया? उसको सिर्फ जयपुर लाये हैं, बस। मैं तो सोचती हूं कि उसको वहीं का वहीं सस्पैंड कर दिया जाना चाहिए था पर अब तक आपने एक्शन नहीं लिया है। यह तो एक हाल आपके सामने रखा है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि इस सम्बन्ध में कड़ा से कड़ा एक्शन आप लोग लेंगे।

हाथ जोड़कर आप लोगों से आशा है कि जो समस्यायें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, जितना संक्षेप में रख सकती थी संक्षेप में रखी हैं, मैं चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग इन पर ध्यान दें। आप जवाब दें तो संतोषजनक जवाब दें और कार्यवाही इस पर करना शुरू कर दें।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराना।

वित्तीय समिति का गठन

वित्तीय समितियों के नामांकन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि आज दोपहर 1 बजे तक थी, उसको 29 मार्च, 1985 के दोपहर 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आगे का क्या होगा। आगे का कार्यक्रम क्या होगा ? पूरा बताइये प्रोग्राम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि उसके बाद आवश्यक हुआ तो कल ही दोपहर में 4 बजे तक चुनाव करा दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की सम्मति है कि नामांकन पत्र वापस लेने का समय 29 मार्च, 1985 के दोपहर तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

नामांकन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि की गई।

श्री मानिकचन्द सुराना।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1987

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक (नं. 2) 1985, हमारे सामने विचारार्थ है। हालांकि इस एप्रोप्रियेशन बिल नई सरकार कोई पूरा चिंतन नहीं कर पाई होगी, क्योंकि मूल रूप से बजट की तैयारी अध्यक्षजी, नवम्बर, दिसम्बर में शुरू हो जाती हैं। जो बजट मदों में विभाजित रहता है उसकी प्रक्रिया नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में काफी कुछ चल जाती है। नई सरकार के नए मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली यह बजट करीब करीब बन गया होगा। यह वोट ओन अकाउण्ट भी इसीलिए चाहा गया है क्योंकि नई सरकार सातवीं योजना पर न भारत सरकार से चर्चा कर पाई और न खुद ही उस पर सम्पूर्ण रूप से विचार कर पाई : लेकिन इस वोट ओन अकाउण्ट के साथ में जो बजट का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा उस बजट में 263 करोड़ का राज्य के सम्मुख रख दिया, विधान सभा के सम्मुख रख दिया। 263 करोड़ के घाटे का बजट यदि वाकई में हो तो सदन के लिए वास्तव में चिंता की बात है। लेकिन यह नौकरशाही बड़ी होशियार है बजट यदि सरप्लस भी हो तो भी नौकरशाही ने मुख्य मन्त्री को समझा दिया कि आप तो घाटे का बजट रख दो। जो आन्तरिक संसाधन राज्य के सामने मौजूद हैं, उन संसाधनों को छुपा लो, अपने रिसोर्सेज छुपा लो और 263 करोड़ के घाटे का बजट आप प्रस्तुत कर दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के साधन जो आपने 1984-85 में दर्शाए, 1985-86 में भी आप दर्शा रहे हैं। 1984-85 के बजट का पांचवा खण्ड, अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने है। इस 1984-85 के बजट में 211 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन

(12-50 म. प.)

(श्री गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

आय व्यय के अनुमान 84-85 में, अध्यक्ष महोदय, दिखाये गये हैं 211 करोड़ के लेकिन यहां 211 करोड़ के संशोधन नए बजट में आपने 265 करोड़ तो मान लिए लेकिन 265 करोड़ के संसाधनों को मान

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कर आपने जो पांचवां खण्ड इस बजट का रखा उसमें 211 करोड़ की जगह आपने संसाधनों को बिल्कुल निल दिखा दिया। मैं पेजकोट कर देता हूं। पेज संख्या 120 खण्ड 5, बजट 1985 86, और इसके अतिरिक्त संसाधन का कालम नम्बर 3, आपने अपने संसाधनों को जीरो दिखाया है और 84 85 के संसाधनों का अनुमान आपने 265 करोड़ दिखाया है। 1984-85 में अनुमान था 211 करोड़ का, पेज 128 पर 211 करोड़ के संसाधन 1984-85 का अनुमान है, संशोधित अनुमान हो गये 265 करोड़ के और 1985 86 के अनुमान में आपने इसको जीरो दिखा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 211 करोड़ के आपके अनुमान 1984 85 के हैं तो निश्चित रूप से राज्य के संसाधन किसी भी मायने मे 265 करोड़ से कम 1985-86 में नहीं हो सकते। पर आपने जीरो बता दिया। 265 करोड़ के संसाधन मान लिए जाये तो यह 263 करोड़ के घाटे का बजट 265 करोड़ के नाम पर सरप्लस का बजट है, घाटे का बजट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरप्लस के बजट को घाटे में आपने दिखा दिया ताकि मुख्य मन्त्रीजी अपनी टोपी में से 263 करोड़ निकाल कर दिखा देंगे साल के अन्त में और कह देंगे कि सर-प्लस बजट है, हमने 263 करोड़ के घाटे को पाट दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रशासन द्वारा फिगर्स की जगलरी विधान सभा के साथ में बजट पेश करने में की गई है इसकी इजाजत क्यों दी गई? यह यह केबिनेट इस बात के लिए जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री ही, नहीं पूरी केबिनेट इस बात के लिए जिम्मेदार है। यह जगलरी किस तरह से परमिट कर दी? 265 करोड़ के संसाधनों को छिपा कर आपने 263 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत कर दिया। मुझे घाटे की बहुत चिन्ता है, सभापति महोदय मुझे रेवेन्यू बजट के घाटे की बहुत चिन्ता है। 1984-85 में 88 करोड़ के रेवेन्यू घाटे का बजट संशोधित अनुमान का है, जो 96 करोड़ हो गये और अब आपने बजट 158 करोड़ के रेवेन्यू घाटे का पेश कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में रेवेन्यू का बजट घाटे का है आप संसाधन कहां से लाऐंगे? रेवेन्यू घाटे के बजट को निश्चित रूप से सरप्लस नहीं किया, बचत नहीं की तो हम विकास के लिए साधन कहां से जुटाएंगे? इस राज्य को चलाने के लिए, इस राज्य के दिनप्रतिदिन के रखरखाव के लिए, इस राज्य के सारे खर्चों की मेन्टी-नेंस के लिए प्रशासनिक खर्चे, मशीनरी के मेन्टीनेंस के लिए हम जितनी आय कर रहे है उससे अधिक व्यय कर रहे है फिर हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में जो रिसोर्सेज हम को मोबिलाइज करने हैं, जो एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, जो रेवेन्यू के बजट में कटौती करके हमको खर्चा करना है उसका क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि 1984-85 में 1330 करोड़ का ही रेवेन्यू व्यय था तो 190 करोड़ का राजस्व व्यय बढ़ाने का कारण क्या है? 190 करोड़ का राजस्व व्यय आपने बढ़

(श्री मानिकचन्द सुराना)

दिया, इसका मतलब यह है कि हमारे प्रशासनिक तंत्र पर कोई नियंत्रण नहीं, रख रखाव के खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं। मैं 190 करोड़ राजस्व व्यय में बढ़ाने की, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर 800 मदों के बजट का दुबारा रिव्यू करके, अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने वाले हैं 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में इस विधान सभा के सामने, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू के बजट में कटौती करिए राजस्व के व्यय में कटौती करिए और कोई फार्मूला निकालिए कि जितनी हमारी आमदनी है राजस्व की, यदि वह 1400 करोड़ है- मैं वह 1580 करोड़ मानता हूं, आमदनी हमारी 1390 करोड़ की इस साल की है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, 10 प्रतिशत की बचत राजस्व के खाते में से निश्चित रूप से यह विधान सभा और सरकार नहीं करेगी, 1400 करोड़ में से 140 करोड़ की बचत नहीं करेगी, 10 प्रतिशत की बचत राजस्व खाते में से नहीं होगी तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना किसी भी प्रकार से चलने वाली नहीं है, राजस्व घाटे के बजट आते रहेंगे, 96 करोड़ का घाटा 84 85 में और 85-86 में 158 करोड़ का घाटा तो निश्चित रूप से यह हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आत्मघाती होगी। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि 800 मदों का जो बजट है उसका कम्पलीट रिव्यू करके प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी हैं कि वह राजस्व बजट में कटौती करे, राजस्व व्यय में कटौती करे। यह हालत है, सभापति महोदय, प्रशासन की, हर विभाग की कि जितने खर्चे जिस प्रकार के हैं उससे 10 प्रतिशत खर्चा बढ़ा कर अनुमान ले आयेंगे सचिव महोदय, उप सचिव महोदय कि साहब, इस साल तो 20 लाख का खर्चा हुआ था, अगले साल कम से कम 22 लाख, 25 लाख इस विभाग को मंजूर कर दीजिए। डी. एस. फाइनेंस, सचिव फाइनेंस के जरिए से सब मदों के फाइनेंस मिनिस्टर के पास प्रावधान पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो पहले वित्त मन्त्री थे उन्होंने प्रावधानों को बिना गंभीरता से विचार किए हुए रखा। उनको तो जाना था, वे चले गये, उनका टिकट ही काट दिया आपके हाई कमाण्ड ने, खैर, उनकी चिन्ता नहीं, वृद्ध थे, वे पूरी अलर्टनेस दिखा ही नहीं सकते थे लेकिन इस सरकार की जिम्मेदारी है, इसके सामने बृहद् जिम्मेदारी आई हुई है सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाने की। सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाकर राजस्थान की औसत आमदनी भारत की औसत आमदनी तक ले जाने की जिम्मेदारी इस सदन पर है, सरकार पर है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आमदनी औसत भारत की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी से 325/- रु. आज के मूल्य स्तर पर कम है, आज के मूल्य स्तर पर हम पीछे चल रहे हैं भारत की औसत आमदनी से, उसके लिए मुझे कोई डाकूमेंट कोट नहीं करना जो ड्राफ्ट प्लान आपकी सरकार ने बनाया है मैं उस प्लान के आंकड़े दे रहा हूं इस डाकूमेंट में आपने औसत आमदनी भारत की 325/- से कम मानी है और कहा है कि इस औसत

(श्री मानिकचन्द सुराना)

ग्रामदनी के स्तर पर राजस्थान को लाने के लिए 25 हजार करोड़ का व्यय 7वीं योजना में हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। बहुत ग्रच्छा उद्देश्य रखा 25 हजार करोड़ के व्यय का लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्राफ्ट प्लान में, सभापति महोदय, वित्तीय साधनों का चेप्टर सिर्फ 3 पेज में है। 25 हजार करोड़ कहां से ग्रायेंगे; साढ़े बारह हजार कहां से ग्रायेंगे प्लान फाइनेंस का रुपया कहां से ग्रायगा इस बारे में 500 पेज के ड्राफ्ट सेवेन्थ प्लान में संपूर्ण रूप से तीन पेज की चर्चा में कहीं कोई इसका जिक्र भी नहीं कि इस स्टेट में हम कौनसे साधन जुटायेंगे, नान टैक्स रेवेन्यू को कहां से बढ़ायेंगे, खनिज के मद में से कितने रुपये पैदा करेंगे, राजकीय उपक्रमों से कितने साधन जुटायेंगे, किस तरह से उनको सरप्लस में कन्वर्ट करके मुनाफे में चलाकर रुपयों की, वित्तीय साधन की व्यवस्था करेंगे। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है सिर्फ एक बात का जिक्र है, सभापति महोदय, वह जिक्र यह है कि भारत सरकार को हम दबाऐंगे कि वह हमको अधिक संसाधन दे। इसमें एक बात पर बड़ा दुख प्रकट किया गया है, सभापति महोदय, भारत सरकार ने जो संसाधन ग्रावंटित रखे हैं उसमें राजस्थान का नम्बर 2 या 3 ऐसी स्टेट में है जिनको कम से कम संसाधन भारत सरकार की ग्रोर से उपलब्ध करवाये गये हैं। 2-3 स्टेट गिनती की हैं खुद राजस्थान राज्य का ड्राफ्ट प्लान बनाने वालों ने, हम उस सूची में हैं जो नीचे ही नीचे भारत सरकार की कैटेगिरी में ग्राती है, जिनको भारत सरकार संसाधन देती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल के लिए मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि भारत सरकार देखेगी, राजस्थान नहर के लिए भी कह दिया कि हम इसको केन्द्रीय योजना बनाऐंगे। यह तो हुई ग्रापकी इच्छाएं। कल माननीय राजस्व मन्त्रीजी कह रही थीं कि हम 800 करोड़ का बजट बनाऐंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन ऊंची इच्छाग्रों, हम पानी की योजनाग्रों में पांच साल में 800 करोड़ रखेंगे, डेजर्ट के लिए 600 करोड़ भारत सरकार से लेंगे ग्रौर राजस्थान नहर को बनाने के लिए हम 300 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त करेंगे, सभापति महोदय, इच्छाग्रों को जाहिर करना ही काफी नहीं है। भारत सरकार से लड़ने के लिए, भारत सरकार ग्रौर भारत सरकार के प्लानिंग विभाग द्वारा जो भेदभाव राजस्थान के साथ किया जाता है, योजना ग्रायोग द्वारा किया जाता है उसके लिये लड़ने के लिए, भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए हां पक्ष ग्रौर ना पक्ष दोनों को एक रखेंगे तो ग्रापकी पीठ के पीछे रहेंगे, यह माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ग्रपनी भावनाग्रों को उजागर किया कि विपक्ष को मैं इस दृष्टि से नहीं देखता कि वह विरोध की ही बात करेगा बल्कि मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि वह भी इस विधान सभा के पार्टनर हैं, हम मेजर हैं, वे हमसे कुछ कम संख्या में है, इस भावना के ग्रनुरूप में निवे-करना चाहता हूं कि भारत सरकार से संसाधन प्राप्त करने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न ग्रापको करने पड़ेंगे, लेकिन इसके

(श्री मानिकचन्द सुराना)

साथ साथ राज्य को खुद के वित्तीय साधन जुटाने पड़ेंगे। प्राथमिकता तो तय करनी है राजस्थान में कि प्राथमिकता क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सबसे पहली प्राथमिकता पीने के पानी की समस्या के समाधान की है। पीने का पानी आदमियों और पशुओं के लिए उपलब्ध हो, हमारी अर्थ व्यवस्था भी इस बात पर आधारित है, रेगिस्तान के 11 जिले हैं जिनमें प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी है उसमें पीने के पानी की समस्या है, शत प्रतिशत गांवों में जो पीने के पानी की समस्या हल करने का लक्ष्य रखा है सातवीं योजना में, जिस दिन वह हल हो गई उस दिन राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में भारी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।

पशु पालन के संबंध में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन के माध्यम से जितनी आमदनी आज दिन है, उससे चौगुनी अधिक होगी, राजस्थान राज्य को इसका अन्दाजा नहीं। राजस्थान में साढ़े चार करोड़ पशुओं की संख्या है, हिन्दुस्तान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के पास है जिसकी आबादी सिर्फ 5 प्रतिशत और पशुओं की संख्या है साढ़े ग्यारह प्रतिशत, याने 4.5 करोड़ की संख्या पशुओं की है राजस्थान में, इन पशुओं के विकास के द्वारा पशुओं की नस्ल के विकास के द्वारा, राठी, थारपारकर, नागौरी गाय के विकास के द्वारा और अन्य जो ब्रीड्स हैं राजस्थान में भेड़ों की जो चोखला आदि ब्रीड्स हैं उनके विकास के द्वारा निश्चित रूप से राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध किया जा सकता है।

(1-00 म. प.)

हमारे लिये एग्जाम्पल आस्ट्रेलिया का हो सकता है, हमारे लिये उदाहरण अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैण्ड का नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पशुपालन का विकास आस्ट्रेलिया में किया गया है, जिस प्रकार से रेगिस्तान रोकने की बात की गई है। इस तरह जब तक इस पशुपालन का विकास नहीं करेंगे, रेगिस्तान को रोकने के लिए पेड़ों के लिए जब तक चरागाह नहीं बनायेंगे तब तक हम पशुपालन का विकास नहीं कर पायेंगे। कल बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसा रेगिस्तान है, 25 गांव हैं बस्सी में जिसमें एक गांव में से निकल कर दूसरे गांव में जा नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गांव पुष्कर से आगे बढ़ रहा है, जयपुर की तरफ आ रहा है। जितने भी रेगिस्तान के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि रेगिस्तान बढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने रेगिस्तान को रोकने का कार्यक्रम जब बनाया तब उनको खतरा था कि कहीं रेगिस्तान दिल्ली नहीं पहुंच जाये। इसलिये रेगिस्तान को रोकने के लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, भारत सरकार की वार्षिक योजना में इस बार सिर्फ 8 करोड़ रुपये का प्रावधान है, डेजर्ट डवलपमेंट को रोकने के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपये

(64)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

का प्रावधान है। यदि वे 8 करोड़ रुपये राजस्थान को मिल भी जायें तो उस 8 करोड़ से राजस्थान का रेगिस्तान तो रुकेगा नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि रेगिस्तान को रोकने के लिए राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। यह जो सैकिण्ड फेज है, राजस्थान नहर का, इस सैकण्ड फेज में राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने में इसका समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जाय, इस बात की चिन्ता राजस्थान सरकार को अधिक करनी है और राजस्थान सरकार को चिन्ता करके भारत सरकार को दबाना है कि रेगिस्तान के विकास के लिए अधिक से अधिक धन, जो 50 हजार करोड़ से अधिक हर साल की जो योजना है उसमें से अधिक से अधिक धन उपलब्ध करायें। इस बात की चिन्ता आपको करनी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एप्रोप्रियेशन बिल में आने वाले तीन महीनों के बाद जो आप बजट पेश करें उसमें राज्य के व्यय की कटौती करें, राज्य के व्यय की कटौती करके प्लान बजट, प्लान के रिसोर्सेज, राज्य के खाते में से निकालें। दस पर्सेन्ट का मॉडेस्ट टार्गेट आपके सामने रखा है। यहां की आमदनी 14 सौ करोड़ है तो 140 करोड़ की बचत राज्य के खाते में से कर दें। प्लान के रिसोर्सेज हमको बिल्ड करने चाहिए।

इसके साथ ही साथ, सभापति महोदय, राजस्थान प्रायोरिटी मुकर्रर कर दीजिये। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, पर्सपेक्टिव क्या हैं, हम किधर जाना चाहते हैं। यदि राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले और अन्य प्रांतों के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो उसका वह संभव नहीं होगा, लेकिन राजस्थान में यदि हमने खेती के विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया और प्रायोरिटी में इन बातों पर अधिक तवज्जोह दी तो निश्चित रूप से जो पशुधन हमारे पास है धरती हमारे पास है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हमारे पास हैं, उससे निश्चित रूप से बड़ा भारी क्रान्तीकारी परिवर्तन हमारी अर्थ व्यवस्था में हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इकोनामिक एटलस बनाइये। राजस्थान में इकोनामिक एटलस बनाने के लिए एक्सपर्ट को मुकर्रर कर दीजिये ताकि हर बार राजस्थान की अर्थ व्यवस्था के लिए नेशनल कौन्सिल आफ इकानामिक रिसर्च के पास जाने की जरूरत नहीं हो, ऐसी स्थिति राजस्थान में आप पैदा करें कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था की समस्या का समाधान ढूंढने के लिये आप नेशनल कौंसिल आफ इकोनामिक रिसर्च से न करें। यूनीवर्सिटी के एक्सपर्ट से या यूनीवर्सिटी से अलग एक इन्स्टीट्युट कायम करके करायें या राजस्थान में किसी बड़े आदमी के नाम से ही इकोनामिक इन्स्टीट्यूट बनायें, जिस तरह इंग्लैंड में है, उसी तरह राजस्थान की समस्या अर्थ समस्याओं के समाधान के लिए हमको यहां इकानोमिक इन्स्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। लेकिन मुख्य मंत्री जी अपनी ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर रहे तो, मुख्य मंत्री जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ड्राफ्ट प्लान में फाइनेंशियल रिसोर्सेज

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पर तीन पेज का चैप्टर लिखा है । इस ड्राफ्ट प्लान में उस तीन पेज के चैप्टर में कहीं भी पता नहीं चलता कि रिसोर्सेज कहां से आयेंगे सिवाय इस बात के कि भारत सरकार पर दवाब देकर हम रिसोर्सेज ज्यादा लाने का प्रयत्न करेंगे । जिस राज्य का चिन्तन इतनी गरीब हो, राज्य की ब्यूरोक्रेसी इतनी अक्षम हो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर 500 पेज में तीन पेज का चैप्टर लिखे, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे जो विचार इस ब्यूरोक्रेसी में हैं उससे सरकार को मुक्त होना है तो निश्चित रूप से जैसी भावनाओं का इजहार किया, राजस्थान को आगे ले जाने के लिए सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर आप आधारित रहे, ब्यूरोक्रेसी पर आधारित नहीं रहेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर गम्भीरता से पुनः विचार करें इस एप्रोप्रियशन बिल में ।

अभी एक सवाल आया है, सभापति महोदय, कोटा से जो आ रहे हैं माननीय सदस्य उन्होंने सरसों के मूल्य का सवाल उठाया और गेहूं के मूल्य का सवाल हमारे सामने है । मैं कहना चाहता हूं कि 152 रुपये मूल्य पिछले साल थे । भारत सरकार के वित्त मन्त्री जी ने कहा 5.2 इन्फ्लेशन की रेट है । और जैसा कि पालखीवाला कह रहे थे, यदि इन्डेक्स टू इन्डेक्स देखा जाए तो हिन्दुस्तान में इन्फ्लेशन की रेट 7.2 है । 151 रुपये जिस चीज की कीमत थी पहले, जिस गेहूं की 152 रुपये कीमत थी, सभापति महोदय, इन्फ्लेशन की रेट से, भारत सरकार की रेट से ही 150 की कीमत 157 रुपये हो गयी । यदि नाना पालखी वाला जो माननीय अर्थ शास्त्री और विचारक हैं, की बात को मानी जाए, जिन्होंने भूरी-भूरी प्रशंसा श्री राजीव गांधी की उनके बजट की तो निश्चित रूप से 10.50 रु. इसमें वढ़ाये गये होते, और 152 की जगह 162.50 मूल्य होता गेहूं का, 84–85 के मूल्य स्तर पर यह बिल्कुल वाजिब होगा लेकिन काश्तकार को हम मूल्य 157 देंगे, इन्फ्लेशन की रेट 5.2 मानेंगे । 152 से बढ़ाकर उसका मूल्य 157 कर दिया । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, गेहूं का क्षेत्र घट रहा है राजस्थान में, गेहूं की खेती घट रही है । यदि 157 रु. इस तरह से मूल्य रहा और भारत सरकार ने इस तरह की बढ़ोतरी गेहूं के मूल्य में की तो निश्चित रूप से लोग गेहूं की बुवाई छोड़ेंगे । और व्यापारिक फसलों की ओर जायेंगे । हमको गेहूं अमेरिका से नहीं मंगवाना है तो निश्चित रूप से गेहूं की रेट में वढ़ोतरी के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर दवाब डालना चाहिए । पंजाब में गेहूं पैदा नहीं होता, हम भी गेहूं पैदा करते हैं । सरसों के मामले में लुधियाना यूनीवर्सिटी का कहना है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 450 रु. क्विन्टल है और राजस्थान सरकार कहती है कि 385 रु. क्विन्टल है से भाव नीचा होगा तो हम खरीदेंगे । हमने एक्स्पर्ट को कह दिया, हमने सरकारी संघों को कह दिया । आपने कह दिया होगा इस विधान सभा को सन्तोष करवाने के लिए लेकिन आपने कितना प्रावधान दिया, कितना क्विन्टल सरसों खरीदने का लक्ष्य

(66)

(श्री मानिक चन्द सुराना)
है, क्या आपकी तैयारी है ? क्या सहकारी समितियां खरीद करेंगी ? राज्य द्वारा इस सरसों की खरीद की जानी चाहिए उचित मूल्य पर। पंजाब ने, हरियाणा ने भारत सरकार को कहा है कि सरसों का भाव बढ़ाया जाए, इन्होंने भारत सरकार को कहा है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की भी कोई हेठी नहीं होने वाली है, आपको भी निश्चित रूप से कहना चाहिए। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना रखा है, अर्थ शास्त्रियों पर छोड़ने की बात नहीं है, सीधा सा ज्ञान है यदि इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसके मुताबिक बढ़ेगी। इसलिए गेहूं की रेट में, सरसों की रेट भारत सरकार में बढ़वाने के लिए राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि राजस्थान के किसानों को उचित मूल्य जो उपज की है उसको मिले। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी आगे आयेंगे और मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार भारत सरकार पर इस सम्बन्ध में पूरा दबाव डालेंगे।

मैं निवेदन करता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में, सभापति महोदय, जो ज़िक्र आया है कि हमने 1971 के आंकड़ों, 1971 की जनसंख्या के आधार पर गांवों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय कर लिया है जिस गांव की आबादी 1500 है उसको सड़क से जोड़ देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1985 में राजस्थान सरकार 1971 की बात करे गलत होगा क्योंकि 1981 की जनगणना आ गई है इसलिए कि 1971 की आबादी के आंकड़ों के आधार पर हम जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि भविष्य में 1981 के आंकड़ों को आधार बनाये न कि 71 के आधार पर 1971 में थे राजस्थान में 33 हजार गांव, अब आपने कहा कि हमारे 37 हजार गांव हैं। 4 हजार नये गांव राजस्थान में बन गये हैं 10 सालों के अन्दर, उनकी आबादियों में भी बड़ा भारी विस्तार हो गया है। सारी प्लानिंग हमारी निश्चित रूप से 1971 के आंकड़ों पर नहीं 1981 पर आधारित होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि पूरी छठी पंचवर्षीय योजना में पिछली विधान सभा का जो कार्यकाल था, कोई प्लानिंग कमेटी नहीं बनी, न कोई विधायकों की बनी, न कोई सरकार की ही प्लानिंग कमेटी थी जिसमें विपक्ष के विधायकों का सहयोग लिया इस सदन की कोई कमेटी नहीं थी जो प्लानिंग पर चर्चा करती, प्लानिंग का रिव्यू करती और अपना सहयोग प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में देती। मैं समझता हूं कि जो गलती पुराने मुख्य मन्त्री ने की उस गलती को वर्तमान मुख्य मन्त्री किसी तरह नहीं दोहरायेंगे और प्लानिंग बोर्ड सक्षम राजस्थान में बनायेंगे। विधायकों की प्लानिंग कमेटी बनायेंगे जिसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों ही ओर के माननीय सदस्य होंगे। उस कमेटी की दो महीने में मीटिंग करके राजस्थान की प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे।

इतने बड़े प्रशासन पर नियन्त्रण करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जिस तरह से भारत सरकार की एक इन्फार्मल कन्सलटेटिव कमेटी प्रत्येक विभाग की है, मुख्य मन्त्री जी, अगर उसी तरह से आप को प्रशासन पर सही ढंग से नियन्त्रण करना है तो इनफार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी प्रत्येक विभाग की सक्षम बना दे, जिनमें 15 विधायक हों, 17 विधायक हों, 19 हों जो भी संख्या आप तय करें उतने हों और प्रत्येक इनफार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी की दो-दो महीने में मीटिंग हो ।

(व्यवधान)

निश्चित प्रोविजन है जोशीजी । लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं होता है । कमेटी बने, कमेटी सक्षम बने आप भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते है ताकि 900 करोड़ के खर्च और फिर 1900 करोड़ के खर्च का एक–एक साल में प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, अनुमानित करेंगे अभी क्या हो रहा है उसका एक मन्त्री स्वयं नियन्त्रण करने में असमर्थ रहता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इनफार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी बने, प्रत्येक विभाग की बनायी जाय और उसकी निरन्तर बैठकें हों तो आपको ढेर सारी सूचना मिलेगी ।

अन्त में, सभापति जी, मैं इसी विश्वास के साथ कि आने वाले पांच वर्षों में जो मौका वर्तमान सरकार को मिला है, राजस्थान के विकास के लिए काम करने का उस विकास के लिए प्रतिपक्ष भी उतना ही कटिबद्ध है, उतना ही कमिटेड है जितने की आप हैं । इसलिए ऐसे सर्वमान्य प्रश्नों पर राज्य सरकार को चाहिए, हां पक्ष को चाहिए कि वह विपक्ष का पूरा समर्थन ले और विपक्ष का समर्थन लेकर इस पांच साल में जो समस्यायें राजस्थान के सामने आने वाली हैं उनका निश्चित रूप से समाधान करे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा एप्रोप्रिएशन बिल पर संशोधन प्रस्ताव नहीं होता है, कानून में लिखा हुआ है कि इसमें संशोधन प्रस्ताव नहीं होता है इसलिए मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करने के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री सी.पी. जोशी

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे आशा है कि हम इस एप्रोप्रिएशन बिल पर उस स्टेज पर डिसकस कर रहे हैं जब राज्य सरकार सेवन्थ प्लान का अपना जो मानस है वह भारत सरकार के सामने एप्रूव कराने के लिए जायेगी । माननीय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस से लेकर आज तक यह चिन्ता व्यक्त की कि राजस्थान का विकास होना चाहिए । राजस्थान की समस्या निश्चित तौर पर अन्य प्रान्तों से भिन्न है ।

मैं सबसे पहले अपनी बात, माननीय सभापति महोदय, इस बात से प्रारम्भ करूंगा कि राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले यह निश्चित करना पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, हमारी प्रायोरिटी क्या है ? प्रायोरिटी का

(श्री सी. पी. जोशी)

निर्धारण यदि हम राजस्थान में ठीक ढंग से कर पाये और सेवन्थ प्लान को हम उसके साथ कोआर्डिनेट कर पाये तो हम राजस्थान का विकास तीव्र गति से कर पायेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न, सभापति महोदय, है जिसके बारे में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं, जिनको सत्ता पक्ष में रहने का अवसर मिला है, भी जानते हैं कि हमारा जो गाडगिल फार्मूला है जिसके द्वारा हमको सैंट्रल असिस्टेंस मिलती है, गवर्नमेंट आफ राजस्थान को मिलती है। इस फार्मूले में जब तक हम परिवर्तन नहीं करायेंगे भारत सरकार से, माननीय सभापति महोदय, तब तक हम जिस तीव्र गति से, आकांक्षा और अपेक्षा से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं उस तीव्र आकांक्षा और अपेक्षा से राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। अब मैं, सभापति महोदय, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से राजस्थान के विकास के लिए यह अवसर है कि हम सेवन्थ प्लान का ड्राफ्ट एप्रूव कराना चाहते हैं। भारत सरकार से, हम पुरजोर शब्दों में भारत सरकार से मांग करें कि जो गाडगिल फार्मूला है यह राजस्थान की नीड को कैटर नहीं कर पायेगा। इसलिए राजस्थान का विस्तार, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, राजस्थान में कितना डेजर्ट है, कितना हिली एरिया है, राजस्थान की जो स्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान को गाडगिल फार्मूला के आधार पर सैंट्रल असिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। हमारी जो बैकवर्डनेस है, पापूलेशन के डिसटेंस हैं उसको आधार मानेंगे और फिर सातवीं योजना की कल्पना करना चाहेंगे तो जिस आशा और आकांक्षा के साथ राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, उस आशा और आकांक्षा के साथ विकास कर पायेंगे। तो सबसे पहले मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट एप्रूव कराने में हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि वह भारत सरकार को राजस्थान की स्थिति से अवगत करायेंगे और सेवन्थ प्लान के एप्रूवल में राजस्थान सैंट्रल गाडगिल फार्मूले से ज्यादा पैसा मिल सके, इसका प्रावधान करने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का हम विकास भी करना चाहें लेकिन राजस्थान के विकास में जितना पैसा छठी पंचवर्षीय योजना तक इनवेस्ट किया है उसमें हम देखें, माननीय सभापति महोदय, तो क्वालिटेटिव जितना चैंज होना चाहिए उतना चैंज शायद हमें नजर नहीं आ पाता है इसलिए कि हमने राजस्थान का बहुत बड़ा पैसा राजस्थान कैनाल पर खर्च किया है। लेकिन कैनाल की जो लागत बढ़ी है, सन् 1957 में जो एन्टीसिपेट किया था कि राजस्थान कैनाल बननी चाहिए थी, मुझे याद है, इसकी 54 करोड़ की लागत थी, 64 करोड़ की लागत थी लेकिन 25-30 साल में प्रायोरिटी के आधार पर इसको नहीं कर पाये तो लगभग 960 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस तरह से राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, जैसा लूणकरणसर से आने

(श्री सी. पी. जोशी)

वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमें यह निश्चित करना है कि राजस्थान का विकास करने के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है? मैं ऐसा मानता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट को पानी के लिए निर्भर करना पड़ता है पंजाब पर, मध्य प्रदेश पर। इन्टर स्टेट डिस्प्यूट इतने ज्यादा हैं कि हमें पानी के लिए निर्भर करना होता है पंजाब पर और मध्य प्रदेश पर। और बिजली के लिये निर्भर करना पड़ता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पर। ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी को फिक्स करने के लिए हम को गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के पास अवेलेबल क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के पास बहुत ज्यादा मिनरल वेल्थ है। इसलिए मिनरल वेल्थ के ऊपर हम को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में गुजरात के अन्दर जो मिनरल अवेलेबल था, माइन्स थी, आज दिन तक राजस्थान सरकार इक्विटी शेयर में जो रेट है उसको कन्वर्ट नहीं करा पाई और केवल मात्र लीज के आधार पर हमने भारत सरकार को यह अधिकार दे रखा है कि हमारी कोई भी योजना है, हिन्दुस्तान जिंक हो, या आगूचा का प्रोजेक्ट हो केवल मात्र लीज के आधार पर ही सारे अधिकारों को भारत सरकार को सौंप रखा है जिससे नियन्त्रण में, एम्पलायमेंट में, इकानामिक एक्टीविटीज को जनरेट करने में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि जितना पोटेंशियल अवेलेबल है उसको डवलप करने के लिए राजस्थान के पास रिसोर्सेज नहीं हैं लेकिन उसको आधार मानकर पिछले 25-30 सालों में हमने अपनी मिनरल वेल्थ केवल मात्र लीज के आधार पर भारत सरकार को दे दी और उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा पाये हैं। लेकिन गुजरात के अन्दर जो मिनरल वैल्थ अवेलेबल थी उसको गुजरात के वित्त मन्त्री ने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाया उसका फायदा आने वाली जनरेशन को मिलेगा। इसलिए मुख्य मन्त्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उम्र के आदमी है जो राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, जिनके मन में उमंग है कि राजस्थान आगे बढ़े। उस राजस्थान में इकोनामिक एक्टीविटीज को जनरेट करने के लिए जितने हमारे मिनरल वैल्थ हैं उसको कन्वर्ट करायें इक्विटी शेयर में, फिर आने वाले 5-10 सालों में हमारे इक्विटी शेयर बढ़ते चले जायेंगे और उस हिसाब से भारत सरकार को हमारे यहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी यह आवश्यकता है, हम मिनरल्स का उपयोग करें तब तो जाकर हम भारत सरकार के सामने हमारे जो दूसरे राइट्स हैं जो आज पंजाब और दूसरे स्टेट्स पानी के लिए चक्कर चला रहे हैं उनके मुकाबले इस आधार पर खड़े हो सकते हैं कि राजस्थान स्टेट भी कन्ट्री की, हिन्दुस्तान की इकोनोमी में कन्ट्रीब्यूट करने में राजस्थान मिनरल वैल्थ में बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूट कर रही है। उसको भी हम को आधार बनाना पड़ेगा।

(70)

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रीसिटी और वाटर का जितना एक्सपेन्शन हम करना चाहते हैं, आप स्वयं जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, यदि आप राजस्थान कैनाल को 15-20 साल पहले बना लेते तो अब पंजाब वाटर का क्लेम नहीं करता। आज रोपड़ के अन्दर जो बिजली पैदा करने के लिए कैनाल बनाई वह नहीं बना पाता। लेकिन हम इस पानी को यूटिलाइज करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं कर पाये इसलिए बार-बार पंजाब भी क्लेम करता है, हरियाणा भी क्लेम करता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन दोनों को प्रथम प्रायोरिटी देनी होगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे गंगा-जमुना के पानी को यूज करना है, चाहे सरस्वती का पानी, जो उदयपुर में आ सकता है देवास योजना के अन्दर, का करना है, चाहे राजस्थान कैनाल के अन्दर जितना पानी अवेलेबल है और जो इन्टर स्टेट डिसप्यूट के आधार हम को मिला है उस पानी को काम में लेना है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इरिगेशन का जितना स्ट्रक्चर है उसको प्रायोरिटी के आधार पर पूरा करें तब तो जाकर हम राजस्थान का विकास कर पायेंगे और पानी की व्यवस्था कर पायेंगे।

सभापति महोदय, इलेक्ट्रीसिटी की व्यवस्था के लिए हम को जितनी कैरिंग कैपेसिटी बनानी है उस केपेसिटी को जनरेट नहीं कर पाये हैं। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी से कि हम चाहे रावी, कोल, ताप्ती के बिजली के समझौते कर रहे हैं, उनको कर लें लेकिन यदि कैरिंग केपेसिटी नहीं होगी तो जितनी बिजली लाना चाहते हैं वह नहीं ले पायेंगे। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इस केरिंग कैपेसिटी को जनरेट करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 साल में हम इस दृष्टि से कुछ काम करेंगे तो हम इस राजस्थान में बिजली की व्यवस्था कर पायेंगे। पानी की व्यवस्था कर पायेंगे। बिजली और पानी की व्यवस्था हुई माननीय सभापति महोदय, तो खेत के अन्दर पानी जायगा और उत्पादन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट भी हो पायेगा। इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट होगा तो बेरोजगारी की समस्या का निदान भी हो पायेगा। ये सब एक-दूसरे से इन्टरलिंक्ड हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हम सेवंथ फाइव ईयर प्लान के अन्दर प्रायोरिटी फिक्स करें और प्रायोरिटी फिक्स करके मैसिव इन्वेस्टमेंट हमको पहले इस आधार पर करना पड़ेगा कि कौनसी डिस्ट्रिक्ट को हम डवलप करना चाहते हैं। ये बात, सभापति महोदय, हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, हर डिस्ट्रिक्ट का विकास हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट के विकास को जब राजस्थान के विकास के साथ जोड़ना नहीं होगा तो हम राजस्थान स्टेट को जिस स्टेट से आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। 35 साल में जितना

(श्री भी. पी. जोशी)

हमने इन्वेस्टमेंट किया, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में यदि उसको आधार मानें, माननीय सभापति महोदय, तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमको आदर्श मानना पड़ेगा गुजरात को, हमको आदर्श मानना पड़ेगा मध्य प्रदेश को, जनसंख्या के आधार पर हम देखें, माननीय सभापति महोदय, तो मध्य प्रदेश का सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान का जितना इन्वेस्टमेंट था उतना राजस्थान का इनवेस्टमेंट नहीं है। जनसंख्या के आधार पर अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान का इनवेस्टमेंट ज्योग्राफी के आधार पर, एरिया डवलपमेंट के आधार पर किया उस आधार पर हम राजस्थान के सेवंथ फाइव ईयर प्लान की कल्पना करना चाहेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, हम राजस्थान का विकास नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान बनाते समय हम इस बात को भी सोचें कि हम आने वाले वर्षों में किस तरह से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम और हमारे जो विरोधी पक्ष के सदस्य हैं, जो राजस्थान में पिछले लम्बे समय से राजनीति में भाग लेते रहे हैं और राजस्थान का विकास करना चाहते हैं मैं उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में टैक्स भी न लगे, टैक्स लगे तो जनता को कांग्रेस पार्टी यह बात कहती है हम ऐसे राजस्थान का विकास कैसे कर पायेंगे। इसलिए हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि हमको मेण्डेट कौन दे रहा है। मैं इसलिए, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पालिटिकल बिल से आपको एक काम करना पड़ेगा। पिछले 35 साल में राजस्थान के इनवेस्टमेंट में आपने जितना कुछ इनवेस्टमेंट किया है कुछ पर्टीक्यूलर एरिया में इनवेस्टमेंट किया है वहां पर माली हालत सुधरी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है लेकिन आज राजस्थान के अन्य भागों में रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। इसलिए किसी एरिया के इनवेस्टमेंट के आधार पर हम यदि राजस्थान का विकास करना चाहेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। पंजाब की समस्या जहां धार्मिक समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है, गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 35 साल में भारत सरकार ने और पंजाब सरकार ने यह व्यवस्था की कि वहां चार काश्त होती हैं। जिस घर के अन्दर आदमी को जमीन से, 10 लाख रुपये की पर ऐनम इनकम हो उसका बच्चा 15-20 साल बाद बन्दूक लेकर घूमेगा और टेलीविजन देखेगा। उसकी धार्मिक भावना को भड़काकर जैसी पंजाब में स्थिति पैदा हुई है वैसी स्थिति राजस्थान में पैदा न हो। इसके लिए आवश्यक है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी हम तय करें कि हम राजस्थान का विकास किस तरह से करना चाहते हैं। यदि हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि उदयपुर में रहने वाला आदिवासी है उसकी समस्यायें भिन्न हैं। आज वहां पर जंगल नहीं है। जंगल जो उसकी रोटी-रोजी के साधन थे, वह समाप्त हो गये। मिनरल वैल्थ के कानून को आपने कड़ा बना दिया

(72)

(श्री सी. पी. जोशी)

है। इसलिए भीलों को वहां से हटना पड़ा है। जंगल में उसको कोई रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध नहीं हो सके, मिनरल वैल्थ के अन्दर वे अपने आप को कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाये तो राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जितनी मिनरल वैल्थ थी उसका कितना बचाव हो रहा है ? आज हमें इतना सोचना पड़ेगा कि उदयपुर के अन्दर बहुत बड़ा मारबल का भंडार निकला। जो भी आज बड़े-बड़े आदमी वहां रहते हैं वे डायमंड कटर लगा रहे हैं। 50 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर रहे हैं। 50 लाख का इनवेस्टमेंट करके लाखों वर्षों से बनी हुई जो मिनरल वैल्थ है उसको 10–15 साल में निकाल देंगे, जो इनडिजिनस लोग हैं जो जोधपुर और अहमदाबाद की मशीन से कटिंग कराते हैं उन लोगों के रोजगार में सर्वथा उपलब्धि हो रही है। इसलिए आवश्यक था कि हम लोन कम प्लानिंग बनाते उस मिनरल वैल्थ की जिस मिनरल वैल्थ का प्रोपर डिपोजिट नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी गम्भीरता से सोचें कि जितनी मिनरल वैल्थ हमारी है उस मिनरल वैल्थ का किस प्रकार वेस्टेज हो रहा है। यदि हम इस मिनरल वैल्थ की अनप्लांड ढंग से लीज देते रहे तो मिनरल वैल्थ खत्म हो जायगी और रोजगार की समस्या बढ़ती जायगी। इससे राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि जो मिनरल वैल्थ उदयपुर के अन्दर है उसको हम हेट्रोजिनस ढंग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर दें। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप निर्णय करें कि इनडिजिनस जो कटिंग है उसके अलावा हम किसी को लाइसेन्स न देंगे। इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मिनरल वैल्थ का वेस्टेज भी कम होगा और मिनरल वैल्थ देर समय तक जाकर हमारे राजस्थान में कुछ कन्ट्रीब्यूट कर पायेगा। इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में नान टैक्स रेवन्यू किस तरह से बढ़े उसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सभापति महोदय, सबसे बड़ी आवश्यकता राजकीय उपक्रम के सिस्टम को ठीक करने की। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, एक पोलिटिकल विल के साथ ही राजकीय उपक्रम को आप खत्म कर दीजिए। एक कार्मशियल आउटलुक रखना चाहते हैं आप। आप कम्पीट करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर से लेकिन नियम बनायेंगे कि टेंडर इनवाइट करिये, यह खानापूर्ति होनी चाहिए। इसलिए राजकीय उपक्रम कॉमशियल एटीट्यूड को जनरेट नहीं कर पाते हैं। आपके जो ब्यूरोक्रैट्स हैं मुझे कहना नहीं चाहिये, माननीय सभापति महोदय, तीन-चार ब्यूरोक्रेटस तो आपके एफिसियेंट होंगे लेकिन रोडवेज में समस्या हो, चाहें आपके आर. टी. डी. सी. की कोई समस्या हो, ब्यूरोक्रेट के आधार पर राजकीय उपक्रम की एफिशियेंसी नहीं बढ़ सकती। 35 साल में जितना इनवेस्टमेंट हमारे राजकीय उपक्रम में किया है उतना प्रोडक्शन हमारे राजस्थान की जनता के लिए नहीं हो पाया है। क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाया है इसीलिए हमको एफिशियेंसी

(श्री सी. पी. जोशी)

बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कानून कायदे को छोड़कर जिस तरह से बिड़ला, टाटा फैक्ट्री चलाते है उस तरह चलायें उनको कंपिटेंट आदमी राजस्थान में अवेलेबल हैं। उन लोगों को राजकीय उपक्रम का चेयरमैन बना दें। उनको कहें कि अगले 5 साल में इतना प्राफिट आपके उपक्रम में होगा तो आप चेयरमैन रहेंगे अन्यथा आप फैक्ट्री के अन्दर काम नहीं कर पायेंगे। तब तो इस राजकीय उपक्रम को एफिशियेंसी वढ़ पायगी। माननीय सभापति महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अन्तर क्या है। प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कितना ही कंपिटेंट, कितना ही हाईली सैलेरी पेड आदमी हो उसका जॉव अनसिक्योर्ड है, जिस दिन बिड़ला टाटा चाहें 10 हजार तनख्वाह पाने वाले आदमी को एक मिनट में नौकरी से बाहर निकाल सकता है लेकिन पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले आदमी की नौकरी सिक्योर्ड है, उनका इन्क्रीमेंट फिक्स है। इन्सेंटिव का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस आधार पर राजकीय उपक्रम अपना प्रोडक्शन कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहूंगा कि नान टैक्स रेवेन्यू को टेप करने का एक यही माध्यम हो सकता है। इस राजकीय उपक्रम की व्यवस्था में हम कांमर्शियल आउट लुक प्रारम्भ किया है। ये अपनी नीड्स को पूरा करने में फेल हुए हैं। इसलिए राजकीय उपक्रम के बारे हमें गम्भीरता से सोचकर इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम रोड्वेज के अन्दर लोगों के ऊपर पैसेंजर टैक्स लगाये, बार-बार टैक्स लगाते रहें फिर भी रोड्वेज घाटे में जाय तो यह जनता के साथ भी न्याय नहीं है। राजकीय उपक्रम की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें बंगलिंग होता है इसलिए जो राजकीय उपक्रम हमारा प्रोडक्टिव है वह हमें कन्ट्रीब्यूट करने में असफल होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान में राजकीय उपक्रम के बारे में हमें पालिटिकल बिल से विचार करने की आवश्यकता हैं।

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी पृष्ठभूमि है। हजारों यात्री यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेज देखने आते हैं। आज हम टूरिस्ट डवलपमेंट कांप्लेक्स डवलप करना चाहते हैं। आज, सभापति महोदय, हम देखें, हरियाणा में रेलवे लैंव डवलप किया है उन्होंने टूरिस्ट को अटेंड करने का माध्यम बनाया है लेकिन राजस्थान की इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी संस्कृति की जगह है, इतनी इम्पोर्टेंट प्लेसेज है लेकिन टूरिस्ट को अटेंड करने के लिये, टूरिस्ट डवलपमेंट के लिये हमारे पास, राजस्थान सरकार के पास कोई साइंटिफिक तरह की योजना नहीं है। मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, इस टूरिस्ट डवलपमेंट से मैसिव इनवेस्टमेंट करें और मैसिव इनवेस्टमेंट हम कर पायेंगे तो नान टैक्स राजस्थान में बढ़ेगा। इस दृष्टि में भी कुछ सोचने की आवश्यकता है।

एक निवेदन जो मैं चाहता हूँ, सभापति महोदय देवस्थान भी एक नान टैक्स

(श्री सी. पी. जोशी)

रेवेन्यू का एक सोर्स है। इस देवस्थान से भी नम टैक्स रेवन्यू बढ़ाया जा सकता है। लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर दो-दो रुपये और तीन-तीन रुपये में देवस्थान के मन्दिर के नाम पर उसके पुजारी और लोग कब्जा करके बैठे हैं उससे देवस्थान की पूंजी का कोई भी उपयोग हम आज तक नहीं कर पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से आता हूं, नाथ द्वारा, उसके मन्दिर टेम्पल के पास जितनी रकम है, माननीय सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे वहां पर वाइस चेयरमैन चाहेगा कि अमुक बैंक के अन्दर एफ. डी. करा दें तो दो पांच करोड़ की नहीं पच्चीस करोड़ रुपये की एफ. डी. उस बैंक के अन्दर होगी। उसका चेयरमैन बिजनेस करे तो उसके बिजनेस के ऊपर भी बैंक गारंटी देता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान को सोचना पड़ेगा, जैसे मद्रास के अन्दर तिरूपति का मन्दिर है उसकी वेल्थ का स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिये उपयोग करने का मुख्य मंत्री ने निर्णय किया कि तिरूपति की जितनी वेल्थ है उसको हम स्टेट के डवलपमेंट में काम में लेंगे। इस तरह से, माननीय सभापति, देवस्थान भी ऐसा सोर्स है जिससे हम नान टैक्स रेवेन्यु को ज्यादा जेनरेटर कर पायेंगे। मैं चाहता हूं कि इस नान टैक्स को जेनरेटर करने के बारे में हम गम्भीरता से सोचें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक और निवेदन करना है आपके सामने कि डेजर्ट डवलपमेंट के बारे में हम प्लान बनाना चाहते हैं लेकिन जिस हिन्दी डवलपमेंट के लिये भारत सरकार, मेरे ख्याल से, 90% डवलपमेंट की गारंटी देता है उस हिनी कॉर्पोरेशन को बनाने के बारे में राजस्थान सरकार सोच ही नहीं रही है। मैं चाहता हूं गम्भीरता से, सभापति महोदय, हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो उदयपुर में रहने वाले भाई हैं, ट्राइबुल एरिया के साथ-साथ वहां ट्राइबुल आदमी भी रहते हैं, मेरे इलाके में महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी भील आदिवासी का इतिहास है, हल्दी घाटी से जुड़ा हुआ इतिहास है, लेकिन मेरे इलाके के रहने वाले आदिवासी भाइयों को ट्राइबल सब प्लान का एडवांटेज नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके नियम इस तरह से बने हुए हैं कि रेवेन्यु विलेज में 50% ट्राइबल हैं उन्हीं को हम माडा की योजना में सम्मिलित करेंगे, टाडा की योजना में सम्मिलित करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये कानून और कायदे उनकी पर कैपिटा इनकम को नहीं बढ़ा पाये। उनके ट्राइबल सब प्लीस का एडवांटेज उनको नहीं दे पाये तो कानून कायदे और नियमों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिये आवश्यकता है इस बात की कि हम हिन्दी डवलपमेंट के बारे में सोचें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान में माइनर इर्रीगेशन में हम मात्र केवल 6 करोड़ रुपयों का इनवेस्टमेंट कर रहे हैं। मेजर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं राजस्थान की स्थिति नहीं सुधरेगी। माननीय सभापति महोदय, आप

(श्री सी. पी. जोशी)

स्वयं जानते हैं कि एक एनीकट बन जाय उससे पांच, पच्चीस कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और उससे, इनडायरेक्ट जो खेती में बढ़ोत्तरी होगी उसका मुकाबला नहीं, हमने इनवेस्टमेंट किया 6 करोड़ रुपया केवल एक माइनर इरीगिशन पर। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को सोचें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोटी, रोजगार और उत्पादन के साधन बढ़े। हमें पैसा मिलने वाला है माइनर इरीगिशन के लिये राजस्थान सरकार को उसको खर्च करने की तैयारी करनी पड़ेगी। वे माइनर इरीगिशन के बारे में हमारा आउट ले क्या है? मेजर प्रोजेक्ट लेकर हम माइनर इरीगिशन के काम को पूरा नहीं कर पाये तो इनका इनडायरेक्ट जितना फायदा मिलना चाहिये उतना लाभ नहीं हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, आपसे मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। गुणात्मक परिवर्तन क्या आया है? मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट आया है इस बजट की जो स्थिति है उसको हमें गम्भीरता से समझना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के 20 करोड़ लोग मिडिल क्लास के लोग हैं जिनमें एस्पिरेशन है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पॉजिटिवली हिन्दुस्तान के डवलपमेंट के अन्दर उनकी नीड्स को बेटर करने के लिए हिन्दुस्तान का पहला साल का जो नौजवान है उसने निर्णय किया है कि 20 करोड़ लोग इस हिन्दुस्तान को उत्पादन के पथ पर बढ़ाने अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। इसलिये बजट के अन्दर यह सबसे बड़ा काम किया गया है, ऐसे सभी लोगों, जो प्रोडक्टिव हैं, कंट्रीब्यूट करने में भाग लेते हैं, वे सब लोग मिडिल क्लास के हैं, ऐसे 20 करोड़ लोगों को उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिये। उत्पादन में उनकी भागीदार रहने के लिये इस बजट में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है जो वह यह है कि आज भारत सरकार इन्डिवीजुअल को बेनिफिट करना चाहती है, एक आधार बनाना चाहती है। हम चाहते हैं, ऐसे कार्यक्रम लागू किये जायें, वह चाहे आई. आर. डी. प्रोग्राम हों, चाहे आर. एल. जी. के प्रोग्राम हों, चाहे एन. आइ. ई. के. प्रोग्राम हों। हमारे इन प्रोग्रामों में व्यक्ति को हमने आधार माना है। जब तक व्यक्ति की माली हालत नहीं सुधरेगी तब तक हम कितना ही देश का विकास कर लें, प्रदेश का विकास कर लें, उसके कर लें, उसके फ्रूट्स गरीब आदमी को नहीं मिल सकते। कांग्रेस को मैण्डेट मिला है, माननीय मुख्य मन्त्री जी, समाज के उस का जिस वर्ग के लोग नौकरी में नहीं हैं, जिस वर्ग के लोग अपनी बात सदन में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है उन लोगों से जिनको साधन मिले हुए हैं, जिन साधनों का उपयोग पिछले पैंतीस सालों से उन्होंने अपनी हैसियत बढ़ाने में किया है। वह लोग आज चाहते हैं कि

(श्री सी. पी. जोशी)

कैनाल का जो पानी है कैनाल के उस पानी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान कैनाल का पानी लेने वाले आदमियों पर बीस पर्सेन्ट टैक्स लगाया जाय। जिन लोगों के बड़े खेत हैं उनकी फ्लैट रेट खत्म की जाय क्योंकि पर-कैपीटा इनकम आपको बढ़ानी है, बिजली की जनरेशन करनी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि फ्लैट रेट की सीमा को समाप्त किया जाय। यह राजस्थान की जनता का मैण्डेट है। माननीय मुख्य मन्त्री हरिदेव जी जोशी, फ्लैट रेट को समाप्त करें और कैनाल से जो पानी लेने वाले हैं उस पर टैक्स बढ़ायें। जब तक 960 करोड़ रुपये की रेवेन्यू वसूल नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं कर पायेंगे। इस पोलिटिकल बिल की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, जब मैं यह प्रस्ताव रखूंगा तो हमारे विरोधी पक्ष के लोग सबसे ज्यादा इसका विरोध करेंगे, इस फ्लैट को बढ़ाने की बात का ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बढ़ा रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : तो मैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह मुख्य मन्त्री थे, मैंने वह भाषण पढ़ा है मास्टर आदित्येन्द्र जी का, जिन्होंने यही प्रस्ताव रखे थे और भारत सरकार की मंशा भी यही है कि जितना हम इन्वेस्टमैन्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न मिलना चाहिए। मुझे याद है आज भी वह भाषण। मास्टर आदित्येन्द्र जी ने प्रस्ताव रखा था कि कैनाल के ऊपर बढ़ाया जाय, फ्लैट रेट को बढ़ाया जाय। लेकिन भैरोंसिंह जी शेखावत, आप उस समय जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप कर रहे थे, आप झुक गये थे, आपने विथड्रा किया था। माननीय जोशी जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त का तकाजा है, राजस्थान की जनता का मैण्डेट है। उस पैसे का उपयोग राजस्थान के गरीब इलाके के विकास के लिए हो इस पर गम्भीरता से सोचकर निर्णय करना होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, अन्त में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें एक नौजवान आदमी हिन्दुस्तान को बनाना चाहता है, राजस्थान का विकास करना चाहता है इस विकास की रूपरेखा कन्जरवेटिव एफर्ट्स से नहीं होगी, इस विकास की रूपरेखा के लिए हमको कुछ रेडिकल चेन्ज करने की आवश्यकता है। रेडिकल चेन्ज जब तक आप बजट में नहीं कर पायेंगे तब तक हम जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): जब तक कोई नौजवान मुख्य मन्त्री नहीं होगा तब तक नहीं होगा यह।

श्री सी. पी. जोशी : मैं माननीय भैरोंसिंह जी से एक निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजीव गांधी का नारा है, अनुभव और उत्साह को सम्मिलित करके हम

(श्री सी. पी. जोशी)

राजस्थान का विकास करेंगे। और हमें खुशी है कि राजस्थान के विधायक नौजवान और मुख्य मन्त्री अनुभवी हैं। उनका अनुभव और हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट राजस्थान के विकास को आगे बढ़ायेगा। मुझे विश्वास है कि इसी दमखम पर हम सेवन्थ प्लान के बारे में सोच रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, माननीय भैरोंसिंह जी की आशा के अनुरूप, राजस्थान के विकास में रेडिकल चेन्ज करके राजस्थान के विकास को आगे बढ़ायें। यही बात मुझे कहनी थी।

आपने मुझे वक्त दिया एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साहब, मेरा भी नाम था।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कल 263 करोड़ का राजस्व का घाटा बताया। इसके मायने यह हुए कि राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसी दयनीय स्थिति में सरकारी तन्त्र द्वारा जो बेजा खर्चा हो रहा है एक तरफ तो आप उस खर्चे को पूरा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इस राज्य की जनता के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी, आपको, आप इस पर गौर करेंगे।

जिस तरह सरकारी तन्त्र द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा जो है वह है आपका समाज कल्याण विभाग। जिसको ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए मेरे बहुत से साथियों ने कई दिनों तक गुणगान किया है कि शिड्यूल कास्ट हमारी हमनवा है, हम उनके बल पर जीतकर आते हैं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग ने जितना ज्यादा शोषण इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का किया है उतना शायद किसी कौम का नहीं किया होगा। बेहतर होगा कि आप इस समाज कल्याण विभाग को बन्द कर दें और हो सके तो किसी दूसरे तरीके से उनको फायदा पहुंचायें। समाज कल्याण विभाग में श्री दुलाराम जी पिछले दिनों में सुशोभित थे। आज इस सदन की शोभा नहीं बढ़ाते। उन्होंने कुछ पोस्टिंग्स किये थे सुपरवाइजर्स के और कर्मचारियों के। मैं आप से कहना चाहूंगी कि अगर आप एक मुख्य मन्त्री हैं तो अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए उन फाईलों को निकलवाइये, वापस देखिये। उस समाज कल्याण विभाग में इतना बड़ा स्कैण्डल हुआ है, इतना बड़ा घपला हुआ है, मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा शोषण इस राजस्थान के इतिहास में शिड्यूल कास्ट और अनुसूचित जन जाति के साथ कभी नहीं हुआ होगा।

मुख्य मन्त्री महोदय, मेरे पास कल ही पाली से एक पत्र आया है जिसमें पाली जिला मेहतर समाज सुधार समिति ने लिखा है कि 1962 से 1970 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा 2500 रुपए का अनुदान जो

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि मकान बनाने हेतु दिया जाता था, 1970 के बाद से राज्य सरकार द्वारा अनुदान बन्द कर दिया गया है इसलिए 1985-86 के बजट में इसका प्रावधान कराया जाय।

मुख्य मन्त्री जी, अमीर लोगों को तो मकान मिल जाते हैं, विधायकों को भी मिल जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड सलामत है। मन्त्रियों के लिए भी मकान बन रहे हैं। लेकिन जो मेहतर समाज है, जो समाज की सबसे ज्यादा पीड़ित कौम है उसको मकान बनाने के लिए 2500) रुपया का अनुदान, और वह भी बन्द। तो समाज कल्याण विभाग और क्या करेगा ? तो इस बजट में आप प्रावधान करिये, 2500 रुपए, हो सके तो 25 हजार रुपए का उनको मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाय सरकार से। इस से ज्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता। मुख्य मन्त्री जी, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी राज्य सरकार द्वारा। वह भी बंद कर दी गयी। अनुसूचित जाति, मेहतर बस्तियों में समाज कल्याण बिभाग द्वारा एक स्कूल तथा केन्द्र खोला जाता था जिसमें संस्कृति का सामान, खेल-कूद का सामान और सिलाई मशीनें तथा पढ़ाई का कार्य कराया जाता था। वह सब भी बन्द हो गया। तो इन सब बातों को हमें देखना होगा। खास तौर से, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को फायदा मिले उन्हें नौकरी मिले। यह जो आपका एम्प्लायमेण्ट एक्सचेन्ज है यह तो उनकी नौकरी में सबसे बड़ा रोड़ा है। अव्वल तो नौकरी मिलती नहीं छोटे से समाज के इन लोगों को, और फिर नौकरी मिलने की कोई आशा बंधती भी है तो एम्प्लायमेंण्ट एक्सचेन्ज के चक्कर खाते खाते उनके पैर टूट जाते हैं। इस बात पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। तभी, कहना चाहूंगी कि आपके शब्दों में आपका भविष्य उज्जवल होगा वरना आपका भविष्य अन्धकारमय होगा।

सभापति महोदय, आपका सबसे ज्यादा पैसा कानून-व्यवस्था पर खर्च होता है। बड़े अधिकारियों की तो मैं नहीं कहती लेकिन छोटे-छोटे थानों पर मैंने देखा है उनको रहने के लिए मकान नहीं है। जयपुर में जिस मकान में मैं इस समय रह रही हूं, मेरे उस मकान के पीछे आनन्दपुरी थाना है। उनको शौचालय के लिए कोई स्थान नहीं है। 25-30 आदमी उस थाने में काम करते हैं। वे सवेरे-सवेरे गलियों में जाकर शौचालय की व्यवस्था करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। तो पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था हो।

बड़े कर्मचारियों के क्या हाल हैं उसकी तो चर्चा इस विधान सभा के प्रांगण में हो चुकी है। मुख्य मन्त्री महोदय, इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। बड़े पुलिस-अधिकारियों के प्रोटैक्शन पर रोक लगानी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगी कि वह पत्रकार जो इनके कारनामों को उजागर करे, भरत-

(सुश्री पुष्पा जैन)

पुर के डीग का राजा मानसिंह काण्ड, उसके मुतल्लिक राजस्थान पत्रिका के संवाददाता महेन्द्र चीमा ने अपनी कलम उठायी। अपनी कलम से उन्होंने लिखा तो उसके बदले में सजा भुगतनी पड़ी उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा सरदाना को, जिसका कोई कसूर नहीं था ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कल ही डिस्कस हो चुका है ...

सुश्री पुष्पा जैन : जिस रेफरेंस में कह रही हूं इसलिए मुझे जरूरी है ...

श्री सभापति : कल आया था।

सुश्री पुष्पा जैन : कल वह स्पेसिफिक मैटर था। मैं कानून-व्यवस्था के मैटर में इस बात को एनलाइन करना चाहती हूं। मुख्य मन्त्री जी, अभी बहन वसुन्धरा जी कह रही थीं कि बीकानेर काण्ड में रोहितास कुमार को आपने सस्पैण्ड नहीं किया लेकिन पुष्पा सरदाना को आपने निलम्बित करवा दिया आपके एक कलेक्टर के द्वारा। उसका कसूर क्या था, जरा मैं बताना चाहूंगी। भरतपुर कलेक्टर का कुत्ता, जिसकी बीमारी के लिए उन्हें ...

श्री सभापति : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुल सारी चर्चा ...

सुश्री पुष्पा जैन : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सभापति महोदय, मेरा ताल्लुक है आज के एप्रोप्रिएशन बिल से है।

श्री सभापति : उनका ताल्लुक था। उन्होंने सारी चीज पूरी डिटेल में रख दी।

सुश्री पुष्पा जैन : उन्होंने कही होगी। मैं अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपने लहजे में कहना चाहती हूं।

श्री सभापति : दोहराने से कोई मतलब नहीं निकलता है। यह प्रश्न रखा जा चुका है। पूरा आ चुका है।

एक माननीय सदस्य : It has been discussed fully.

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, अगर इस तरह से पत्रकारों की कलम को रोका गया, उनकी सजा उनके रिश्तेदारों को दी गई तो इससे बड़ा ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस मामले पर आपकी क्या राय है ?

श्री सभापति : यह राय जो आप कह रहे हैं ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी भी तो कोई राय होगी, आप भी भरतपुर से आते हैं ...

श्री सभापति : मेरी राय का कोई प्रश्न नहीं है ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बड़े आदमी हैं भरतपुर से आये हैं आप भी तो राय दीजिये।

श्री सभापति : अलग से बात कर लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अलग से क्यों बात कर लें, यहां ही बोलिये ना हाउस में। आप झेंपते क्यों हैं ?

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : ये तो सदन के बाहर ही राय देते हैं ? सदन के अंदर नहीं देते हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : आसन की कोई राय नहीं होती है, आसन तो सदन की कार्यवाही संचालित करता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती थी कि इस बात में कितना बड़ा फर्क है एक एस. पी. एक महिला से बलात्कार करने की कोशिश करें और यह सरकार उसे सस्पैण्ड नहीं करे । एक महिला के पति ने सही सही बात लिखी, यह आप भी जानते हैं कि सही लिखा था, उसकी पत्नी को इसलिये सजा दी गई कि उन्होंने एक-ड़ेढ़ साल पहले कोई कर्जा लिया था मोपेड़ लूना लेने के लिये, एक-ड़ेढ़ साल बाद उन्होंने कोई दूसरी लूना ले ली । डेढ़ दो साल बाद पता नहीं-कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, वह जोड़कर के उन्हें निलम्बित कर दिया गया । तो यह फर्क आपको मिटाना पड़ेगा । इन अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने से आपको रोकना पड़ेगा । हो सके तो भरतपुर कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जायें ताकि पता लग सके कि पुष्पा सरदाना का सजा सही मिली या गलत मिली ।

सभापति महोदय, म्युनिसिपैलिल्टीज पर बहुत खर्चा होता है । खासतौर से पाली और सुमेरपुर की नगर पालिकाओं की ओर आपकी तब्ब जह दिलाना चाहूंगी । ये वे नगरपालिकायें हैं जिनसे सबसे ज्यादा राजस्व वसूली होती है । पाली में 2 पर्सेन्ट टैक्स देते हैं लोग जब कि दूसरी म्युनिसिपैलिटीज मे, दूसरे जिलों में भार के ऊपर, वजन के ऊपर टैक्स लगता है । पाली के लोगों से पर्सेन्टेज के हिसाब से टैक्स लिया जाता है 2 पर्सेन्ट, इतना भारी टैक्स । 13-14 साल से वहां चुनाव नहीं हुये । मुझे खुशी है, मैं बधाई देती हूं मुख्य मंत्रीजी अपने मकसद में कामयाब हों, दिसम्बर में चुनाव करवा दें वहां लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आपको देखना पड़ेगा कि नगरपालिकाओं में आपने जो ये अधिकारी बैठा रखे हैं यह कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? जितना पैसा पाली और सुमेरपुर में टैक्स के रूप में वसूल होता है, अनुदान के रूप में राज्य सरकार भी देती है वह सारा का सारा पैसा आखिर कौन डकार रहा है, किस तालाब के अन्दर जा रहा हैं आप पाली की हालत तो देखिये, वहां एक तालाब है जिससे पीने का पानी मिलता था, उस तालाब की आज ऐसी दुर्दशा है कि पाली में रहना लोगों का मुश्किल हो रहा है । इतने मच्छर पैदा होते हैं, इतनी गंदगी रहती है कि आस-पास के लोग हैं वह कहते हैं कि हमें दूसरी जगह बसा दीजिये तो कम से कम इससे जान छूटे । वक्त जरुरत पानी की जब कमी होती है गर्मी में तो उस तालाब से पीने का पानी देना पड़ेगा । नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये जायं कि पाली और सुमेरपुर या राजस्थान की जिस किसी म्युनिसिपैलिटी में चुनाव नहीं हुये हैं, जो अधिकारियों से आच्छादित म्युनिसपैलिटीज हैं वे उन नगरों का सुधार करें, उनका विकास करें, सड़कें

(सुश्री पुष्पा जैन)

बनायें, उन्हें रोशनी दें, पीने के पानी की व्यवस्था करें और इन्सानों को दरिन्दगी की जिन्दगी जीने से बचाये। खास तौर से पाली और सुमेरपुर म्यूनिसिपैलिटीज के जो आपके अधिकारी हैं अगर वह काम नहीं कर सकें तो चाहे उनका तबादला करना पड़े तो भी कीजिये। मैं समझती हूं कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं मुझे आपकी काबलियत पर पूरा विश्वास है। अगर आप पाली और सुमेरपुर की नगरपालिकाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आप स्वयं मजबूर होकर उनका तबादला करेंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है।

मुख्य मंत्रीजी पाली की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं खास तौर से अलग से किसी मौके पर आपके सामने इसे रखूंगी। जल प्रदूषण की आजकल अखबारों में बड़े जोरों से चर्चा हो रही है। वास्तव में यह बहुत बड़ी समस्या है। पाली की जनता का जन-जीवन इससे जुड़ा हुआ है, पाली शहर का नागरिक इससे जुड़ा हुआ है और पाली का ग्रामीण किसान सभी इससे जुड़े हुए है। हजारों बीघा जमीन का मालिक आज सड़क पर पत्थर तोड़ने को मजबूर हैं। क्योंकि उसकी जमीनें बंजर हो गई हैं पाली की फैक्ट्रीज़ के तेज़ाब के पानी से। मैं यह नहीं चाहती हूं कि पाली फैक्ट्रीज़ बन्द हो जायं क्योंकि हज़ारों-लाखों मज़दूरों के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मैं यह भी नहीं चाहती कि किसानों की ज़मीन बर्बाद हो ज़ाय और उस तेज़ाब के पानी से उसको बचाया न जा सके। ऐसा कोई तरीका आपको निकालना ही होगा, ऐसा कोई संयंत्र आपको लगाना ही होगा कि पाली की फैक्ट्री वाले कानून के चंगुल से बच सकें। पैसा देने को वे तैयार हैं। मगर देते कहां है? मैं किसी खास मौके पर पूरी समस्या का ज़िक्र आपके समक्ष रखूंगी।

सभापति महोदय, तख्तगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति का मैं थोडा ज़िक्र कर रही थी। तख्तगढ़ में 20 हजार की एक मन्दिर में चोरी हो गई। हज़ार बार उन्होंने पुलिस को लिख-लिख कर शिकायतें भेजीं, परेशान हो गये वहां के लोग परन्तु पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुख्य मन्त्रीज़ी इस तरह के छोटे-छोटे कामों में भी अगर विधान सभा में आपके समक्ष कहना पड़े, वह हमें अच्छा नहीं लगता होगा कि मेम्बरान क्या इतनी छोटी-छोटी बातें यहां पर कहते हैं। हमें भी कहना अच्छा नहीं लगता जब मजबूरी हो ज़ाती है तो कहना ही पड़ता है।

शिक्षा की हालत खराब है। शिक्षा की दृष्टि से पाली बैकवर्ड इलाका है। पाली जिले में कोई भी महिला कालेज नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस बार 1980 से लेकर आप पहले मुख्य मन्त्री हैं जिनके सामने मुझे पाली की समस्या रखने का मौका मिला है। मैं आपसे महिला होने के नाते निवेदन करती हूं कि एक महिला पाली को रिप्रजेन्ट कर रही है, इस बार आप पाली में एक महिला कालेज अगर

(सुश्री पुष्पा जैन)

आप खोल दें तो मैं बहुत बहुत आभार मानूंगीं।

श्री मानकचन्द सुराणा : क्षेत्र तो नहीं बदलेगी आप अगली बार ?

सुश्री पुष्पा जैन : खोल देंगे तो मैं फिर ऐसी दूसरी जगह जाऊंगी जहां कालेज नहीं है ...

एक माननीय सदस्य : आप विरोधी पार्टी की सदस्या हैं, खोलेंगे कैसे ?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है। यह पार्शियलिटी यह नहीं करेंगे मुझे विश्वास है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से आपकी मार्फत् कहना चाहती हूं कि बजट का घाटा पूरा हो, उसके लिये तरीके बहुत से हैं, पैसा भी मिल सकता है और जनता भी पैसा आपको किसी भी तरीके से दे सकती है बशर्ते कि जनता का भी कुछ फायदा हो। यह जल प्रदूषण की जो समस्या है, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जेब से एक पैसा नहीं लगेगा वहां की जनता, वहां की नगर पालिका, वहां की मिलें यह सारा पैसा जुटा देगी, आपको तो बस कोई तरीका ईजाद करना है, वह संयंत्र बनाने के लिये टेकनीशियन बुलाने हैं बाहर से या यहां से। अगर यह काम हो जाय, जल प्रदूषण का अगर समाधान हो जाय तो मैं समझती हूं लाखों की तादाद में जनता आपका आभार मानेगी। इस मौके पर मैंने जो सुझाव दिये हैं अगर आप थोड़ा उन पर गौर करेंगे और अपने बजट में थोड़ा प्रावधान करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे तो मैं समझती हूं कि बजट के घाटे को कम करने में भी आपका काफी योगदान रहेगा और जनता को भी राहत मिलेगी।

श्री सभापति : श्री भैंरूलाल भारद्वाज।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : सभापति महोदय, खण्डहर बता रहे हैं कि इमारत बुलन्द थी। भारत के अन्दर प्राचीन काल से जनतंत्रीय व्यवस्था थी। भारत की जनता जनतंत्र में आस्था रखती है और जानती है कि आज नये जमाने में किस प्रकार से प्रजातंत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्री शोपत सिंह : खण्डहर की बात बतायें, वह कौन से है ?

श्री यदुनाथसिंह : आपने तो खण्डहर बता दिये।

श्री भैंरुलाल भारद्वाज : आज के समय प्रजातांत्रिक इस देश में व्यक्ति की गरिमा को उठाया है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने देश की गरिमा को उठाया वही प्रजातंत्र का स्वरूप था। यह ठीक है कि उसके बाद गुलामी के जमाने में और राजाशाही के जमाने में व्यक्ति की गरिमा को कम किया गया या कुण्ठित और लुण्ठित

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

किया गया कि एक मनुष्य की कोई कीमत नहीं रही। परन्तु हमारी संस्था, जिसकी आज 100 वर्ष की जिन्दगी हुई है, ने 60-65 साल तक लड़ाई लड़कर इस देश के उस गिरे हुये व्यक्ति, जो हजारों साल से नगण्य अवस्था में हो गया था, को उस गुलामी से पीछा छुड़ाया है और उस व्यक्ति की गरिमा को पुनः प्रजातंत्र के रूप में स्थापित किया है। मैं आज उस संस्था के महान् नेताओं को याद कर के विशेष कर उन गरीबों की तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज व्यक्ति को गरिमा स्थापित हुई है।

माननीय सभापति महोदय, इस समाज को संचालित करने के लिए तीन बातों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है। वह है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां। जिस राजनीतिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रणाली की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं वह है आर्थिक व्यवस्था। मगर उस आर्थिक व्यवस्था को हमें आज प्रजातंत्र के अनुरूप लाना पड़ेगा। हमारी मौजूदा व्यवस्था, जो बहुत कालान्तर से चली आ रही है, में कुछ कमी-खामियां है, उनकी ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सवाल यह है कि हम किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं? जैसी कि पुरानी व्यवस्था थी तानाशाही के जमाने में या राज तन्त्रशाही के या गुलामी के जमाने में, वह पूंजीवाद अब चल नहीं सकता। पूंजीवाद को प्रश्रय देने वाली जो पार्टियां हैं, जो पूंजीपतियों ने इस देश के अन्दर पाल रखी है अपने पैसे के जोर पर और अपने साधनों के जोर पर वह लोग इस देश के अन्दर, गरीबों के अन्दर कुप्रचार से अपनी जड़ें जमाने के लिये दलों के नाम से, कुछ पार्टियों के नाम से, कुछ व्यक्तियों के नाम पर इस प्रजातन्त्र के रास्ते का दुरुपयोग करते हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस ने निर्धारित किया है समाजवादी समाज की स्थापना की। हमारी अर्थ व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना हैं, उनको करना है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह समाजवादी समाज की व्यवस्था स्थापित कैसे करें? हमारी आर्थिक दृष्टि से समाजवाद का स्पष्ट चित्रण कैसा है? स्पष्ट बात यह है कि जिसके पास जमीन अधिक है उनको अधिक करने से रोकें और उनसे ली जाय और जिनके पास कम है, अधिक से लेकर उनको दी जाय। हम देखते हैं कि कुछ इस देश के अन्दर पूंजीपति और कुछ बड़ी जमीनों वाले लोगों, जिनको हम कह सकते हैं कुलक, ने बहुत सी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, देश की अधिकांश जमीनों पर, कीमती जमीनों पर कुछ कुलकों ने कब्जा कर रखा है और कागजों में हेराफेरी और रिकार्ड्स में हेराफेरी करके उन गरीब किसान, जो जोतने वाले किसान हैं, को उससे महरूम कर रखा है। इसी प्रकार, धन के आधार पर कुछ लोगों ने अलग अलग नामों से अलग अलग कम्पनियां, कम्पनी एक्ट और न जाने किस किस तहत बना कर बहुत से

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

साधनों से बनाया और उन पर कब्जा कर रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कल और कारखाने हों, चाहे खेती की जमीन हो, और चाहे जमीन के नीचे आला भण्डार, खनिज का भण्डार हो, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और कानून के लिहाज से, ऐसे लोगों ने विधान सभा और लोक सभा में संरक्षण पा करके दूसरों को इन सबसे वंचित कर रखा है। इन सब कारणों से जो आज वातावरण है, अव्यवस्था है, जो खामियां हैं, जो लीकेज हैं जिनके जरिये इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहता है उन सारी गलियों को बन्द करके हमको असली समाजवाद की ओर आना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को उसकी गरिमा को रखने के लिए हम क्या देना चाहते हैं। आखिर हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवायें मुहैय्या करना हमारे कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा दायित्व है। उसकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि धन चाहे जमीन के रूप में हो चाहे जैसा मैंने निवेदन किया खनिज के रूप में हो, चाहे कारखाने के रूप में हो, जो कुछ लोगों के हाथ में है उसको हमको निकालकर समाज के अन्दर लाना पड़ेगा सारी व्यवस्थाओं पर इन लोगों का कब्जा रखना होगा ताकि लोगों को फायदा हो और वह उसको ले सकें। मगर इसके लिए दो तरह की व्यवस्था मौजूदा प्रजातन्त्र में है। एक तो चुने हुए मित्र लोग, चुने हुए प्रतिनिधि लोग और दूसरे वह जो बैठे हैं उनकी पालना करने के लिये, नौकरशाही की एक मशीन। पहले तो चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूगा कि जनता जिसको भी चुनकर भेजती है वह इस सदन का या बड़े सदन मतलब लोक सभा का सदस्य बन जाता है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हर माननीय सदस्य को कि आखिर वह उस व्यक्ति का ध्यान रखें जिसके वोट के जरिए वह यहां आता है। होता यह है, माननीय सभापति महोदय, आम गरीब आदमी वोट देकर प्रतिनिधि को इस सदन का सदस्य बनाता है मगर यहां पर जब चर्चा होती है तो उन लोगों के हित संरक्षण की बात अधिक की जाती है जिन लोगों का वोट में हिस्सा नहीं है, केवल नोट में हिस्सा है। बहुत से लोग तो खास तौर से ऐसे कामों में रोड़े अटकाने के लिए ही अपनी सारी बुद्धि और अनुभव का उपयोग करते हैं कि किस प्रकार उन लोगों का हित संरक्षण होता रहे और गरीब आदमी, जिसने उनको वोट दिया, नजर अन्दाज रहे। इसलिए मैं इन सब दृष्टियों से, इस बात के लिए हर सदस्य से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा पार्टीबाजी के भेद-भाव को छोड़िये, जनकल्याण की बात करिये। राजनैतिक पैंतरेबाजी नहीं चलानी चाहिये, उसमें ईमानदारी के साथ जन के हित के लिए अपना योगदान देना चाहिये। जैसे यह कि सरकारी पार्टी कोई शुभ काम को शुरू करती है तो उन सारी अच्छाइयों को दरगुजर करके उनमें से कुछ ऐसी कमियां, जो

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कोई कमियां नहीं होती, को लेकर, पूरी शक्ति, पूरा अनुभव, पूरी बुद्धि और विद्या उसमें खर्च करके पूरे सदन का समय जाया कर दिया जाता है। अगर हम पहले विधान सभा की—

श्री शोपतसिंह : आप क्या कहना चाहते हैं, यह बताइये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शान्ति से सुनिये।

श्री शोपतसिंह : भाषण पिला रहे है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं उन सिद्धान्तों पर लाना चाहता हूं जिसमें बहुत बड़ी जमीन के मालिक भी अपने आपको मार्क्सवादी कहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने विषय पर आइये।

श्री शोपतसिंह : सीलिंग लगाइये। आपके मुख्य मन्त्री बैठे हैं, कहो, सीलिंग लगायें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपके गांव मक्कासर गया था, मकासर, डबली और आसपास के सारे इलाके, का जो जमीन पचासों गांवों में आपने हथियाई है—

श्री शोपत सिंह : आप राजाओं, रानियों और सामन्तों के बने हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं—

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी जो कमियां हैं, खामियां हैं जिसकी वजह से--

श्री शोपत सिंह : We welcome.

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए।

श्री सभापति : आप मांगों के सम्बन्ध में बोलें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक तो हैं चुने हुए प्रतिनिधि और दूसरी है सरकारी नौकरशाही। अर्थ व्यवस्था को हमें सुधारनी है: कौन सुधारेगा उसको, मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी। इसके लिए मैं पहले तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रतिनिधिगण ईमानदारी से उस गरीब आदमी के हित चिन्तन के लिए, उसके आर्थिक उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नौकरशाही के जरिये हम इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाजवादी समाज की संरचना करना चाहते हैं उसमें हमारे मौजूदा वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने आज सरकारी काम के अन्दर ढिलाई को दूर करने के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को पाबन्द किया है। परन्तु माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, इतना ही काफी नहीं होगा। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं। मैं जैसा अभी कह रहा

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

था, रोजगार के सम्बन्ध में भी कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के चक्कर लगाते हैं लड़के और नौकरी नहीं मिलती। यह होता है वह होता है। सरकारी नौकरी हासिल करना इतना आकर्षक का केन्द्र क्यों है, यह भी एक विचारणीय विषय है। इतना आकर्षण का केन्द्र इसलिए है कि सरकारी नौकरी के अन्दर एक बार घुस जाय तो 35 साल तक काकाजी बनकर बैठे रहें। उनको कोई निकाल नहीं सकता है। उसकी इच्छा है, काम न करने पर भी उस आदमी की हर तीस तारीख को पे-बिल बनता है आज एक तारीख को उसका वेतन का जो होता है वह ले लेता है। आपके कानून कायदे में क्या कहीं यह व्यवस्था है कि आदमी का वेतन बिल बनने से पहले उसके एक महीने के कार्य की समीक्षा की जायेगी ? सारी दुनियां के कल-कारखाने, खेत-मजदूर, दुकानदारी. कहीं देखा जायं, कोई काम करेगा तो ठीक उसके आधार पर हिसाब रखा जाता है कि उसने कितने दिन का काम किया, उसको कितना पैसा दिया जाय। मगर यह सरकारी धर्मशाला ऐसी है जिसके अन्दर घुसने के बाद किसी आदमी को चाहे चपरासी हो चाहे कलेक्टर, चाहे कितना ही बड़ा आफिसर हो, कर्मचारी हो, वह जांचा नहीं जाता कि एक महीने में कितने दिन का वेतन बिल बन रहा है उतने दिन काम भी किया या नहीं किया। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के अन्दर एक कानून होना चाहिये, जब तक काम नहीं करे तब तक दाम देने की कोई व्यवस्था नहीं हो। रेग्युलर दाम देने की व्यवस्था चल रही है। बगैर काम किये दाम देने पर रोक होनी चाहिये। एक हिसाब होना चाहिये कि तीस दिन में आदमी ने काम क्या किया। जैसे समय पर आने की बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कही है और समय पर काम करने की बात की है यह बहुत अच्छा है, मगर केवल इतना ही काफी नहीं है। इसमें यह और जोड़ा जाय कि आठ घण्टे की ड्यूटी पर आखिर कितना काम करने की आवश्यकता है। एक दिन में कितना काम करना चाहिये, एक कलेक्टर और एस डी ओ को कितना काम करना चाहिये, एक बाबू को कितना काम करना चाहिये, एक अध्यापक आठ घण्टे स्कूल में पढ़ाता है तो उसको कितना पढ़ाना चाहिये। उसके काम का अंजाम क्या होता है, क्या उसके आठ घण्टे काम करने से जनता को बेनिफिट मिल रहा है ? उसने काम भी किया या नहीं या केवल आठ घण्टे पूरे ही करके आ गया। यह एक बहुत जरूरी है कि उसके काम का हिसाब रखा जाय, उसका एक मापदण्ड तय होना चाहिये कि आठ घण्टे काम करना है तो इतना वह काम करेगा। उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगी, उसी के अनुसार उसका हिसाब होना चाहिये। एक तो मेरा निवेदन यह है कि काम के साथ दाम का सम्बन्ध स्थापित किया जाय। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि नये नियुक्ति के साथ निवृत्ति को भी जोड़ा जाय। कितनों में लिखा है कि नौकर को जो अपाइन्टमेन्ट देता है वह उसको डिसमिस भी कर सकता है। पर मैंने तो यह देखा है व्यवहार के अन्दर कि एक मामूली ट्रान्सफर भी कर दें

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

तो कोर्ट स्टे दे देती है। ऐसे में सभापति महोदय, नौकर नौकरी कैसे करेगा, जरा सा काम के लिए कहो नहीं, छेड़ो नहीं कि फौरन कोर्ट की शरण लेगा। यदि इसके लिए कानून कायदे हों तो उनको संशोधित किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जो आदमी काम करे उसको नौकरी में रखा जाना चाहिये और यदि काम नहीं करे तो एक मौका, दो मौका, तीन मौके के बाद उसकी छुट्टी कर देने की व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिये ताकि लोग काम कर सकें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काम करने वाले को प्रोत्साहन दीजिये और नाकारा आदमी की छुट्टी कीजिये ताकि आगे चल करके व्यवस्था को ठीक किया जा सके।

अब रहा सवाल यह कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि और नौकरशाही के लोग ठीक तरह से समाजवादी समाज की संरचना में सहयोग करते हैं। इस हिन्दुस्तान में भू सम्पदा है, धरती उर्वरा है, साधन काफी हैं, जिसके अन्दर कई प्रकार की समस्यायें भी हैं। इसी प्रकार से भौतिक, प्राकृतिक और कई कारण हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है और रहेगी। इसको कोई बदल हो नहीं सकता है जब तक कि बहुत बड़ी योजना बना कर कृषि को आगे चलकर उद्योग में परिवर्तित नहीं कर दिया जाय। पहली बात तो यह है कि हमने कृषि को उद्योग ही घोषित नहीं किया है। मैं तो यह कहता हूं कि सबसे बड़ा उद्योग ही हमारे देश का कृषि है इसलिये कृषि को उद्योग घोषित करना चाहिये।

श्री सभापति : इससे क्या हो जायेगा।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : कृषि और उद्योग में आकाश पाताल का अन्तर है। सभापति महोदय, उद्योग के नाम पर आप एक दरख्वास्त दीजिये और एक आदमी जब दरख्वास्त देता है तो दरख्वास्त देने के बाद वह उद्योगपति हो जाता है। वह उद्योगपति की लाईन में आ जाता है। ज्योंही वह उद्योगपति की लाईन में आता है तो सरकार उसको मुफ्त में तो जमीन देती है या बहुत कम कीमत पर जमीन देती है। जमीन देने के बाद उसकी आर्थिक व्यवस्था करती है और टेक्नीकल व्यवस्था करती है। उसको कई रियायतें उद्योग खड़ा करने के लिये देती है। देश विदेश से चीजें लानी हो तो सरकार उसको लाईसेन्स देती है यानि सारी दुनिया की सुविधायें जुटा कर, रुपया पैसा जुटाकर एक उद्योग के नाम पर सारी सुविधायें उसको उद्योगपति बनाने के लिए सरकार व्यवस्था करती है। इसके बाद में यह भी देखती है कि उद्योगपति जब माल तैयार करता है उसकी अपनी इच्छा से सारे खर्चे जोड़कर, अपने दूसरे और बाहर के खर्चे जोड़कर, वह मनमानी कीमत का ठप्पा लगा कर देता है। ठप्पा जब लगा देता है और सरकार और समाज देखते ही रह जाते हैं। एक दियासलाई की पेटी से लेकर अधिकांश बड़े से बड़े मोटर और हवाई जहाज बनाने

(८८)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वाले अपना ठप्पा लगाकर कीमत तय करता है। 'जो बाटा कम्पनी के जूतों' की तरह 67 रुपये 99 पैसा। तो इस तरह से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्योगपति को यह अधिकार है कि वह अपने माल की कीमत तय करे। पर ठीक इसके विपरीत कृषि के जरिये आज हमारे हिन्दुस्तान के 70 प्रतिशत और 75 प्रतिशत आदमी अपना पेट भरते हैं। जिनके पास केवल यही उद्योग है उसकी स्थिति यही है। यह ठीक है कि गरीब किसान को सरकार जमीन वितरित करती है मगर कुल मिलाकर किसान की खुद की जमीन है और जब उसके पास जमीन है तभी तो वह कुआ बनाता है, पर हम कोई गारन्टी उसको नहीं देते हैं कि हम उसकी कुछ मदद कर के रह जाते हैं यानि खेती के मामले में न तो हम गारन्टी करते हैं कि उसकी आर्थिक व्यवस्था सभी प्रकार से ठीक हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, काफी समय ले लिया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हमारे कृषि की प्राथमिकता सिंचाई है। इस मामले को तो सैद्धांतिक तौर पर यह कहना पड़ेगा कि सिंचाई की व्यवस्था करने का काम हमारी राज्य सरकार का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। अगर इसको हमने व्यक्ति पर, जैसा कि छोड़ रखा है और छोड़ते रहे तो मैं समझता हूं कि सौ साल के बाद भी हिन्दुस्तान की आधी जमीन तक भी हम पानी नहीं पहुंचा पायेंगे। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई को हमारी राज्य सरकार को सिद्धान्तः अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिये। हमारी योजनाओं को उधर उन्मुख करना चाहिये ताकि जो कुछ पैसा हम खर्च करें उसमें सिंचाई की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाये। वैसे तो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे देश के पूर्व प्रधान मन्त्री और वर्तमान प्रधान मन्त्री ने सिंचाई को प्राथमिकता दी है और वह इसलिये दी है कि कृषि के बिना सिंचाई हो ही नहीं सकती है। सिंचाई को हमने बैथणियों के छोड़ रखा है। इस से देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। इसलिये आपको सिंचाई को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आप जैसे राजस्थान कैनाल बना रहे हैं वैसे ही कुछ जगहों के लिये आपने कोई योजना नहीं बनाई है। जैसे जयपुर जिला जो पहले एक सघन जिला था परन्तु कालान्तर में वर्षा की कमी के कारण, बरसाती पानी नहीं रोकने के कारण इस जिले के कुओं से पानी इतना नीचे चला गया है, इतना कम हो गया है कि किसी भी तहसील के अन्दर चार छः आठ घन्टे तक पम्प नहीं चलते हैं चूंकि पानी है नहीं। इतने बड़े जयपुर जिले की यह हालत है। और भी दूसरे ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की अत्यन्त न्यूनता हो गयी है। कृषि के मामले में छोटे छोटे एनीकट बनाने की बात हमारी सरकार ने स्वीकार की है ताकि बरसाती पानी को रोका जाये मैं तो यह कहता हूं कि बरसाती पानी रोकने के लिये तीन मुद्दे तय करने चाहिये। एक तो खेत का पानी के लिये हम किसानों को सहायता दें, सिंचाई के लिये अनुदान दें, केवल

(श्री भैरू'लाल भारद्वाज)

किसान को ही यह नहीं कह दें। केवल उसको शिक्षा ही नहीं दें बल्कि उसको अनुदान दे। जो आदमी खेत का पानी रोकेगा, मान लो कि दो फुट रोक सकता है उसके बाद आप पक्का नाला बना दें तो वहां पानी ज्यादा होगा, आगे पहुंचेगा वह आगे चला जायेगा और आगे वह गांव में चला जायेगा। गांव के खेतों में जायेगा, दूसरी जमीन पर पानी उभरेगा, और वह आसपास की जमीन पर जहां भी उसका एनीकट होगा वहां पर पानी रुक सकेगा और इससे जमीन में पानी का रिसाव होगा, कुओं के अन्दर पानी आयेगा। भूमि कटाव हमारी सबसे बड़ी समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसके बाद में यदि गांव में पानी आगे बढता है तो वह पानी उस इलाके की तहसील या ब्लोक में जायेगा, जहां पर रोकना चाहिये। यह जो बड़ी बड़ी योजनायें आप सिंचाई बनाते हैं उससे राजस्थान के अधिकांश जिलों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला हैं। इसलिये सिंचाई के मामले को लेकर, पेयजल के मामले को लेकर हम बहुत ज्यादा दुखी है। हम पिछड़ रहे हैं और इससे हमारी अवनीति हो रही है उसको अब हमें बदलना पड़ेगा। अब जब कि हम राजस्थान का बजट तय करने जा रहे हैं इसमें सिंचाई के मद में पैसा खर्च करने के लिये कम से कम आधा पैसा रखना चाहिये या आधे से भी अधिक पैसा रहना चाहिये इन छोटी छोटी योजनाओं के लिये। लेकिन हम जब बजट देखते हैं कि इन बड़ी योजनाओं के लिये तो करोड़ों अरबों रुपये रखे जाते हैं और इन छोटी योजनाओं के लिये जो कि लघु सिंचाई योजनायें हैं उनके लिये 6 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह करोड़ों का बजट हैं, 6 करोड़ से क्या होता है। इसलिये, सभापति महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आगे आने वाले बजट में जो आगे आ रहा है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। बरसाती पानी को रोकने की व्यवस्था हो। इससे न केवल उदयपुर डिविजन के पहाड़ी इलाके को लाभ मिलेगा बल्कि मैदानी इलाकों को भी लाभ मिलेगा। इसको गम्भीरता से लेना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, बहुत समय हो गया है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज मैं दो ही बातें कहना चाहूंगा, सारी बातों पर प्रकाश नहीं डालूंगा। सभापति महोदय, कृषि को उद्योग माना जाये और इसके लिये सिंचाई की बात की, उसके साथ ही बिजली की अहमियत को भी नहीं भुला सकता हूं। यह बात ठीक है कि हमारे पास मौजूदा समय में बिजली कम है और जरूरत ज्यादा है। हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिये। जो मौजूदा स्थिति है सभापति महोदय, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 50 हार्स पावर की जो मोटर लगाता है या 60 होर्स पावर की मोटर लगाता है या 100 हार्स पावर की मोटर जो उद्योगपति लगाता है वह तो उद्योगपति की लाईन में आ जाता

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

है उसको तो बिजली की पाबन्दी नही है क्योंकि वह उद्योग का स्वामी है पर जो सात हार्स पावर की मोटर लगाता है या पांच हार्स पावर की मोटर लगाता है उस किसान के लिये आपने लिमिट कर दी है, उसकी कनेक्शन देने में भी आपने लिमिट कर रखी है हम कहते हैं कि दस हजार कनेक्शन देंगे या दो हजार कनेक्शन देंगे यह लिमिट कर दी यानी बरसों में भी उसका नम्बर नहीं आनेवाला है। एक उद्योगपति जो 100 हार्स पावर की मोटर लगाता है या 50 हार्स पावर की मोटर लगाता है उसको आप तुरन्त कनेक्शन दे देते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि बिजली में किसान को प्राथमिकता देनी चाहिये और आपको इसको देना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। न केवल कनेक्शन देना, पर बिजली की उपलब्धि के साथ बिजली कितनी उपलब्ध हुई गयी फसल में, सभापति महोदय, जितनी आवश्यकता थी उतनी बिजली नहीं मिली। यह बात ठीक है कि कुछ प्रबन्ध में कमियां रहीं, कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की गड़बड़ी की वजह से कमी हुई मगर सबसे ज्यादा आवश्यक तो यह है कि नीति निर्धारित होनी चाहिए कि किसान को बिजली दी जावे। वह किसान 24 घन्टे बिजली लेकर करेगा क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत सदस्य बोलने वाले है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, 4-6-8 घन्टे खेत में पानी दे देता है उसके बाद में आखिर कितना पानी पिलायेगा वह अपने खेत में। वह पानी को बेचने वाला तो है नहीं। इसलिये खेत के पानी देने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये और किसान को बिजली मे प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उसको समय पर बिजली मिलनी चाहिये और वोल्टेज भी सही मिलना चाहिये। यह निवेदन करता हुआ कि सिंचाई को प्राथमिकता मिले, इससे अपनी अर्थव्यवस्था की संरचना होगी। इसके बिना हमारे प्रान्त में ही क्या इस देश के लिये कोई चारा ही नहीं है। हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं और उसके लिये हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि सदन के कुछ माननीय सदस्य निहित स्वार्थ के कारण इसकी प्राथमिकता देने का विरोध करते हैं। मुझे तो, सभापति महोदय, आपसे भी कई बार शिकायत होती है और वह इस मौके पर कह देता हूं कि यहां पर शोर-शरावा होता है, इस सदन के समय की कीमत कितनी होती है, एक मिनट कितना कीमती होता है और उस कीमती समय को शोर शरावे से घन्टे ही नहीं, कई घन्टे बरबाद कर देते हैं और आसन की तरफ से जा-बेजा इनको समय मिलता है और अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा के लिये समय दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो आर्थिक सामाजिक मुद्दे है, प्रजातंत्र को कायम करने के लिए वह सही ढंग से उपयोग में

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

लाने चाहिए। जो डेलो-वेजेज पर काम करने वाले हैं। उनको लोन मिलना चाहिए। जो समय बर्बादी का मामला है उसकी तरफ आपको भी ध्यान रखना होगा। ही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात इतना समाप्त करता हूं।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : दो मिनट में जवाब देना चाहता हूं। इतनी बातें कही हैं मुझे दो मिनट दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हंसराज मिढा : माननीय सभापति महोदय, आपने फरमाया, दो मिनट ...

श्री सभापति : यह जो विषय है इस पर अमूल्य सुझाव दें, विषय भंग नहीं हो।

श्री हंसराज मिढा : माननीय सभापति महोदय, आपने फरमाया, आफिसर पर ब्लेम लगाया कि इस तरह के आफिसर को अपाइंट करते हैं। जो अपनी जमीन बेच-कर यहां लगाते वह रुपया वसूल नहीं करें तो क्या करें। आप अपनी सोचिये, हमको बदनाम करते हैं, हमारे में यह नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अलग से पूछिये।

श्री हंसराज मिढा : यथा राजा तथा प्रजा। हम अपने आपको सुधार लें तो तो आफिसर खुद-ब-खुद सुधर जायेंगे। मैंने अपनी जिन्दगी में किसी आफिसर को पैसा नहीं दिया। कभी मेरा काम रुका नहीं। मैं समझता हूं कि लीडरों में कमी की वजह से ऐसा होता है।

श्री सभापति : माननीय लालचन्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे को भी पुकारें।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं दिया है।

विषय पर अमूल्य सुझाव दिये हैं, सुझाव दें तो अच्छा रहेगा विषयान्तर होने से फायदा नहीं होगा।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : सभापति जी, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, कुछ सुझाव दिये हैं, सुझाव के बजाय उपदेश ज्यादा दिये हैं। किस तरह से नियोजन होना चाहिए। क्या हालत देश की होती जा रही है उसके साथ जो स्थिति राजस्थान की होती जा रही है, हमसे वह छिपी हुई नहीं है। सभापति जी, देश की आज की स्थिति से कुछ साल पहले की जो स्थिति थी उसमें 66 पर्सेन्ट पापुलेशन गरीबी की रेखा से नीचे थी। आज बहुत से लोग गरीब को नहीं गिनकर उस स्थिति को कम नहीं कर सकते हैं। वह पर्सेंटेज बढ़ी है। सारे देश की गरीबी बढ़ी है उसके साथ राजस्थान की भी बढ़ी है। वह चीजें हमारे सामने नहीं आ रही है, आंकड़ों के अन्दर हम जैसा देश को दिखा रहे हैं।

(श्री लालचन्द डूडी)

यह सारी हालत पैदा क्यों हो रही है ? इस वास्ते पैदा हो रही है कि हम जो नियोजन कर रहे हैं उसके अन्दर प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। किन चीजों को प्रायोरिटी में लेना चाहिए इस बात का हमारे प्लानिंग के अन्दर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज राजीव गांधी हमारे प्रधान मंत्री हैं वह टेलीविजन की, केलकुलेटर्स और दूसरे जो इलेक्ट्रानिक गुड्स हैं उनके बारे में ज्यादा ध्यान देकर पता नहीं देश को कहां ले जाना चाहते हैं, जबकि समस्या रोटी की है। सभापति जी, विशेष रूप से राजस्थान के बारे में जब हम देख रहे हैं जहां इतना पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का इतना पोटेंशियल है खेती को बढ़ाने का उसकी तरफ रत्ती भर ध्यान नहीं दिया गया है और राजस्थान में उन चीजों को पता नहीं किस डर से गिरवी रखकर छोड़ा जा रहा है। मैं उस दिन भी बोला था। हमारी राजस्थान कैनाल का 4·6 क्यूसेक पानी पंजाब को देने का क्या कारण था, राजस्थान कैनाल का पानी केवल गंगानगर एरिया के अन्दर नहीं आ रहा है, गडरा रोड तक उसका पानी देकर वहां तक सिंचाई करने की योजना है और पानी को दूसरी तरफ हमने पंजाब को दे दिया और पंजाब ने उस पानी का इस्तेमाल कर लिया। क्या हमारी सरकार की हिम्मत होगी उस पानी को लेने की ? जिस राजस्थान कैनाल को इन्दिरा गांधी कैनाल कर दिया है और जो स्वप्न हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पैदावार बढ़ेगी, आपका पानी पंजाब ने ले लिया उसके बाद आपकी इन्दिरा कैनाल के स्वप्न साकार नहीं होंगे। राजस्थान का किसान दुःखी है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि हमारे भाखड़ा नांगल कैनाल का 600 क्यूसेक पानी जो कि आनन्दपुर साहब थर्मल प्लांट को शीतल करने के लिए दिया गया उससे मेरे एरिया के अन्दर भाखड़ा नहर आ रही है गंगानगर एरिया के अन्दर यह स्थिति हो गई कि इरिगेशन तो दूर रहा आज उन नहरों से पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। जो योजनायें बनी हुई हैं पीने के पानी की, पानी की कमी की वजह से वह फेल पड़ी हैं। लोग पानी की पाइपें उखाड़ने की सोच रहे हैं, वे कहते हैं कि या तो पानी पहुँचाओ वरना इन पाइप लाइनों को उखाड़ देंगे। जब तक हम इन बातों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम का बड़ा प्रचार किया गया है और नये-नये नाम बदलकर नई-नई स्कीमें दी गईं। जनता पार्टी ने अन्त्योदय नाम पैदा कर दिया, उस स्कीम ने, जनता पार्टी की स्कीम ने तीस साल के शासन में बड़ी खलबली पैदा कर दी। उसके अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये। इस बात को लेकर नई स्कीमें जोड़कर वहां शुरू किया, कहीं आई. आर. डी. का प्रोग्राम और कई दूसरे प्रोग्राम और हम देखते हैं कि गरीब आदमी को जो भेड़ें दी जाती हैं, मैं अपने इलाके के अन्दर देखकर आया हूं, एक आदमी भेड़ें लेकर आता है. बीस भेड़ गांव से लाता है, पंचायत समिति हैड क्वार्टर के ऊपर, आज आपकी भेड़ में यह नहीं है, आज आपकी डाक्टर अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आज आपकी बैंक वाले नहीं हैं, एक-एक आदमी को भेड़ें ले-लेकर के गांव में 6-6 दफे आना पड़ता

(श्री लालचन्द डूडी)

है सर्टिफाई करवाने के लिए और स्थिति क्या होती है उस गरीब आदमी को आज जो अनुदान मिल रहा है उसमें से कुछ अधिकारी की, कर्मचारियों और दूसरों की जेबों में डालकर फिर कुछ मिलता है, तब तक भेड़ की कीमत, इतने दिन भूखी रहकर वहां बाजार के अन्दर खडी रहती है, आधी हो जाती है। यही गाड़ों का हाल है, ऊंट की हालत है, उनकी भी यही स्थिति है। किसानों ने इस बारे में कितनी दफा दरख्वास्त दी। मकान बनाने के लिए फ्री प्लाट दिये गये और उसको ऊपर 750 रुपये अनुदान मिला। मैंने तीन-चार चिट्ठियां लिखकर दिखाई हैं, यह साबित करने की कोशिश की है कि जिन लोगों को तुमने 750-750 रुपये का अनुदान दिया उसमें से एक भी झोंपड़ी नहीं बन सकी। फ्री प्लाट के अन्तर्गत उनके खुद को प्लाट नहीं दिया गया, उनको पैसे दिये गये, किसी को वह भी नहीं दिये गये, किसी ने जांच करवाने की जुर्रत नहीं समझी आज तक। सभापति जी, जिस कार्यक्रम के लिए बड़ा भारी प्रचार किया जा रहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम का और गरीबों की मदद करके उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के आंकड़े दिखाये जा रहे हैं सारे के सारे फ्रॉड हैं, असत्य हैं और सारा का सारा कार्यक्रम फ्रॉड है। देश के बिचौलियों की जेबों में डालने के लिए यह युक्ति निकाली गई है ताकि इनके कर्मचारियों की उस माध्यम से जेबें भरती रहें। यही स्थिति आपके 20 सूत्री कार्यक्रम की है, यही आपकी सिंचाई की स्थिति है। सबसे बड़ी बात जो आज तक देश के अन्दर चल रही है जिसको मैं विशेष रूप से पिन पाइंट करना चाहूंगा, सभापति जी, वह है आपकी शिक्षा नीति इन लोगों ने जब देखा कि गांव के अन्दर साक्षरता बढ़ रही है, गांव के अन्दर लोग पढ़ना शुरू हो गये हैं और गांव में पढ़कर शुरू हो गये हैं और गांव में पढ़कर ये नौकरियों और धन्धों में आने लग गये हैं तो एक तरीका निकाला गया जिससे गांव का आदमी पढ़ तो ले, लेकिन किसी धन्धे लायक नहीं बन सके। नौकरी के कम्पटीशन का मामला है। नौकरी के अन्दर कम्पीटशन और शिक्षा, शिक्षा में कितना फर्क है। लड़का पढ़ने जाता है उस स्कूल में जिस स्कूल में प्राइमरी में दाखिले की ढाई हजार, तीन हजार, छः हजार फीस है, जहां बीस लड़कों पर एक अध्यापक है और वहां अध्यापक विद्यार्थियों को सुबह से शाम तक किस तरह से सुनियोजित तरीके से पढ़ाया जा रहा है। किस तरह से उनको समझाया जा रहा है। एक आपका प्राइमरी स्कूल है, गांव के अन्दर 250-250, 300-300 विद्यार्थियों पर एक-एक अध्यापक है और जिसका कुछ भी नहीं देखा जा रहा है कि क्या पढ़ाता है। स्कूल में आता है या नहीं आता है और आता है तो वह स्कूल में बैठकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस बात का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता। उस स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिलती और कम्पीटशन में बैठते हैं पब्लिक स्कूल के पढ़े-लिखे के बराबर, फिर वह कम्पीटशन के अन्दर कैसे आयेगा।

(श्री लालचन्द डूडी)

सभापति जी, कितना एक गलत, कितना एक जानबूझकर षड़यंत्र किया गया है कि गांव के अनपढ़ लोगों को उसी तरह से अनपढ़ और उनको पिछड़ा हुआ रखे जाने का कितना केलकुलेटिव षड़यंत्र है ताकि यह सारे गांवों में रहने वाली आबादी जो कि भारत का नाम जब लेते हैं तो गांव का नक्शा सामने आता है उन गांव के लोगों को किस तरह से पिछड़ा रखने का कितना एक केलकुलेटिव षड़यंत्र है। सभापति जी, जब एक इस तरह का नियोजित षड़यंत्र किया जायेगा, इस तरह से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ हर लाइन के ऊपर जब यह सोचा जायेगा कि इनको जान बूझकर पिछड़ा रखना है, इनको जान बूझकर भूखा रखना है, इनको जान बूझकर आपस में लड़ाकर रखना है तो यह देश तरक्की कैसे करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को न रखकर देश को मजबूत और देश को खुशहाल बनाने को ध्यान में रखें और वह तभी होगा जब कि जनता में आपस में फर्क नहीं रखोगे।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, आखिर बहुत छोटी सी बात है। अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री भारद्वाज जी ने फरमाया था कि उद्योगों के लिए किस तरह से फैसेलीटीज दी जा रही हैं और खेती के लिए नहीं--बिल्कुल सही बात है। आज गंगानगर जिले की समस्या देखते हैं, बीकानेर जिले की समस्या देखते हैं जहां से राजस्थान कैनाल गयी है, जहां पक्के नाले बने हैं उन पक्के नालों की क्या स्थिति है। मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि किसान जो पैदा करता है क्या सारी पैदावार वह अपने घर में रखता है ? एक आदमी को एक साल में दो मन अनाज की जरूरत होती है, उससे, ज्यादा की नहीं। उससे ज्यादा जो पैदावारें हैं वह इस देश के काम में आती है। जब बढ़ी हुई पैदावार देश के काम आती है तो उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो साधन दिये जायें उन साधनों की कीमत केवल किसान क्यों दे ? उन पक्के नालों की कीमत केवल किसान क्यों भुगते ? सारा देश इस कीमत को क्यों नहीं भुगतता। जिस तरह से उद्योगों के लिए सस्ती दर के ऊपर उनको जमीनें दी जाती हैं, सारी फैसेलिटीज दी जाती हैं तो उसका खर्च वसूलना भी हमारी देश की पैदावार काम आयेगी और इरिगेशन बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी, वह देश के काम आयेगा तो फिर अलग से नालों की कीमत उस किसान से क्यों वसूल की जाये ? किसान से वसूल करना कहां तक जस्टीफाइड है ? एक तरफ आप सीलिंग लगाते हैं और सीलिंग लगाने के बाद उसमें पैदा की हुई चीज के भाव निश्चित करते हैं तो जब आपने सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा भाव नहीं रख सकते, उसके बाद में यह कहें कि इससे ज्यादा भाव में नहीं बेच सकते तो किसी भी तरह का टैक्स, सभापति जी, मुझे बतावें जस्टीफाइड हो सकता है ? है कोई जस्टीफिकेशन ? आपने उस पैदावार की कीमत को बांध दिया उसके बाद किस तरह का टैक्स जस्टीफाइड कहां होता है

(श्री लालचन्द डूडी)

यह मेरी समझ में नहीं आया। तो इस तरह का षड़यन्त्र है। इन वातों के अन्दर हमको एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा और जब तक वह परिवर्तन नहीं आयेगा, इस देश की सारी की सारी आर्थिक स्थिति एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेण्ड करिये और जब तक इस देश में एग्रीकल्चर प्रोग्रेस नहीं करेगी तब तक इस देश के किसान की हालत नहीं सुधरेगी और तब तक आपके उद्योग भी पनप नहीं सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री लालचंद डूडी : सभापति जी, वहुत संक्षिप्त करना चाहता था लेकिन स्थिति ऐसी आ गयी है। इन स्थितियों में मैं, सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर देना चाहता था कि इन वातों पर हमको क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। सारे के सारे इस नियोजन को हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, उसके वाद आगे बढ़ पायेंगे, तभी जाकर कहीं प्रोग्रेस होगी, उसके अलावा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत,

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता विपक्ष) : सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी एवं वित्त मन्त्री जी को वधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पहला ही वजट घाटे का प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में गत वर्ष का घाटा 166, 45 करोड़ रुपये का वताया है। यदि गत वर्ष का वजट भाषण पढ़ा जाये तो उसके पैराग्राफ 68 में लिखा है :

'वर्ष 1983-84 के 10.70 करोड़ के घाटे को वर्ष 1984-85 के 865.45 करोड़ रूपये के घाटे में जोड़ने के वाद वर्ष 1984-85 के अन्त में समग्र घाटा 176.52 करोड़ रूपये का अनुमानित है।'

(2.56 म० प०)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

अब, अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि पहले वाले वजट भाषण में 176.52 करोड़ रूपये का जो घाटा अनुमानित किया गया था उसकी एवज में उनके वक्तव्य में 165.45 करोड़ रूपये का घाटा किस प्रकार से रह गया ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले पांच वर्षों में इस राज्य सरकार ने कई कीर्तिमान कायम किये हैं। आपको स्मरण होगा कि राजस्थान में सन् 1982-83 का वजट प्रस्तुत करते समय इस सदन को यह जानकारी दी गयी थी कि राजस्थान में आज तक के इतिहास में और अन्य राज्यों के भी इतिहास में 340 करोड़ रूपये का ओवरड्राफ्ट नहीं रहा जो 1982-83 में ओवरड्राफ्ट रहा। वह उस समय कीर्तिमान कायम किया। दूसरा कीर्तिमान राजस्थान के इतिहास में फिर कायम किया गया कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसी वर्ष में राज्य में 57 करोड़ रूपये के टैक्स लगाये गये। दूसरा बजट में इस बात का कीर्तिमान कायम किया गया था कि 1982-83 के प्रारम्भ में जा 283.46 करोड़ रूपये का ओवरड्राफ्ट रहा था उसको मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कराया। यह भी एक प्रकार से सरकार के ऊपर जबरदस्त लायबिलिटी बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जिस प्रकार का घाटा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया 263 करोड़ रूपये का उसमें 157 करोड़ रूपये राजस्व घाटे में घाटा बताया। संभवत उन्होंने लिखा तो नहीं लेकिन उसके साथ पूंजीगत घाटा निश्चित रूप से होगा और वह दोनों मिलाकर 263 करोड़ रूपये का घाटा होता है। अब जिस राज्य में राजस्व खाते में घाटा हो, जिस राज्य के पूंजीगत खर्च में घाटा हो स राज्य की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उस राज्य में विकास इस बात के ऊपर निर्भर करेगा यह मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि भारत सरकार से योजना कमीशन के माध्यम से हमको योजना के लिए क्या सहायता मिलेगी, यह सब कुछ सके ऊपर निर्भर करता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज सारे हिन्दुस्तान में जो भिन्न-भिन्न राज्य हैं, जो राज्य विकास करते जा रहे हैं उनकी वित्तीय स्थिति का अवलोकन करें तो एक बात निश्चित रूप से सामने आयेगी कि जो राज्य भारत सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं उन राज्यों का विकास द्रुत गति से होता जा रहा है और जो राज्य भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं वह राज्य शनैः शनैः पीछे होते जा रहे हैं और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे हैं। मैं उदाहरण के रूप में यह बताना चाहूंगा कि आज पंजाब के अन्दर भारत सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं लेकिन वह भारत सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं हैं। हरियाणा भारत सरकार की सहायता लेता है लेकिन भारत सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं करता। गुजरात और महाराष्ट्र उनको भी भारत सरकार से सहायता मिलती है लेकिन उनके कार्य भारत सरकार की सहायता के अभाव में रुकते नहीं हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान ने विरोध किया, हरियाणा ने विरोध किया, प्लानिंग कमीशन की अनुमति नहीं ली लेकिन पंजाब ने रोपड़ थर्मल प्लान्ट अपने साधनों से खड़ा किया। पंजाब ने आनन्दपुर साहब का हाइडल प्लान्ट अपने साधनों से खड़ा कर दिया और बिजली की समस्या का समाधान हुआ। उसके कारण से वहां का इन्डस्ट्रिलाइजेशन हुआ और किसानों को बिजली मिली और अनाज की पैदावार बढ़ी। मैं यह समझता हूं कि जब तक राजस्थान अपने वित्तीय साधनों के आधार पर स्वतन्त्र नहीं होगा उस समय तक भारत सरकार की गुलामी हमारे साथ रहेगी और उस गुलामी में राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। अब उस गुलामी के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की दिल्ली मे सबसे बड़ी लाबी हो, दिल्ली में हमारा काफी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रभाव हो, हमारे राजस्थान का इतना प्रभावशाली नेतृत्व हो कि हम राजस्थान का हिस्सा किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकें तो मुझे उसकी भी कोई आशा नहीं है। गत वर्ष आप सब लोगों ने देखा होगा फाइनेन्स कमीशन का अवार्ड सन् 84-85 से लागू होना चाहिये था वह लागू नहीं किया गया। उसके कारण राजस्थान सरकार को 47 करोड़ का घाटा हुआ, वह इस वर्ष से लागू होगा और मेरा विश्वास है कि उस समय हमारी राजस्थान की सरकार, एम० पी० की सरकार और बाकी की जो सरकारें जिनको फाइनेन्स कमीशन से सहायता उस साल मिलनी चाहिये थी अगर वे थोड़ी प्रभावी ढंग से काम करती तो भारत सरकार को जो फाइनेन्स कमीशन ने रिकमन्डेशन्स की थीं, उस आधार पर हमें निश्चित रूप से सहायता मिलती और आज हम जिस स्थिति में पहुंच गये हैं, वह स्थिति नहीं रहती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हमने घाटे की स्थिति प्रस्तुत की है। मैं समझ नहीं पाता कि राजस्व घाटा किन प्रकार पूरा कर पायेंगे। आप योजना कमीशन से जो कुछ सहायता लेंगे, वह पूंजीगत विकास कार्यों में खर्च की जायेगी, तो क्या मैं यह समझ कर चलूं कि प्लानिंग कमीशन से जो हमें पैसा मिलने वाला है, उस पैसे से हम राजस्व खाते में जो घाटा रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सन् 1984-85 के बजट को यदि आप देखें तो वह भी हमने एक कीर्तिमान कायम किया। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां राजस्व खाते से पूंजी खाते में तो रकम ट्रान्सफर होती है लेकिन पूंजी खाते से रकम राजस्व के घाटे को कम करने के लिये ट्रान्सफर की जाय और यदि यह है तो यह पहला उदाहरण राजस्थान में होगा।

गत वर्ष का बजट भाषण यदि आप पढ़े तो उसमें आपको इस बात की जानकारी मिल जायेगी और मुझे भय लगता है, अध्यक्ष महोदय, कि इसी प्रकार की स्थिति अब है कि राजस्व घाटे की पूर्ति किन साधनों से पूरी होगी, ये साधन कहां से जुटाये जायेंगे। अब हिन्दुस्तान का एक ओवरहाल पिक्चर लेना चाहें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार यह समझ कर चले कि हम किसी न किसी प्रकार से टैक्स लगाकर इस घाटे की पूर्ति कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है। भारत सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है उसमें 311 करोड़ के नये टैक्सेज लगाये हैं। 15 परसैन्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा कर, एक्साईज ड्यूटी लगा कर उसकी कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल उससे मंहगा हो गया, डीजल उससे मंहगा हो गया, कुकिंग गैस उससे मंहगी हो गई, कैरोसिन आयल उससे मंहगा हो गया और अब उसका प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव से खाने पीने की चीजें धीरे धीरे मंहगी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपको जानकारी है कि रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए 495 करोड़ के अतिरिक्त साधन जुटाये गये जिसमें 10 परसैन्ट सप्लीमैन्टरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चार्जेज ग्रान गुड्स कर दिया ग्रौर साढ़े बारह प्रतिशत पैसेन्जर्स का किराया बढ़ा दिया। ग्रब उसके कारण माल का भाड़ा बढ़ा। जब टेन पर्सेन्ट बढ़ा है तो ग्राप यह मान कर चलिये कि जो रेलवे से माल ट्रान्सफर होता है उस पर निश्चित रूप से दस प्रतिशत कीमत बढ़ गई ग्रौर उस कीमत के ग्राधार पर जो स्टेट के टैक्सेज हैं वे बढ़ेंगे, लोकल बाडी के जो टैक्सेज हैं वे बढ़ेंगे, ग्रौर चीजों को बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचाने में मेरे हिसाब से, मैंने कुछ इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट से जानकारी की है, 18 पर्सेन्ट कीमतें स्वतः ही बढ़ जायेंगी। राजस्थान की सरकार ग्रब यह समझ कर चल कि 263 करोड़ का घाटा ग्रौर उसमें खास तौर से राजस्व घाटा टैक्स लगा कर पूरा कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है। यदि ग्रापने टैक्स बढ़ाने की चेष्टा की, ग्रौर मुझे ऐसा लगता है कि ग्राप टैक्स बढ़ायेंगे बिजली की दरों पर, मुझे ऐसा लगता है कि सैटलमेंट के रेट बढ़ाकर टैक्स बढ़ायेंगे, सेल्स टैक्स में तो सैचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच गये हैं, उसमें बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बढ़ायेंगे तो इर्रीगेशन चार्जेज पर टैक्स बढ़ाने वाले हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब यह सारा पड़ेगा किसान पर। रोडवेज का किराया बढ़ाने का तो नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। वह भी कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई ग्रौर इस बढ़ी हुई कीमत पर पैसेन्जर पर भार डाला जायेगा ग्रौर रोडवेज का किराया तो निश्चित है, बढ़ाया ही जायगा लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की सरकार को यह मौका मिला है। तीन महीने बाद ग्राप बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, कोई भी नया टैक्स लगाने से पहले ग्राप इस बात की पूरी छानबीन करें कि राजस्थान में कौन सा वर्ग ऐसा है, कौनसा क्षेत्र ऐसा है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम राजस्थान में सैचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच गये हैं जहां पर कि किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने के बाद प्रोडक्टिव नहीं होगा, वह नान-प्रोडक्टिव होगा ग्रौर ऐसी हालत हो जायेगी कि टैक्स की चोरी करने के ग्रलावा उस ग्रादमी के पास कोई रास्ता नहीं बनेगा ग्रपने पेट की रोटी का इन्तजाम करने की दृष्टि से। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न पर सोचें। ग्रब कोई यह कहे कि ग्राज 263 करोड़ का घाटा बजट में पेश किया गया है तो भारत सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है ग्रौर भारत सरकार ने भी 3349 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है ग्रौर वैसी स्थिति में राजस्थान सरकार को कुछ ज्यादा सहायता मिल जायेगी, यह मैं उम्मीद करके नहीं चलता।

ग्रध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय शुल्क में जो हमारा प्रतिशत है, जो हमारा हिस्सा है, उसको भी घटा दिया। पहले मिलता था 4.813 प्रतिशत, उसको घटाकर कर दिया 4.695 उसमें भी कमी ग्रा गई। इसलिये मेरा विश्वास नहीं बनता कि भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार से राजस्थान की सरकार को इतनी सहायता मिल जायगी कि पूंजीगत घाटे को पूरा कर लेंगे और राजस्व खाते में राजस्थान की सरकार उसको पूरा करने की कोशिश कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने राजस्व घाटे में कमी करने और राजस्व घाटा नहीं हो, राजस्व खाते में खर्च नहीं बढ़े, उस सम्बन्ध में सन् 1982-83 में एक बार जिस समय वित्त मन्त्री श्री चन्दन मल जी वैद थे इसी सदन को आश्वासन दिया था और आश्वासन के समय बजट भाषण के पेज नं० 11 में उन्होंने कुछ उपाय सुझाये थे। उन उपायों के लिये कहा था कि राजस्थान सरकार इनके ऊपर निश्चित रूप से कमाई करेगी। उसमें पहला उपाय है योजना खर्च को योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई राशि तक सीमित रखा जाय, गैर योजना खर्च को कड़ाई से कम किया जाय, अकाल राहत के कार्यों को उत्पादक कार्यों में बदला जाय तथा जहां तक सम्भव हो अन्न-उत्पादक कार्यों में संयम बरता जाय, वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जायगा, राजस्व कमाने वाले विभाग अपने निश्चित टार्गेट्स को पूरा करें और इसके लिये उनकी बराबर मानिटरिंग की जाय, विभाग अपने मंजूर शुदा खर्चों से ज्यादा खर्च करते हैं उनके अध्यक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जाय। राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बजट को सन्तुलित करें। अगले साल के बजट में कोई घाटा न छोड़ा जाय। यह बजट भाषण मेरा नहीं है यह राजस्थान की भूतपूर्व सरकार का है। सदन में यह आश्वासन दिया गया था लेकिन मैं आज मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सन् 82-83 के बजट में जो राज्य सरकार ने इस सदन में कमिटमेंट किया, इस सदन को विश्वास दिलाया घाटा पूरा करने की व्यवस्था के बारे में, इस सदन का विश्वास प्राप्त किया, मुख्य मंत्री जी आप स्वयं बतायेंगे कि इन कदमों में क्या राज्य सरकार ने एक भी ऐसा कोई कदम उठाया है जिससे राजस्व घाटा कम हो सके या राजस्व खाते पर कोई नियन्त्रण किया जा सके। ये हर राजस्व खाते में जो फिजूल खर्ची हो रही है, उसको रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय, बजट जिस समय आयेगा मैं उस समय बताऊंगा, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि राजस्व घाटा जो हुआ है, इसमें अधिकांश खर्च इस बात का है कि जिसका किसी भी प्रकार से सम्बन्ध उत्पादन से नहीं रहा है, राजस्थान के विकास से सम्बन्ध नहीं रहा है। आप हैं, मैं कहना नहीं चाहता वे आज यहां उपस्थित नहीं हैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर, वे आदी थे इन बातों की घोषणायें करने के और कई प्रकार की उन्होंने घोषणायें की हैं। मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद किसी मुख्य मंत्री ने थोथी घोषणायें करने का इतना अपना रेकार्ड कायम किया हो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसके लिए यदि कोई शील्ड दी जा सकती है, कोई पदक दिया जा सकता है तो शिव चरणजी माथुर उसके हकदार होंगे, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन उन घोषणाओं को इम्पलीमेंट करने की अगर सरकार योजना बना कर चलती तो प्रोडक्टिव कामों में पैसा खर्च होता लेकिन प्रोडक्टिव कामों में तो पैसा खर्च नहीं किया। चुनाव के वक्त, आज चिड़ावा से आने वाली माननीय सदस्या के एक प्रश्न का उत्तर देने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही थी, सरकार को उत्तर देने में बड़ी कठिनाई हो रही थी कि उस समय सरकार ने कितने स्कूल खोलने की घोषणायें की थीं, कितने माध्यमिक स्कूल बनाने की घोषणायें की थीं, कितने हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाने की घोषणायें की थीं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन डिटेल्स में तो जाना नहीं चाहता हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि चुनाव को दृष्टि में रखते हुए इतनी घोषणायें की गई हैं, उन घोषणाओं को बिना विचार किये, बिना कोई योजना बनाये, उन घोषणाओं को लागू किया गया, उसके कारण राजस्थान में अतिरिक्त खर्चा हुआ और इस घाटे का अधिकांश भाग इसी खर्चे का है। जो योजना के बिना खर्चा किया है, मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि बजट में घोषणायें की गई हैं गत वर्ष सन् 1983-84 के बजट भाषण में, उन घोषणाओं के अतिरिक्त चाहे स्कूल खोलने का प्रश्न हो, चाहे हैण्ड पम्प लगाने का प्रश्न हो, चाहे बिजली घर खोलने का प्रश्न हो और चाहे किसी को बाकी की सहायता देने का प्रश्न हो, बजट के बिना उन्होंने किस प्रकार खर्च किया ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं शायद मुझे तारीख याद नहीं है मुख्य मंत्री जी की वर्ष गांठ मनाई गई एक जश्न मनाया गया, उस जश्न का मेरे पास पूरा हिसाब है। खर्चा कितना हुआ वह मैं उनकी अनुपस्थिति में कहना नहीं चाहता लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जो घोषणायें की गयीं, उन घोषणाओं का मूल्यांकन किया जाय तो 117 करोड़ रुपये की घोषणायें की गयीं, जिन घोषणाओं का उत्पादन से, विकास से कोई सम्बन्ध नहीं था। लेकिन मुख्य मंत्री की जन्म गांठ मनायी जा रही है उस जन्म गांठ के लिए इतने स्कूल खुलेंगे, इतने दवाखाने खुलेंगे, इतनी सड़कें बनेंगी, इतने गांवों में बिजली पहुंचेगी, इतने गांवों में हैण्ड पम्प लगेंगे। 117 करोड़ रुपयों की घोषणायें की गयीं। यह उसी का परिणाम है कि उन घोषणाओं में कुछ लागू हुई, कुछ लागू नहीं हुई लेकिन खर्चा बुक कर दिया और उसके कारण से यह राजस्व घाटा है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, आपको पुन मौका मिला है मुख्य मंत्री बनने का, आपका अनुभव भी है, उसमें संदेह नहीं है और मैं यह भी कह सकता हूं कि आपको मुख्य मंत्री बनाने का क्रेडिट थोड़ा विपक्ष को भी जाता है। यदि यह विपक्ष इतना प्रभावी नहीं होता तो आप बैक बैंचेज पर ही बैठे रह जाते और कोई दूसरा आदमी यहां मुख्य मंत्री बनकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठता । यह क्रेडिट तो हमारा है कि 5 वर्ष में हम तीसरे मुख्य मंत्री को खा गये और जिसको पहले खा गये उसको आगे लाकर सामने बिठा दिया । इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपके उपर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी इस बात की आयी है कि आप उन पुरानी बातों को देखें और देखने के बाद जब तक मूल में चोट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि राजस्व खाते में एक पैसा भी फिजूलखर्ची की नहीं जाय, इस प्रकार के कामों को जो योजनाओं में नहीं हैं, जिनकी पहले से कोई योजना नहीं बनी, जिसकी कोई मंजूरी नहीं हुई, जिनको विधान सभा की कोई स्वीकृति नहीं, इस प्रकार के कामों के ऊपर खर्च करने में यदि आपने रुकावट डाली तो राजस्व खाता बढ़ता जायेगा और राजस्थान का विकास नहीं होगा ।

मुझे राजस्व खाते की इतनी चिन्ता नहीं है लेकिन गये साल जो परिपाटी बन गयी कि राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए पूंजीगत खाते में से रकम ले ली जाय, मुझे ऐसी चिन्ता है कि आप खर्चा तो बढ़ाते जायेंगे और विकास के काम में पैसा उस काम में ट्रान्सफर करते जायेंगे तो राजस्थान का किसी प्रकार से विकास नहीं होगा । इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में आप आगे चलें । मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब राजस्थान सरकार की आय बढ़े । जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि टैक्स के कारण से तो हम आय नहीं बढ़ा सके लेकिन आज जो कुछ व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ सख्ती करें तो उस व्यवस्था के आधार पर कुछ आय के साधन हमारे जुड़ सकते हैं । आज अभी भारद्वाज जी भी कह रहे थे, बाकी के सदस्य भी कह रहे थे, मैं स्वयं भी इस बात को जानता हूं कि गरीब के ऊपर यदि बिजली का बकाया है, तो गरीब का कनेक्शन काट दिया । गरीब के ऊपर राजस्व की बकाया है तो उसका सामान कुर्क कर दिया गया । गरीब के ऊपर यदि सहकारी समितियों की बकाया है तो खेत की नीलामी कर दी जाय । आज गरीब से पैसा लेने में तो सरकार बड़ी सक्रिय है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लगभग 44 करोड़ रुपये की बकाया है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में ही लगभग 33 करोड़ रुपये की बकाया है । आज जो लोग बकाया रख सकते हैं वह चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो, वह चाहे सेल टैक्स की हो चाहे बाकी के और विभागों की हो वह तो बकाया रखकर चलते रहें क्योंकि साधन सम्पन्न हैं । हाई कोर्ट से स्टे ले आयेंगे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आयेंगे । गरीब को स्टे न तो कोई देने वाला, न वह तहसील में जा सकता, न एस. डी. ओ. के पास जा सकता, न कलेक्टर के पास जा सकता । उसकी वसूली में जितनी सख्ती की जाय उतनी सख्ती की जा रही है लेकिन अमीर से पैसा वसूल करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में यह सरकार संकोच कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि यह टैक्सेज के अन्दर जो सारे लू पोल्स बने हुए हैं, इन लू पोल्स को निकालने की आवश्यकता है। उसके साथ ही इस व्यवस्था की आवश्यकता है कि एक बार किसी डिपार्टमेंट में चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद में कोई यदि क्लेम करता है. आज यदि काश्तकार क्लेम करता है कि तुम्हारे बिल में पैसा ज्यादा दे दिया तो उसके लिए तो आपने व्यवस्था कर दी कि पहले पूरा भुगतान करो और भुगतान करने के बाद में तुम्हारा कोई मामला है उस मामले को रखो। उस समय उसकी सुनवाई नहीं होती लेकिन बड़े लोगों का सब तरफ सुनवाई होती है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में एक कमीशन बनाया जाय और उस कमीशन में इस सदन के सदस्यों को लिया जाय जो राजस्थान के सारे टैक्स स्ट्रक्चर की जांच करे और जांच करने के बाद में राज्य सरकार को इस बात के सुझाव दें कि टैक्स स्ट्रक्चर के कानून में, इस सारे ट्रक्चर में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय। जिन लू पोल्स का कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से लाभ नहीं उठा सके। कोर्ट से भी उ को संरक्षण नहीं मिल सके। जब तक हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, हमारे ोर्स इन्कम बढ़ जाय, वह इन्कम बढ़ने की कोई स्थिति नहीं होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा मेरा खुद का भी अनुभव है और मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी का भी अनुभव है हमने राजस्थान में कुछ सफेद हाथी बना रखे हैं। वह सारे देश में ही हैं। वह राजनैतिक मजबूरियों के कारण से बने हैं। राज्यों के हित में नहीं हैं ये जितने कार्पोरेशन्स बने हुए हैं, बोर्ड्स बने हुए हैं, कम्पनीज बनी हुई हैं। यदि ईमानदारी से आप इनका अध्ययन करें तो जिस परपज के लिए कार्पोरेशन बनाया गया, जिस परपज के लिए बोर्ड का गठन किया, जिस परपज के लिए कम्पनीज बनायी गयीं, वह परपज तो बिल्कुल डिफीट हो गया। एक पर्सेन्ट भी उद्देश्य पूरा नहीं होता लेकिन वह सफेद हाथी के रूप में खड़ा है। आपको यदि पोलिटिकल एडजस्टमेन्ट करना है, कुछ असन्तुष्टों को चेयरमैन बनाकर उनको संतुष्ट करना है, यह आपकी व्यवस्था की बात है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह कार्पोरेशन घाटे में तो नहीं चले, उस घाटे की पूर्ति राज्य सरकार को तो नहीं करनी पड़े। वह कार्पोरेशन, कम्पनीज और बोर्ड ये जो घाटे में चल रहे हैं, मैं आज यह कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर राजस्थान की सरकार ईमानदारी से इस बात की जांच करायें तो जांच कराने के बाद उनको पता लगेगा कि इनमें से अधिकांश कार्पोरेशन, बोर्डस और कम्पनीज ये सब डिजोल्व करने के योग्य हैं। यदि आप इनको डिजोल्व कर देंगे तो राजस्थान में काफी धन की बचत होगी और बचत ही नहीं होगी उस धन का विकास के कामों में उपयोग किया जायेगा। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कार्पोरेशन्स और इन सब को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जांच करने के लिए आप यदि सरकारी स्तर के ऊपर कुछ बनाते हैं, आपकी मर्जी की बात है लेकिन आपके पोलिटिकल कम्पैल से उसको मीट करने के लिए यदि पोलीटिकल लेवल पर नहीं तो इस विधान सभा की एक समिति बना दें, जो इन कार्पोरेशन्स, बोर्ड्स और कम्पनीज के बारे में सारी व्यवस्था को देखे और व्यवस्था को देखने के बाद में बतायें कि कौन से कार्पोरेशन ने अपने उद्देश्य की किस सीमा तक पूर्ति की है। जिसने पूर्ति नहीं की, क्या पूर्ति करने के उसमें अब आसार हैं और नहीं हैं तो उस बोर्ड और कार्पोरेशन को डिजोल्व करें। इससे आपको बहुत बड़ी बचत हो सकती है। उस बचत का उपयोग हम राजस्थान में विकास के कार्यों में कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या एक बहुत बड़ी है, मेरा अनुभव इस कमेटी के चेयरमैन के नाते है। मैं एक बात डिस्कलोज करना चाहूंगा और मैं समझता हूं वह ऐसा डिस्कलोजर नहीं है, मैंने कई बार कार्पोरेशन्स के आफिसर से पूछा कि आपके यहां वित्तीय नियम लागू क्यों नहीं होते, आपकी कोई परचेज के सम्बन्ध में, टैण्डर इन्वाइट करने के सम्बन्ध में या और किसी के सम्बन्ध में आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते। जो जवाब मुझे मिला तो मैं हैरान हो गया। यदि नियम ही बनाने होते और नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम बनाना होता तो गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट ही क्या खराब थे। हम तो नियमों से स्वतन्त्र होकर काम करना चाहते हैं और इसीलिए कार्पोरेशन बनाया, जिसके ऊपर किसी प्रकार के नियम और व्यवस्था लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के 30 वर्ष के बाद भी आज हम कुछ चीजों को आडिटर और कन्ट्रोलर जनरल के तहत नहीं ला सके। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं यह बैंक्स में जो करोड़ों रुपये की गड़बड़ हो रही है, सहकारी बैंक में उनका आडिट कौन करता है, उन बैंक्स का आडिट कहां होता है ? यदि आप जायें रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज के आफिस में तो एक कमरा भरा है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें बैंक की आडिट रिपोर्टस पड़ी हैं और दीमक खा रही है, उनकी आडिट रिपोर्ट को। कोई कम्पलायंस नहीं होती। एक असिस्टेन्ट रजिस्टार बैंक का एम डी. बनकर जायेगा और वही एम. डी. बनने के बाद सैन्ट्रल आफिस में आयेगा और आकर उसको कमरे में बन्द कर चला जायेगा। कोई आडिट नहीं हुआ। करोड़ों रुपया बैंक का राजस्थान सरकार देती है, भारत सरकार देती है लेकिन उसका कोई आडिट नहीं होता। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी कि बैंक को आप आडिटर जनरल और कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल, इनके परव्यू में लाकर उनकी जांच करायें। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि लोकल बाडीज के लिए चीफ अकाउन्ट्स आफिसर बना रखे हैं। चीफ अकाउन्टस् आफिसर या आडिटर वह सारे अकाउन्ट्स का आडिट करते हैं। आप चले जाइये एक

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

दिन दफ्तर, आप कहते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सचिवालय में लोग बैठे हैं, इससे एफीसिएन्सी बढ़ेगी, अच्छा है, इससे एफीसिएन्सी बढ़ेगी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत या पंचायत समितियों की आडिट रिपोर्ट आज आप लोकल फण्ड आडिटर के यहां दफ्तर में चले जायें और दफ्तर में जाकर उस कमरे को देखें कि जितने स्कूलों की, पंचायतों की और पंचायत समितियों की आडिट की है उनकी आडिट रिपोर्ट्स की कहां तक कम्पलायंस हुई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 20-20 वर्ष के आडिट आब्जेक्शन्स हैं आज तक उनकी कम्पलायंस नहीं हुई। आडिट सिस्टम ऐसा बना हुआ रहे तो बैंक में गड़बड़ होगी, उस घाटे की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। पंचायत में जो घाटा होगा उस घाटे की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। स्कूलों में अनाप शनाप खर्च होगा, लोकल बोडी में जो अनाप शनाप खर्चा होगा उसके घाटे की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान को केवल आडिटर जनरल से इस बात की रिक्वेस्ट करनी कि यह सारा आडिटर जनरल के परव्यू में आ जाय। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब उनके परव्यू में आएगा तो राजस्थान विधान सभा की पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के परव्यू में आएगा और पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के परव्यू में आएगा तो उनकी रेस्पोंसिबिलिटी इस सदन के प्रति भी होगी। सदन भी उनको क्वश्चन कर सकता है। सदन भी इस सम्बन्ध में जानकारी कर सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अब प्रश्न आएगा राजस्थान के हालात क्या हैं? राजस्थान में कल अकाल की स्थिति पर चर्चा हुई। मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 141 करोड़ रुपयों की मांग की है इन गांव के लिए। 141 करोड़ रुपये आपने भारत सरकार से मांगे हैं। भारत सरकार ने आपको दस करोड़ रुपया दिया है। पांच करोड़ रुपया इस वर्ष के लिए और पांच करोड़ रुपया अगले वाले वर्ष के लिए। दस करोड़ रुपया आपको दिया है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, बताता हूं कि राजस्थान के प्लानिंग की स्थिति क्या है। राजस्थान का प्लान मंजूर हुआ था 2050 करोड़ रुपयों का, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान। अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान 2050 करोड़ का मंजूर किया था लेकिन उसमें से अग्रिम सहायता योजना को शामिल किया जाकर वह 2050 करोड़ नहीं, 2100 करोड़ का उसमें खर्चा होगा। यह राजस्थान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज तक राजस्थान के प्लान में यह एडवांस प्लान असिस्टेंस है इसको एडजस्ट नहीं किया गया और यदि इस एडजस्टमेंट को बाकी निकाल दें तो 2100 करोड़ के राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना का सारा पैसा यह 1800

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपयों का है। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्य सरकारों की योजनायें हैं। अन्य राज्य सरकारों की योजनायें बढ़ी हैं लेकिन राजस्थान की योजना 2050 करोड़ से घटकर 1800 करोड़ रुपये की हो गई और राजस्थान सरकार शाबाशी लेकर यह कहे कि अग्रिम सहायता योजना मिलाकर हम 2100 करोड़ रुपये तक पहुंच गए। यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूं, यह मैंने ईस सन्दर्भ में इसलिए कहा कि फिर अग्रिम सहायता योजना इसी राज्य को दे रहे हैं और यदि आप यह राशि लगातार बढ़ाते रहे और इसका जब तक यह फैसला नहीं कराया कि अनप्रिसिडेंटेड सिचुएशन है, ईस सिचुएशन को मीट करने के लिए भारत सरकार हमें पैसा दे। भारत सरकार को आठवें वित्त आयोग ने जिस प्रकार की सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों के आधार पर हमको कुछ सहायता मिले और वह सहायता निश्चित रूप से पहले के मुकाबले ज्यादा होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं इस खतरे की ओर आपकी संकेत करना चाहता हूं कि यह एडवांस प्लान आसिस्टेंस, यदि प्लान के पैसे में से कटौती होती रही और यदि उसमें इसका एजस्टमेंट होता रहा तो राजस्थान में तो अकाल पड़ेगा, राजस्थान में विकास का भी अकाल पड़ जाएगा। इसलिए इसकी व्यवस्था मुख्य मन्त्री जी आपको करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आप भी ट्रेजरी बैंचेज में बैठे थे, मैंने पिछले सदन में यह कहा था कि राजस्थान सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष सन् 84-85, इसकी योजना 417 करोड़ रुपयों की इस सदन से स्वीकृत हुई। प्लानिंग कमीशन ने भी 417 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, हमने बजट में भी उसी के अनुरूप प्रावधान रखा। लेकिन सही स्थिति क्या रही। सही स्थिति यह रही कि जिस समय यह 1984-85 का बजट पेश किया गया उस समय वह योजना 417 करोड़ रुपयों से घट कर 387 करोड़ रुपये रह गई। और मैंने उस समय मुख्य मन्त्री के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव किया और प्रिविलेज मोशन मूव करके मांग की कि 417 करोड़ के प्लान को माननीय वित्त मन्त्री जी ने 430 करोड़ रुपयों का बताया है, बजट भाषण में 430 करोड़ का बताया वास्तव में था 417 करोड़ का और अनुमानित खर्चा था 387 करोड़ का। अध्यक्ष महोदय, फाइनल फिगर्स आ गई। खर्चा हुआ है कुल 363 करोड़ का। कहां 417 करोड़ रुपयों की वास्तविक योजना और वह घटते-घटते 363 करोड़ रुपयों की रह जाय इससे ज्यादा राजस्थान सरकार के लिए कोई शर्मनाक चीज हो ही नहीं सकती। आप मुझे कोई अन्य राज्य बता दें, हिन्दुस्तान में कोई अन्य राज्य बता दो जिस राज्य की योजना में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। जिस राज्य की वार्षिक योजना में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। यह राजस्थान ही दुर्भाग्यशाली राज्य है जिसकी पंचवर्षीय योजना में घटत होगी, जिसकी वार्षिक योजना में घटत होगी। विकास किस आधार पर होगा जब योजना का आकार ही घटता जा रहा है। जब योजना के लिए साधन ही हमको नहीं मिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं। योजना भारत सरकार कम करती जा रही है और किस आधार पर कम कर रही है? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, गुजरात हरियाणा और और पंजाब ये तीनों साधन सम्पन्न राज्य हैं लेकिन मैंने इन तीनों साधन सम्पन्न राज्यों की योजना भी देखी। जितने राजस्थान सरकार को अपने रिर्सोसिज जुटाने थे उतने रिर्सोसिज हमने उस मात्रा में नहीं जुटाये। सवा सौ करोड़ रुपया हमने कम जुटाया लेकिन हमने साधन जुटाए, उस अनुपात से भारत सरकार ने हमको सहायता नहीं दी। भारत सरकार का योजना कमीशन बार-बार यह कहता रहा कि जो आपने वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो। हमने 562 करोड़ रुपयों के नए साधन जुटा दिए, केवल सवा सौ करोड रुपयों के साधन और जुटाने थे, वह सवा सौ करोड रुपयों के साधन नहीं जुटाए उससे पांच सौ करोड रुपयों की बजट प्लान में कमी कर दी और पांच सौ करोड की पंचवर्षीय योजना में जबरदस्त कमी कर दी। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार कम से कम योजना कमीशन से इस बात की गारण्टी तो ले कि हमने जितने साधन जुटाये इन साधनों के अनुपात में हमको भारत सरकार से जितनी सहायता मिलनी चाहिए वह निश्चित रूप से हमको सहायता मिले लेकिन वह सहायता नहीं मिली। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी, जैसा माननीय सदस्यों ने कइयों ने कहा कि राजस्थान के विकास के मामले में आप और हम चाहे अलग-अलग बैठें लेकिन जहां राजस्थान के विकास का प्रश्न आता है, आपमें हममें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि योजना कमीशन पर दबाव डालने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए राजस्थान के हित में यदि आप कोई भी कदम उठायें विपक्ष आपसे अलग नहीं रहेगा। विपक्ष आपके साथ रहेगा। लेकिन केवल इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि सदन में आपने हमारा सहयोग मांगा है। सदन में आपने कहा कि रचनात्मक आधार पर विपक्ष का सहयोग लेना चाहता हूँ। मैं आपसे जानकारी करना चाहूँगा, आप योजना कमीशन के सामने जा रहे हैं, योजना कमीशन से आप राजस्थान की योजना के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे तो आपने विधान सभा को कोंफीडेंस में क्यों नहीं लिया। आप यह कहेंगे कि मेरे पास सात दिन थे और मैं यह कहूँगा कि सात दिन में यदि कोई सबसे इम्पोर्टेन्ट मुद्दा था तो वह योजना का प्रश्न था। उस योजना का प्रारूप आप सदन में रखते, इस सदन के माननीय सदस्य उस योजना को देखते, उस योजना में सुझाव देते, उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट होता। राजस्थान की बैकवर्ड स्थिति क्या है हम उसका दिग्दर्शन कराते। भारत सरकार से निवेदन करते कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा धनराशि दी जावे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इस सदन में प्रस्तुत क्यों नहीं किया? आप यह चाहेंगे कि विपक्ष के नेता चुप बैठ जावें, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता कोई सुझाव दे सकते हैं या नहीं लेकिन विपक्ष के नेताओं से ज्यादा प्रभावी यह सदन है। इस सदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के सामने यदि प्रारूप रखा जाता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि राजस्थान के विकास की बात से भारत सरकार को भी चिन्ता करनी पड़ती और भारत सरकार भी हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा देती। इस प्रकार की स्थिति बनती लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की योजना का प्रारूप यहां पर नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ता जा रहा। कारण साफ है। कारण यह है कि हम राजस्थान में इण्डिस्ट्रियल क्लाइमेट नहीं बना सके। जो इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट बनी थी उसको हमने खतम कर दिया। आज राजस्थान में कोई उद्योग लगाने के लिए अपने मन से उत्साहित होकर राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए नहीं आता। सबसे बड़ा संकट है पावर। आज मैं कहना नहीं चाहता, उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूँ, राजस्थान का इतिहास याद रखेगा कि इस राजस्थान को सबसे बड़ा दण्ड, यदि राजस्थान के साथ किसी ने घोर अन्याय किया है तो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री शिवचरण जी माथुर ने किया है जिन्होंने 31 दिसम्बर सन् 1981 को समझौता करके राजस्थान का पानी पंजाब को दिया है और 10 मई, 84 को समझौता करके राजस्थान की बिजली पंजाब को दे दी। मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जो इतिहास का एक ऐसा सच है, आज राजस्थान के बारे में आप भी विचार कर लें, मुख्य मन्त्री जी भी विचार कर ले, मन्त्री जी विचार कर लें, राजस्थान में बिजली आएगी कहां से ? कौन सा स्रोत बचा है ? आज माननीय सदस्य कह रहे थे, पलाना और कपूरडी में कोयला खानों की बात कर रहे थे कि वहां से हम बिजली का उत्पादन कर लेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मुख्य मन्त्री जी से और सदन के माननीय सदस्यों से कि पलाना के अन्दर पैसा खर्च करने के लिए और कपूरडी माइन्स में कोयला पड़ा है उससे बिजली उत्पन्न करने लिए जितना खर्चा होगा क्या राजस्थान सरकार अपने कैपिटल अकाउण्ट में से या राजस्व खाते में से निकाल सकती है ? राजस्थान की सरकार यह नहीं निकाल सकती और हम भारत सरकार पर निर्भर रहेंगे। आप मानकर चलिए कि पलाना का मामला आज का नहीं है बल्कि पिछले 30 वर्षों से चलता आ रहा है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह मंजूरी दे। मैं कहता हूँ कि पंजाब ने कौनसी रोपड़ थर्मल की मंजूरी ली थी, पंजाब ने आनन्दपुर साहिब की कहां मंजूरी ली, मुकेरिया की कहां मंजूरी ली ? मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने कौनसी भारत सरकार से मंजूरी ली। उनके पास पैसा था उन्होंने प्लाण्ट खड़ा कर दिया और बिजली पैदा करने लगे। यदि राजस्थान सरकार के पास पैसा होता तो पलाना का साधन बिजली उत्पन्न करने का हो सकता था। भारत सरकार की योजना के भरोसे पड़े रहे, मंजूरी के भरोसे पड़े रहे तो भारत सरकार मंजूरी देने वाला नहीं है क्योंकि भारत सरकार की भी नियत खराब हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्ष से विवाद चल रहा है और विवाद इस बात का चल रहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है कि पावर के दो मामले हैं। एक मामला है जनरेशन का और एक मामला है डिस्ट्रिब्यूशन का। भारत सरकार की नियत है कि जनरेशन का मामला भारत सरकार के हाथ में आ जाय और डिस्ट्रिब्यूशन का मामला केवल राज्य सरकारों के हाथ में रहे। इसलिए सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी को को कानूनन ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायें इस बात की भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है और यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना इनके पावर सेक्टर का जो भी अलोकेशन है उसका हिसाब लगायें तो पता लगेगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना तक पावर सेक्टर का जो डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है उसमें सैन्ट्रल पोजेक्ट्स के लिए कम मिली है और स्टेट सेक्टर के अन्दर ज्यादा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इसके आधार पर सेन्ट्रल सेक्टर में ज्यादा का प्रावधान रखा गया और स्टेट सेक्टर में कम रखा गया। आज हालत ऐसी हो गई है कि हम कोई छोटी मोटी परियोजना भारत सरकार की बिना सहायता के ले नहीं सकते और इस पर बहाने बनाते रहते हैं कि हमको टेक्नीकल परमीशन नहीं मिली, प्लानिंग कमीशन से परमीशन नहीं मिली। आज मैं आपको कहता हूँ कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है स्टेट की आँटानोमी पर एन्क्रोचमेंट करने की, पूरे जनरेशन को अपने हाथ में लेने की और डिस्ट्रिब्यूशन का काम केवल स्टेट को कर दें तो टैक्स लगाते जायं और बिजली का बंटवारा करते जायें। मैं इस आधार पर पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि भू. पू. मुख्य मन्त्री जी ने समझौता किया और समझौता किया आनन्दपुर साहिब से रोपड़ थर्मल प्लाण्ट को दिये पानी देने के सम्बन्ध में। उस पानी देने के सम्बन्ध में जो समझौता किया, उसमें क्या बातें हैं? उसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि राजस्थान रोपड़ थर्मल प्लाण्ट को नागल हाइडल से पानी नहीं देना है। वह कहती है कि पानी कामन है, हम इसको पानी नहीं देंगे और पानी नहीं देंगे तो राज्य सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही और विधान के पुराने सदस्य इस बात को जानते हैं कि कि मुख्य मन्त्री जी ने यहां बड़े जोर शोर से कहा था और उस समय के सिचाई मन्त्री मदेरणा साहब ने बड़े जोर से कहा था कि हम सूचना जुटा रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी इस बात की कर रहे हैं भारत सरकार ने कोई दबाव डाला तो हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटायेंगे। अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा शायद मैं समझता हूं उनको तो भगवान ने देखने का मौका नहीं दिया, वह तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बहुत दूर चले गये लेकिन अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जिस व्यवस्था के आधार पर हम यह कह सकें कि 10 मई, 1984 को हुए समझौते में किस सीमा तक हमने आगे कार्यवाही की है। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला तय नहीं हो,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, आपको जो जानकारी है उसमें यह लिखा हुआ था कि पंजाब कूलिंग सिस्टम चेंज करने की व्यवस्था करेगा। मेरी जानकारी के अनुसार आज तक पंजाब ने कूलिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया ।

श्री केदारनाथ : अपनी चैनल बना ली उन्होंने ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, उस समझौते की मुख्य बात है इसलिए बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रावधान है :

With a view to reducing the off-take of cooling water from the NHC. Punjab will consider the Installation of a closed cycle cooling arrangement with cooling Towers for Stage-I, and will Undertake installation of cooling Towers for cooling water supply for Stage-II.

मैं जानना चाहूंगा कि क्या पंजाब ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की। आप कह रहे हैं कि पंजाब ने चैनल बना ली इंडिपेंडेंट, वह बनाई थी आनन्दपुर साहब की। मैं कह रहा हूं रोपड प्लाण्ट के कूलिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए जिससे पानी बच जाय। वह पानी दे रहे हैं कामन पूल से और जिस समय कूलिंग सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, पानी का खर्चा कम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे भी बताना चाहता हूं, आगे लिखा है-

Punjab will further take expeditious steps to complete restoration of BML to its designed capacity of 12,500 cusecs not later than 31st May, 1985.

मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब का इंटरेस्ट नहीं, बी एम एल में सिल्ट आई और सिल्ट आई तो 12,500 क्यूसेक्स केपेसिटी है उसके अनुसार पानी नहीं आता। तो उसका घाटा हरियाणा को भी उठाना पड़ता है और उसका घाटा राजस्थान को भी उठाना पड़ता है। वह एरिया आता है पंजाब में। हमने कई बार कोशिश की कि उस सिल्ट को रिमूव किया जाय। पंजाब उस सिल्ट को रिमूव करने के लिए तैयार नहीं होता। अब वह पानी लेने के लोभ में एग्रीमेंट कर आया लेकिन आज मेरी जानकारी के अनुसार कह सकता हूं कि उस समझौते की शर्तों के अनुसार बी एम एल के रेस्टोरेशन के पाइण्ट आफ व्यू से पंजाब ने एक पैसा खर्च नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी, इसमें लिखा है-

The shares of Rajasthan and Haryana of the funds required for the restoration work of BML will be placed at the disposal of Punjab by the respective State Governments as needed from time to time.

(110).

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं जानकारी करना चाहता हू कि आपने कितने पैसे दिए और कितनी उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की । फिर एस्टीमेट्स का है–

Estimates for the restoration of the capacity of BML have been furnished by Punjab to Haryana, Rajasthan, BBMB and CWC. These estimates will be finalised by the CWC within a period of two months;

क्या एस्टीमेट्स फाइनल हुए, क्या एस्टीमेट्स हमारे पास आ गये । भाखरा मैनेज ट बोर्ड ने एस्टीमेट्स को फाइनल कर दिया । मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार मौन है और इसका फायदा पंजाब उठा रहा है । पंजाब को कोई चिन्ता नहीं है रेस्टोरेशन की पंजाब को कोई चिन्ता नहीं है कूलिंग सिस्टम को चेंज करने की । पंजाब हमारा पानी ले रहा है राजस्थान के खेत सूखे पड़े रहें पंजाब को इसकी चिन्ता नहीं । राजस्थान के किसान त्राहि त्राहि करते रहें, पंजाब को चिन्ता नहीं । चिन्ता होगी राजस्थान को लेकिन राजस्थान इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहा । अध्यक्ष महोदय आगे लिखा है इसमें -

On restoration of BML to its designed capacity or May, 1985,

या तो मई 85 में यह इसकी डिजाइन कैपेसिटी 12500 क्यू0 नहीं बन जाय,

....whichever is earlier, any drawal of cooling water as determined by the BBMB from NHC by Punjab will be out of Punjab's share in BML.

मतलब एक वर्ष तक हमारे हिस्से का पानी ले लेकिन एक मई के बाद बी एम एल रेस्टोर हो या नहीं, कूलिंग सिस्टम को चेंज करे चाहे न करे वह पंजाब के हिस्से से होगा । आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के हिस्से और राजस्थान के हिस्से को डिटरमिन करेगा बी बी एम बी और बी बी एम बी ने तय कर दिया, पानी पंजाब लेता रहे । बी बी एम बी ने कई प्रस्ताव राजस्थान सरकार को दिये, इन्वाइट किया लेकिन पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पैरवी नहीं करता, न इरिगेशन बोर्ड पैरवी करता है । वह समझता है कि राजस्थान के लोग यों ही बोलते रहें । राजस्थान का मुख्य मन्त्री इनफेक्टिव है, राजस्थान के मन्त्रिमण्डल का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है, पानी दें या न दें कोई इस बात की चिन्ता नहीं । चिन्ता इस बात की है कि पानी लेते जाओ, हमने तो रोपड के लिए पानी ले लिया और आनन्दपुर साहिब के लिए गोविन्दशाह डेम से हमने चैनल बना कर हमारे हिस्से का पानी ले लिया । अब मैं आखिर में इस सम्बन्ध में कहता हूं, बहुत इंपार्टेंट पाइन्ट, अध्यक्ष महोदय, आप भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शामिल थे इसलिए आपको ज्यादा जानकारी होगी । मैं कहना चाहूंगा, समझौता क्या किया था ? इस समझौते में यह किया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट को रैफर किया जाय, सुप्रीम कोर्ट यदि इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दे तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को जज अपाइन्ट करने के लिए कहे और यह बात नहीं हो तो भारत सरकार अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कर देगी यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए. आज्ञा हो तो, पढ़ कर सुना दूं कि राजस्थान का कैसा मसला है–

In case no opinion on the above terms of reference is forthcoming from the Supreme Court and no reference of the dispute is made by the Supreme Court to a Judge of that Court as mentioned in (ii) above, it is hereby further agreed that the Government of India shall refer the matter to a Judge of the Supreme Court to be nominated by it The award of the Judge shall be binding on all the signatory States.

In the light of clauses (i). (ii) and (iii) above the signatory States concur to the link-up of Anandpur Sahib Hydel Channel with the Nangal Reservoir to enable commissioning of the Anandpur Sahib Hydel project expeditiously.

श्री हरिदेव जोशी : यह किस ईयर का है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 मई, 1984 । आनन्दपुर साहब को पानी दिया, रोपड थर्मल प्लांट के लिए पानी दिया । जिन शर्तों पर पानी दिया उन शर्तों की एक पर्सेन्ट भी पालना नहीं करायी, न ही राजस्थान की सरकार ने चिन्ता की । मुख्य मन्त्री जी को अपने पद की सुरक्षा के लिए पहले पानी का बलिदान करना पड़ा और दूसरी बार बिजली का बलिदान करके आ गये । मुख्य मन्त्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय, इस सदन के कई आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, मुझे आशंका थी कि यह सरकार कमजोर पड़ेगी । इस सरकार के पांव राजस्थान तक बड़े मजबूत हैं । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सीमा पार करते ही, दिल्ली में घुसते हैं तो पांव घूमने लगते हैं, केन्द्रीय नेताओं के पास पहुंचते ही जुबान भी लड़खड़ा जाती है, पैर भी लड़खड़ाते हैं । ऐसी हालत है, मुझे उस समय भी सन्देह था इसलिये मैं चाहता था कि सदन एक प्रस्ताव पारित करे जिससे सरकार के हाथ मजबूत हो जायें, हाथ बन्ध जायें । वे राजस्थान के हितों को बेच नहीं सकें । उस समय उस मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि कोई चिन्ता की बात नहीं है, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, राजस्थान के हितों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं छोड़ूंगा। दो दिन में उनको वहां धमकी पड़ी और उस धमकी का नतीजा यह हुआ कि राजस्थान को बेचकर खा गये। अध्यक्ष महोदय, आज तबाही किसकी हो रही है। हम अपना कोई प्लांट लगायें। मुझे इस बात की खुशी है जैसा आज अखबारों में पढ़ा है कि एटोमिक प्रोजेक्ट के दो यूनिट यहां और लगेंगे, कब लगेंगे, इसकी कब मन्जूरी होगी, मैं आज कह नहीं सकता। मैं यह घोषणा पहले भी कई बार अखबारों में पढ़ चुका हूं, इस प्रकार मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। निर्णय करने के बारे में मैं आपको एक खतरा और बता दूं, उस खतरे से आप सावधान होकर चलें। ये दो यूनिट जो लग रहे हैं, दो यूनिट नये लगेंगे और 400 मेगावाट शायद दोनों मिला कर 450 मेगावाट के यूनिट लगेंगे। आप इस खतरे से बच कर चलिये कि दो यूनिट लगाने के साथ साथ जो दो पुराने यूनिट हैं उसमें पैदा होने वाली बिजली और नये प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली बिजली ये सेन्ट्रल सेक्टर में जाने वाली है नेशनल ग्रिड के नाम से इस बिजली को ले लिया जायेगा। इससे आप बचें। आज दोनों यूनिट्स के ऊपर राजस्थान का कब्जा है। कहीं ये शर्त स्वीकार करके नहीं आ जायें कि दोनों यूनिट कोटा में लग जायें और ये जो सारी पावर जनरेट होगी वह नेशनल ग्रिड के अन्दर जायेगी। यदि नेशनल ग्रिड में चला गया तो भरोसा रख कर चलें कि हमको ज्यादा बिजली मिलने वाली नहीं है। इसी समझौते में आपने यह तय किया था कि जब तक सुप्रिम कोर्ट का फैसला नहीं होगा उस समय तक नेशनल ग्रिड से राजस्थान की बिजली की कमी को पूरा किया जायेगा। मैं आपसे पर्टीक्यूलर जानकारी करना चाहूंगा कि यह समझौता तो हुआ, फिर सुप्रिम कोर्ट को रेफरेंस क्यों नहीं हुआ। इसी गत सन् 1984 के समझौते में लिखा हुआ था कि जब तक यह समझौता नहीं होगा हरियाणा और राजस्थान की बिजली की पूर्ति नेशनल ग्रिड से अतिरिक्त रूप में की जायेगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी अतिरिक्त बिजली आपको सिंगरोली से मिली, कितनी अतिरिक्त बिजली आपको और सैन्ट्रल प्रोजेक्ट से मिली, कितनी अतिरिक्त बिजली भारत सरकार ने आपको सहायता के रूप में दी? सहायता के रूप में कुछ नहीं मिली। हालात ऐसे हो गये, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश सर्दी के दिनों में आज तक मैंने सुना नहीं कि कड़ाके की सर्दी में किसानों को रात में बिजली दें। भारद्वाज जी यहां बैठे हैं, जमुवारामगढ़ तहसील में सात आदमी सर्दी से मर गये इससे ज्यादा किसानों की और क्या तबाही होगी। सात आदमी जमुवारामगढ़ तहसील में मरे सर्दी से ठिठुर कर। रात को जो बिजली मिली उस बिजली के कारण से सिंचाई के वक्त ठिठुर, ठिठुर कर, निमोनिया हो गया, क्या हो गया, सारे के सारे मर गये। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम किसानों को बिजली नहीं दें, किसानों पर दया नहीं करें। किसानों से हम पैसा लेते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं और पैसा लेने के बाद में बिजली नहीं दें रात को बिजली दे, कड़ाके की सर्दी में उनको बिजली दें चाहे किसान भले ही बीमार हो जाय। इस स्थिति से आप निपटना चाहते हैं। आज राजस्थान में दूसरी तरह की स्थिति है इसमें आप सोचिये ? विश्वकर्मा चले जाइये, सीकर में चले जाइये, जहां-जहां भी आपके उद्योग हैं उनके ऊपर ताला लगा हुआ है और शिवचरण जी माथुर की मोहर लगी हुई है ताकि वे ताला नहीं खोल सकें। मजदूर बेकार हो रहे हैं, राजस्थान का उद्योग घट रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तालाबन्दी का जमाना है। आज के 7-8 दिन पहले मैं कलकत्ता गया था और कलकत्ता में कुछ लोगों से मिला। आप सब ताज्जुब करेंगे कि कलकत्ता के एक उद्योगपति जो राजस्थान में उद्योग लगाने की मन में लालसा रखते हैं, वे कहने लगे कि राजस्थान की बिजली की स्थिति ऐसी खराब है कि हम तो जो उद्योग लगे हुए हैं उनके प्लांट निकाल कर धीरे-धीरे कलकत्ता, गुजरात और बम्बई ले जा रहे हैं। आज राजस्थान में औद्योगीकरण की बात हो रही है, किसानों के सामने परेशानी हो रही है। अगर राजस्थान के मुख्य मन्त्री विकास चाहते हैं तो सबसे पहले जोर आपको देना पड़ेगा बिजली पर। बिजली के साधन आपको जुटाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ भारत सरकार ने जो हमारी बिजली के ऊपर एनक्रोचमेंट किया हैं, इस प्रकार के एग्रीमेंट से, उनको कम्पेन्सेट किस प्रकार से किया जाय, उस आधार पर हमको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि यह व्यवस्था नहीं हुई तो राजस्थान का कोई विकास नहीं होगा। चाहे हम कितना ही पैसा बढ़ा कर बता दें, चाहे कितना ही खर्चा कर दें।

मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस प्लान के प्रारूप में सबसे पहले किस चीज को प्राथमिकता देनी है ? सबसे पहली प्राथमिकता इस पावर सेक्टर को देनी है, इस पावर सेक्टर के लिए आपको व्यवस्था करके चलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चल रहा है थोड़ा उसके ऊपर निवेदन करना चाहूंगा। बजट से मैं सीधा हट रहा हूं और डिमाण्ड्स पर आ रहा हूं। डिमाण्ड्स के रूप में कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में संवैधानिक स्थिति की कोई चिन्ता नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब शिवचरण जी माथुर को यहां से हटाया गया तो हीरालाल जी देवपुरा किस आधार पर राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने। वे पार्टी में डिप्टी लीडर नहीं थे, वे कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, माफ करना मैं हीरालाल जी देवपुरा का जिक्र कर रहा हूं, आपका नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं कोई पक्ष में नहीं जाना चाहता कि परसराम जी सीनियर थे या चंदन मल जी सीनियर थे। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ परम्परायें हैं, उन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

परम्पराओं को किसने तोड़ा ? कांग्रेस में सीनियर मोस्ट आदमी या तो परसराम जी थे, जैसे हाउस में वे बिहैव करते थे, मुख्य मन्त्री जी की कुर्सी के पास बैठते थे, मुख्य मन्त्री जी की अनुपस्थिति में सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। और लोगों में इस बात की चर्चा थी कि मुख्य मन्त्री के बाद ये नम्बर दो पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि शिवचरण माथुर के त्याग-पत्र देने के बाद मेरे पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है— राष्ट्रपति शासन लागू, दूसरा विकल्प मेरे पास यह है कि शिवचरण माथुर को ही जब तक विधान सभा के चुनाव नहीं हो जायें, काम चलाने के लिए कहूं। तीसरा विकल्प मेरे पास यह है कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट आदमी को मैं शासन दूं।

अध्यक्ष महोदय, आज तक जितनी व्यवस्था थी, कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, कोई राज हमारे हाथ में आने वाला नहीं। लेकिन परम्परा इस बात की बनी हुई है कि कांग्रेस लेजिसलेचर पार्टी की मीटिंग हो और उस मीटिंग में चुनाव होते और चुनाव में जो नेता चुना जाय उसको मुख्य मन्त्री का पद दिया जाय। लेकिन दुर्भाग्य से राज्यपाल महोदय ने देखा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को जिस प्रकार से प्रधान मन्त्री बनाया, उसका उदाहरण सामने रख कर हीरालाल जी को मुख्य मन्त्री बना दिया जाय। लेकिन उन्होंने औपचारिकता पूरी की, सेन्ट्रल पार्टी के एक्जिक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, वह चाहे बैक डेट में हुई हो परन्तु हुई, उस औपचारिकता को पूरा किया। यहां तो इस औपचारिकता को भी पूरा नहीं किया गया और मुख्य मन्त्री बना दिया। आज यह चर्चा का विषय है। राज्यपाल महोदय यदि कान्स्टीट्यूशन का वायोलेशन करें तो हम विधान सभा में जाये या विधान सभा के बाहर। आज कान्स्टीट्यूशन में उनको अधिकार हैं किसी भी आदमी को नियुक्त करने का लेकिन उस अधिकार के लिए कुछ परम्परायें बनी हुई हैं, कुछ कन्वेन्शन हैं। कन्वेंशन को तोड़ने के लिए राज्यपाल ने उनको अधिकार दिया और अधिकार देकर हीरालाल जी देवपुरा को मुख्य मन्त्री बना दिया। मुझे व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सिस्टम जो चुनने का हुआ वह बहुत ही आपत्तिजनक रहा। इसका मतलब यह हैं कि जिस समय राज्यपाल महोदय चाहें किसी को भी अपोइन्ट करके मुख्य मन्त्री के पद पर बैठा दें, यह नहीं हो सकता। बरकत साहब की डेथ हुई और आपको याद होगा मुख्य मन्त्री जी आप चुनाव में जीते, बाकायदा चुनाव हुआ चुनाव होने तक आप टेम्प्रेरी मुख्य मन्त्री थे लेकिन चुनाव होने के बाद आपको मुख्य मन्त्री नियुक्त किया गया। मेरा खुद का चुनाव हुआ, उसके बाद पहाड़िया जी का जिस तरह की कांग्रेस पार्टी में सिस्टम है कि दिल्ली से आदेश होता हैं, चुनाव यहां हो जाता है, वह किसी भी आधार पर चुनाव हुआ हो लेकिन चुनाव की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

औपचारिकतायें पूरी की गयीं। शिवचरण जी माथुर के चुनाव में औपचारिकतायें पूरी की गयीं तो फिर यह देवपुरा जी के मामले में क्या कठिनाई आ गयी थी।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में विपक्ष के नेता को किसी पार्टी के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इन माननीय सदस्य का आदर करते हुए एक ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी यहां पर नये हैं और मैं भी यहां पर नया हूं....

श्री अध्यक्ष : आप तो नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिए तो नहीं हूं, पर उनके लिए तो हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य पहले खड़ा हो तो अपना परिचय दे दें कि इस क्षेत्र से जीतकर आया हूं यह मेरा नाम है, ताकि उनको सम्बोधित करने में कोई कष्ट नहीं हो।

श्री शिवराम शर्मा : आप नहीं थे, जब परिचय हुआ था।

श्री अध्यक्ष : देसूरी से आये हैं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, न नाम का पता न क्षेत्र का पता है किस से सम्बोधित करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कान्स्टीट्यूशन के वायलेशन की परम्परा राजस्थान में शुरू हुयी। आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान में ग्यारह मंत्रियों को टिकट नहीं दिया और तीन ऐसे थे जिन पर राजीव गांधी ने तो जरूर कृपा की लेकिन जनता ने बख्शा नहीं। एक तो राजस्थान कैनाल को खा गये थे वह कैनाल उनको खा गयी। एक के हाथ में हैंड पम्प ऐसे चिपके गये कि हाथ पर निशान के लिए जगह नहीं रही। बाकी के ग्यारह मंत्री राजीव गांधी से लेकर सारे लोगों ने इस बात को कहा, जिनकी छवि ठीक नहीं थी हमने उन लोगों को टिकट नहीं दिया है। अब यह अन-डिस्प्यूटेड है कि उनकी छवि खराब थी। आप लोग कहते थे कि अब कांग्रेस में भ्रष्टाचार खत्म होगा जिनकी छवि खराब थी उनको टिकट नहीं दिया।....

श्री सी. पी. जोशी : क्लीन शेव थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लीन शेव का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन चुनाव में जिनके बारे में आप लोग बराबर इस प्रकार की बात कर रहे थे, चाहिए तो यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था कि शिवचरण माथुर को कि उसी समय जब ग्यारह मंत्रियों को, उनके साथियों को टिकट नहीं मिला छवि खराब होने के कारण कम से कम उनको नैतिकता के नाते उसी समय त्याग पत्र देना चाहिए था। उस समय त्याग-पत्र नहीं दिया। इस बात के लिए राजीव गांधी की प्रशंसा करूंगा कि दूसरा मौका मिलते ही, दूसरे मौके का लाभ उठाकर जिनकी छवि खराब थी मंत्रिमण्डल की, उसके नेता को हटा दिया। शिवचरणजी यह कहते फिरें कि मेरी अन्तर आत्मा का प्रश्न पैदा हो गया था उनकी अन्तरआत्मा तो आप सब जानते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब उनके मंत्रिमण्डल के ग्यारह साथियों को करप्शन के चार्जेज होने के कारण टिकट नहीं मिला तो उस समय उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। मैं उद्धरण देना चाहूंगा एक अखबार का, मैं ही नही कह रहा हूं यह श्रीरामजीगोटेवाला राज्य मंत्री ने कहा मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, टिकट का तो सवाल हीं क्या ? वह जयसिंह जी से बड़े हैं, मैंने बहुत अच्छे काम किये हैं। वे वह कहते हैं, मैंने मजाक में माथुर साहब से निवेदन किया था कि आपके 22 में से 11 मंत्रियों को भ्रष्ट मानने के कारण हटाया गया है तो हम नैतिकता के नाते त्याग-पत्र दे रहे हैं। मतलब जिन पर भ्रष्टाचार का चार्ज था वह तो नैतिकता दिखा रहे हैं। अब वे कहते हैं आपको भी तो देना चाहिए तो हंसने लगे। अब मैं कहना चाहूंगा कि नैतिकता का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि जिन 11 मंत्रियों को हटाया गया उनके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने राजीव गांधी को ज्ञापन दिया जिनमें भ्रष्टाचार के भी चार्जेज को रखा है ? क्या आपको जानकारी नहीं है कि पांच वर्षों में जो इस प्रकार के विरोध पक्ष और कांग्रेस पक्ष के लोगों द्वारा आरोप लगाये उन पर विधान सभा की प्रोसिडिंग्स खरीदकर उनकी फोटोस्टेट कराकर, टाइप कराकर वह सारी दिल्ली में भेजी गयी और उन चार्जेज के कारण उनको टिकट नहीं मिला। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से जानकारी करना चाहूंगा कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या टिकट नहीं देना ही उसके लिए सजा होगी। अध्यक्ष महोदय, क्या सबसे बड़ी सजा यही है कि उनको टिकट नहीं दिया गया। कानून-कानून की जगह है, उस कानून से कोई बच नहीं सकता है। कोई बच नहीं सकता है ? सजा आप स्वयं दे सकते हैं। वही श्रीरामगोटेवाला एक इन्टरव्यू में कहते हैं मैं तो इतना कह सकता हूं कि एक आदमी 20 लाख रुपये लेकर मेरे घर पर इसी कमरे में आया था, काम यह था कि गंगवाल पार्क का अधिग्रहण वापस ले लूं। आज मैं उस व्यक्ति का नाम बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्यों ? वे पवित्र लोग हैं, भ्रष्ट हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे मंत्री हों जिनके पास 20 लाख रुपये रिश्वत के देने आ जाये और वह मंत्री रिपोर्ट नहीं करें, क्या यह कानून में है ? यह कानून में है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो रुपया देता है वह भी पाप करता है, यह श्रीराम गोटेवाला खुद कह रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे 20 लाख रुपये देने के लिये आफर किया है, मैं उस आदमी का नाम जानता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी आपका इसी मामले में टेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसमें केस रजिस्टर करें, चाहे, श्री राम गोटेवाला फंसता हो तो उनको फंसाये, चाहे दूसरा फंसता है तो उसको फंसाइये।

अध्यक्ष महोदय, अब हम को ये अपने जवाब में कह सकते हैं कि मंत्री के खिलाफ आरोप है तो आप लोकायुक्त के पास जाइये लोकायुक्त का आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लोकायुक्त के मसले पर दो वर्ष तक उनका पद खाली पड़ा रहा। मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी। दो बार चिट्ठी लिखी कि आप लोकायुक्त नियुक्त करें लेकिन एम. एल. जोशी के रिटायर होने के बाद और अध्यक्ष महोदय, वह रिटायर हुए थे वह भी आपको जानकारी दे दूं 6.8.1982 को रिटायर हुए थे और 6.8.1982 से लेकर जनवरी 1985 तक वह जगह खाली पड़ी रही। मैंने गवर्नर को को दो बार चिट्ठी लिखी। सदन का मैं समय नहीं लेना चाहता हूं ये दोनों चिट्ठियां मेरे पास हैं। गवर्नर महोदय कहने लगे कि मैंने राज्य सरकार को लिख दिया है Governor acts on the advice on the ministers. इण्डीपेंडटली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। शिवचरणजी माथुर ने उस समय किसी की नियुक्ति नहीं की। आखिर 28 अक्टूबर, 1984 को लेटर लिखा मुख्य मंत्री ने और वह लेटर भी मुझे इसलिये भेजा कि लोकायुक्त के कानून में एक प्रावधान है कि लोकायुक्त किस प्रकार से नियुक्ति किया जाय। उसमें लिखा है, धारा 3 परन्तुक (क) में कि लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दलों के नेता से, या यदि ऐसा कोई नेता न हो तो उस सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से जो विधान सभा अध्यक्ष निर्धारित करें निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जाय। यह एक मैंनडेटरी प्रोविजन है कि किसी को नियुक्त करे तो उसमें विरोधी दल के नेता और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कन्सलटेशन किया जाय। अब मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि शिवचरण माथुर ने चिट्ठी भेजी, उसके सम्बन्ध में मैं दो वर्ष तक कोशिश करता रहा, दो वर्ष तक राजस्थान सरकार ने सुनवाई नहीं की, गवर्नर ने सुनवाई नहीं की, मुख्य मंत्री ने सुनवाई नहीं की लेकिन मुख्य मन्त्री को अहसास हुआ कि जा रहे हैं, मेरे साथी इसलिये किसी अपने आदमी को लोकायुक्त कर देवो तो मैं उनको बचा सकता हूं। इसलिये उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, वह चिट्ठी भी इम्पोर्टेंट है और मेरा जवाब भी महत्वपूर्ण है। वह सदन के रिकार्ड पर रहे इसलिये मैं दोनों पढ़ना चाहूंगा —

(118)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Dear Shri Shekhwat,

In Rajasthan, we donot have a permanent Lokayukta. At present the President of India, at the request of the State Government and upon nomination by the Hon'ble Chife Justice of Rajasthan High Court, had been pleased to request Mr. Justice K. S. Sidhu, sitting Judge of the Rajasthan High Court, to discharge the functions of Lokayukta in addition to his own duties. The Government of India have, however, requested for making permanent arrangements as early as possible so that the sitting Judge is not burdened with additional duties and the disposal of work at the High Court does not suffer. Therefore State Government proposes to appoint permanent Lokayukt as envisaged in section 3 of the Rajasthan Lokayukta and Uplokayukta Act. I propose the name of Mr. Justice M. L. Shrimali, at present Chief Justice of Sikkim High Court, to be appointed as Lokayukta for Rajasthan.

I would be grateful if I can have your response to proposal."

मैं ने उसी दिन चिट्ठी लिख दी, अध्यक्ष महोदय, और चिट्ठी में मैंने लिखा :—

"प्रिय श्री माथुर साहब,

राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में आपका पत्र प्राप्त हुआ।

आपने इस पत्र के लिये जिस नाम का प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इस पद के लिये जिस योग्यता, निष्ठा एवं निष्पक्षता की आवश्यकता है उसका श्रीमाली में अभाव है। इस संबध में मेरे पास कुछ ठोस तथ्य हैं जिनकी उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। राजस्थान में ऐसे अन्य भी कई व्यक्ति हैं जिनमें यह सब गुण विद्यमान हैं और जिनका नियुक्ति पद की गरिमा बढ़ायेगी इस संस्था से आम जनता को राहत मिलेगी। इस विषय में मैं आपसे वातचीत करना चाहूंगा और सब बातें जिनके आधार पर श्री श्रीमाली की नियुक्ति उचित प्रतीत नहीं होती मुझे वह आपकी जानकारी में लाना हैं। आपको जब भी समय मिले कृपया मुझे सूचित करने का कष्ट करें ताकि आपको सब तथ्यों की जानकारी दे सकूं।"

अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत देंगे और इसमें आप कोई अड़चन पैदा न करें तो मैं जस्टिस श्रीमाली के ऐसे तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, प्रमाणित तथ्य ...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिये तो आपसे इजाजत मांग रहा हूं। तथ्य रख सकता हूं कि इस पद पर नियुक्ति करने की बात तो क्या किसी प्रकार की सेवा में भी नहीं रखा जा सकता। उस आदमी को आपने लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। आज हम किस के पास जायं ? अध्यक्ष महोदय, किसको जाकर शिकायत करें, किसके पास, मंत्री के आचरण के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रस्तुत करें। मैं चाहूंगा राजस्थान की सरकार से कि इन सारी नियुक्तियों के मसले को ले और नियुक्ति अवैध है। एक ऐसे आदमी की नियुक्ति की गयी है जिनका आचरण इस पद पर काम करने के लायक नहीं है और यदि ऐसे व्यक्तियों को आपने राजनैतिक आधार पर भर दिया तो भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। यदि भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो राजस्थान के राजस्व खाते में घाटा तो होता रहेगा। कोई उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी लेकिन रोटी उसको....

श्री हरिदेव जोशी : अपने को इस बजट से अब जोड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया था मैं बजट से हटकर अब डिमांड पर आ रहा हूं, शायद उस समय ध्यान नहीं दिया। मैं इसलिये कह रहा हूं और, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने पास तो मन्त्रियों के खिलाफ शिकायत करने को साधन सिवाय इस लोकायुक्त के कुछ नहीं है और यदि उस पद पर इस प्रकार की नियुक्ति हो गयी तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलेगा। भ्रष्टाचार नहीं घटेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुख्य मन्त्री जी को ये सब कागज देना था और, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया तो आज नहीं तो सदन की बैठक होगी, तब ये सारे प्रमाणित तथ्य मैं रखना चाहूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, उस हाईकोर्ट की रूलिंग दी। एक जज की नियुक्ति को लेकर हाइकोर्ट में मामला गया और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प की है, माना है कि कंसलटेशन का मतलब ये नहीं है।

Consultation should be objective and effective. अब इसमें कहां आब्जेक्ट पूरा हुआ, कहां कंसल्टेशन इफेक्टिव हुआ। न इफेक्टिव था न आब्जेक्ट है और ये जजमेंट दिया आप देखना चाहेंगे तो जजमेंट की कापी मैं मुख्य मन्त्री जी को दे दूंगा। हाइकोर्ट का जजमेंट है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि कंसल्ट करने का मतलब केवल एक औपचारिकता नहीं है। यह आब्जेक्टिव व्यवस्था है कंसल्टेशन में आदमी के गुण और अवगुण सब के ऊपर ध्यान देना चाहिये था। चर्चा करनी पड़ेगी, विचार विमर्श करना पड़ेगा। इन सब चीजों को बांधकर उन्होंने रख दिया। मैं ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हूं जो मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्व खाते में जितनी भी फिजूलखर्ची हो रही है, मुख्य मन्त्री आप हंसे नहीं, अगली बार का जब बजट आयेगा तब आपको पता लगेगा कि आप पर इस प्रकार चीजों का कितना प्रभाव होता है। अभी तो आप नये हैं। नये को ज्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिये। हम मौका देना चाहते हैं। आपको ये पता नहीं है कि जब ये मुख्य मन्त्री बने तो मैं जेल में चला गया। मैं जेल से वापस आया और मुख्य मन्त्री बना तो ये मुख्य मन्त्री पद से हट गये। अब मुझे डर लगता है ये मुख्य मन्त्री बने हैं कहीं संकटकालीन स्थिति न आ जाय। संकटकालीन स्थिति के प्रतीक हैं मुख्य मन्त्री जी कई बार तो डर लगता और इसलिये कई बार सदस्यों को कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में ज्यादा गड़बड़ हुई तो उन्नीसा, 19 महीने का वही जेल और वही जेलखाना यह हो सकता है। इसलिये मैं कहता हूं, एक अच्छा हुआ, इस राजस्थान में मैंने तीन-चार राज देखे, पहाड़िया जी का राज देखा उसके लिये कह सकते हैं कि वह सत्ताविहीन व्यवस्था थी। मार्क्सवादी सदस्य श्री शोपत सिह जी राजी होंगे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में यही है कि राज्यविहीन व्यवस्था होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ..

श्री शोपत सिह : कभी आपकी भी व्यवस्था रही है कहीं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमारी कहीं व्यवस्था है या नहीं है वह आपने देखा है और आपने भुगता भी है ...

एक माननीय सदस्य : उस व्यवस्था का बेनिफिट नहीं मिला है इनको ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं हार गया था। मैं निवेदन यह कर रहा था कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी की यदि आयडोलोजी है तो वह सत्ता विहीन राज्य की है और इसलिये अगर आप नहीं चाहते हों तो मैं कह नहीं सकता लेकिन सत्ता विहीन राज्य की कल्पना आप तो जन्म भर पूरी नहीं कर सकेंगे और पहाड़िया जी ने पूरी कर दी। एक साल तक राजस्थान में सत्ता विहीन राज्य रहा और, अध्यक्ष महोदय, दूसरा राज आया शिवचरण जी का। यह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार, अन्याय, अनाचार अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज्य रहा है। इसराज्य में जनता के साथ ...

व्यवस्था का प्रश्न

बिना पूर्व अनुमति के आरोप

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत एक बात आप से निवेदन करना चाहूंगा कि....

"Procedure regarding allegation against a person....No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the members has given previous

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय ने कई भूतपूर्व मंत्रियों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बी. डी. कल्ला : न्यायाधीश के बारे में मान हानिकारक शब्द कह करके इस तरीके से कहना चाहा कि...

श्री अध्यक्ष : कृपया...

श्री बी. डी. कल्ला : आपको इसके बारे में सिद्ध करना चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भंवरा राम (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री भैरोंसिंह जी शेखावत से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार या जो भी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं ।

श्री भंवरा राम : पहाड़िया जी या जो भी किसी उनके बारे में कह रहे हैं मैं पूछता हूं कि जनता पार्टी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं । आप बोल देना । माननीय सदस्य, आप बैठें । आपका मौका आयेगा तब आप बोल देना । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज...

श्री विहारी लाल पारीक (माण्डल) : जितना कह रहे हैं उतना हम सुन रहे हैं बराबर । मौका ही नहीं देते हैं किसी बात का । आप हमारी बात को सुनना नहीं चाहते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री भंवरा राम : मिनिस्टर ने क्या किया वह हमारे नेता ने या किसी वक्ता ने अपने वक्तव्य में उसका उल्लेख किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायं । ऑर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : जो भी विरोधी दल के हैं उनको वे नेता लोग समझायें कि वे बीच में बाधा न पहुंचायें । कल ये मुख्य मन्त्री महोदय हमें शिक्षा दे रहे थे और ये खुद अपनी पार्टी के सदस्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप भी बाधा पहुँचा रहे हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री बिहारी लाल पारीक : हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और यह निश्चित बात है कि विरोधी पक्ष के नेता बोलें हम सब्र करते हैं पर हम जब बोलते हैं तब माननीय सदस्य एक भी बात नहीं कहने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था नहीं दी लेकिन ऐसी व्यवस्था जरूर कर दें कि चीफ व्हिप की ट्रेनिंग कमेटी जो बन रही है या कांफ्रेंस हो रही है उसमें ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम से कम इस बात की जानकारी हो जाय

श्री बी. डी. कल्ला : मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। आप किसी के बारे में भी मान हानिकारक शब्द कहें तो आप लिखित में सूचना दें। आपने न्यायाधीश के बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम नहीं लिया था किसी का।

श्री बी. डी. कल्ला : जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में आरोप लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य सचेतक के बारे में आप व्यवस्था कर लेंगे इस आश्वासन पर मैं आगे बढ़ता हूं....

श्री अध्यक्ष : कृपया जारी रखें।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1985 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि वह जिस प्रकार का राज्य था उस राज्य के बारे में इस बजट में नहीं लेकिन जिस समय बजट पेश किया जायेगा विधान सभा की कार्यवाही लम्बे समय तक चलेगी उस समय जो भी मैंने कहा है, वह तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा कि कितना राजस्थान में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, तीसरा राज आया आपका, बुरा मत मानें अब आपके लिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप ऐसे पद पर विराजमान हैं कि अब आपकी मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खुशामद करनी चाहिये। आपको मैं राजी रखूं इसकी भी मुझे आवश्यकता है। इसलिये इस चेप्टर को मैं यहीं बन्द करके अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रोफेसर केदार।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष, एक मिनट ....

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रोफेसर केदार को पुकारा है।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सदस्य जिस समय मुख्य मंत्री थे उस समय अखबारों में पढ़ा था कि भ्रष्टाचार आज से समाप्त है....

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका दूंगा ..

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : पहला प्रश्न है। उस दिन से माननीय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : भ्रष्टाचार नहीं। दूसरा एक और जहां तक मुझे याद पड़ता है माननीय सदस्य ने ये कहा था कि राजीव जी ने उनके भ्रष्ट होने को वजह से टिकट नहीं दिये जहां तक मुझे याद है, राजीव जी का स्टेटमेंट पढ़ा है अखबारों में हमने, उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि भ्रष्ट होने की वजह से नहीं दिये हैं वल्कि उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि जिनको टिकट नहीं मिले वे यह नहीं मानें कि उनकी छवि खराब है या वे भ्रष्ट हैं। कई तरह की उनकी विचारधारा हो सकती है। इसलिए इन दो चीजों को मैं साफ कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें जवाब की क्या बात है। कृपया बैठ जायं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सालों में बिजली और और पानी के बारे में जो इन्टर-स्टेट एग्रीमेंट हुए हैं, मुझे विश्वास है कि नये माननीय मुख्य मन्त्री जी राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को देखते हुए उन पर फ्रेश-लुक करेंगे। बिजली के बारे से विरोधी पक्ष के नेता ने सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए रैफर करने की जो बात कही, जो समझौता हुआ 11 मई, 1984 को उसका हवाला दिया। पंजाब के साथ जो पानी समझौता हुआ, हरियाणा और पंजाब के साथ, उसका आपने हवाला तो दिया मैं उसमें पेज नम्बर दो पर पढ़ना चाहता हूं। यह समझौता हुआ 31 दिसम्बर, 1981 को। आपकी मार्फत मैं माननीय मन्त्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं थी उस समझौते की। झगड़ा

([redacted])

(श्रीकेदारनाथ)

हरियाणा और पंजाब का था। जब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1966 का, उस वक्त दोनों स्टेट्स की असेट्स का आपस में डिवीजन हुआ। 60 पर्सेन्ट पंजाब को दिया गया, असेट् का हिस्सा। 40 पर्सेन्ट हरियाणा को दिया गया आबादी के लिहाज से। इसी ढंग से पानी का भी बंटवारा किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कोई सवाल नहीं था। 1955 में जो इन्टर-स्टेट एग्रीमेंट किया गया रावी-व्यास के पानी के बारे में, उसमें हमारा शेयर हो गया 8 मिलियन एकड़ फीट। 52 पर्सेन्ट। हमें कोई पार्टी बनने की जरूरत नहीं थी मगर सेन्टर के इन्टरवेन्शन से, उनके प्रभाव से बेमतलब पार्टी बनाया गया, और पंजाब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। मैं एक लफ्ज़ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह हमारे स्टेट के लिए बड़ा खतरनाक है, हमारे भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। पेज नम्बर दो पर :

"Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the water surplus to Rajasthan's requirements As Rajasthan will soon be able to utilise its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its own land upto the time Rajasthan is in a position to utilise its full share." उनको पूरी छूट दे दी। कोई मियाद नहीं कि कब पंजाब वहां पानी रेस्टोर कर देगा। कोई मियाद नहीं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, जब आप जाओ सेन्टर के पास, सेन्टर में जब आप जाओ चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, या अपने लेवल पर, मुझे विश्वास है कि जो एग्रीमेंट किया गया है उसको फ्रैश लुक लेकर के राजस्थान के इन्ट्रेस्ट में मोल्ड करोगे। मैं यह नहीं कहता कि इसको रिवोक किया जाय या फिर इसको रिवाइज किया जाय या फिर अमेण्ड किया जाय, कि पानी हमें वापस कैसे मिले, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे विश्वास है, माननीय अध्यक्ष जी, कि पोलिटिकल विल आप इस्तेमाल करोगे। फाइनल जो हमारा बजट सैशन आने वाला है तीन महीने-दो महीने के बाद, उस वक्त तक सरकारिया कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा। बहुत बड़ा अहम् मसला है इस देश के सामने इन्टर-स्टेट, सेन्टर-स्टेट रिलेशंस के बारे में। मैं नहीं कह सकता कि आज तक स्टेट गवर्नमेन्ट ने अपनी राय दे दी हो, या मांगी हो मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे विश्वास है, माननीय अध्यक्षजी, कि हमारे नये मुख्य मन्त्री जी स्टेट की ऑटोनामी, स्टेट की इन्डिवीजुअलिटी पर ध्यान देंगे। इन पांच-सात साल में स्टेट की ऑटोनॉमी में जो इनरोड्स हुए हैं, कॉन्स्टीट्यूशन के बाहर जाकर काफी दखल दिया है। मैं एक मिसाल दे दूं आपके सामने कि राजस्थान में अकाल पड़ा तो बिना सेन्टर की टीम के, उसकी रिपोर्ट के बिना हम अपने आप को रिलीफ नहीं कर सकते, सेन्टर गवर्नमेंट एलोकेशन नहीं कर सकती।

(श्री [illegible])

(श्रीकेदारनाथ)

यह स्टेट आॅटोनॉमी की हालत है। हमें कोई अधिकार नहीं है अपनी स्टेट के बारे में, सही असेसमैण्ट के बाद कितना खर्चा चाहिये हमें, सेन्टर उस पर डिपेण्ड नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता बिना अपने आॅफिशियल की बात के। और आॅफिशियल भी किस कैटेगिरी के ? डिप्टी सैक्रेटरी। यह हमारे चीफ सैक्रेटरी से बात करें, चीफ मिनिस्टर से बात करें। बात उनकी प्रिवेल करेगी हमारी बात प्रिवेल नहीं करेगी। यह स्टेट आटोनॉमी की हालत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं आज जो एड्थ फाइनेंस कमीशन का एवार्ड है-पेज 264 उन्होंने हमारी स्टेट इकॉनामी की हालत पेश की है। मार्च, 1984 तक हमारे ऊपर एग्रिग्रेट आउटस्टेण्डिंग डैट है 2680 करोड़ रुपए, और जो डैट रिलीफ दिया है, एड्थ फाइनेंस कमीशन ने 1985 से 89 में, वह केवल 239 करोड़ का है। बाकी का री-पेमेन्ट करना है मुझे विश्वास है, माननीय अध्यक्ष जी, कि हमारे नये मुख्य मन्त्री जी, डेजर्ट के नाम से पैसा आपको आया राइट-आॅफ हो गया, राजस्थान कैनाल के नाम से जो आया, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से जो पैसा आया उसे लॉग टर्म लोन में आप कन्वर्ट कराइये या राइट आॅफ करवाइये। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि आज सारे देश में यह मांग चल रही है। डेजर्ट में, वेदर की इनक्लेमैंसी की वजह से जो नुकसान हो, ड्राट पड़ जाय, कैलेमिटी फण्ड पैदा किये जायं और सेन्टर को उसकी मार्फत यह री-पेमेन्ट हो। मैं आपकी मार्फत यह सुझाव पेश करना चाहता हूं; यह सारा टोटल एग्रिग्रेट जो कर्जा है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम इसको फैलायें, इसका सारा कैलकुलेशन करें तो हमारी स्टेट की जो डॉमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी हमारी तीन साल की एवरेज बनती है 77 पर्सेन्ट। 77 पर्सेन्ट बनती है। आज हम हमारे सारे हालात को देखते हुए इतना बड़ा कर्जा री-पेमेन्ट नहीं कर पायेंगे विथ इन्ट्रेस्ट।

यह बात कहते हुए एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज सारी जो पिक्चर हमारे सामने है उस पिक्चर को देखते हुए आयंदा हमारे स्टेट की जो हालत होने वाली है। इतना बड़ा घाटे का सेन्टर का बजट हमारे सामने पेश है, आयन्दा कीमतें बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन सारे हालात को देखते हुए, स्टेट इकानॉमी, मैं समझता हूं, आॅन दी वर्ज आॅफ बैंकरप्सी है, दिवालियेपन की स्थिति है। ऐसी हालत में आप आयंदा क्या करने जा रहे हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, सोर्सेज का मोबिलाइजेशन कैसे होगा यह मैं आप पर छोड़ता हूं। चूंकि एप्रोप्रिएशन बिल की बड़ी लिमिट डिबेट होती है इसलिए ज्यादा न कहते हुए अन्त में यह शब्द कहना चाहता हूं। जब आप एप्रोच या ड्राफ्ट पेश करो सैवन्थ फाइव ईयर प्लान का मुझे इस बात का विश्वास है कि सारे हालात को देखते हुए कोई नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं आज तक के, उनका हम अगर

([redacted]

[redacted]

इस्तेमाल करेंगे, टैप करेंगे, हमारे एरियर्स पड़े हैं, बिजली के पानी के और सैल्स टैक्स के, इनको सही हम टैप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टेट की ऑटोनॉमी सही रास्ते पर आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : मैं नहीं बोल चुका।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोले।

श्री शोपत सिंह : नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल पर और घाटे के बजट पर अपनी बात कहूं उस से पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आखिरकार इस इतने बड़े घाटे और राजस्थान के इन हालात में जबकि सारा राजस्थान करीब-करीब भयंकर अकाल के जबड़ों में ग्रस्त है हम अपने घाटे को पूरा किस तरह से करेंगे और उन करोड़ों-करोड़ों मुसीबतसुदा लोगों को मुसीबत से छुटकारा कैसे दिलायेंगे, यह दो आज मुख्य सवाल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट के स्रोत तीन तरह के हैं। एक तो, उस राज्य की कितनी पैदावार है, उस से हमको अपनी आमदनी के स्रोत मिलते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की मिसाल हमारे सामने है। वहां सारी धरती, फसल से भरी हुई होती है। वह उसको आमदनी देता है। नम्बर दो। उस राज्य का प्रशासन कैसा है, कितना ईमानदार है, उसमें कितनी बचत है, कितनी उसमें सादगी है। यह दो बातें। तीसरी बात, अगर हम देखें तो हमारे प्रशासन में कितनी चुस्ती है और कितनी बचत की जा रही है, हमारा प्रशासन कितनी बचत करता है और फिजूल खर्ची कितनी करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक अपील करना चाहूंगा। राजस्थान के लोगों की सेहत इस तरह की नहीं है कि उन पर, जो अकाल के जबड़े में कसे हुए हैं, आप किसी तरह का टैक्स लगाकर आमदनी करें। वह सोर्स तो टैक्स लगाकर कर नहीं सकते और भारत सरकार ने कोई गुंजायश नहीं छोड़ी है आपके लिए, सिवाय इस बात के कि हम अपने सोर्सेज से अपने राज्य की आमदनी को बढ़ायें, पैदावार को बढ़ायें जिससे हमको आमदनी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, जैसा कि मैंने उदयपुर डिवीज़न में देखा है पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला इलाका है और उस पथरीले इलाके में शानदार लोग रहते हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग रहते हैं। सवाल इस बात का पैदा होता है कि इनको स्थायी अकाल के दौरान में इमदाद पर जिन्दा रखते रहें या इनके लिये इनकी आमदनी का, इनकी पैदावार का कोई साधन मुहैया करायें जिससे वे लोग अपने पैरों पर खड़े हों और हमारी स्टेटको रेवेन्यू मिले। यह सवाल है, अध्यक्ष महोदय। जमीन वहां पर काश्त करने के

(श्री शोपत सिंह)

लिये नहीं है। वहां पर मैंने इलाके में देखा है सिवाय वांसवाड़ा के माही डेम के थोड़े से क्षेत्र को छोड़कर डूंगरपुर और उदयपुर का बहुत सा इलाका, चाहे नगर कितना भी सुन्दर हो, झीलों की नगरी हो मगर खेती के लिये जमीन अवेलेविल नहीं है। तो ऐसी-सूरत के अन्दर हमको क्या करना पड़ेगा। वहां के करोड़ों-लाखों लोगों का किसी तरह से जीवन स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर गम्भीरता से विचार करने के लिये मेरे सुझाव मुख्य मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर एनीकट्स बनने चाहिये। ज्यादा बनने चाहिए एनीकट्स बनने से दो फायदे होंगे, 2 फुट ऊंचे एनीकट्स बनने चाहिये। उस क्षेत्र के अन्दर करीब करीब अच्छी वर्षा होती है। इससे हमारे दो काम हो सकते हैं—वहां पर फिशरीज डवलप की जाय जो कि इस इलाके के लिये अच्छी खुराक और अच्छा साधन हो सकता है। एनीकट्स के साथ में फिशरीज को डवलप करें और एनीकट्स बनावेंगे तो पास-पड़ौस की जो भी थोड़ी बहुत जमीन है उसके कुओं में पानी ऊपर आवेगा। इससे इर्रीगेशन का भी फायदा होगा, जो जमीन अवेलेविल है और थोड़ा बहुत उन घाटियों में हम फिशरीज को बहुत अच्छा डवलप कर सकते हैं। जो आदिवासी लोगों का शौक भी है। मेरे ख्याल से धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो शायद कहीं पंडितों की नगरी में हम यह बात नहीं कहें, कहीं और दूसरी नगरी में दूसरे लोगों में यह बात नहीं कहें जो मांसाहारी नहीं हैं मगर यह तो उनका बहुत बड़ा शौक है। मेरे ख्याल से उस आदिवासी क्षेत्र के अन्दर फिशरीज और पशुओं की नस्ल वहां की गायें, अध्यक्ष महोदय, मैंने देखी हैं डेढ़ पाव की छोटी-छोटी जो बकरियों से भी कम दूध देती हैं और खर्चा बकरियों से चार गुना ज्यादा होता है। ऐसी सूरत के अन्दर हम वहां पर जो भी अच्छी नस्ल की गायें, भेड़ें और बकरियां हैं इनको डवलप करना चाहिये ताकि इस इलाके के लोगों की हम अच्छी खुराक कर सकें, उनकी हालत ठीक कर सकें और स्टेट को भी रेवेन्यू मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, और कौनसा इलाका बचता है। बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तान का, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और कुछ दूसरे इलाके जो बिलकुल थार हैं, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं। ऐसे इलाकों के अन्दर हमको अपने चरागाह डवलप करने पड़ेंगे। क्योंकि खेती वहां पर होती नहीं है। एक फसल होती है। अब हमारा खर्चा इतना ज्यादा हो गया। साधन बहुत कम हैं तो ऐसी सूरत के अन्दर हमको, कौन से पर्टीकूलर एरियाज के अन्दर जैसे बाड़मेर का एरिया है, जैसलमेर का एरिया है, और कुछ दूसरे एरियाज के अन्दर बीकानेर और चूरू के हैं, कुछ गायों का एरिया है उन गायों को हमको डवलप करना पड़ेगा। राठी और दूसरी आपकी बाड़मेर की थरपारकर, राठी और थरपारकर नस्ल की गायें हिन्दुस्तान की सबसे बढ़िया नस्ल हैं, यहां की भेड़ें सबसे बढ़िया हैं। इन

(श्री शोपत सिंह)

चीजों को हमें गिरासी मैदानों में आमतौर से जहां कि आने वाले हर साल में अकाल पड़ते हैं, इन अकालों के अन्दर हमारी कितनी शक्ति नष्ट होती है। हमको चरागाह डवलप करने चाहिये और पर्टीकूलर एरियाज के अन्दर, पर्टीकूलर पशुओं की नस्ल है उसको ठीक किया जाय और चरागाह डवलप किये जायं, क्योंकि वहां पर हमारे पास पानी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात समझता हूं, जितना राजस्थान कैनाल का पानी हमारे पास है हम उसको यूटीलाइज नहीं कर सकते और राजस्थान कैनाल का पानी कई प्राब्लम्स भी खड़ी करेगा। हमारे सामने आज सेम की प्राब्लम आ रही है। क्योंकि राजस्थान कैनाल के एरिये के अन्दर जो भी जमीन काश्त की गई है, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने देखा है, सर्वे किया है वह जमीन अब बहुत कम समय के बाद सेम की समस्या पैदा कर देगी। वह रेतीला इलाका, टीबों का इलाका उसको न हम डवलप कर सकते हैं और न उसको और किसी तरीके से किया जा सकता है सिवाय चरागाह के हम उस पानी को काम में लेकर चरागाह को डवलप करें। अध्यक्ष महोदय, चरागाह के काम में लें तो ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा फायदेमन्द रहेगा। यह मेरा सुझाव है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ में बाकी एरिया पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा है जिसको डवलप करना चाहिये। जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमको पैदावार लेनी चाहिये। हमारी जमीनें ज्यादा उपजाऊ हैं। मैं निश्चित रूप से जानता हूं और देखा है मैंने पंजाब को 1947 से पहले और 1947 के बाद में जब हमारे राजस्थान के हिस्से का, जब राजस्थान कैनाल का फैसला हुआ उस वक्त तक पंजाब के सामने पानी की प्राब्लम थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1950 और उसके करीब पंजाब के अन्दर पानी की एक समस्या थी कि किस तरीके से पानी को निकालें, वह तबाही कर रहा था पंजाब की। मगर जब पंजाब की फसलों का पैटर्न बदला, धान की खेती शुरू हुई, नर्मा और कपास की खेती को छोड़ा तो इतनी भूख जाग गई पानी की। पंजाब के अन्दर पानी की आज वहां पर सबसे ज्यादा वह इलाका जहां बिलकुल ही फसल नहीं होती थी, उसके अन्दर कोई फसल नहीं होती थी, जो 100 रुपये गज की जमीनें थीं। कल्लर वाली जमीनें थी पंजाब की, मैंने उस एरिया को देखा है जिसमें एक पैसा पैदा नहीं होता था आज उसी पंजाब ने हमारे राजस्थान से जिप्सम ले जा ले जाकर सारे पंजाब को फसलों से भर दिया। कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। यह बात नहीं है कि राजस्थान पंजाब से आगे नहीं जा सकता, हमारी जमीनें ज्यादा बढ़िया हैं। पंजाब और हरियाणा से राजस्थान का एक जिला, गंगानगर जिला, ये आपके भरतपुर, अलवर, सीकर, झुन्झुनू और पानी के वे इलाके और आपके दूसरे बून्दी के इलाके, टौंक के इलाके और बहुत से इलाके, ये इलाके पंजाब और हरियाणा से

(श्री शोपत सिंह)

ज्यादा बढ़िया और उपजाऊ हैं बशर्ते कि उन्हें साधन मुहैया किये जायं। साधन की जब बात आती है तो मामला बिलकुल गड़बड़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से पिछले पांच वर्षों में कई बिजली विभाग के मन्त्री रहे हैं। बिजली के कितने आज कनेक्शन लेना चाहते हैं किसान अपने कुओं पर। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। हजारों किसान, क्योंकि आज नहरों की यह हालत है, हमारी फसलें, गंगानगर जिले की फसलों की कोई सर्टेनटी नहीं आज कि पंजाब हमको पानी देगा या नहीं देगा, हरियाणा हमको पानी देगा या नहीं देगा। हमारी नहरों में फ्लेक्चुएशन आते हैं आज। हमारे किसानों की आज फसलें जल रही हैं और इस वक्त गंगानगर जिले के किसानों की बहुत बुरी हालत है। गंगानगर जिले का किसान काश्त का बहुत माहिर काश्तकार है पंजाब की तरह, उसमें सारे गुण मौजूद हैं, उसमें काम करने की शक्ति है उसमें पैदावार लेने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा है। मगर जब हमारी नहरों में फ्लेक्चुएशन आते हैं, एक पानी की बारी चली गई तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जायेगी। जब फसल की पकाई होती है तो पानी नहीं मिलता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है।

गंगानगर जिले के किसान चाहते हैं कि उन्हें इमदाद दी जाय, किसान चाहते हैं कि उनको ट्यूबवैल के कनेक्शन दिये जायं जहां पर भी मीठा पानी उपलब्ध है, उस क्षेत्र के अन्दर। मगर हमारी सरकार ने क्या कानून बनाया है जनाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों में हमने ट्यूबवैल्स देखे हैं 2-2" के ट्यूबवैल मगर एक सवाल यह भी है कि जहां भी मीठा पानी है, 4-4, 5-5, 6-6 और 8-8 इन्च के ट्यूबवैल वह भरे हुये चलते हैं और वह उनको काम में लेते हैं, वहां का किसान काम में लेता है। वहां की जमीन ज्यादा समतल है, वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ है इसलिये वह उसको काम में लेना चाहता है। मगर हमारे इलाके में बैठे मन्त्री महोदय पता नहीं किस दुनिया से आये हैं उनका ताल्लुक है या नहीं किसान से, पता नहीं। कहते हैं कि स्माल मार्जिनल कृषक को ही कनेक्शन मिलेगा। यह तो समझ में आता है कि उसको, लघु कृषक को आप फाइनेन्शियल एड देवें, सब्सिडी देवें, उसको बैंक से कर्जा दिलावें यह बात तो समझ में आती है। बड़े किसान भी लेना चाहिये, उनका नेशनल प्रॉडक्शन है, वह जो पैदावार करता है वह भी देश के काम में आती है। जो मार्जिनल, लघु कृषक हैं उनको फाइनेन्शियल एड दी जाय मगर बात यह नहीं है। आप उनको कनेक्शन दीजिये। प्रायोरिटी पर दीजिये तमाम बड़े-बड़े और साधन सम्पन्न लोग थे उन्होंने फ्राड किया और अपने बेटे और पोतों के नाम पर उन्होंने कनेक्शन ले लिये

4.00 (म.प.)

भ्रष्टाचार फैला, चार-चार हजार रुपये देकर बिजली के कनेक्शन लिये। इन सूरतों में, इन हालात के अन्दर, आप राजस्थान की तरक्की करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि राजस्थान का नाम ऊंचा हो और

(श्री शोपतसिंह)

तरक्की करे, उसके साधन हमको मिलें, यह गलत बात है। यह समझ में आने वाली बात है ? आपने गंगानगर जिले के ही नहीं, राजस्थान के किसानों के साथ तरह तरह का धोखा किया। पंजाब और हरियाणा के अन्दर सब्सीडी दी जाती है, केन्द्रीय सरकार उनको सब्सीडी देती है, जहां पर बेतहाशा पानी है बिजली मुहैय्या है उनको अच्छे काश्तकार जिनकी हालत अच्छी है, उन लोगों को सब्सीडी दी जायेगी और जो टेल एण्ड पर बैठे हैं हम लोग, हम लोगों को फ्लक्च्युएशन की मार पड़ती है, हमारे यहां पर वर्षा कम होती है, इन परिस्थितियों में जो किसान पैदा करता है वहां उनको सब्सीडी नहीं दी जाती। यह उनके साथ में अन्याय है क्योंकि हमारी परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा से बिलकुल विपरीत हैं। उतना ही गेहूं पैदा करने के लिये राजस्थान के किसान को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। राजस्थान के किसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। ज्यादा मेहनत करेंगे उसको सब्सीडी नहीं मिलेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा आमदनी दिखाते हैं उसको ज्यादा पैसा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील करना चाहूंगा कि गंगानगर के ही नहीं, राजस्थान के किसानों के लिए भी आपको बोनस के लिए लड़ना चाहिये। गंगानगर का और राजस्थान का किसान ओड कण्डीशन्स के अन्दर अपना अनाज पैदा करता है और उसको ज्यादा कीमत पड़ती है। उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में राजस्थान के किसान के लिए उसकी सब्सीडी के लिए, उसके बोनस के लिए लड़ना चाहिए हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं आपके पास सोर्स कोई और दूसरा नहीं है। यह गंगा और यमुना की बात तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए की जाती है, वोट के टाइम में की जाती है। हर पांच साल बाद सिद्धमुख नहर को खड़ा कर दिया जाता है और हर पांच साल बाद झुन्झुनू और सीकर के इलाके में यमुना की नहर लाने की बात करते हैं, भरतपुर में करते हैं। यह तो चुनावी बातें हैं, मेहरबानी करें। इसलिए हर जिले के अन्दर सिवाय बिजली के और कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। आप इस इलाके के किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दीजिये। मैं इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि चार, पांच और छः जिले हमारे पूर्वी राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा जिनके पास इतनी ताकतवर जमीन है, बढ़िया जमीन है, जहां के किसान बहुत मेहनती हैं, वे आपको इतना अधिक अनाज देंगे और इतना ज्यादा देंगे, पश्चिमी राजस्थान के किसान बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं और बाकी राजस्थान के इन जिलों के साधनों पर

(श्री शोपत सिंह)

हम बाकी राजस्थान के इलाके को जोत कर राजस्थान को बचा सकते हैं । उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं ।

यह तस्वीर मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रस्तुत की। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस पर बड़ी संजीदगी से विचार करेंगे और राजस्थान में जो हर साल अकाल पड़ रहा है, हमारे लिये यह एक कलंक की तरह है, एक ऐसा कोढ़ सा बन गया है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसके लिए हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। प्रायोरिटीज जब तक तय नहीं होगी, दुर्भाग्य है मेरे देश का, ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री शोपत सिंह : बस अभी । यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री को कुछ शौक बड़े अजीब हो गये हैं । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे भारद्वाज जी, समाजवाद की बात कर रहे थे और कुछ-कुछ मेरे से भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जमीन ले ली है, मेरा कसूर थोड़े ही है माननीय सदस्य, मेरे पास जमीन ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप पहले भी कह चुके हैं ।

श्री शोपत सिंह : मैं कहता हूं सीलिंग इम्पोज करो । मैं एक ऐसा सदस्य हूं जो सदन में कह सकता हूं कि मैंने अपनी जमीन सरन्डर की है । आप में से कोई बतायें मुझे कोई भी आदमी, जिसने जमीन सरेण्डर की हो एक भी सदस्य । ने मैं कह सकता हूं, मुझे फक्र है कि मैंने जो मेरे पास सरप्लस जमीन थी उसको मैंने सरण्डर किया । आपकी सरकार थी, मैंने मेरी भावना से सरण्डर किया । मैं सोचता था कि गरीब को दी जायेगी । मेरी सरप्लस लैण्ड, मगर दी गई जमीन वालों को, कोई फायदा नहीं हुआ । मेरी अजमेर में एप्लीकेशन चल रही है, कोई फैसला करने वाला नहीं । जिलाधीश गंगानगर ने मेरी जमीन जो सरप्लस थी, एक ऐसे आदमी को अलाट की जिसके पास जमीन थी । मैंने कहा, मैंने सरप्लस जो सरण्डर की है वह गरीब को देते, उन हरिजनों को दो, उन हरिजनों को नहीं दे करके एक जमीन वाले बदमाश आदमी को दी गई जिसकी अपील मैंने की । अपील सरकार ने नहीं की मुझे इसका दर्द है । मैं जानता हूं कि सरप्लस जमीन, मैंने अपील नहीं की, सरण्डर की । वो जमीन गरीब को नहीं मिली, वह जमीन बड़े जमीन वाले को मिली, और एक बदमाश ले गया वह जमीन । पैसा दे-लेकर ले गया, रिश्वत देकर ले गया । उसके पास बीस बीघा, पच्चीस बीघा पहले से जमीन थी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें ।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहता हूं कि आप

(श्री शोपतसिंह)

समाजवाद की बात मत करो। हमारे देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी नौजवान हैं वह समाजवाद के नारे-वारे की बात करते हैं। अब तो राजा और रानी, इनकी केबिनेट में देखिये जाकर। बिड़ला बैठता है, बिड़ला से राय मशविरा लिया जा रहा है। देश के विकास के लिये कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर गये हैं, आज राजा रानी ....

(व्यवधान)

बताइये आप मुझे क्या कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : So you don't talk now.

एक माननीय सदस्य : आप समाजवाद की बात मत कीजिए। आपकी तरफ भी रानियां बैठी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : आज के जमाने में न कोई राजा है, न कोई रानी है, सबको समान अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य जब तक सदन का वायदा न कर लें,

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर होकर न लें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कह रहा था कि हमारे राजस्थान की बदनसीबी है कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को बड़े उल्टे शौक सवार हो गये हैं। उनको रंगीन टी.वी. का शौक सवार हो गया है। उनकी प्रायोरिटीज रंगीन टी. वी., उनकी प्रायोरिटीज मारूती कार। उनकी प्रायोरिटीज दूसरी नहीं है, गरीबों को कनेक्शन दो, आज कनेक्शन काटे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव का एक गरीब हरिजन, मेरे गांव का एक गरीब आदमी, मैं चुनाव के दौरान दौरे पर गया, वह भी गांव में। यह हुआ कि तेरे घर में भी बिजली लगनी चाहिए जब गांव में बिजली तो कोई भी हौसला करना है तो कोई गुनाह थोड़े ही करता है। मेरे गांव के दो हरिजनों ने बिजली की एप्लीकेशन्स दीं, मैं आपके सामने करूंगा सदन में। दोनों को सिक्योरिटी के रुपये बताये गये। गांव श्रीनगर तहसील हनुमानगढ़, शंकरराम सन् ऑफ मंगलाराम हरिजन नायक। उसको कहा 4608/– सिक्योरिटी भरो, तुमको कनेक्शन मिलेगा। दूसरा नरेन्द्र कुमार गुरबक्शलाल, श्री गंगानगर 14. 3. 84 को नोटिस मिला 3700 सिक्योरिटी भरो तुमको कनेक्शन मिल जायेगा। एक तरफ मेरे इलाके के सैकड़ों, सैकड़ों बिजली

(श्री शोपतसिंह)

के कनेक्शन काटे जा रहे हैं । बारियां बन्द की जा रही हैं, नहरें बन्द पड़ी हैं । सिंचाई का टैक्स न देने की वजह से बारियां काटी जा रही हैं किसानों की । दूसरी तरफ आपको यह जो बिरलाजी हैं उनमें 54 लाख स्टेट के कुल जमा बकाया हैं कर के टैक्स के, इनकम टैक्स के 154 करोड़ रुपये बाकी हैं । सब सेठों का सरदार है बिरला जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स बकाया है लेकिन आपको फिक्र नहीं है । राजस्थान के अन्दर उनके कारखानों में लाखों रुपये की बकाया है पर उनके कनेक्शन नहीं काटे जा सकते । आप किसानों के कनेक्शन काटेंगे, और दूसरे लोगों के कनेक्शन काटेंगे और वह भी उस समय जब कि उसकी फसल पकने को खड़ी होगी, या उसकी बिजाई का समय होगा तब आप उसकी बिजली का कनेक्शन काटेंगे । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके मार्फत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं, अगर आपके इरादे पक्के हैं तो राजस्थान के अन्दर सारी की सारी ताकतें मौजूद हैं, राजस्थान का किसान मेहनती है, उसको साधन की आवश्यकता है । यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है । यह हरियाणा और पंजाब से कहीं अधिक अनाज पैदा कर सकती है । ज्यादा दौलत पैदा कर सकती है । यहां की जमीन किसी से भी कम नहीं है बशर्ते कि हमारे नेतृत्व के इरादे ठोस हों, मजबूत हों और कुछ करने के हों ।

बस धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । अभी-अभी मुझे एक रजिस्टर्ड लैटर मिला है । ... .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । कृपया बैठें ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का समय पांच बजे के लिये बढ़ाया जाय और सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मुखबन्द पांच बजे है साढ़े पांच बजे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच बजे । उसके बाद में रिप्लाई होगा ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ाया जाय ।

स्वीकृत

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्यसूची समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1985 पर अग्रेत्तर विचार

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : हां समय का ध्यान रखूंगा पर मेरे बोलने के बाद एक माननीय सदस्य और बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे एक के लिये कहा था। एक के लिये ही कहा था, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : श्री नाथूराम जी मिर्धा बोलेंगे, उनका नाम बहुत पहले से ही दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपने समझौता कर लिया है एक के लिये।

श्री नत्थीसिंह : मैं तो इसलिये बोल रहा हूं क्योंकि नेता महोदय ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : आप अकेले ही बोले लें। काफी है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी सी पी.एम. के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ...

श्री बिहारी लाल पारीक : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। जब उधर से दो तीन माननीय सदस्य बोल लें इधर तब से बोलने का कम से कम एक को तो मौका दें।

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है। आप अगर बिजनेस पूरा नहीं करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठें।

श्री बिहारी लाल पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो सत्यानाश ही कर दिया था धान खा गये, सोना बेच दिया और देश को बरबाद कर दिया, वह बात तो कही नहीं। राजस्थान सरकार ढंग से अच्छा काम कर रही है, उस सम्बन्ध में हम जब कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप उसके लिए समय नहीं देना चाहते हैं।

श्री शोपतसिंह : आप क्यों XXX हो रहे हो। XXXकैसे हो रहे हो, भाई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नत्थीसिंह : जब हमारे सी. पी. एम. के माननीय सदस्य बोल रहे थे वह यह कह रहे थे कि जमुना और गंगा के पानी का नारा एक धोखा है और वोटों के

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

लिये भुलावा मात्र है। एक हद तक तो मैं भी सोच रहा था, जिस तरह उसकी क्रियान्विति हुई, उससे निश्चित रूप से भरतपुर, अलवर के लोग यह महसूस करते हैं कि जमुना और गंगा का पानी जब तक हमारे हिस्से में नहीं मिलेगा तब निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। कल जब हम डीग में थे भरतपुर के दूसरे इलाके की तो जनता पानी के अभाव से पीड़ित है ही क्योंकि वहां खारा पानी है। उसकी समस्या तो पहले की मुंह बायें खड़ी है लेकिन जो और सालों में जमुना का पानी भरतपुर फीडर के जरिये मिलता था और दूसरा पानी आता था, आज वह बन्द हो गया है जिससे सारे तालाब और सारे पोखर सूखे पड़े हैं। उनके लिये कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। जमुना के पानी की व्यवस्था भरतपुर फीडर से हमेशा से होती रही है। उसके कारण, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, जहां पंजाब की नदियों के पानी के समझौते को क्रियान्वित करना जरूरी है, उसके होने पर ही राजस्थान की समस्या का समाधान होगा वहां अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो यमुना के पानी के हिस्से की नीति भी तय की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा बांध, ओखला का बांध बनने को था, वहां से भरतपुर फीडर में और गुरूदाना केनाल तक पानी देने के लिये बात चल रही थी। वह आज तक पूरी नहीं हुई और उसका पानी नहीं दिया गया। हमारे जिले की पुरानी समस्या है क्योंकि हमारे यहां पर सिंचाई और पीने के पानी का अभाव है, वह बहुत कम है। आज हमारे यहां पर पानी नहीं है। इसलिये हमारे इलाके में जब तक आप जल निगम के द्वारा जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पानी का सरकार की तरफ से इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो नहीं सकेगी और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकेगा हमारे पड़ोस में यू. पी. का जिला लगा हुआ है, आगरा जिला भरतपुर के बोर्डर पर है वहां पर जल निगम की व्यवस्था है और 24 घन्टे पानी आता है। पानी का सरकार की तरफ से इन्तजाम किया हुआ है और किसानों को आबपासी के लिये पानी देते हैं। लेकिन हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था कतई नहीं है। हमारे किसान तो अपने साधनों पर निर्भर करते हैं। उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हमारे वहां पर ट्यूब वैल्स डाले हुए हैं जो थोड़े दिनों बाद खराब हो जाते हैं। उनको या तो बिजली नहीं है या बहुत कम मिलती है इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है।

दूसरी बात हमारे राजस्थान में किसान यूनियन है। एक बार 50 हजार गरीब किसान शामिल हुए थे और राजस्थान सरकार से मांग की थी कि बिजली की व्यवस्था में पूरा सुधार किया जाय। उस वक्त माननीय राजस्व मन्त्री जी विद्युत मन्त्री थीं उनके पास डेपूटेशन लेकर आये

(श्री नत्थीसिंह)

थे। मैं भी उस डेपूटेशन में शामिल था। हमने यह कहा था कि जब उद्योग व्यवस्था फेल हो जाती है, इन्डस्ट्रीज फेल हो जाती हैं तो उनको निश्चित रूप से जेनरेटर पर सब्सिडी दी जाती है। तो किसान के लिये दूसरी व्यवस्था क्यों हो ? तो आपने यह जवाब दिया था कि किसान जेनरेटसर नहीं लगा सकते हैं। यह सही बात है कि किसान जेनरेटर नहीं लगा सकते हैं। पर जब आप बिजली नहीं दे पाते हैं हालांकि बार-बार आश्वासन आपने दिया कि इतने घन्टे बिजली दी जायगी, तो स्टेण्ड बाई अरेन्जमेन्ट किसानों को करना पड़ता है, उसको डीजल का पम्प सैट लगाना पड़ता है, किसान को सिचाई के लिये व्यवस्था करनी पड़ती है तो आपको उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिये ताकि उसकी दुर्व्यवस्था नही हो। किसान की बिजली फेल हो जाती है तो जो डीजल पम्प सैट स्टेण्ड बाई अरेन्जमेन्ट है उसकी व्यवस्था के लिये आपको किसान की सहायता करनी चाहिये सरकार को निश्चित रूप से जो अधिक भार किसान पर पड़ता है इसलिये उस पर सब्सिडी देनी चाहिये ताकि किसान की फसल बरबाद नहीं हो।

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान के सम्बन्ध में कि आज जो शहरों के पास में किसान की जमीन है उसके सम्बन्ध में बड़ी अन्धा धुन्ध कार्यवाही चल रही है किसान को उसकी जमीन के पैसे देते तो हैं पर बहुत थोड़े देते हैं इतना ही नहीं, भरतपुर में तो अगर किसी की जमीन लेनी हो तो कह देते हैं कि हम आपकी लेंगे, कानून है यू. आई. टी. एक्ट में चाहे स्कीम सैंक्शन हो या नहीं हो पर उस वक्त से ही पाबन्दी लग जाती है। वह तो लोगों की इच्छा पर है जैसे कलेक्टर ने कह दिया कि वह अपनी जमीन नहीं बेच सकता है। मेरी अर्ज है इस सम्बन्ध में कि जब तक कोई स्कीम ही नहीं तब तक उसकी जमीन एक्वायर नहीं की जाय अगर की जाय तो उसको मार्केट प्राइस दी जायं। नहीं तो उसको अपनी जमीन का डिसपोजल करने से नहीं रोका जाय जब तक कोई खास स्कीम ही नही हो।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, आप किस तरह से इस व्यवस्था में सुधार ला पायेंगे ? आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब तक आप प्रशासन को विकासोन्मुखी नहीं बनायेंगे, जैसा कि हमने कल कहा था, पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि आपकी योजनाओं की क्रियान्विति के लिये प्रशासन को विकासोन्मुखी होना चाहिये। यह अभी तक आप नहीं बना पाये हैं निश्चित रूप से आपको प्रशासन में ऐसा सुधार लाना पड़ेगा कि आगे जाकर वह किसान को, मजदूरों को, दूसरे वर्ग को सुविधायें दे। अभी जब भरतपुर से हम आ रहे थे तो हमें बड़ी चिन्ता हो रही थी कि आप कृषि के जरिये लोगों को राहत पहुंचाने जा रहे हैं और उद्योगों के जरिये राहत पहुंचाने जा रहे हैं। पर यहां तो न कृषि के लिये पानी है न उद्योगों के लिये पानी है न बिजली है तो आप कैसे व्यवस्था में सुधार करेंगे ?

(श्री नत्थीसिंह)

दूसरी बात एक बड़ा उद्योग हमारे भरतपुर में है, आज उसकी हालत ऐसी है कि लगता है, तलवार मजदूरों पर लटकी हुई है वहां पर मजदूरों की छंटनी कर दी जावेगी। वह कहती है कि काम नहीं है हमें मजदूरों की छंटनी कर देनी चाहिये। तो आप कैसे व्यवस्था कर पायेंगे। इसकी व्यवस्था करना तो सरकार का जिम्मा है। जो पुराने उद्योग धन्धे हैं वह तो बन्द नहीं होने चाहिये।

इसके अलावा भरतपुर में एक बहुत बड़ी बात जो पिछले दिनों से हो रही है वह किले को लेकर और वहां की नहर को लेकर हो रही है उसके बारे में रुपये भी राज्य सरकार ने मन्जूर कर दिये हैं। खुदाई की बात होती है तब तक बरसात का पानी भर जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि किले की दीवार टूट रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह से सुधार लाना चाहते हैं आज आपकी घाटे की अर्थ व्यवस्था है आप कुछ कर टैक्सेज लगायेंगे। वह टैक्स गरीबों पर लगेगा तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी व्यवस्था कैसे करेंगे। मुख्य मन्त्री संवेदनशीलता की बात करते हैं, कई बार इन्होंने संवेदनशीलता की बात कही पर सरकार समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो आप प्रावधान करें उसमें इस प्रकार के खर्च का प्रावधान करें जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास जारी रहे उद्योग धन्धे जो हमारे हैं उनकी बढ़ोतरी हो कृषि का विकास हो। इस तरह की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1985-86 के बजट के ऊपर जिसे मैंने वोट ऑन अकाउंट के जरिये पेश किया है, काफी उपयोगी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। कई सुझाव ऐसे हैं जिनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। मगर जब हम राजस्थान के एकीकृत विकास की या सन्तुलित विकास की बात करते हैं तो हमको राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भूलना नहीं चाहिए। हम जब राजस्थान की तुलना पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडू से करने की बात करते हैं तब हमको यह देखना है कि हमने अपनी चाल कब शुरू की थी। राजस्थान जो अनेक राज्यों में विभाजित था, ऐतिहासिक दृष्टि से हमें एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में मिला है, भौतिक दृष्टि से भी, और राजनैतिक दृष्टि से भी इसलिए हमारी कठिनाइयां बढ़ी हुई हैं। ठीक इसी तरह से हमारी कुछ भौगोलिक परिस्थितियों की कठिनाइयां हैं, उनको भी हम नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। पंजाब जो क्षेत्रफल में हमसे बहुत छोटा है, गुजरात जो क्षेत्रफल में हमसे बहुत छोटा है उसमें एक गांव से दूसरे गांव में सड़क ले जाने के लिए उनको उतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है, उतना खर्चा नहीं उठाना पड़ता है जितना कि

(138)

(श्री हरिदेव जोशी)

राजस्थान को उठाना पड़ता है। इसलिए हमको यह समझना चाहिए कि हम एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रख दिये गये हैं।

ऐतिहासिक कारणों से और भौगोलिक कारणों से और उन ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से बाहर निकल कर हमको अपने विकास की बात को देखना है। निश्चय ही जब हम राजस्थान की तुलना पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडू से करते हैं, आंध्र प्रदेश से करते हैं तो निराशा होती है। मगर मैं यह कह सकता हूं इन पिछले पैंतीस वर्षों में राजस्थान आगे बढ़ा है और उसने विकास की तरफ कदम बढ़ाया है। आज हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना को ले लें, छठी पंचवर्षीय योजना को ले लें, और अब जो नई पंचवर्षीय योजना आने को है उसको ले लें, हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका हम ठीक से दोहन कर सकें। रुपये-पैसे का साधन तो एक साधन है ही, मगर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका ठीक से उपयोग कर सकेंगे तो यह हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। राजस्थान एक तरफ भू-भाग में बड़ा है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है और उसकी अपनी समस्यायें हैं जो बेसिक आवश्यकतायें हैं वे अन्य सब जगहों पर उपलब्ध हैं लेकिन हम राजस्थान में पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। तो यह कुछ कठिनाइयां हैं जो हमें पिछड़ा रखे हुए हैं उनको हम नजरअन्दाज करेंगे तो हमें निराशा होगी। अगर हम यह समझेंगे कि हम प्रयत्न करके आगे बढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रयत्न होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि पहले की सरकार पहले लोक सभा के इलेक्शन में और फिर विधान सभा के इलेक्शन में लगी रही। उसके बाद नई सरकार बनी और तुरन्त शार्टेस्ट नोटिस से इस विधान सभा का अधिवेशन बुलाना पड़ा। इतना शार्टेस्ट नोटिस राजस्थान के इतिहास में विधान सभा को आहूत करने के लिए कभी नहीं देना पड़ा। यह इसलिए जरूरी था कि 31 मार्च से पहले वोट आन अकाउंट लाना आवश्यक था। तब जो कांस्ट्रेंट्स दूसरी सरकारों के समक्ष थे उससे ज्यादा इस सरकार के समक्ष रहे। बजट हो, चाहे वह पूरा बजट हो अथवा वोट ऑन अकाउंट हो उसके लिए सरकार को तैयारी करने के लिए जो समय मिलना चाहिए वह कतई नहीं मिला और जो पोलिटिकल फिलोसफी लेकर, पोलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसके लिए जो दिशा निर्देश देना चाहिए जो जरूरी होता है वह दिशा निर्देश भी नहीं था, न पिछली सरकार का था। न आज की सरकार का था इसलिए उसके लिए समय नहीं मिला और इसलिए हमने यह उचित समझा कि स्केटलन वोट आन अकाउंट सामने रखकर सदन के समक्ष जायं फिर दूसरी कठिनाइयां भी थीं जो कभी भी सामने नहीं आई। वह यह थी कि न तो पंचवर्षीय योजना के ऊपर चर्चा हुई भारत सरकार से और न वार्षिक योजना के ऊपर चर्चा हुई। अगर यह चुनाव एक वर्ष पहले हुए होते तो राज्य सरकार

(श्री हरिदेव जोशी)

के समक्ष वार्षिक योजना तो तैयार होती, पंचवर्षीय योजना तैयार होती । प्लान का साइज क्या होगा और कोर ग्राफ दी प्लान क्या होगा, क्या कम्पोनेंट्स होंगे उसका डिवोल्युशन क्या होगा यह सारी चीजें उसके सामने होती, मगर इनमें से कोई चीज ग्राज सामने नहीं है । इसलिए हमको इस रूप में इस सदन के समक्ष उपस्थित होना पड़ा है ।

फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति केवल हमारी नहीं है सभी राज्यों की है, दूसरे राज्यों की भी है । ग्रगर हमने डेफिसिट बजट पेश किया है 263.33 करोड़ का तो हमसे ज्यादा कर्नाटक ने ग्रौर तमिलनाडू ने किया है । क्यों ? इसलिए कि उनके समक्ष भी वही स्थिति है ग्रौर डेफिसिट उस तरह का नहीं है जिसको कि कवर नहीं किया जा सकेगा । स्टेटमेंट में साफ कहा है कि डेफिसिट कवर किया जा सकेगा जो भारत सरकार से सहायता मिलेगी ग्रथवा प्लान ग्रसिस्टेंस रिसोर्सेज मिलेगा उससे । मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि फाइनेंशियल डिसिप्लीन होना चाहिए, ग्रगर फाइनेंशियल डिसिप्लीन नहीं होता है तो किन्हीं भी स्थितियों के ग्रन्दर राज्य ग्रपनी योजनाग्रों को पूरा नहीं कर सकता । मैं यह नहीं कहता कि नॉन प्लान का खर्चा नहीं करना चाहिए, मगर नान प्लान खर्च होता है, बढ़ता है, कितना बढ़ता है इसके ऊपर ग्रगर नियन्त्रण नहीं रहे तो निश्चित-रूप से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होगी ग्रौर राज्य की योजनायें ग्रधूरी रह जायेंगी । इसलिए जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं ।

ग्रगला बजट बनाते समय जितनी प्रायोरिटीज की बात कही गई है, उन प्रायोरिटीज को भी मैं ध्यान में रखने की बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं । मगर माननीय सदस्यों को भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राजस्थान के बजट की सीमायें होंगी ही । एक तरह से हमारा दृष्टिकोण यह हो कि जो भी हम मांग करें ग्रौर जो हमारे रीजन की कमियां हैं वह पूरी हो जायें ग्रौर हम उसके लिए बजट को ध्यान में नहीं रखकर प्लान को ध्यान में नहीं रखकर ग्रौर ग्रपनी ग्राकांक्षायें इतनी ऊंची उठा दें कि पहले-दूसरे वर्ष में पूरी हो जायें, यह सम्भव नहीं होता है । किसी भी राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है । ग्राज तो सौभाग्यवश हिन्दुस्तान में कोई पोलिटिकल पार्टी यह नहीं कह सकती कि हम तो पावर में रहे ही नहीं इसलिए हमको मालूम नहीं है । ग्राज हर पोलिटिकल पार्टी इस स्थिति में है कि जिसने एकाध बजट पेश किया ही है ग्रौर मुझे मालूम है कि जब, ग्रभी माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, जनता पार्टी के शासन में....

(व्यवधान)

जब बजट पेश किया गया था उस समय भी यही कन्सीडरेशन्स थे । ग्रगर

(श्री हरिदेव जोशी)

शुरू शुरू के वर्ष के बजट को देखें तो कुल मिलाकर माननीय सदस्यों की आकांक्षायें और भावनायें यही थीं। मैं आपसे सहमत हूं कि राजस्थान का विकास त्वरित होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं कि विकास सन्तुलित होना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो एनामालीज हैं वह एनामालीज मिटनी चाहिए और मैं आपसे इस बात से भी सहमत हूं कि जो संसाधन हमारे पास में हैं अगर हमने उनका उपयोग नहीं किया तो राजस्थान को पीछे रखने की जिम्मेदारी से हम लोग मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए जहां आप यह सुझाव देते हैं वहां मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसाधनों के दुरुपयोग के अन्दर हम भागीदार न बनें। मैं माननीय सदस्यों की इस राय से भी सहमत हूं कि ऐसे खर्च जिनका पहले पूर्वाभास नहीं हुआ है उनको रोका जाना चाहिए और ऐसे खर्च कम से कम होने चाहिए। मगर कई ऐसे कारण होते हैं जब राजस्थान के समक्ष परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन खर्चों को करना पड़ता है।

मैं देख रहा था पुराने वर्षों की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स को। सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स क्या हैं? राज्य सरकार जो बजट पास करती है उस समय उसके सामने एक प्रकार का तखमीना होता है और उस ग्रान्ट से ज्यादा खर्चा होता है। जब खर्चा बढ़ जाता है तो तखमीना ज्यादा होता है। उस खर्चे को बढ़ाकर खर्च कर देते हैं और फिर सदन के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि हमें अधिक स्वीकृति दो। अगर आप पिछले दस वर्षों का उठाकर देखेंगे तो शायद हाइएस्ट परसेन्टेज उस समय का होगा जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी राजस्थान के अन्दर। मैं उसके अन्दर किसी को एलेज नहीं करता मगर उस समय में सरकार के समक्ष कारण रहे होंगे, परिस्थितियां रही होंगी, मजबूरियां रही होंगी, चाहे पिछली सरकार के कारण से रही हों, समय कम मिलने के कारण से रही हों, जो परिस्थितियां आज मेरे समक्ष हैं वही कारण रहे हों, कोई भी कारण हो मगर कोई भी सरकार इम्युन नहीं है ओवरड्राफट से। आज कोई सरकार डेफिसिट बजट से इम्युन नहीं है। कोई सरकार सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट से इम्युन नहीं है। कोई सरकार हिन्दुस्तान की एक्सेस ग्रान्ट के लिए इम्युन नहीं है इसलिए यह समझना कि राजस्थान की सरकार कोई असाधारण कदम उठा रही है ऐसा नहीं समझना चाहिये।

पिछले बजट के बारे में कहा गया, मैं उन विगतों में नहीं जाना चाहता हूं, यह आकड़ों की बात है लेकिन मैं एक चीज निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी यह तमन्ना है कि राजस्थान में कम से कम फालतू खर्चे हों और अगर ऐसे कोई खर्चे बांध लिये गये हैं तो अगला बजट पेश करते समय हम समय लगाकर यह कोशिश करेंगे कि फालतू खर्चों में कटौती की जाये। जब तक फालतू खर्चों में कटौती नहीं की जाती है तब तक आम जनता को विश्वास नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

दिला सकते कि आपके ऊपर कोई टैक्स अगर हम लगाते हैं या कर भार बढ़ाते हैं वह जायज है। इसलिए उन सारी चीजों की स्क्रुटिनी की जायेगी, उन सारी चीजों की जांच की जायेगी और जो खर्च कम किये जा सकते हैं उनमें कटौती करने का प्रयत्न किया जायेगा। आज ऐसे प्रस्तावों के साथ मैं आपके सामने नहीं आ सकता था। आज मैं नये प्रस्तावों के साथ भी आपके सामने नहीं आ सकता था इसलिए एक एब्सट्रेक्ट आपके सामने रखा है। मगर मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भावनायें व्यक्त की हैं, आपने जैसे इरीगेशन के बारे में कहा, पावर के बारे में कहा मैं जानता हूं कि राजस्थान के अन्दर अगर पावर नहीं है तो राजस्थान सौ साल तक भी अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। मगर आज किस कदम से हम चलना चाहते हैं उसके लिए क्या संसाधन जुटाना चाहते हैं इसका निश्चित रूप से फैसला सब को मिलकर करना होगा और उसके लिए अपने साधन जुटाने होंगे। आज यह खेद का विषय है कि इरीगेशन के अन्दर जहां अरबों रुपया हमारा लग गया आज मेन्टीनेन्स का खर्चा भी हमको नहीं मिलता है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर घाटा क्यों है उन चीजों को देखने की आवश्यकता है। मगर इतने कम समय के अन्दर हम उन सारे प्रस्तावों के साथ में आपके सामने नहीं आ सकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम उनकी स्टडी करेंगे। जो लाइन लासेस हैं, क्या कारण है कि पंजाब को क्यों नुकसान कम होता है और राजस्थान को क्यों नुकसान ज्यादा होता है। पंजाब को सोर्सेस के ऊपर बिजली मिल जाती है और राजस्थान को पंजाब से होकर बिजली आती है। इतनी दूर से बिजली आती है, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश से बिजली आती है। इतने सैकड़ों किलोमीटर की लाइन के ऊपर लाइन लासेस ज्यादा होते हैं लेकिन क्या उन लाइन लासेस को कम नहीं किया जा सकता, प्रश्न यह है। अगर एक पैसा भी बचाया जा सकता है तो करोड़ों रुपया बच जायेगा और इसलिए हमारा यह प्रयत्न होगा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम इन चीजों को देखें।

इसी प्रकार से जो दूसरे उद्योग हैं, राजकीय उपक्रम। राजकीय उपक्रम सिवाय जो इस प्रकार के हैं जो नितान्त आवश्यक हैं अगर वह घाटा करते हैं तो राज्य के ऊपर भार हैं और राज्य की आमदनी के अन्दर से एक प्रकार का हिस्सा उठाते हैं और इन्डाइरेक्ट टैक्स बढ़ाते हैं वे। उसके भार को कितना और कैसे कम किया जा सकता है उसकी कोशिश की जानी चाहिए और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों से कहा कि उस दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। हमारी ओर से यह कोशिश होगी कि हम एक आब्जेक्टिव व्यु लें इन सारी चीजों का। मगर दो, तीन, चार बातें बहुत स्पष्ट हैं और वह यह है कि राजस्थान का मरुस्थल, यह एक तरफ उसकी कमजोरी है, कमी है तो दूसरी तरफ पशुधन उसकी इकानामी का एक आधार है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।

(श्री हरिदेव जोशी)

इसलिए प्रत्येक अकाल के साथ अगर हमारा पशुधन घटता जाता है, कमजोर होता जाता है तो हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारी वित्तीय स्थिति को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। इन पिछले वर्षों में हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। गांव के किसान जो पशुपालन करके अपनी आजीविका को कमाने की कोशिश करता है डेयरी के जरिये और दूसरे साधनों से उसको सहायता देने की कोशिश की है। उसको एप्रीशियेट किया जाना चाहिए।

जिस समय श्री नाथूरामजी साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने डेयरी की स्कीम को सामने रखा था। राजस्थान में उस समय हंसी उड़ाई गयी थी मगर आज एक आधार बना है उसको हम विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान की इकॉनामी का स्तम्भ बनाना चाहते हैं। मेरे मन में यह है कि वहां पशु खपे नहीं, मरे नहीं, अकाल का उसके ऊपर असर नहीं पड़े और इसीलिए मैंने जब राजस्थान कैनाल की लिफ्ट स्कीम की बात कही थी वह भी इसी भावना से कही थी कि पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं का कोई न कोई तो सोलुशन निकलना चाहिए। पानी चाहे कहीं से भी मिले मगर कम से कम इतना पानी उस क्षेत्र में मिल जाये कि जिससे हर साल अकाल के अन्दर माइग्रेशन नहीं हों, हर साल वहां का पशु मरे नहीं और उसकी हैसियत खराब न हो। अगर हम यह कर पाते हैं तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।

इस प्रकार से राजस्थान की जो खनिज सम्पदा है उस खनिज सम्पदा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक जमाना था जब राजस्थान के फ्लोराइड को प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गयी थी। उसको मैंने रेसिस्ट किया एज माइन्स मिनिस्टर और रेसिस्ट करके हमने कोशिश की कि हमारे आर्थिक आधार का वह स्तम्भ बने। दुर्भाग्यवश मुर्गी के पेट में से सोने के अन्डे एक साथ निकालने की कोशिश की गयी। ओवर बर्डन बढ़ गया और आज बेनीफिसियेशन की जितनी कल्पना करते थे वह डिले होने के कारण जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ। लेकिन अब भी मेरे मन में है कि चाहे फ्लोराइड हो, टंग्स्टन हो, चाहे वह मार्बल हो राजस्थान नान-फेरस मेटल में एक रिच और बहुत अच्छा प्रदेश है। बिहार के बाद में अगर किसी प्रदेश का नम्बर आता है तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान ही वह प्रदेश है कि जहां आज इतने नान-फेरस मेटल हैं। लाइमस्टोन हमारा आर्थिक आधार बन सकता है। उस लाइम स्टोन के लिए मैं तो इस राय का हूं कि राजस्थान के अन्दर किस प्रकार के उद्योग बने, किस प्रकार के उद्योग लगाये जायें इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पावर कन्ज्यूमिंग उद्योग लगाकर हम अधिक से अधिक ऐसे उद्योगों को पावर दे दें जिससे हमारे दूसरे उद्योग लग नहीं सकें और जो हमारे पास में

(श्री हरिदेव जोशी)

नेचुरल रिसोर्सेस हैं-उनका दोहन नहीं कर सकें-मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती होगी हमारे पार्ट के ऊपर। इसलिये हम विचार करके एक पालिसी निर्धारित करना चाहते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार के उद्योग लगें। यह जरूरी नहीं है कि जिसने लाइसेन्स मांगा उसको लाइसेन्स दे दें इस झगड़े में मेरा जैसा आदमी पड़ना नहीं चाहता है लेकिन अमुक प्रकार के उद्योग ज्यादा से ज्यादा यहां लगने चाहिये और वे उद्योग यहां लग सकते हैं, मगर लाइम स्टोन यहां से उठाकर दूसरी जगह नहीं जायेगा।

राजस्थान के पास में सब कुछ होने के बावजूद पानी सीमित मात्रा में है। राजस्थान कैनाल कम्पलीट हो जायगी, चम्बल पूरी हो गई और माही बजाज डैम करीब-करीब पूरा होने को है। माही बजाज डैम के सिवाय अब हमारे पास पानी कहां है? इस पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसकी हमें चिन्ता होनी चाहिये। हम इस प्रकार की योजना बनाना चाहते हैं कि एक भी बूंद पानी व्यर्थ न जाये, समुद्र में न जाय और वह चाहे आज नहीं तो 20 वर्ष बाद हो लेकिन उसका एक प्लान बन जाना चाहिये ताकि वह सारा का सारा पानी जो सरफेस के ऊपर हो वह सारा पानी राजस्थान के सिंचाई के काम में आवे और सिंचाई में आकर राजस्थान की बेहबूदी का कारण बने।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अन्डर ग्राउन्ड वाटर काफी है। उस अन्डर ग्राउन्ड वाटर का अगर हम ठीक ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, खेती के लिये और पीने के पानी के लिये अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो सम्पूर्ण रूप से इसका सर्वे होकर मास्टर प्लान बनना चाहिये और उसकी पंच-वर्षीय योजना ही नहीं लम्बी योजना बननी चाहिये। किन स्थानों को प्रायोरिटी देंगे पीने के पानी के लिये, उसके क्षेत्र तय किये जायें और उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें समझना है कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी पीने के पानी के लिये आमतौर से चिल्लाहट होवे, परेशानी होवे यह हमारे लिये पिछड़े पन की निशानी है। यह पिछड़ापन जितना जल्दी समाप्त हो उतना अच्छा है इसलिये हमारी यह भावना होगी कि पीने के पानी को प्राथमिकता दें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और भी कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उन सुझावों में कुछ तो स्थानीय ढंग के हैं, उनकी विगत में मेरे लिये अभी जाना सम्भव नहीं है, जैसे कि बिजली के बारे में प्रायोरिटी किसको मिले और किसको नहीं मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रायोरिटी कमजोर वर्ग को मिलनी चाहिये मगर इसके मायने यह तो नहीं हैं कि उसको मिले तो दूसरों पर पाबन्दी हो। दूसरों पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। अगर दूसरों पर पाबन्दी है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन का लास है, प्रोडक्शन का लास राष्ट्रीय नुकसान है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिये। इसलिये

(144)

(श्री हरिदेव जोशी)

जब प्रायोरिटी लिस्ट बने तो उसको कैसे काम में लाया जाय, इस पर फैसला करना होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम विचार करेंगे और फिर से इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जो आज की नीति है।

इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें पोलिटिकल नेचर की कही गई हैं। उन पोलिटिकल नेचर की बातों का जवाब मैं दूं तो उसका आज के बजट से सम्बन्ध नहीं है। आज का हमारा विषय भी नहीं है। मगर जब कोई बड़ा आदमी गलती कर जाता है तो इसको अच्छा समझा जाता है और जब कोई छोटा आदमी गलती कर जाता है तो वह बुरा समझा जाता है। लीडर आफ दी अपोजीशन यह कह दें तो कहेंगे उनका हक है और यदि कोई दूसरा आदमी कह दे तो उसे बैठ जाना पड़ता है–पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है वह तो है जनता। जनता ने सन् 1977 में हमको हरा दिया, आपको शासन में ला दिया। उसका वर्डिक्ट किसी भी बड़े जज से सबसे बड़ा है और हमको हमारे अन्तःकरण में समझना चाहिये था कि हमारी क्या गलतियां थीं और क्या गलतियां नहीं थी। आज राजीव जी के बारे में कहा गया कि बड़ी घोषणायें करने की बात करते हैं। किन्हीं भी कारणों से हो, यह एक तथ्य है कि राजीव गांधी को जो आज इस देश में सबसे ज्यादा बहुमत मिला है वह हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं मिला। संसार के देशों में जहां फ्री इलेक्शन होते हैं उनके इतिहास में भी शायद बहुत कम जगहों पर ऐसा हुआ होगा जहां इतना प्रचण्ड बहुमत मिला हो। वह क्यों हुआ इसके कारणों को समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजस्थान विधान सभा में आज हम यहां बैठे हुए हैं, आप वहां बैठे हुए हैं इसके कारणों को भी एनालाइज करने की जरूरत है। आपने यह सब कुछ होने पर भी हमको अयोग्य कह दिया, हमको फालतू पैसा खर्च करने वाला कह दिया, संविधान को भंग करने वाला कह दिया। यह सारी बातें इन इलेक्शन्स के अन्दर हो गई और होने के बाद आज आप अपोजीशन में उधर बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाइसेन्स मिल गया।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता था कि आपने कह दिया कि हम खराब हैं, कांग्रेस खराब है, कांग्रेस में खराबी है, कांग्रेसमैन खराब हैं, सब कुछ कह दिया इसके बावजूद भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाइसेन्स मिल गया।

श्री हरिदेव जोशी : जनता ने समझा कि हम सही हैं और आप गलत हैं।

श्री अब्दुल अजीज : यह सही और गलत का प्रमाण नहीं है। अभी तो शुरूआत हुई है....

(व्यवधान)

सही गलत तो जोशी जी ...

(व्यवधान)

काम करेंगे तब पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : नेताजी ऐसी बात क्यों कहें।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जजेज की और दूसरी चीजों की विगत में तो नहीं जाना चाहता हूं। मैं उस बड़े व्यक्ति की बात करता हूं जिसने आपको भी यहां भेजा है और मुझे भी यहां भेजा है। आपकी पार्टी को भी भेजा है और मुझे भी भेजा है और इस प्रकार उन सारी चीजों को विन्डीकेट करके जो एलीगेशन्स आज आपने यहां लगाये हैं, पहले भी लगाये हैं, इसलिये उन सारी चीजों में न जाकर माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बीच का जो समय है, इन्टर-मीडियरी जो समय मिलेगा अप्रेल, मई, जून का उसके अन्दर हम बैठकर चर्चा करेंगे।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान का द्रुत गति से विकास हो, राजस्थान के अन्दर लोगों में आत्म विश्वास पैदा हो और एक कानून का शासन रहे, संविधान का शासन रहे, विकासशील शासन रहे इसकी भावना हमें भी है। मेरे मन में मैं जानता हूं मेरी जिम्मेदारी हो गई है और मेरे मन में यह इच्छा है कि आप सबका सहयोग तो मिले ही, आपका भी मिलेगा। उस सहयोग की आकांक्षा करते हुए जो मैंने प्रस्ताव रखा है, उसको आप स्वीकार करें, यही मैं अपेक्षा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय, सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) संख्या (2) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय मुख्य मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1985 को पारित किया गया।

अतिरेक अनुदान की मांग

मांग संख्या 16

श्री अध्यक्ष : वर्ष 79 की अतिरिक्त मांगों पर विचार। मुख्य मन्त्री जी। एक्सेस डिमाण्ड्स।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,506 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव हों, वह नहीं हैं। इससे पहले कि आप बोलें 10 ही मिनट हैं केवल माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : काफी बोर कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : आप तो बोल लिये, जनता पार्टी के तो बोल गये, आप हमको बोलने दें। अब हमने तो सुन लिया। आप नहीं सुनना चाहते यह क्या बात है।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,506 रुपये (नौ लाख तीन हजार पांच सौ छः रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 1-संसद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45, 625 (पैंतालीस हजार छः सौ पच्चीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,98,631 (तेरह लाख अठानवे हजार छः सौ इकत्तीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,97,920 (दो लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 17—जेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,21,749 रुपये (आठ लाख इक्कीस हजार सात सौ उनचास रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,93,38,431 रुपये (तीन करोड़ तिरानवे लाख अड़तीस हजार चार सौ इकत्तीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,97,950 रुपये (सत्ताइस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ पचास रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें और पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,50,940 रुपये (उन्तालीस लाख पचास हजार नौ सौ चालीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,08,71,371 रुपये (दो करोड़ आठ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं

(श्री अध्यक्ष)

प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,49,000 रुपये (बयालीस लाख उनचास हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,348 रुपये (छब्बीस हजार तीन सौ अड़तालीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,93,211 रुपये (बयालीस लाख तिरानवे हजार दो सौ ग्यारह रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवम् भू-संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,54,56,626 रुपये (दो करोड़ चौवन लाख छप्पन हजार छ सौ छब्बीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 40—राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 94,33,508 रुपये (चौरानबे लाख तेतीस हजार पांच सौ आठ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 90,33,245 रुपये (रुपये नब्बे लाख तेतीस हजार दो सौ पैंतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,153 रुपये (सैंतीस हजार एक सौ तरेपन रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,286 रुपये (तीन हजार दो सौ छियासी रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के संबन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,44,73,135 रुपये (नौ करोड़ चवालीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ पैंतीस रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विनियोग विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 1985

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लेने का प्रस्ताव।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय।

(150)

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1985 को पारित किया गया।

दलीय स्थिति

भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल व श्री भैरोंसिंह शेखावत को नेता प्रतिपक्ष के रूप से मान्यता

सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं, मैं सदन को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है तथा उस पार्टी के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत को [प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 29 मार्च, 1985 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5-00 बजे शुक्रवार दिनांक 29 मार्च, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची)

: जिला झालावाड़ :

क्र. सं	उपकेन्द्र का नाम	भवन व्यवस्था	ए. एन. एम. का रिक्त पद
1	2	3	4
1.	दुर्गापुरा	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन हैं	—
2.	गागरेन	यथा	—
3.	बीलवाड़ी	यथा	—
4.	ग्रावलीकलां	यथा	—
5.	झालावाड़ रोड	यथा	—
6.	करवाड़ा	यथा	—
7.	मोगरा	यथा	—
8.	गराडिया माना	यथा	—
9.	बड़ोदिया	भवन निर्माणाधीन है	—
10.	डोडा	भवन है	—
11.	बावड़ीखेड़ा	राजकीय भवन है	—
12.	भगवानपुरा	नहीं है	—
13.	ताराज	"	1
14.	जरगा	पंचायत द्वारा उपलब्ध है	—
15.	सोजपुर	यथा	—
16	खण्ड	यथा	—
17.	गाडरवाड़ा नूरजी	यथा	1
18.	मकावद खुर्द	भवन निर्माणाधीन है	—

152

1	2	3	4
19.	बराई	पंचायत द्वारा भवन उपलब्ध है	—
20.	गरवाड़ा	यथा	—
21.	देवली	यथा	1
22.	गुराडखेड़ा	यथा	—
23.	उचावदा	भवन निर्माणाधीन है	—
24.	बोरबन्द	पंचायत द्वारा भवन है	1
25.	उमरिया	राजकीय भवन है	—
26.	बेरागढ़	यथा	—
27.	हरीपुरा	यथा	—
28.	घाटोली	यथा	—
29.	लसूडिया शाह	पंचायत भवन है	—
30.	खाताखेड़ी	यथा	—
31.	मंठून	यथा	—
32.	चन्दीपुर	यथा	—
33.	खासिया	यथा	—
34.	ग्रावलहेडा	भवन निर्माणाधीन है	—
35.	सेमली हाट	यथा	1
36.	रूबालिया	यथा	1
37.	बनेठा	राजकीय भवन है	—
38.	ग्रमेठा	यथा	1
39.	बांसखेड़ी	यथा	1
40.	लांस	यथा	—
41.	बेडला	पंचायत भवन उपलब्ध है	—
42.	कयासरा	यथा	—
43.	गुराडियाकलां	यथा	—

1	2	3	4
44.	लुहारिया	पंचायत भवन उपलब्ध है	—
45.	जामुनिया	भवन निर्माणाधीन है	—
46.	कूडला	राजकीय भवन उपलब्ध है	—
47.	करावर	यथा	—
48.	दुधालिया	यथा	—
49.	उन्हेल	यथा	—
50.	ओसाव	पंचायत भवन उपलब्ध है	—
51.	उन्हेल	यथा	—
52.	हरनावदा गजा	यथा	—
53.	करोडिया	राजकीय भवन है	—
54.	सोलरी	यथा	—
55.	खरपा कलां	यथा	—
56.	दरोहिया	यथा	—
57.	देवल खेड़ा	यथा	—
58.	सलोतरा	यथा	—
59.	कराइठा	भवन नहीं है	—
60.	घनोडाकां	यथा	—
			9

जिला कोटा

1.	बनियानी	भवन नहीं है	—
2.	चन्द्रेसर	भवन है	—
3.	कसार	भवन है	—
4.	अरन्डखेड़ा	भवन है	—
5.	किशनपुरा तकिया	"	—

1	2	3	4
6.	काल्याखेड़ी	भवन है	—
7.	मवासा	,,	—
8.	बोरावास	,,	—
9.	रानपुर	,,	—
10.	मानसगांव	भवन नहीं है	—
11.	गिरधरपुर	,,	—
12.	गलाना	,,	—
13.	खेडारसलपुर	,,	—
14.	धाकडखेड़ी	पंचायत द्वारा उपलब्ध है	—
15.	मान्दलिया	भवन नहीं है	—
16.	भवरिया	,,	—
17.	डोलिया	,,	—
18.	राजपुरा	भवन निर्माणाधीन	—
19.	कशियारा	भवन नहीं है	—
20.	देवरा	भवन उपलब्ध है	—
21.	सेमली फाटक	,,	—
22.	महादरा	,,	—
23.	मुडियारा	,,	—
24.	खान्डा सहरोल	भवन नहीं है	—
25.	खिरिया	भवन नहीं है	—
26.	बामनगांव	,,	1
27.	अगार	,,	—
28.	कस्बा नौनेरा	भवन निर्माणाधीन है	1
29.	रामगढ़	,,	—
30.	खांखरा	भवन नहीं है	—

1	2	3	4
31.	जलवाड़ा	भवन निर्माणाधीन है	—
32.	रेलाना	भवन उपलब्ध है	—
33.	गरडा	,,	—
34.	रामपुरिया	भवन उपलब्ध है	—
35.	धीनोद	,,	—
36.	दीगोदपार	,,	—
37.	छत्रगंज	भवन निर्माण हो रहा है	—
38.	भिसाई	भवन नहीं है	—
39.	करवरी कला	,,	—
40.	खान्डेरा	,,	—
41.	बजरंगगढ़	भवन निर्माणाधीन है	—
42.	रेलवास	,,	—
43.	कुन्दी	भवन उपलब्ध है	1
44.	ननानगा	भवन निर्माण हो रहा है	—
45.	खुरी	भवन है	—
46.	कटावर	भवन है	—
47.	शेरगढ़	,,	—
48.	अरडान	,,	—
49.	सहरोद	,,	—
50.	छाजावा	,,	—
51.	बडोरा	,,	—
52.	पिपलोद	भवन निर्माण चालू है	—
53.	पटना	भवन नहीं है	—
54.	अन्ताड़ा	,,	—
55.	रहलाई	,,	—

1	2	3	4
56.	कानोलिया	भवन नहीं है	—
57.	मिसई गुजरान	,,	1
58.	ढीला देहार्थी	,,	—
59.	मरभातलाव	,,	—
60.	चरडाना	,,	—
61.	निमोदा	,,	—
62.	धुलेट	,,	—
63.	राजगढ़	भवन है	—
64.	मोईकलां	भवन नहीं है	—
65.	खिजूरी	भवन निर्माण हो रहा है	—
66.	सावन भादों	नहीं है	—
67.	कमोलर	भवन उपलब्ध है	—
68.	श्यामपुरा	,,	—
69.	किशनपुरा	,,	—
70.	दरा स्टेशन	,,	—
71.	हिंगोनिया	भवन अपूर्ण है	—
72.	कराड	,,	—
73.	आमली	भवन निर्माण चालू नहीं है	—
74.	मरायता	,,	—
75.	हीगी	,,	—
76.	बालूहेडा	,,	—
77.	केडयानोहर	भवन उपलब्ध है	1
78.	बुहाखेडी	,,	—
79.	ओछलवाडा नीचा	,,	—
80.	कडैया हाट	,,	1
81.	तीतरखेडी	,,	—

1	2	3	4
82.	कोटड़ी	भवन उपलब्ध है	1
83.	केडयानोहर	,,	—
84.	कोटडापार	,,	—
85.	हानाहेडी	,,	1
86.	वापचा	,,	1
87.	झरखेड़ी	भवन नहीं है	1
88.	दिलोद	,,	1
89.	मदनखेड़ा	,,	1
90.	गुगोर	भवन उपलब्ध	—
91.	नीमोला	भवन उपलब्ध है	—
92.	गणेशगंज	,,	—
93.	मानेरा	,,	—
94.	बलवन	,,	1
95.	छापोल	,,	—
96.	सुमेरगंज मण्डी	,,	—
97.	तलाव	,,	—
98.	गेता	,,	—
99.	आयाना	,,	1
100.	करवाडा	,,	—
101.	बिनायका	,,	—
102.	दुर्गमपुर	,,	—
103.	बावई	भवन पूर्ण नहीं	—
104.	बागली	,,	—
105.	अन्वोडा	,,	—
106.	लक्ष्मीपुरा	,,	—

(158)

1	2	3	4
107.	सीनोला	भवन पूर्ण नहीं	—
108.	जनोद खातियान	"	—
109.	सोर खण्डकला	भवन नहीं	1
110.	बडवा	भवन उपलब्ध है	—
111.	रायथला	"	—
112.	मिरजापुर	"	—
113.	बडगांव	भवन निर्माण हो रहा है	—
114.	सोरर	"	—
115.	पचेलकलां	भवन उपलब्ध है	—
116.	मालदड़ा	"	—
117.	मालवामारी	भवन उपलब्ध है	1
118.	वोहल बिजोरा	"	—
119.	पाटून्द्रा	"	—
120.	भेज्याखेड़ी	"	—
121.	ईश्वरपुरा	भवन निर्माण नहीं है	—
122.	बमोलिया माताजी	"	—
123.	मऊ	"	—
124.	कोचरी	"	—
125.	जोरेला	"	1
126.	तिराम्बा	"	—
127.	भटवाडा	"	1
128.	निमोदा	भवन उपलब्ध है	—
129.	बनेडिया	"	—
130.	कल्याणपुरा	"	—
131.	मोरपा	"	—
132.	डगरजा	"	—

1	2	3	4
133.	सिमल्या	भवन उपलब्ध है	—
134.	बुढ़ादीत	,,	—
135.	बमोरी	,,	—
136.	कोटला दीपसिंह	,,	—
137.	लाखसनीजा	,,	—
138.	नताडा	भवन पूर्ण नहीं है	—
139.	पिलाईकलां	भवन पूर्ण नहीं	—
140.	रेलगांव	,,	—
141.	टाकरडा	,,	—
142.	खेरूला	,,	—
143.	जाखंडोद	,,	—
144.	खेडली तवरान	,,	—
145.	कोडसभ्रा	,,	—
146.	फतेहपुर	भवन उपलब्ध है	—
147.	बढ़ावदा	,,	—
148.	कोयला	,,	—
149.	सुन्दरलक	,,	—
150.	माथना	,,	—
151.	रटावद	,,	—
152.	बड़ा	,,	—
153.	बोरदा	,,	—
154.	कलमुन्डा	,,	—
155.	इकेलरा	,,	—
156.	नारेडा	,,	—
157.	वराना	भवन अपूर्ण है	—

1	2	3	4
158.	तुलासा	भवन अपूर्ण है	—
159.	पोटेंडा	,,	
160.	दूसरा	,,	—
161.	गोइन्दा	भवन नहीं है	—
162.	इन्छावा	,,	—
163.	खेडारन्छा	भवन नहीं है	—
164.	अलाद	भवन अपूर्ण	—
165.	रीछडिया	भवन उपलब्ध है	—
166.	बडोदिया कलां	,,	—
167.	हाथिया खेड़ी	,,	—
168.	कुकडाखुर्द	,,	—
169.	सोलडाकलां	,,	+
170.	सातनखेड़ी	,,	—
171.	कुम्भकोट	,,	—
172.	खेडली	भवन निर्माण अपूर्ण है	1
173.	देवलीकलां	,,	—
174.	मदनपुरा	,,	—
175.	छायपुरा	,,	—
176.	खिमच	भवन उपलब्ध है	—
177.	पिपाखेड़ी	भवन पूर्ण नहीं हुआ	—
178.	घरनावद	,,	—
179.	देवलीखुर्द	,,	—
180.	गादिया	,,	
181.	मानपुरा	,,	—
182	सलावद खुर्द	,,	—

1	2		4
183.	घाटोली	भवन निर्माण नहीं	—
184.	मनोहरपुरा	,,	—
185.	मोखमपुरा	भवन नहीं	—
186.	बिलेन्डी	,,	—
187.	असनावर	भवन है	—
188.	बनजारी	,,	—
189.	गोरधनपुरा	,,	—
190.	राई	,,	—
191.	बाम्बरी घाटा	,,	—
192.	सहजनपुरा	,,	1
193.	सेतुकलां	,,	—
194.	ढोलम	भवन निर्माण पूर्ण नहीं	—
195.	दिगोदजागीर	भवन निर्माण चालू नहीं	—
196.	खजूरी	,,	—
197.	झनझनी	,,	1

(162)

परिशिष्ट— 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची)

निर्वाचन क्षेत्र दूदू के उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	
1.	रा. बा. उ. प्रा. वि.	दूदू
2.	"	मोजमाबाद
3.	"	साखून
4.	"	महला
5.	"	बिचून
6.	"	आसलपुर
7.	रा. उ. प्रा. वि.	हरसोली
8.	"	धाधोली
9.	"	गागरड़
10.	"	सावरवा
11.	"	वावली
12.	"	गाड़ोला
13.	"	कोरसोना
14.	"	हिरनोदा
15.	"	उगारचावास
16.	"	आकोदा
17.	"	बरड़ोली
18.	"	ढाणबोराज
19.	"	गेगालो कला

1	2	
20.	रा.उ.प्रा.वि.	हलाना
21.	"	सेबा
22.	"	ममाणां
23.	"	रेटा
24.	"	गहलोतान
25.	"	लोरड़ी
26.	"	डरसेवा
27.	"	खड़याला
28.	"	रामपुरा ढाका
29.	"	पड़ासोली
30.	"	रोजड़ी
31.	"	आसलपुर
32.	"	बिहारीपुरा
33.	"	गुढ़ा बेरसल
34.	"	कांतरी
35.	"	सुनाडीया
36.	"	गिदाणी
37.	"	आइदान का बास
38.	"	सामलपुर
39.	"	सिनोदिया
40.	"	पूवालिया
41.	"	हबलपुरा
42.	रा.बा.मा.वि.	नरायणा
43.	रा.मा.वि.	फाम
44.	"	बाराज

(164)

1	2	
45.	रा.मा.वि.	भोजपुरा
46.	"	महला
47.	"	मरवा
48.	"	साली
49.	"	साखून
50.	"	बोवास
51.	रा. उ. मा. वि.	दूदू
52.	"	बिचून
53.	"	मोजमाबाद
54.	"	नरायणा

निर्वाचन क्षेत्र दूदू में उ० प्रा० वि०/मा० वि०/उ० मा० वि०, की एवं विद्यालयवार अध्यापकों की कमी की सूची

क्र० सं.	नाम विद्यालय		तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों की कमी	द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापकों की कमी
1.	रा.बा.उ.प्रा.वि०,	दूदू	1	–
2.	"	आसलपुर	5	–
3.	रा.उ.प्रा वि०,	हरसोली	1	–
4.	"	गागरडू	2	–
5.	"	कोरसीना	2	–
6.	"	हिरनोदा	1	–
7.	"	रहलाना	1	–
8.	"	सेवा	1	–
9.	"	ममाणा	1	–
10.	"	गहलोता	3	–
11.	"	लोरडी	1	–
12.	"	उरसेवा	3	–
13.	"	खुड़याला	1	–
14.	"	पड़ासोली	4	–
15.	"	रोजड़ी	2	–
16.	"	आंसलपुर	1	–
17.	"	दांतरी	1	–
18.	"	सिनोदिया	3	–
19.	रा.मा.वि०,	महला	1	–
20.	"	मरवा	–	2
21.	"	साली	1	2
			36 +	4 = 40

(166)

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 75 की सूची)

पंचायत समिति बस्सी की उन हरिजन वस्तियों के नाम जिसमें विगत 5 वर्षों में हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा सुलभ कराई गई है :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं०	वस्ती का नाम
1.	मोहनपुरा	71	हरिजन मोहल्ला
2.	कल्याणपुरा	73	विलेज पोइन्ट
3.	टोडा भाट	76	कोली मोहल्ला, रैगर मोहल्ला
4.	बिरजपुर	77	बनाई ,,
5.	दामोदरपुरा	78	हरिजन ,,
6.	मोहनपुरा	80	कोली ,,
7.	विजय मुकन्दपुरा	4	अहीर मोहल्ला
8.	कुथारा कला	8	बलाई मोहल्ला
9	सेवा पुरा	99	बैरवा मोहल्ला
10.	कुथारा खुर्द	11	बलाई मोहल्ला, रैगर मोहल्ला
11.	दयारामपुरा	14	धानकिया मोहल्ला
12.	भाटेसरी	17	बैरवा मोहल्ला
13.	भूरथल	18	,, ,,
14.	मीनावाला	21	बलाई मोहल्ला, कोली मोहल्ला
15.	रामसर पालावाला	23	बलाई मोहल्ला
16.	लखारिया गुजरान	27	बैरवा मोहल्ला

1	2	3	4
17.	गिरधारीपुरा	30	बैरवा मोहल्ला
18.	श्रीरामपुरा	31	,, ,,
19.	आवलपुरा	46	हरिजन मोहल्ला, मोहल्ला बैरवा
20.	खिजुरिया जाटव	49	रैगर मोहल्ला
21.	गुढा पालियावास	50	बैरवा बस्ती
22.	कचौलिया	52	हरिजन मोहल्ला
23.	राजपुरा	53	विलेज पोइन्ट, रैगर मोहल्ला
24.	पालियावास	54	कोली मोहल्ला
25.	रतनपुरा	55	बैरवा मोहल्ला
26.	देवपुरा	56	बलाई मोहल्ला
27.	मोनियावास	63	बैरवा मोहल्ला
28.	चैनपुरा	65	धानकिया मोहल्ला
29.	दूधली	69	रैगर मोहल्ला
30.	सुजानपुरा	70	,, ,,
31.	अखैपुरा	81	,, ,,
32.	भाखरी	79	बैरवा मोहल्ला
33.	किशनपुरा	83	चमार ए ढाणी
34.	पीलिया	89	हरिजन मोहल्ला
35.	पालियावास जतन	90	धानकिया मोहल्ला, रैगर मोहल्ला
36.	छतरपुरा	91	बैरवा मोहल्ला
37.	खेड़ा	96	बैरवा ,,
38.	जीन्भा	97	बैरवा ढाणी

168

1	2	3	4
39.	मूठली	98	कोली, बलाई मोहल्ला
40.	रामराजपुरा	105	रैगर मोहल्ला
41.	छैलपुरा वास खेमराज	106	,, ,,
42.	धानका	109	हरिजन मोहल्ला
43	विमलपुरा	110	बैरवा मोहल्ला
44.	देवगांव	111	बैरवा मोहल्ला
45.	खेतपुरा	112	हरिजन मोहल्ला
46.	रूपपुरा	114	रैगर मोहल्ला
47.	तुंगा	120	,, ,,
48.	गढ	126	हरिजन मोहल्ला, कोली रैगर मोहल्ला
49.	चोपड़िया	131	कोली मोहल्ला
50.	थारयार	141	,, ,,
51.	कानेटा	142	हरिजन मोहल्ला
52.	दयालपुरा	155	,, ,,
53.	खैरलावास जटवाड़ा	156	बैरवा मोहल्ला
54.	राजपुरा पाहलवास	170	कोली मोहल्ला
55		174	,, ,,
56.	मालावाला	175	बलाई मोहल्ला
57.	पृथ्वीपुरा	182	कोली मोहल्ला
58.	गुवालिनी	189	रैगर मोहल्ला
59.	मूधरपुरा	195	कोली मोहल्ला
60.	लालपुरा	197	हरिजन मोहल्ला
61.	चरणगढ़	169	बैरवा मोहल्ला
62.	नया गांव	86	धानकिया मोहल्ला

2	2	3	4
63.	दौलतपुर	201	हरिजन बस्ती
64.	चिकरोजवड़ी	176	,, ,,
65.	खोकावाला	25	कोली मोहल्ला
66.	ब्रह्मपुरी	95	बैरवा मोहल्ला
67.	श्रीरामनगर	116	बलाई मोहल्ला
68.	मान्सर खेडी	24	कोली मोहल्ला मोहल्ला हरिजन
69.	रामसिंहपुरा	20	बैरवा बस्ती
70.	लयाड़िया	29	,, ,,

कुल हैण्ड पम्प की संख्या = 79

पंचायत समिति चाकसू

पंचायत समिति चाकसू की उन हरिजनों बस्तियों की सूची
जिसमें विगत 5 वर्षों में हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल
सुविधा सुलभ कराई गई है ।

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं०	बस्ती का नाम
1	2	3	4
1.	नारिया का बास	6	धानका बस्ती
2.	मलवा	8	,,
3.	किलकीपुरा	11	मुख्य ग्राम
4.	बाढ रमजानीपुरा	13	बलाई बस्ती
5.	बुगारियाँ	30	मीणा ,, धानका ,,
6.	सीतापुरा	32	बैरवा ,,
7.	नरपतिपुरा	33	धानका ,,
8.	रामकिशनपुरा	35	चमार मोहल्ला मीणा ढाणी
9.	हरिकिशनपुरा	36	हनुमान मंदिर बस्ती शंकर मंदिर बस्ती
10.	बृजराजपुरा	37	हरिजन बस्ती
11.	रूपाहेडी कला	43	बैरवा बस्ती
12.	गौड का बास	44	,,
13.	हरिनारायणपुरा	45	कोली मोहल्ला
14.	महादेवपुरा	48	हरिजन बस्ती
15.	कृपा का वास	49	बैरवा ढाणी
16.	ताज खां का वास	50	कोली मोहल्ला

(171)

1	2	3	4
17.	दामोदर का वास	51	राजावाला
18.	श्री किशनुपुरा	55	धानका वस्ती
19.	इन्द्रपुरी	59	शंकर मन्दिर के पास
20.	कांकरिया	63	रैगर वस्ती
21.	स० जयसिंहपुरा	64	"
22.	मुण्डा हेडी	66	बालाजी चौक
23.	उगरिया वास	67	बस्ती
24.	विलासपुरा	68	धानका बस्ती
25.	रूपा हेड़ी खुर्द	69	हरिजन ढाणी
26.	वाड महावतान	77	बैरवा बस्ती
27.	भवानीपुरा	82	रैगर "
28.	नांगल पूरण	83	धानका "
29.	रामपुरा खुर्द	84	रैगर "
30.	काठावाला	88	बैरवा "
31.	डाहर	91	धानका "
32.	दधापुरा	96	चमार "
33.	शील की डूंगरी	97	मुख्य ग्राम
34.	लाखावास	98	बैरवा ढाणी
35.	दादनपुरा	99	हरिजन बस्ती
36.	मानपुर डूंगरी	103	रैगर ढाणी
37.	कुतकपुरा	106	कंजर "
38.	करडा खुर्द	109	हरिजन वस्ती
39.	भोज्या दण्ड	117	रास्ते वाला
40.	कुम्हारिया बास	124	चमार ढाणी
41.	बाजडोली	125	धानका बस्ती
42.	देवकिशनपुरा	134	अनुसूचित जाति बस्ती (अ.जा)

(172)

1	2	3	4
43.	कुंमारख्या	138	रेगर बस्ती
44.	कादेड़ा	140	,,
45.	एमकेशपुरा	141	चमार ,,
46.	कीरतपुरा	142	रास्तेवाला
47.	भादीपुरा	146	रेगर बस्ती
48.	तामड़िया	149	,,
49.	थली	153	,, कोली मोहल्ला
50.	बाढ बागपुरा	155	रेगर बस्ती
51.	मीणापुरा	156	कोठीवाला, मन्दिरवाला
52.	दलपतपुरा	160	रेगर ढाणी
53.	आनन्दरामपुरा	162	बालाजी बस्ती
54.	तुभली का वास	165	हरिजन बस्ती
55.	मुण्डिया खुर्द	173	रास्तेवाला
56.	बरली	176	अनुसूचित जाति बस्ती
57.	काथून	178	हरिजन बस्ती, बैरवा बस्ती
58.	जयसिंहपुरा	182	रेगर मोहल्ला
59.	सांवलिया	189	,,
60.	महादेवपुरा	190	बैरवा ढाणी
61.	देवकीनन्दनपुरा	191	,,
62.	मालपुरिया	194	बैरवा बस्ती
63.	अजमेरीपुरा	195	चमार ,,
64.	आनन्दपुरा	197	देवराज बस्ती

1	2	3	4
65.	भीकरवाड़	199	हरिजन बस्ती
66.	भक्खर खावदा	204	गैरवा बस्ती, रैगर ढाणी
67.	आशिपुरा	205	चमार ढाणी
68.	मोहम्मदपुरा	206	,,
69.	रामनिवास	210	सोडल गैरवा बस्ती, मंगल गैरवा बस्ती
70.	बडोदिया	212	हरिजन बस्ती
71.	राजपुरा	219	गैरवा ढाणी
72.	गरूड़वासी	220	हरिजन मोहल्ला
73.	रलावता	223	गैरवा बस्ती
74.	महाराजपुरा	226	मुख्य ग्राम
75.	नरसिंहपुरा	228	चमारवाला
76.	नरोत्तमपुरा	232	गैरवा बस्ती
77.	चिमापुरा	233	रास्तेवाला
78.	कुशलपुरा	234	नटों की ढाणी
79.	खेड़ा रामनिवास	235	हरिजन बस्ती
80.	जगदीशपुरा	237	हनुमानजी मंदिर
81.	ढोबला कला	243	हरिजन बस्ती
82.	रामनगर	247	रैगर मोहल्ला
83	तल्लुकपुर डूंगरी	249	मुख्य ग्राम
84.	झापदा कलां	254	गैरवा ढाणी

कुल हैण्ड पम्पों की संख्या—89

(174)

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची)

टोंक जिले में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति का सत्र
1	2	3
1.	थाड़ (उनियारा)	80-81
2.	पनवाड़	80-81
3.	ग़ानोली	80-81
4.	दतवास निवाई	80-81
5.	देवल (टोंक)	84-85
6.	पराना (टोंक)	84-85
7.	राजपुरा (मालपुरा)	84-85
8.	मांतू (टोडारायसिंह)	84-85
9.	बावड़ी (टोडारायसिंह)	84-85
10.	ढोटवाड़ी (टोंक)	84-85
11.	सोयला (टोंक)	84-85
12.	सिरोही (निवाई)	84-85
13.	सौप (उनियारा)	84-85
14.	गुराई (देवली)	84-85
15.	सांवतगढ़ (देवली)	84-85

टोंक जिले में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति का सत्र
1	2	3
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भिलाय	82-83
2.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़	82-83
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हत्तोद	82-83
4.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा	82-83
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, देवली	84-85
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लावा (मालपुरा)	84-85

(176)

परिशिष्ट—5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नगर परिषद् सीमा क्षेत्र का विस्तार व वार्डों का परिसीमन

79. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कुछ नगर परिषदों के सीमा क्षेत्र का विस्तार तथा वार्डों का परिसीमन करना चाहती है ? यदि हां, तो किस-किस का ? नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार चुनाव से पूर्व बड़े शहरों के विस्तार को देखते हुए सीमा क्षेत्रों का विस्तार करके चुनाव करायेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(2) यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

फसल बीमा योजना

80. श्री अरक अली (फतेहपुर)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

श्री दलनाथ (मनोहरथाना)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार का फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने का कबसे विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

फसल बीमा योजना प्रारम्भ किया जाना सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के लिए छात्रावास

81. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के लिए छात्रावास के भवन की स्वीकृति वर्ष 1983-84 में प्रदान कर दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो अब तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार के आदेश संख्या संख्या एफ 20 (15) शिक्षा-5/84 दिनांक 15.11.84 के द्वारा छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष

(शिक्षा मन्त्री)

1984-85 में निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

चिकित्सा पुनर्भरण की अधिकतम राशि

82. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत वैद्यों के चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों हेतु अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्यों और यह सीमा कब तक हटा दी जावेगी।

(2) क्या यह सत्य है कि इस अधिकतम सीमा के लगाये जाने के कारण राज्य कर्मचारी आयुर्वेदिक पद्धति के लाभ से वंचित रहते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने कतिपय वैद्यों को चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों पर हस्ताक्षर करने से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे वैद्यों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त वैद्यों के द्वारा पुनर्भरण के अनुचित बिलों पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में दोषी पाये जाने पर इनकी जांच कराई थी ? यदि हां, तो किन-किन की एवं उनमें से कौन-कौन दोषी पाये गये एवं कौन-कौन दोषमुक्त रहे ? कृपया विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) जो वैद्य दोष मुक्त पाये गये क्या सरकार ने उन्हें पुनर्भरण के बिलों को सत्यापन करने हेतु प्राधिकृत कर दिया है ? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो उन्हें कब तक बिलों को सत्यापन करने हेतु प्राधिकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) केवल जयपुर शहर एवं अन्य जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित वैद्यों/हकीमों के लिये ही अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई हैं। यह सीमा औषधि व्ययों में मितव्ययता की दृष्टि से लगायी गयी है। सीमा हटाने का मामला वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) चिकित्सा पुनर्भरण बिलों को प्रमाणित करने की सीमा निर्धारित करने के पश्चात जिन वैद्यों को बिलों के प्रमाणित करने के अधिकारों से वंचित किया गया उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्तमान में केवल वैद्य श्री मदनलाल प्रसून राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, एकलसिंगा (अजमेर) को चिकित्सा पुनर्भरण बिलों पर हस्ताक्षर करने से वंचित किया हुआ है। तथा शेष दो को पुनः प्राधिकृत कर दिया गया है।

178

(आयुर्वेद मन्त्री)

(4) सर्व श्री मदनलाल प्रसून तथा मुरलीधर शर्मा के संदर्भ में तत्कालीन उप निदेशक आयुर्वेद कोटा के द्वारा सम्पन्न जांच रिपोर्ट दिनांक 25.3.83 के अनुसार इनके विरुद्ध उनके पुत्र की दुकान के ही अधिकांश बिल प्रमाणित करने तथा सीमा से अधिक बिल प्रमाणित करने के आरोप सही पाये गये जिसके आधार पर इन्हें पुनर्भरण अधिकारों से वंचित किया गया। श्री मदनलाल शर्मा के द्वारा पारित पुनर्भरण बिल निर्धारित सीमा से अधिक होने बावत निदेशक आयुर्वेद की रिपोर्ट माह जनवरी, 1983 में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर इन्हें उक्त अधिकारों से वंचित किया गया।

(5) श्री मदनलाल शर्मा के मामले में तकनीकी जाच भी करवाई गई जिसमें इनके द्वारा पारित उपरोक्त बिल ठीक पाये गये।

श्री मदनलाल शर्मा को पुनर्भरण के बिलों को सत्यापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः प्राधिकृत किया जा चुका है। इसी प्रकार श्री मुरलीधर शर्मा को भी पुनः प्राधिकृत कर दिया गया है।

श्री मदनलाल प्रसून का मामला विचाराधीन है।

सूची

	नाम चिकित्सक व पद	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्री मदनलाल प्रसून, वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, एकलसिंगा (अजमेर)	प. 25 (28) आयुर्वेद/83, दिनांक 22.7.83
2.	श्री मुरलीधर शर्मा, वैद्य, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, छापड़ाखुर्द (जयपुर)	प. 25 (28) आयुर्वेद/83, दिनांक 22.7.83
3.	श्री मदनलाल शर्मा, वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चन्दन निवास (अजमेर)	प. 27 (5) चि. स्वा./73, दिनांक 14.3.83

जयपुर शहर में सीवरेज टैक्स

83 गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सीवरेज टैक्स किस आधार पर व दर पर लगाया गया है ?

(2) सीवरेज टैक्स से प्रति माह कितनी रकम प्राप्त की जा रही है और अभी तक इसका क्या उपयोग किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन स्थानों पर गटर लाइन नहीं डली हुयी है और कई तहारतों का कनेक्शन सोकपिट से है वहां के निवासियों पर भी सीवरेज टैक्स पानी के बिलों के साथ लगा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि सीवरेज टैक्स लग जाने के पश्चात् गटर लाइनों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है और गन्दा पानी सड़कों पर बह रहा है ?

(5) जयपुर शहर में कुल कितने तहारत फ्लश लाइन से जुड़े हुये हैं ?

उत्तर

(1) सीवरेज प्रभार राजस्थान म्यूनिस्पैलेटी एक्ट नं. 38 (1959) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के सैक्शन 92 के सब सैक्शन **2** के अन्तर्गत ऐसे समस्त पानी के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि पर 20 प्रतिशत लगाया गया है।

(2) सीवरेज टैक्स से प्रतिमाह औसतन 2 लाख रुपया की वसूली की जा रही है। यह राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा की जा रही है।

(3) जहां तहारतों का कनेक्शन उनके निजी सोकपिट से हैं उनसे सीवरेज प्रभार वसूल नहीं किया जाता है। यदि भूल से ऐसे किसी उपभोक्ता पर सीवरेज प्रभार लगा दिया गया था, उसकी वसूली तुरन्त रोक दी गई और बिल में संशोधन कर दिया गया।

(4) सीवरेज सिस्टम का रख रखाव सम्बन्धित नगर पालिका की जिम्मेदारी है और वह ही इस कार्य को कर रही है। जहां कहीं गन्दा पानी सड़कों पर बहता है वहां इस समस्या का समाधान नगर पालिका द्वारा किया जाता है।

(5) जयपुर शहर के कुल 32,700 तहारत (फरवरी, 85) सीवर लाइन (फ्लश लाइन) से जुड़े हैं।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग

84. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में अधिकांश कार्यालय आदेश अंग्रेजी में प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सभी राजकीय कार्यालयों का सम्पूर्ण काम-काज, हिन्दी में ही हो इस

1180

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सभी राजकीय कार्यालयों का सम्पूर्ण कामकाज हिन्दी में हो इस दिशा में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु राज्यादेश जारी किये गये हैं। उनकी अनुपालना की दृष्टि से कतिपय कार्यों के लिये हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है और इस पर निगरानी रखी जा रही है। इस दिशा में आवश्यकता के अनुरूप समस्त यथोचित कार्यवाही की जाती रहेगी।

तहसील सांचोर में औषधालयों में स्टाफ की कमी

85. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील-सांचोर में कई आयुर्वेदिक औषधालयों में काफी समय से वैद्य नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त तहसील में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं, जिनमें स्टाफ की कमी कितने औषधालयों में कब से चली आ रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में स्टाफ की कमी कब तक पूरी करदी जावेगी ?

(3) ग्राम छोटी बोरोल, लियावरा एवं सूरावा में आयुर्वेदिक औषधालय कब तक खोलने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल निम्नांकित तीन आयुर्वेद औषधालयों में उनके सम्मुख अंकित अवधि से वैद्य के पद रिक्त हैं :—

स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त हैं
1. झाब	जून, 1984
2. गुढाहेमा	नवम्बर 1984
3. सांचोर	जनवरी, 85 (नवीन औष.)

इसके अतिरिक्त निम्न चार औषधालयों में नर्स/कम्पाउन्डर का पद सृजित नहीं है :—

1. सांकड़
2. झाब
3. पुर
4. सूंधड़ी

(2) योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होते ही नियुक्ति देकर पद भर दिये जावेंगे।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर निम्न मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, ग्रामवासियों या अन्य स्तर से प्रस्ताव आने पर इन स्थानों पर औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकता है :—

1. पर्याप्त निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।

2. अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

3. लाभान्वित जनसंख्या कम से कम 2000 हो।

4. आठ किलोमीटर की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिचाई सुविधा

86. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :** क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण से कुल कितनी भूमि सिंचित होगी ? अब तक कितनी भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो गयी है ?

(2) द्वितीय चरण में अब तक कितनी भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा कितनी आवंटित की जानी है ?

(3) शेष भूमि कब तक आवंटित करने का कार्यक्रम है।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में 17·30 लाख एकड़ प्रवाह (फ्लो) द्वारा एवं 7.70 लाख जलोत्थान (लिफ्ट) द्वारा कुल 25.00 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी।

वर्ष 1983-84 के अन्त तक 2.62 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। वर्ष 1984-85 के अन्त तक 3.48 लाख एकड़ क्षेत्र में कुल सिंचाई क्षमता निर्मित हो जाने का कार्यक्रम है।

(2) अब तक तैयार किये गये अभिलेख अनुसार द्वितीय चरण में 4.12 लाख एकड़ भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हुई है। जिसमें द्वितीय चरण में अब तक 0.84 एकड़ कमाण्ड, 0.78 लाख एकड़ अनकमाण्ड कुल 1.62 लाख एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

इसमें से उपरोक्त आवंटन के बाद शेष 2·50 लाख एकड़ भूमि आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(3) उपरोक्त शेष भूमि अगले लगभग दो वर्षों में आवंटन किये जाने का कार्यक्रम है।

नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में अव्यवस्था

87. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1984-85 में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया ? क्रमोन्नत करने का मापदण्ड क्या था ? कृपया क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये, उनमें निर्धारित समय में निर्धारित छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया ? यदि हां, तो कृपया ऐसे विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय भी माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये हैं, जहां माध्यमिक विद्यालय के लिए नहीं अपितु उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ही पर्याप्त भवन नहीं थे ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्रमोन्नत विद्यालयवार उपलब्ध भवन का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1984-85 में 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। साधनों की उपलब्धता व क्षेत्रीय आवश्यकता तथा मांग को ध्यान में रखकर ही विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभाग को अभी ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

(3) विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नति पर स्थानीय जनता से अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय के लिए समुचित भवन उपलब्ध कराये। सीमित वित्तीय साधनों के कारण राज्य सरकार द्वारा समुचित भवन व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

सत्र 1984-85 में स्वीकृत किये गये माध्यमिक विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पं.स./स.
	जिला—उदयपुर	
1	बड़ो	बड़गांव
2.	पानेरियों की मादड़ी	उदयपुरशहर
3.	कराकलां	लसाड़िया
4.	केसरियाबाद	लसाड़िया
5.	बस्सी	सलूम्बर
6.	करावली	सलूम्बर
7.	पड़ासली	राजसमन्द
8.	झाडौल	झाडौल
9.	कोटड़ा (कन्या)	कोटड़ा
10.	कोजावाड़ा	खैरवाड़ा
11.	सरेरा	खैरवाड़ा
12.	करोली	खमनोर
13.	देलवाड़ा (कन्या)	बड़गांव
14.	कोटड़ी	रेलमगरा
15.	फतहनगर (कन्या)	मावली
16.	गलवां	कुम्भलगढ़
17.	चारभुजा (कन्या)	कुम्भलगढ़
18.	मानपुरा	गोगून्दा
19.	वगडून्दा	गोगून्दा
20.	हीतां	वल्लभनगर
21.	कून्दवा	भीम
22.	धाणा	धाणा
23.	रठोड़ा	सराड़ा

1	2	3
24.	पीपलांत्री	रेलमगरा
25.	वड़गांव	बड़गांव
26.	नवानिया	वल्लभनगर
27.	भीम (कन्या)	भीम

जिला–बांसवाड़ा

1.	रोहिड़ा	गढ़ी
2.	देलवाड़ा	घाटोल
3.	रेयाना	गढ़ी
4.	करजी	दानपुर
5.	छोटीबदरेल	दानपुर
6.	बजवाना	गढ़ी
7.	बांसवाड़ा नई आबादी (कन्या)	बांसवाड़ा
8.	चन्दूजी का गढ़ा	घाटोल
9.	शेरगढ़	बागीडोरा
10.	सज्जनगढ़ (कन्या)	सज्जनगढ़
11.	सुरवानिया	गढ़ी
12.	कसारवाड़ी	कुशलगढ़
13,	पीपलखुंट	पीपलखूंट

जिला–डूंगरपुर

1.	बोडीगामा	आसपुर
2.	गेंजी	बीछीवाड़ा
3.	अम्बाड़ा	सागवाड़ा
4.	खड़गदा (कन्या)	सागवाड़ा

(185)

1	2	3
5.	माडय	सागवाड़ा
6.	वोडामली	सागवाड़ा
7.	न्यूकालोनी संस्कृत वि०	सागवाड़ा
8.	वली	डूंगरपुर
9.	रघुनाथपुरा	"
		जिला-भीलवाड़ा
1.	सरसिया	जहाजपुर
2.	लाखोला	सहाड़ा
3.	रायपुर (कन्या)	रायपुर
4.	श्यामपुरा	माण्डलगढ़
5.	बनकाखेड़ा	माण्डलगढ़
6.	बरसूनी	आसिन्द
7.	आसिन्द (कन्या)	आसिन्द
8.	ज्ञानगढ़	मांडल
9.	पायस	मांडल
10.	दामथल	भीलवाड़ा
11.	सरूपगंज	भीलवाड़ा
12.	कोटड़ी (कन्या)	शाहपुरा
13.	बछखेड़ा	शाहपुरा
14.	छापरेल	जहाजपुर
15.	मूंडियाकलां	बनेड़ा
16.	लाम्बा	हुरड़ा
17.	वाला	धुमांडल
18.	छोटी बिजोलिया	मांडलगढ़

181

1	2	3
		जिला—चित्तौड़गढ़
1.	घटियावली	चित्तौड़गढ़
2.	गिलूण्ड	चित्तौड़गढ़
3.	वानसेन	भदेसर
4.	बामनिया भट्टों का	कपासन
5.	केसून्दा	छोटीसादड़ी
6.	गंगरार (कन्या)	राशिम
7.	जावदा नीमड़ी	भैंसरोडगढ़
8.	भीचोर	बेंगू
9.	बोरदा	चित्तौड़गढ़
10.	मोरवन	डूंगला
11.	जयसिंहपुरा	बड़ीसादड़ी
12.	सालमगढ़	अरनोद
13.	गादोला	प्रतापगढ़
		जिला—जोधपुर
1.	भदवासिया	सरदारपुरा
2.	जाम्बा	बाप
3.	चाम्पासर	बाप
4.	धनारीकलां	भोपालगढ़
5.	बूडकिया	भोपालगढ़
6.	रिया सेठों की	बीलाड़ा
7.	पालासनी	लूणी
8.	कापरड़ा	बिलाड़ा
9.	सिवांचीगेट	जोधपुर

1	2	3
10.	सोमेसर	शेरगढ़
11.	आगोलाई	बालेशर
12.	जाजेवालकलां	सूरसागर
13.	बिलाड़ा (कन्या)	बिलाड़ा
14.	ओसियां (कन्या)	ओसियां
15	खिन्दाकोर	ओसियां
16.	पूनियों की प्याऊ	मण्डोर
17.	केनूकजां	शेरगढ़
		जिला—पाली
1.	साड़िया	रायपुर
2.	आगेवा	जैतारण
3	जैतारण (कन्या)	जैतारण
4.	जैतपुर	पाली
5.	मांडावास	पाली
6.	पिलावणी	रानी
7.	सारण	मारवाड़ जंक्शन
8.	भाटुण्ड	बाली
9.	गुढ़ाकलां	सोजत
10.	धाकड़ी	सोजत
11.	लाटाड़ां	बाली
12.	नोवी	सुमेरपुर
13.	सिन्दरली	देसुरी
14.	वालराई	देसुरी
15.	कोटकिराना	रायपुर
16.	तख्तगढ़ (कन्या)	सुमेरपुर

1	2	3
		जिला--जालौर
1.	गोग	रानीवाड़ा
2.	मूडथला सीसो	जसवन्तपुरा
3.	बागोड़ा	भीनमाल
4.	सेवड़ी	भीनमाल
5.	भूति	आहोर
6.	डूडसी	जालोर
7.	तीखी	सायला
8.	डूंगरी	सांचोर
9.	सांचोर (कन्या)	सांचोर
10.	संस्कृत विद्यालय भीनमाल	भीनमाल
11.	भोंरडा	आहोर
		जिला—सिरोही
1.	बडगांव	सिरोही
2.	मूंगथला	देवदर
3.	निम्बज	देवदर
4.	वीरवाड़ा	पिंडवाड़ा
5.	काछोली	,,
6.	कालन्द्री (कन्या)	सिरोही
7.	कृष्णगंज	,,
		जिला—जैसलमेर
1.	खेतोलाई	लादड़ा
2.	देवीकोट	सम

1	2	3
3.	खोंया	जैसलमेर
4.	संस्कृत विद्यालय, जैसलमेर	,,
		जिला—नागौर
1.	कुचेरा (कन्या)	मूंडवा
2.	घीरड़ोदागोठा	लाडनूं
3.	जानेवा	जायल
4.	रसाल	कुचामन
5.	पीलवा	परबतसर
6.	रावड़ियाद	परबतसर
7.	निम्मोद	डीडवाना
8.	शिव	कुचामन
9.	मुआना	[illegible]
10.	खुडीकलां	डेगाना
11.	सोरासना	[illegible]
12.	देराथल	मूण्डवा
13.	उंटवालिया	नागौर
14.	ढाबां	मेड़ता
15.	भांकरोद	मूण्डवा
16.	दुस्तगाऊ	जायल
17.	लाम्पोलाई	रियांवड़ी
18.	छोटी खाटू (कन्या)	डीडवाना
19.	करकेड़ी	कुचामन

1	2	3
	जिला—बाड़मेर	
1.	खड़ीन	बाड़मेर
2.	पाटोदी	बालोतरा
3.	पचपदरा (कन्या)	,,
4.	माटाला	सिणधरी
5.	अरनियाली	धोरीमन्ना
6.	सोनड़ी	,,
7.	इन्द्राणा	सिवाणा
8.	बामरला	धोरीमन्ना
9.	बायतू (कन्या)	बायतू
10.	जसाई	बाड़मेर
11.	सनादड़ा	बाड़मेर
	जिला—गंगानगर	
1.	मोरजन्ड सिखाना	सादुलशहर
2.	किराड़ावड़ा	भादरा
3.	भानगढ़	,,
4.	दौलतपुरा	श्रीगंगानगर
5.	31 पी एड	रायसिंहनगर
6.	16 पी एस	,,
7.	हरिजन बस्ती नं० 1	गंगानगर
8.	एफ ब्लाक मस्जिद के पास (कन्या)	गंगानगर
9.	चिदमपुरा दिखनादा	हनुमानगढ़
10.	डबलीवासपेमा	,,

1	2	3
11.	हाकमाबाव	संगरिया
12.	न्योलखी	नोहर
13.	रिखवाला खुर्द	हनुमानगढ़
14.	मंडोगोलूवाला (कन्या)	पीलीबंगा
15.	संगर	सूरतगढ़
16.	मलकानाखुर्द	केसरीसिंहपुर
17.	रामपुरा चक आरबी	पदमपुर
18.	जोरावरसिंहपुरा	श्रीकरणपुर
19.	365 आर डो	अनूपगढ़
20.	नाहरावाली	अनुपगढ़
21.	किशनपुराउतराधा	सादुलशहर
22.	ललानिया	नोहर
23.	मदरपुर	नोहर

जिला—बीकानेर

1.	गुरुद्वारा रानीबाजार (कन्या)	बीकानेर शहर
2.	रासीसर	बीकानेर
3.	सेवगों की बगीची नत्थूसर गेट	बीकानेर शहर
4.	मूण्डसर	बीकानेर
5.	बन्धड़ा	नोखा
6.	आरसीपी कालोनी	बीकानेर
7.	कोलायत (कन्या)	कोलायत
8.	जैतपुर	लूनकरणसर

(१९२)

1	2	3
		जिला—सीकर
1.	हरदासकावास	श्रीमाधोपुर
2.	खोई (कन्या)	श्रीमाधोपुर
3.	कांसली	धोद
4.	हर्ष	धोद
5.	भगेगा	नीमकाथाना
6.	कांवट (कन्या)	खण्डेला
7.	दूदवा	दांतारामगढ़
8.	छावनी (कन्या)	नीमकाथाना
9.	गाडोदा	लक्ष्मणगढ़
10.	लक्ष्मणगढ़ कस्वा नं० 1	लक्ष्मणगढ़
11.	रोसावा	फतेहपुर
12.	कायमसर	,,
13.	धींगपुर	दातारामगढ़
14.	रामपुरावेगा श्रीमांगल	नीमकाथाना
15.	गोकुलपुरा	सीकर
16.	संस्कृत वि०. दिवराला	श्रीमाधोपुर
17.	सिंहासन	पिपराली
		जिला—झुंझुनूं
1.	मोही	बुहाना
2.	डूमोलीखुर्द	,,
3.	युगाला	नवलगढ़
4.	डूमरी	,,
5.	हेतमसर	झुंझुनूं

1	2	3
6.	घनूरी	अल्सीसर
7.	रघुनाथपुरा	उदयपुरवाटी
8.	इन्द्रपुरा	उदयपुरवाटी
9.	मेहाड़ाजाटूवास	खेतड़ी
10.	सिहोड़	खेतड़ी
11.	सोलाना	चिड़ावा
12.	कालीपहाड़ी	झुंझुनूं
13.	अड़ूकिया	चिड़ावा
14.	बुडाना	झुंझुनूं
15.	इण्डोली	"
16.	गोठ	खेतड़ी

जिला—चूरू

1.	वांय	तारानगर
2.	रतनपुरा	राजगढ़
3.	पुत्री पाठशाला (कन्या)	चूरू
4.	नाकरासर	चूरू
5.	गोपालपुरा	सुजानगढ़
6.	फोंगा	सरदारशहर
7.	भानोदा	रतनगढ़
8.	कुसुमदेसर	रतनगढ़
9.	आडसर	डूंगरगढ़
10.	चांदगोठी	सादुलपुर
11.	भोजटा	सादुलपुर
12.	भीमसर	सुजानगढ़

1	2	3
13.	राणासर जेतासर	सरदारशहर
14.	पुनरासर	डूंगरगढ़
		जिला—जयपुर
1.	पालड़ीमोना	जयपुरशहर
2.	हीरापुरा	झोटवाड़ा
3.	धनावड़	बांदीकुई
4.	कोलाना	,,
5.	सिकराय (कन्या)	सिकराय
6.	रामपुराडावड़ी	आमेर
7.	खोरामीणा	,,
8.	बोबास	दूदू
9.	महलां	,,
10.	भोजपुरा	फुलेरा
11.	रामजीपुराकलां	,,
12.	आष्टीकलां	गोविन्दगढ़
13.	खेजरोली (कन्या)	गोविन्दगढ़
14.	थोलाई	जमवारामगढ़
15.	बुज	,,
16.	सीमल्वा	चाकसू
17.	भमोरिया	सांगानेर
18.	सोनड़	लालसोट
19.	शिवसिंहपुरा	,,
20.	पवाना	कोटपूतली
21.	चिमनपुरा	,,

1	2	3
22.	हणूतपुरा	शाहपुरा
23.	मनोहरपुरा (कन्या)	,,
24.	मेहन्दवास	फागी
25.	नीमोड़िया	चाकसू
26.	धोला	जमवारामगढ़
27.	जसूता	दौसा
28.	देवगांव	बस्सी
29.	रामनगर	चाकसू
30.	खवारावजी	दौसा
31.	ग्रमरसर (कन्या) रामपुरारूपा	शाहपुरा
32.	झोटवाड़ा	झोटवाड़ा
33.	बरकतनगर (टौंक फाटक)	जयपुर
34.	भांण्डारेज (कन्या)	दौसा
35.	टोडामीणा	जमवारामगढ़
36.	जसवन्तपुरा (संस्कृत)	शाहपुरा

जिला—भरतपुर

1.	पसोपा	डीग
2.	कुरका	रूपवास
3.	ग्राजुऊ	कुम्हेर
4.	बोरेई	,,
5.	खखावली	नगर
6.	लखनपुरा	नंदवई
7.	भोलोली	वैर

1	2	3
8.	नेवाड़ा	वैर
9.	सतवाल	कामां
10.	कुम्हा	सेवर
11.	सिम्को फैक्ट्री	भरतपुर
12.	डीग (कन्या)	डीग
13.	पुरामालोनी	रूपवास
14.	नाम	नदबई
15.	मदनपुर	भरतपुर
16.	बाछरेन	वैर
17.	खोहरी	नगर
18.	सेरून	कामां

जिला—अजमेर

1.	रलावता	किशनगढ़
2.	बरणा	,,
3.	बड़ली	भिनाय
4.	नांद	पुष्कर
5.	तारागढ़	ब्यावर
6.	देवगांव	केकड़ी
7.	प्रान्हेड़ा	,,
8.	मकरेड़ा	नसीराबाद
9.	शिखरानी	मसूदा
10.	दादिया	भिनाय
11.	बुधवाड़ा	पुष्कर
12.	बोर	श्रीनगर

1	2	3
13.	लोडियानां	मसूदा
14.	सिलोरा	

जिला—धौलपुर

1.	कोनी	धौलपुर
2.	करीमपुर	"
3.	रामपुर	राजाखेड़ा
4.	खुडीला	राजाखेड़ा
5.	पिगोरई	बाड़ी
6.	बोरोली	बसेड़ी
7.	बीरोठी	बाड़ी

जिला – अलवर

1.	रोनीजायान	कठूमर
2.	मानका	मुण्डावर
3.	पेहल	मुण्डावर
4.	लगड़वास	किशनगढ़वास
5.	बहादुरपुर (कन्या)	"
6.	दिगवाड़ा	राजगढ़
7.	तलाब	"
8.	बूंटोली	लक्ष्मणगढ़
9.	उमरेन	उमरेन
10	बानसूर (कन्या)	बानसूर

1	2	3
11.	कान्हड़का	कोटकासिम
12.	अंगारी	थानागाजी
13.	टहला (कन्या)	राजगढ़
14.	मालपुरा	लक्ष्मणगढ़
15.	धनेटा	रामगढ़
16.	मन्नीकावड़ (कन्या)	अलवर
17.	विचगांव	कठूमर
18	रायसराणा	बहरोड़
19.	कोहराना	बहरोड़
20.	भिवाना	तिजारा
21.	मोलिया	लक्ष्मणगढ़

जिला-कोटा

1.	विज्ञाननगर	कोटा शहर
2.	छावनी (कन्या)	,,
3.	दोहत	किशनगंज
4	बजरंगगढ़	,,
5.	चोगा	सुल्तानपुर
6.	रेलगांव	,,
7.	रटावद	बारां
8.	बम्बोरीघाट	छबड़ा
9.	दादाबाड़ी (शास्त्रीनगर)	कोटा शहर
10.	कुम्भकोट	रामगंजमंडी
11.	नीमोला	इटावा
12.	ढीपरी चम्बल	पीपल्दा
13.	बराना	बारां

1	2	3

जिला—बून्दी

1.	दोहित	नैनवा
2.	तीरथ	तालेड़ा
3.	घोवड़ा	हिण्डोली
4.	पेचकीबावड़ी	हिण्डोली
5.	जरखोदा	नैनवा
6.	ओंकारपुरा	तालेड़ा
7.	भायजा	केशोरायपाटन

जिला—टोंक

1.	पराना	टोंक
2.	देवल	टोंक
3.	राजपुरा	मालपुरा
4.	भांसू	टोडारायसिंह
5.	बावड़ी	"
6.	डोडवाड़ी	टोंक
7.	सोयला	टोंक
8.	सिरोही	निवाई
9.	सोप	उनियारा
10.	गुराई	देवली
11.	सांवतगढ़	देवली

जिला—सवाई माधोपुर

1.	गन्धारा	बोली
2.	मानटाउन (कन्या)	सवाईमाधोपुर
3.	दौलतपुरा	खण्डार

1	2	3
4.	तिगरिया	महुआ
5.	हिम्मतसिंह	महुआ
6.	बागोर	टोडाभीम
7.	कमरपुरा	,,
8.	सलेमपुर	सपोटरा
9.	सेमरदा	सपोटरा
10.	बगलाई	गंगापुर
11.	साधपुर	करौली
12.	राजोर	करौली
13.	वहरावडांकलां	खण्डार
14.	सिकरोदा मीना	हिण्डौन
15	डावरा	सपोटरा
16.	अहमदपुर (अलीगंज)	गंगापुर
17.	पट्टीकलां (कन्या)	बामनवास
18.	करसोली	हिण्डौन
19.	सेलू	सवाईमाधोपुर
20.	विणजोरी	बामनवास

जिला—झालावाड़

1.	ल्हास	मनोहरथाना
2.	तारण	खानपुर
3,	घटोद	पिडावा
4.	झालावाड़ रोड	झालरापाटन
5.	चुरेल्वा	मनोहरथाना
6.	गोलाना	खानपुर
7.	सिरोपई	पिडावा
8.	उन्हेल	डग
9.	कुन्डला	डग
10.	मिश्रोली	झालरापाटन

स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रोगों के उपचार की व्यवस्था

88. श्री हरीश (खानपुर)
श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा एवं झालावाड़ में कहां कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? क्या उक्त जिलों के अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों में पूरा स्टाफ नहीं है ? यदि हां, तो किस किस केन्द्र में तथा कब तक पूर्ण स्टाफ लगा दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त केन्द्रों में सांप के काटने, पागल कुत्ते के काटने व पोलियो की दवाइयां व उपचार की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो किस किस पी. एच. सी. में हैं और किस किस में नहीं है ? जहां नहीं है, वहां कब तक पूरी दवाइयां उपलब्ध करवा दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) कोटा झालावाड़ जिलों में क्रमशः 12 व 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्न स्थानों पर है :—

कोटा	झालावाड़
1. आवा	1. असनावर
2. अटरू	2. मनोहरथाना
3. बामला	3. पीडावा
4. जेपला	4. बकानी
5. कैथून	5. खानपुर
6. केलवाड़ा	6. डग
7. मण्डावरा	
8. मोडक	
9. मामोरीकलां	
10. पीपल्दा	
11. सारथ	
12. किशनगंज	

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ममोरीकलां, केलवाड़ा, अटरू, सारथल पीपल्दा, बामला, जिला कोटा व प्रा. स्वा. केन्द्र, खानपुर, पीडावा, बकानी, डग व मनोहर थाना जिला झालावाड़ में स्टाफ की कमी है।

योग्य प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति करना सम्भव होगा।

(2) कोटा जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोलियो व सांप के काटने की दवाइयां उपलब्ध रहती हैं। जिला झालावाड़ में पोलियो की दवाई सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है परन्तु सांप के काटने की दवाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मांग पत्र आने पर उपलब्ध करा दी जाती है। वर्ष 84-85 में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र असनावर के मांग पत्र आने पर सांप काटने की दवाई उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वर्ष में अन्य केन्द्रों पर भी व्यवस्था की जा सकेगी। पागल कुत्ते के काटने की दवाई कोटा एवं

(चिकित्सा मन्त्री)

झालावाड़ जिला अस्पतालों पर उपलब्ध है। सभी केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

गृह कर लगाने का मापदण्ड

89. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् द्वारा गृह कर भवनों पर लगाये जाने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कालोनियों में गृह कर लगाने का एक सा मापदण्ड है ?

(3) क्या यह सही है कि विकास प्राधिकरण की एक ही कालोनी में एक से मकानों पर गृह कर की राशि अलग-अलग है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर परिषद द्वारा भवनों पर गृहकर लगाये जाने का मापदण्ड वार्षिक किराया है। वार्षिक किराये पर $6\frac{1}{4}$/. प्रतिशत की दर से गृहकर लगाया जाता है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह सम्भव है। मकान यदि किराये पर दिया हो तो वास्तविक किराये की राशि पर गृहकर निर्धारित किया जाता है। इसलिए एक ही कालोनी में किराये पर दिये मकानों के गृहकर में अन्तर सम्भव है। क्योंकि किराये भिन्न-भिन्न है, किन्तु अन्य मकान जिनमें कि स्वयं मकान मालिक रहते हैं उनमें गृहकर निर्धारण की प्रक्रिया समान है एवं निर्धारित नियम है।

कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल्स

90. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य में कामकाजी महिलाओं हेतु कहां-कहां होस्टल्स का निर्माण कराया गया है ?

(2) सन् 1984-85 में ऐसे कितने होस्टल्स खोलने का प्रस्ताव था और कितने खोले गये हैं ?

(3) क्या सरकार अजमेर में ऐसा होस्टल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में कामकाजी महिलाओं हेतु अलवर, भरतपुर, वनस्थली, श्री गंगानगर तथा अजमेर में छात्रावास भवनों का निर्माण कराया गया है। सांगरिया जिला श्री गंगानगर में कुछ काम बाकी है।

(2) सन् 1984-85 में कोई होस्टल खोलने का प्रस्ताव नहीं था।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) अजमेर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास भवन का 1980 में ही निर्माण कराया जा चुका है।

युवक बोर्ड के गठन उपरांत हुए कार्य

93 श्री अश्क अली (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में युवक बोर्ड के गठन के पश्चात् युवकों के हितार्थ क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार युवकों के बौद्धिक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास को उच्च प्राथमिकता देने हेतु क्या कार्यक्रम तैयार कर रही है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवक बोर्ड का गठन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष से सम्बन्धित कार्यों को संगठित तथा समन्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया है। युवा वर्ष में विभिन्न समारोहों के आयोजन एवं कार्यक्रमों का विवरण उक्त समितियों को भेज दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ. 9 (7) शिक्षा-4/83 जयपुर, 23 फरवरी, 1985

—: आदेश :—

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 के वर्ष को "अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। युवा वर्ष से सम्बन्धित कार्यों को संगठित तथा समन्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले/जिला स्तर की निम्नलिखित समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :

1.	जिलाधीश	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख	सदस्य
3.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) या अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी/उप जिला विकास अधिकारी।	,,

(204)

4.	अध्यक्ष/प्रशासक, नगर परिषद् (मुख्यावास)	सदस्य
5.	युवा समन्वयक, नेहरू युवक केन्द्र ।	,,
6.	एन. सी. सी. का प्रतिनिधि	,,
7.	राष्ट्रीय सेवा आयोजना का समन्वयक ।	,,
8.	मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालय का प्राचार्य या विश्वविद्याल का पंजीयक ।	,,
9.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र एवं छात्राओं), का एक-एक प्रधानाध्यापक ।	,,
10.	जिले में उपयोगी सामाजिक कार्य कर रही सामाजिक संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि ।	,,
11.	एक महिला सामाजिक कार्यकृत्रि ।	,,
12.	एक ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ।	,,
13.	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।	सदस्य सचिव

उक्त समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो इस समिति में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जन जाति के 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन कर सकते हैं। इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक आयोजित की जाये ।

इस समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में जिन समारोहों का आयोजन किये जाने की अपेक्षा की जाती है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ठ में उपलब्ध है ।

आज्ञा से,
Sd/-
(पी. बी. माथुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिलाधीश
2. समस्त जिला प्रमुख
3. अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी/उप जिला विकास अधिकारी (जिला मुख्यालय) ।
4. अध्यक्ष/प्रशासक, नगर परिषद् (जिला मुख्यालय) ।

5. निदेशक, एन. सी., सी. राजस्थान, जयपुर । कृपया प्रत्येक जिले में एन. सी. सी. के प्रतिनिधित्व हेतु सम्बन्धित जिलाधीश को नाम भेजें ।
6. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
8. निजी सचिव, मुख्य मन्त्री/मुख्य सचिव ।
9. निजी सचिव/विशिष्ट सचिव/शिक्षा मन्त्री/उच्च शिक्षा मन्त्री/राज्य मन्त्री खेल ।
10. उप सचिव, खेल विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
11. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर ।
12. पंजीयक, राजस्थान विश्वविद्यालय/मोहनलाल सुखाड़िया विश्व विद्यालय/ जोधपुर विश्वविद्यालय ।
13. युवा समन्वयक, समस्त नेहरू युवक केन्द्र ।
14. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (जिला मुख्यालय) ।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी । कृपया माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र एवं छात्राओं) के एक-एक प्रतिनिधि का नाम सम्बन्धित जिलाधीश को भेजें ।
16. सचिव, खेल मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
17. सहायक कार्यक्रम परामर्शदाता, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय कार्यालय, 108-हास्पीटल रोड, जयपुर ।
18. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर । कृपया समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए सामग्री प्रकाशित करवायें ।
19. रक्षित पत्रावली ।

ह०/-
उप शासन सचिव

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष–1985 के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समारोह की रूप रेखा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप वर्ष भर में निम्नलिखित समारोह का आयोजन किया जा सकता है जिससे युवाओं की समाह के विभिन्न विकास कार्यों में सहभागिता में वृद्धि हो सके :—

(1) फरवरी, 85–सहभागिता

स्थानीय समस्याओं व कठिनाइयों को राजकीय व गैर राजकीय विभागों/संस्थाओं के सहयोग से हल किया जाना।

ग्रामीण समस्याओं के संबंध में साहित्य-लेखन कार्य (यथा गीत, नाटक, निबन्ध इत्यादि) कराया जाना तथा समस्यापरक विषयों पर रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ऐसे कार्यक्रम के लिए कठपुतली प्रदर्शन भी एक सशक्त ग्रामीण माध्यम सिद्ध हो सकता है।

(2) मार्च, 85—विकास माह :

कार्य (क) स्वयं युवा का विकास	(ख) समाज का विकास
1. शरीर को बलशाली बनाने के उपाय।	1. सामाजिक समानता व न्याय की दिशा में किये गये कार्य।
2. चरित्र सुधार व अनुशासन।	2. स्वतन्त्रता व दायित्वबोध पर विचार।
3. नशीले पदार्थों का परित्याग।	3. सामाजिक कुरीतियों व अन्य विश्वासों को हटाने सम्बन्धी प्रयास
4. सत्साहित्य का पठन-पाठन तथा शिक्षा का प्रसार।	4. जाति-पांति व छुआछूत मिटाने संबंधी प्रयास।
5. ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार उपलब्ध कराना।	5. आर्थिक न्याय दिलाने के उपायों पर विचार।

विविध—

(1) समाजवाद। (2) प्रजातन्त्र। (3) धर्म-निपेक्षता। (4) सही नेतृत्व।

(5) मताधिकार क्यों और कैसे। (6) पंचायती राज। (7) स्वतन्त्रता आन्दोलन। (8) भारत का संविधान। (9) देशप्रेम। (10) राष्ट्रीय एकता।

उपर्युक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के विविध साधन

विचार गोष्ठी, भाषण, सभायें, साहित्य-पठन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, व्यायाम, योगाभ्यास, उचित आहार-विहार, स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित भोजन (सस्ते व पौष्टिक आहार) चरित्र सम्बन्धी कहानी, नाटक, गीतों की रचना प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय में नामांकन अभियान, आदि।

(3) अप्रेल, 85—शांति माह

इस माह में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं—

(क) स्नेह-सम्मेलन।

(ख) जाति-पाति/छुआ-छूत निवारण संबंधी विविध कार्यक्रम।

(ग) कमजोर आय-वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक कार्यक्रम।

(घ) "शांति" का तात्पर्य तथा युवा-विकास एवं समाज की उन्नति में युवाओं की भूमिका को स्पष्ट करने हेतु—

(1) विचार गोष्ठियों का आयोजन,

(2) भाषण व वार्तायें कराना,

(3) निबन्ध व वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराना,

(4) शांति से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, महान नेताओं तथा उनके कार्यों से सम्बन्धित चित्रों व साहित्य की प्रदर्शनी लगाना,

(5) शांति से सम्बन्धित साहित्य को एकत्रित कर पुस्तकालयों/वाचनालयों की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी नवीन साहित्य की रचनाएं करवाना,

(6) शांति के पहलुओं से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना,

(7) "सामाजिक एवं आर्थिक समता होने पर ही वास्तविक एवं स्थायी शांति सम्भव है और युवा-वर्ग ऐसी समता उत्पन्न करने में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता है"—इस विषय से सम्बन्धित विविध कार्यक्रमों का आयोजन,

(8) "शक्ति, क्षमा तथा शांति" विषय के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार का आदान-प्रदान,

208

(9) शांति स्थापना के वातावरण हेतु प्रभात-फेरियों, शांति रैलियों का आयोजन ।

(4) मई, 85–देश-प्रेम पखवाड़ा (1 मई से 15 मई)

कार्यक्रम—

(1) विचार गोष्ठियों (विषय–राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय अखण्डता, युवा-चरित्र एवं अनुशासन, राष्ट्रीय भावना क्यों और कैसे, इत्यादि)

(2) प्रदर्शनी—राष्ट्र प्रेमियों, समाज सेवियों, राष्ट्रीय सेवाओं के जीवन व कार्यों से सम्बन्धित साहित्य व चित्र ।

(3) साहित्य—राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत गीत, नाटक, लेखों का संकलन, लोक भाषा में नवीन साहित्य की रचना, पुस्तकालयों की स्थापना, इत्यादि ।

(4, सांस्कृतिक कार्यक्रम–उपयुक्त विषयों पर कार्यक्रम-आयोजित व नई रचनाओं का सृजन ।

(5) रैलियां–राष्ट्रपरक नारों के साथ युवा-रैलियों का आयोजन ।

(6) सामुदायिक राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले समूह-गीतों, समूह गीतों का अभ्यास व प्रशिक्षण कार्यक्रम । यथासम्भव राष्ट्रीय का प्रचार व गीतों का कैसेट में रिकार्डिंग कराना ।

प्रसारण –

राष्ट्रीय एकता पखवाड़ा— (16 मई से 31 मई)

कर्यक्रम--

(1) उपर्युक्त प्रथम पखवाड़े में दिये गये सभी कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं।

(2) अन्तरग्राम/अन्तर-पंचायत समिति यात्रायें (ऐतिहासिक, धार्मिक व औद्योगिक स्थलों का अवलोकन) तथा पद-यात्रायें ।

(3) अन्तर्जातीय सहभोज ।

(4) स्नेह-सम्मेलन ।

(5) जाति-पांति व छुआछूत निवारण कार्य क्रम ।

(6) सामाजिक एवं आर्थिक समता सम्बन्धी कार्यक्रम ।

(7) समतावादी साहित्य को संकलित करना तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना इत्यादि ।

(5) जून, 85–महिला जागृति माह

कार्यक्रम–

(1) महिला सम्मेलनों का आयोजन।

(2) महिला-वर्ग की समस्याओं का संकलन।

(3) महिला नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

(4) महिलाओं के नेतृत्व में विविध कार्यक्रमों के संचालन पर उपाय।

(5) महिला-पुरुष असमानता के पहलुओं पर विचार।

(6) महिला वर्ग की आमदनी बढ़ाने हेतु विविध उपाय।

(7) विश्व/भारत की श्रेष्ठ महिलाओं की जीवनियों को उपलब्ध कराना।

(8) नारी-साहित्य हेतु पुस्तकालय खोलना।

(9) नारियों द्वारा निर्मित/उत्पादित विविध वस्तुओं की प्रदर्शनी।

(10) महिलाओं हेतु भ्रमण कार्यक्रम (राजकीय सहयोग भी प्राप्त करें) इत्यादि।

(6) जुलाई, 85–"जन शिक्षा" माह

कार्यक्रम––

(1) "स्कूल चलो" अभियान (सर्वेक्षण तथा नामांकन) आयोजित करना।

(2) प्रौढ़ शिक्षा व स्त्री—शिक्षा कार्यक्रम को बल प्रदान करना।

(3) वाचनालय व पुस्तकालय की स्थापना।

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रमों (अज्ञान तथा अशिक्षा से उत्पन्न समस्याओं पर आधारित) का आयोजन।

(5) सभाओं, विचार-गोष्ठियों का तथा भाषणों का आयोजन।

(6) शिक्षा —प्रसारण हेतु प्रचार-साहित्य का वितरण तथा दीवारों पर लेखन।

(7) शैक्षिक व ऐतिहासिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।

(8) फिल्म-प्रदर्शन।

(9) कठपुतली-निर्माण व प्रदर्शनी (सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित कठपुतली साहित्य की स्थानीय भाषाओं में रचना) तथा "कठपुतली मण्डल" की स्थापना।

(7) **अगस्त, 85-युवा कृषि, व्यवसाय तथा सहकारिता माह**

कार्यक्रम—

(1) सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के साधनों व युवा-प्रतिभाओं की खोज।

(2) राजकीय व गैर-राजकीय व्यवसायिक/विभागों/संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।

(3) श्रम तथा हाथ के कार्य को समाज में सम्मान दिलाने पर विचार।

(4) गांवों में कुटीर-उद्योगों की स्थापना।

(5) राजकीय योजनाओं (विशेषतः ग्रामीण युवा-रोजगार कार्यक्रमों) की जानकारी व प्रशिक्षण दिलाना।

(6) कृषि के विकास के लिए आवश्यक खाद, कीटनाशक औषधियों, उत्तम बीज, आदि की जानकारी के लिए वार्तायें आयोजित करना।

(7) सहकारिता के आधार पर उद्योग, व्यवसाय और कृषि, आदि के संचालन हेतु समितियों का गठन।

(8) **सितम्बर, 85-स्वास्थ्य माह**

कार्यक्रम—

(1) संतुलित, पौष्टिक व सस्ते भोजन की जानकारी।

(2) युवाओं द्वारा खेलकूद, व व्यायामशालाओं सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन तथा व्यायामशालाओं की स्थापना।

(3) मादक पदार्थों का परित्याग।

(4) सत्साहित्य का प्रचार।

(5) व्यक्तिगत तथा जन-स्वास्थ्य व सफाई सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन।

(6) बाल-स्वास्थ्य तथा महिला-स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों का आयोजन।

(7) स्वास्थ्य-जांच कार्यक्रम।

(8) ऑपरेशन-शिविरों का आयोजन।

(9) परिवार-कल्याण शिविरों का आयोजन।

(10) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदर्शनी, फिल्म-प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य व शरीर विज्ञान से सम्बन्धित साहित्य की उपलब्धि।

(11) स्वास्थ्य प्रतियोगितायें-युवा सौष्ठव शरीर प्रतियोगितायें वाली स्वास्थ्य प्रतियोगितायें, बालिका खेलकूद प्रतियोगितायें, आदि ।

(9) अक्टूबर, 85—युवा-चरित्र माह

कार्यक्रम—

युवा-चरित्र के उन्नयन के लिए उन सभी विविध साधनों/कार्यक्रमों का उपयोग हो सकता है, जो गत माहों में अपनाये गये हैं, विशेषतः

(1) व्यक्तिगत चरित्र क्या, और कैसे विषय पर विचार ।

(2) व्यक्तिगत चरित्र व राष्ट्रीय-उत्थान का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार करना ।

(3) व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय-चरित्र से अभिप्राय विषय पर विचार तथा विद्वानों के भाषण आयोजित कराना ।

(4) चरित्र-सम्बन्धी साहित्य का संकलन तथा रचनायें करवाना ।

(5) युवा-चरित्र तथा देशभक्ति से सम्बन्धित नाटक, गीत, कहानियां व उपन्यास आदि को प्रोत्साहन करने के तरीकों पर विचार करना ।

(6) युवाओं द्वारा व्यक्तिगत बुराइयों तथा दुराचरणों से दूर रहने की शपथ ।

(7) मादक-पदार्थों का परित्याग करना, इत्यादि ।

(10) नवम्बर, 85—व्यवस्थित चिन्तन तथा तकनीकी विकास माह

कार्यक्रम—

(1) "वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यवस्थित चिन्तन तथा भारतीय गांव व युवा-धर्म की भूमिका" पर विद्वानों के भाषण तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन ।

(2) "वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य तथा इसके विकास में युवा-वर्ग की भूमिका" विषय पर भाषण व निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित कराना ।

(3) "विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों व भारत" विषय से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना-भाषण, साहित्य, फिल्म, यात्राओं, इत्यादि ।

(4) "दैनिक जीवन में विज्ञान विशेषतः ग्रामीणों के लिये" विषय पर विशेषज्ञों के भाषण कराना व विचार-गोष्ठियों का आयोजन ।

(5) वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों की प्रदर्शनी दिखाना व युवाओं के दलों को वैज्ञानिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक मेलों में ले जाना ।

(6) विज्ञान से सम्बन्धित सरल व सुलभ साहित्य को युवाओं के लिए उपलब्ध कराना ।

(1') दिसम्बर. 85-अन्तर्राष्ट्रीय युवा-वर्ष समापन माह

(1) संगठन सप्ताह (1 से 7 दिसम्बर)

अन्तर्राष्ट्रीय युवा-वर्ष की समाप्ति के इस अवसर पर युवा लोग अपने-अपने मंडलों की स्थिति का पुनरावलोकन करेंगे तथा इस दिशा में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करेंगे :—

(क) युवक मण्डलों/महिला मण्डलों की वर्तमान स्थिति पर विचार।

(ख) आगामी वर्ष में नये युवा मण्डलों को खोलने पर विचार।

(2) युवा मेला समारोह (8 से 22 दिसम्बर)—

कार्यक्रम—

(क) अर्न्तग्राम/अन्त पंचायत समिति तथा जिला स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(ख) विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों (जैसे-उद्योग, चित्र, हस्तकला, युवा-साहित्य, युवाओं द्वारा रचित नव-साहित्य, इत्यादि) का आयोजन।

(ग) युवा विचार-गोष्ठियों का आयोजन।

(घ) साहसिक युवा कार्यक्रमों का आयोजन।

(च) युवा रैलियों का आयोजन।

(छ) युवा-सम्मेलनों का आयोजन (जिनमें युवा अपनी समस्याओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय युवा-वर्ष के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सफलताओं/अनुभवों की भी जानकारी दें।

(ज) जिला-स्तरीय पुरस्कार—वितरण समारोह।

(झ) युवाओं द्वारा राष्ट्रीय एकता व देश-प्रेम की शपथ-ग्रहण करना।

(3) मूल्यांकन तथा आयोजन (22 से 31 दिसम्बर, 1985)

(क) इस समयावधि में युवा लोग अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष से सम्बन्धित पूरे वर्ष के अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में वे अपनी वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के अतिरिक्त, अपने कार्यक्रमों की उपलब्धियों तथा कमियों का लेखा-जोखा करेंगे।

(ख) गत वर्ष के अपने कार्यक्रमों, तीनों सूत्रों-सहभागिता, विकास तथा शान्ति तथा देश की आवश्यकताओं, देश-प्रेम राष्ट्रीय एकता, युवा-चरित्र, इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्ष (1986) की रूप रेखा पर विचार करेंगे।

पचपदरा क्षेत्र के गांवों में पेयजल व्यवस्था

94. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम परेऊ, कूपलिया, कोकसर इत्यादि ग्रामों में पानी सप्लाई की होदियां बनी हुई हैं एवं स्टाफ नियुक्त है, किन्तु पेयजल सप्लाई वर्षों से नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना वर्ष 1970 में 2.17 लाख गैलन प्रतिदिन जल वितरण हेतु अभिकल्प की गई थी जिसमें पशुओं की मांग सम्मिलित नहीं है, जबकि वर्तमान में पशुओं की मांग सम्मिलित करते हुए योजना में पानी की कुल मांग 4 लाख गैलन प्रतिदिन है। अत योजना में उत्पादन के विपरीत मांग बहुत अधिक होने से एवं गांव योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण जल वितरण नहीं होता है।

(2) उक्त क्षेत्र में एक क्षेत्रीय योजना उण्डू उत्तरनी ए. आर. पी. के तहत स्वीकृत है, इस योजना को पूर्व संधारित योजना उण्डू कुम्पालियां के समस्त गांवों का प्रावधान लेकर एक योजना रु. 267.67 लाख की बनाई गई है। जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से माह सितम्बर, 1984 में प्राप्त हुई है। इस नई योजना में पशुओं की मांग भी सम्मिलित की गई है। उक्त योजना के पूर्ण होने पर समस्त समस्याग्रस्त गांवों को सुचारु रूप से जल वितरण करना सम्भव हो सकेगा। इस योजना के वर्ष 87-88 तक पूरी होने की आशा है।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत पकड़े गये मामले

95. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अप्रेल, 1984 से जनवरी, 1985 तक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले पकड़े गये तथा उनमें कितनी मात्रा तथा राशि का माल पकड़ा गया ? कृपया सम्पूर्ण मात्रा एवं मूल्य की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने मामलों का कोर्ट में चालान पेश किया गया तथा कितनों में अनुसंधान जारी है ? कितने छापे मारे गये ? कितने मामलों में किस आधार पर केस वापिस लेने की सिफारिश की गई ?

उत्तर

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में अप्रेल, 1984 से जनवरी, 1985 तक 2769 मामले दर्ज हुए। जब्त किये हुए माल की जिलेवार मात्रा एवं

214

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

उसके आंके गये मूल्य की सूचना संलग्न तालिका परिशिष्ट (अ) में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 98 मामलों में कोर्ट में चालान पेश किये गये, 97 मामलों में अनुसंधान जारी है, 1971 मामलों में छापे मारे गये। उपरोक्त अवधि में किसी मामले को न्यायालय से वापिस लिये जाने की सिफारिश नहीं की गई।

सूचना

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	नाम जिला	दर्ज हुए मामले की संख्या
1.	अजमेर	419
2.	अलवर	3
3.	बाड़मेर	10
4.	बून्दी	9
5.	बांसवाड़ा	95
6.	भरतपुर	411
7.	भीलवाड़ा	3
8.	बीकानेर	2
9.	चूरू	5
10.	चित्तौड़गढ़	115
11.	डूंगरपुर	9
12.	श्रीगंगानगर	7
13.	जयपुर	702
14.	जोधपुर	7
15.	जैसलमेर	1
16.	जालोर	6
17.	झुंझुनूं	4

1	2	3
18.	झालावाड़	6
19	कोटा	19
20.	नागौर	224
21.	पाली	112
22.	सीकर	2
23.	सवाई माधोपुर	130
24.	सिरोही	121
25.	टौंक	142
26.	उदयपुर	3
27.	धौलपुर	202
	योग	2,769

परिशिष्ट "अ"

जब्त की गई वस्तुओं का विवरण

क्र.	नाम जिला	जब्त किये गये माल की कुल राशि रु.	गेहूं (क्विं)	चीनी (क्विं)	केरोसिन (लीटर)	वनस्पति घी (टिन)	खाद्य तेल (टिन)	सीमेन्ट (थैले)	दलहन (क्वि.)	डीजल (लीटर)	अभ्यास पुस्तिका	चावल (क्वि.)	तिलहन (क्वि.)	खाद्यान्न (क्वि)	चाय (पेटी)	नि० (कपड़ा मी.)	खण्डसारी (क्वि.)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अजमेर	1,05,600	277.00	21.00	—	—	—	—	-	—	1500	5.60	—	109.00	6	—	—	1.4 क्वि. लाल मिर्च
2.	अलवर	2,16,859	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	5·00	—	—	—	—	68 केन दूध के 29.36 क्वि एक ट्रक
3.	बाड़मेर	2,34,550	4.44	60.57	216	9	—	50	23.00	—	—	12.00	—	54.00	—	—	—	72 क्वि. गुड़ 165 क्वि. 3 लोहे की कड़ाव
4.	बूंदी	36,344	35.00	24.03	—	—	27	—	12.60	—	—	—	0.70	72.27	—	775	—	3.65 क्वि. गुड़
5.	बांसवाड़ा	11,088	—	—	—	—	37	—	—		42	—	—	—	—	—	—	—
6.	भरतपुर	5,575		0.19	95	—	—	—	—	1230	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	भीलवाड़ा	7 200	2.08	—	—	—	—	—	—	—	अभ्यास पुस्तिका	—	—	19.40	—	—	—	—
8.	बीकानेर	16,000	—	6.00	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	चूरू	28,109	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.70	—	106.24	—	—	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	63,091	15.50	2.55	—	—	—	269	115.64	—	—	—	1.00	116.83	—	—	—	—
11.	डूंगरपुर	56,536	27.00	88.00	50	—	2.5	191	2.50	—	—	1.93	—	158.00	—	—	—	4 क्वि गुड़
12.	श्री गंगानगर	44,764	—		7440	—	—	30	—	—	—	3.90	—	139.85	—	—	—	1 गैस सिलेण्डर
13.	जयपुर	3,92,917	—	72.23	895	41	70	80	—	—	—	—	—	508.00	116	308.5	—	—
14.	जोधपुर	20,964	—	14.70	2763	—	—	—	15.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	जालौर	3,23,474	—	10.55	—	—	—	—	—	—	—	—	364.66	—	—	—	—	3 ट्रक. 2 गैस सिले.
17.	झुन्झुनू	53,661	24.00	—	420	—	—	300	—	—	—	—	18·00	45.00	—	—	—	—
18.	झालावाड़	7,750	—	17.89	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	कोटा	1,56,516	46.68	15.22	4380	—	—	135	—	—	—	—	19.55	—	135	—	5.35	234 बैग खाद
20.	नागौर	1,34,175	—	20.40	1520	26	6	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ट्रैक्टर 1, 1ट्राली बैलगाड़ी 1,
21.	पाली	1,54,650	—	5 00	—	—	—	—	—	—	—	—	216.00	—	—	—	—	1 ट्रक
22.	सीकर	4,000	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	3.00	—	—	40	2.00	—
23.	सवाईमाधोपुर	1,09,451	—	—	12675	—	—	53	26.00	507	6876	—	—	94.00	—	—	—	—
24.	सिरोही	335	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	दूध व मावा 1.97 क्वि.
25.	टोंक	800	—	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उदयपुर	1,05,800	33.18	7.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.73	—	—	—	—
27.	धौलपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	22 90 202	464.88	367.68	30794	76	180.5	1481	195.44	1737	8413	26.13	627.91	1568.32	257	1123.5	7.85	

पंचायत समिति, निवाई में पेय जल व्यवस्था

96. श्री ग्यारसीलाल (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, निवाई के ग्राम करेडा बुजर्ग एवं चनानी में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) यदि हां, तो इन गांवों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कौनसी एवं कब से योजना विचाराधीन है एवं यह योजना प्रारम्भ कब हो जावेगी ? इसमें कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति निवाई के गांव करेडा बुजुर्ग को वर्ष 1980-81 में पारम्परिक स्रोत योजना से एवं गांव चनानी को वर्ष 1981-82 में तीन हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया गया था। गांव करेडा बुजुर्ग की योजना का रख रखाव पंचायत द्वारा किया जाता है एवं वर्तमान में यह योजना बन्द पड़ी है। वर्तमान में गांव चनानी का पानी खारा होने की वजह से 2 हैण्ड पम्प बन्द कर दिये गये हैं। एक हैण्ड पम्प चालू है।

(2) गांव करेडा बुजुर्ग की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। गांव चनानी की पेयजल समस्या के निराकरण के लिये गांव में स्थित कुए से जिसका पानी मीठा है एक योजना विचाराधीन है। तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृति की जायेगी। इस योजना पर 1.98 लाख रुपये व्यय का अनुमान है।

दूदू क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय

97. श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कहां-कहां कितनी प्राथमिक शालाएं खोली जा चुकी हैं तथा कहां खोलनी शेष हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में अब किन-किन गांवों में प्राथमिक शालायें खोली जाने का प्रस्ताव है तथा कब तक खोल दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्रानुसार विद्यालय नहीं खोले जाते हैं। दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक 127 प्राथमिक शालायें खोली गई हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अब और कोई विद्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति दूदू में अब तक खोले गये राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	दूदू
2.	भोजपुरा
3.	छप्या
4.	श्रीरामनगर
5.	गाजी
6.	उदयपुरिया
7.	नानण
8.	पवालिया
9.	बीजोलाव
10.	बागेत
11.	गुढ़ासरायपुरा
12.	बासड़ा
13.	गिदानी
14.	पालूखुर्द
15.	सावरदा (कन्या)
16.	लापोडिया
17.	सनोदिया
18.	कचनारिया
19.	नगरी
20.	ईटाखोई
21.	रहलाना (क.)
22.	मागलवाड़ा
23.	छापरवाड़ा

1	2
24.	सुनाड़िया
25.	सेवा (क.)
26.	रसीली
27.	दयालपुरा
28.	गणेशपुरा
29.	नोरंगपुरा
30.	खेड़ीचारवान्
31.	मोजमाबाद
32.	झाग
33.	झाग (क.)
34.	डांपरा
35.	धमाना
36.	किशनपुरा
37.	खटवाड़ा
38.	अखैपुरा
39.	मीरापुरा
40.	रामपुरामुट्या
41.	महेशपुरा
42.	सवाईमाधोसिंहपुरा
43.	डेडू
44.	खेड़ीसुम्रां
45.	सरवली (क.)
46.	गंगातीखुर्द
47.	फरियादपुरा
48.	मोखमपुरा

1	2
49.	बिचून
50.	कड़वाकाबास
51.	कपाडियावासखुर्द
52.	कपाड़ियावासकलां
53.	गोपालपुरा
54.	कचनार
55.	महेशवास
56.	नथावास
57.	पालवास
58.	पालूकलां
59.	बोराज
60.	बोराज (क.)
6'.	देवला
62.	मूरपुरा
63.	कोटजेवर
64.	बाड़िया
65.	रेल्वे स्टे. आसलपुर
66.	आईदानकावास
67.	उग्रास (क.)
68.	गुढ़ा बैरसल (क.)
69.	बोबास (क.)
70.	महला (क.)
71.	झरना
72.	केसरीसिंहपुरा
73.	नासनोता

1	2
74.	गिरधारीपुरा
75.	ढाणीनागान
76.	काचरोदा
77.	खेड़ीराम
78.	भगवतपुरा
79.	ढीढा
80.	सांमलपुरा
81.	शार्दुलपुरा
82.	सूरसिंहपुरा
83.	हरिपुरा
84.	श्योसिंहपुरा
85.	माल्यावास
86.	रैंगरबस्ती, काचरोदा
87.	भासिंहपुरा
88.	मातेड़ा
89.	रोजड़ी (क०)
90.	श्रीरामपुरा
91.	ढीण्ढा (क०)
92	हिरनोदा (क०)
93.	मालेड़ा
94.	दांतड़ा
95.	चैनपुरा
96.	मोरसर
97.	हवसपुरा
98.	हंचूकड़ा

1	2
99.	सोलावता
100.	मोरूदा
101.	पीथ्यावास
102.	आखोलाड़
103.	कन्देवली
104.	गोपालपुरा
105.	रिर्णगी
106.	सिरोहीखुर्द
107.	मरवा
108.	आदखा
109.	छापरी
110.	सीतारामपुरा
111.	नांगल
112.	सरथला
113.	मोरड़ा
114.	पानखांकला
115.	साली
116.	छिर्र
117.	जड़ावता
118.	पींगून
119.	लदेरा
120.	सिरोहीकलां
121.	साखून
122.	साखून (क०)
123.	हूटूपुरा
124.	बीगोलाव
125.	नीमली
126.	नयागांव
127.	ग्योपुरा

नोट :--(क)-कन्या प्राथमिक विद्यालय ।

नगरपरिषद्/पालिकाओं के चुनाव

98. श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा)

श्री भंवर लाल (हवामहल) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किस किस श्रेणी की कितनी कितनी नगरपालिकाएं/नगर परिषदें कौन-कौन से नगरों में हैं ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस नगर पालिका/परिषद् के चुनाव अन्तिम बार किस-किस तिथि को कराये गये थे और किस-किस नगर परिषद् के चुनाव गत कई वर्षों से नहीं हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा सहित सभी नगर परिषदों व पालिकाओं के चुनाव कब तक करवाने का सरकार का विचार है ?

(4) इन चुनावों के न करवाने का क्या कारण है ?

(5) चुनाव निश्चित अवधि में हों इस हेतु क्या सरकार नियमों में कोई प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में सब कुल 196 नगर परिषदें/नगरपालिकायें हैं। श्रेणी वार सूचना निम्न प्रकार है :—

1. प्रथम श्रेणी	19
2. द्वितीय श्रेणी	27
3. तृतीय श्रेणी	61
4. चतुर्थ श्रेणी	89
	196

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची (क) में वर्णित 143 नगरपालिका/परिषदों के चुनाव 14-2-1982 को हुए थे, शेष नगरपालिकायें/परिषदों की सूची (ख) में अंकित है।

(3) दिसम्बर, 1985 तक

(4) सन् 1981 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित कर वार्डों का गठन किया जाकर निर्वाचक नामावलियां तैयार की जानी हैं। कानून के प्रावधान के अनुसार 1-1-85 की अर्हता की तारीख के सन्दर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है।

(5) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के प्रावधान के अनुसार चुनाव कराये जाते हैं जिसमें समुचित प्रावधान है। कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

224

प्रथम श्रेणी की नगरपरिषदें :—

1	2
1.	अजमेर
2.	ब्यावर
3.	अलवर
4.	बीकानेर
5.	भीलवाड़ा
6.	भरतपुर
7.	चूरू
8.	गंगानगर
9.	जयपुर
10.	जोधपुर
11.	कोटा
12.	पाली
13.	सीकर
14.	टोंक
15.	उदयपुर
16.	किशनगढ़
17.	सवाईमाधोपुर
18.	हनुमानगढ़
19.	बाड़मेर

द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकायें :—

1	2
1.	बालोतरा
2.	बांसवाड़ा
3.	बूंदी
4.	चित्तौड़गढ़
5.	प्रतापगढ़
6.	रतनगढ़
7.	सुजानगढ़
8.	सरदारशहर
9.	धौलपुर
10.	डूंगरपुर
11.	रायसिंहनगर
12.	जैसलमेर
13.	जालौर
14.	झालावाड़
15.	झुंझुनूं
16.	नवलगढ़
17.	बांरा
18.	नागौर
19.	लाडनूं
20.	मेड़तासिटी
21.	हिन्डौन
22.	गंगापुरसिटी
23.	करौली
24.	फतेहपुर
25.	सिरोही
26.	आबूरोड़
27.	आबूपर्वत

226

तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाएं :—

1	2
1.	केकड़ी
2.	पुष्कर
3.	सरवाड़
4.	विजयनगर
5.	खैरथल
6.	खेड़ली
7.	राजगढ़
8.	कुशलगढ़
9.	शाहपुरा
10.	बयाना
11.	डीग
12.	कामां
13.	नदबई
14.	लाखेरी
15.	केशोरायपाटन
16.	निम्बाहेडा
17.	डूंगरगढ़
18.	राजगढ़ (चूरू)
19.	बाड़ी
20.	नोहर
21.	अनूपगढ़
22.	भादरा
23.	गजसिंहपुर

1	2
24.	पदमपुर
25.	केसरीसिंहपुर
26.	संगरिया
27.	सादुलशहर
28.	श्रीकरणपुर
29.	सूरतगढ़
30.	विजयनगर
31.	पीलीबंगा
32.	दौसा
33.	सांभर
34.	चौमूं
35.	आमेर
36.	बांदीकुई
37.	चाकसू
38.	भीनमाल
39.	भवानीमण्डी
40.	झालरापाटन
41.	सुनेल
42.	फलोदी
43.	पीपाड़सिटी
44.	बिलाडा
45.	चिड़ावा
46.	रामगंजमण्डी
47.	कुचामनसिटी
48.	डीडवाना

1	2
49.	परबतसर
50.	मकराना
51.	सोजत
52.	लक्ष्मणगढ़
53.	रामगढ़
54.	श्रीमाधोपुर
55.	निवाई
56.	देवली
57.	नाथद्वारा
58.	राजसमन्द
59.	फतेहनगर
60.	भ्रामेट
61.	कोटपुतली

चतुर्थ श्रेणी नगरपालिकाएं :—

1	2
1.	तिजारा
2.	बहरोड़
3.	सिवाना
4.	देशनोक
5.	नोखा
6.	गंगापुर
7.	जहाजपुर
8.	माण्डल
9.	ग्रासीन्द
10.	मान्डलगढ़
11.	गुलावपुरा
12.	वैर
13.	कम्हेर
14.	भुसावर
15.	नगर
16.	नैनवा
17.	कापरेन
18.	बड़ीसादड़ी
19.	छोटीसादड़ी
20.	कपासन
21.	छापर
22.	बीदासर
23.	राजलदेसर
24.	रतननगर

1	2
25.	तारानगर
26.	राजाखेड़ा
27.	सागवाड़ा
28.	रावतसर
29.	फुलेरा
30.	सांगानेर
31.	जोबनेर
32.	नरायना
33.	लालसोट
34.	शाहपुरा
35.	मनोहरपुर
36.	विराटनगर
37.	बसवा
38.	बस्सी
39.	बगरू
40.	किशनगढ़ रेनवाल
41.	पोकरन
42.	सांचोर
43.	पिडावा
44.	अकलेरा
45.	बिसाऊ
46.	बग्गड़
47.	खेतड़ी
48.	मूण्डवा
49.	मुकन्दगढ़

1	2
50.	पिलानी
51.	सूरतगढ़
52.	उदयपुरवाटी
53.	विद्या विहार
54,	छबड़ा
55.	इन्द्रगढ़
56.	मांगरोल
57.	सांगोद
58.	छीपाबड़ौद
59.	अन्ता
60.	कैथून
61.	नावां
62.	कुचेरा
63	मूण्डवा
64.	सादड़ी
65.	बाली
66.	तख्तगढ़
67	सुमेरपुर
68.	निमाज
69.	जैतारण
70.	रायपुर
71.	टोडाभीम
72.	नीमका थाना
73.	खण्डेला
74.	रींगस

1	2
75.	लोसल
76.	शिवगंज
77.	पिण्डवाड़ा
78.	मालपुरा
79.	टोडारायसिंह
80.	उनियारा
81.	भिन्डर
82.	देवगढ़
83.	कानोड़
84.	सलूम्बर
85.	रानीखुर्द
86.	फालना
87.	समदड़ी
88.	वैंगूं
89.	रावतभाटा

सूची (क)

143 नगरपालिकाओं की सूची जिनमें आमचुनाव फरवरी, 1982 में सम्पन्न हुए

जिले का नाम	नाम नगरपालिका
1	2
अलवर	1. खेड़ली
	2. तिजारा
	3. राजगढ़
जयपुर	4. कोटपूतली
	5. चाकसू
	6. जोबनेर
	7. दौसा
	8. बांदीकुई
	9. बस्सी
	10. बसवा
	11. बगरू
	12. नरायना
	13. फुलेरा
	14. मनोहरपुर
	15. विराटनगर
	16. सांगानेर
	17. सांभर
	18. शाहपुरा
झुन्झुनु	19. खेतड़ी
	20. उदयपुरवाटी
	21. चिड़ावा

1	2
	22. नवलगढ़
	23. पिलानी
	24. बिसाऊ
	25. मड़ावा
	26. मुकन्दगढ़
	27. सूरजगढ़
टोंक	28. उनियारा
	29. टोडारायसिंह
	30. देवली
	31. निवाई
	32. मालपुरा
भरतपुर	33. कामा
	34. कुम्हेर
	35. डीग
	36. नगर
	37. नदबई
	38. बयाना
	39. भुसावर
	40. वैर
धौलपुर	41. धौलपुर
	42. बाड़ी
	43. राजाखेड़ा
सवाई माधोपुर	44. करौली
	45. गंगापुर
	46. टोडाभीम

1	2
	47. हिन्डोन
सीकर	48. खंडेला
	49. नीमका थाना
	50. फतेहपुर
	51. रामगढ़
	52. रींगस
	53. लोसल
	54. श्री माधोपुर
चित्तौड़गढ़	55. कपासन
	56. छोटी सादडी
	57. नीम्बाहेड़ा
	58. प्रतापगढ़
	59 बड़ी सादड़ी
डूंगरपुर	60. डूंगरपुर
	61. सागवाड़ा
बांसवाड़ा	62. कुशलगढ़
	63. बांसवाड़ा
भीलवाड़ा	64. आसीन्द
	65. गंगापुर
	66. जहाजपुर
	67. शाहपुरा
कोटा	68. अन्ता
	69. इन्द्रगढ़
	70. छबड़ा
	71. बारां

1	2
	72. मांगरोल
	73. रामगंजमण्डी
	74. सांगोद
	75. छीपाबड़ोद
झालावाड़	76. अकलेरा
	77. झालावाड़
	78. झालरापाटन
	79. पिडावा
	80. भवानीमण्डी
	81. सुनेल
बूंदी	82. कापरेन
	83. केशोरायपाटन
	84. नैनवा
	85. बूंदी
	86. लाखेरी
जालोर	87. जालोर
	88. भीनमाल
	89. सांचोर
जैसलमेर	90. पोकरन
जोधपुर	91. जोधपुर
	92. पिपाड़
	93. फलोदी
नागौर	94. बिलाड़ा
	95. कुचामन
	96. कुचेरा
	97. डीडवाना

1	2
	98. नागौर
	99. नावां
	100. परबतसर
	101. मकराना
	102. मेड़ता
	103. मूण्डवा
	104. लाडनूं
पाली	105. जेतारण
	106. तखतगढ़
	107. निमाज
	108. वाली
	109. रायपुर
	110. सादड़ी
	111. सोजत
बाड़मेर	112. बाड़मेर
	113. बालोतरा
	114. सिवाना
सिरोही	115. आबूरोड
	116. पिण्डवाड़ा
	117. शिवगंज
	118. सिरोही
गंगानगर	119. अनूपगढ़
	120. करनपुर
	121. केशरीसिंहपुर
	122 गजसिंहपुर

1	2
	123. नोहर
	124 पदमपुर
	125. पीलीबंगा
	126. भादरा
	127. रायसिंहनगर
	128. रावतसर
	129. विजयनगर
	130. सादुलशहर
	131. सांगरिया
	132. सूरतगढ़
	133. हनुमानगढ़
चूरू	134. छापर
	135. डूंगरगढ़
	136. बिदासर
	137. रतनगढ़
	138. रतननगर
	139. राजगढ़
	140. राजलदेसर
	141. सुजानगढ़
बीकानेर	142. देशनोक
	143. नोखा

सूची (ख)

शेष 53-नगर पालिकाओं के चुनावों की तिथि एवं स्थिति

क्र. सं.	नगरपालिका का नाम	चुनाव का दिनांक
1	2	3
1.	अजमेर	25 अक्टूबर, 1970
2.	किशनगढ़	25 अक्टूबर, 1970
3.	केकड़ी	15 सितम्बर, 1974
4.	पुष्कर	15 सितम्बर, 1974 नोटिफाइड
5.	ब्यावर	25 अक्टूबर, 1970
6.	विजयनगर	नवगठित नगरपालिका दिनांक 1.10.1974
7.	सरवाड़	15 सितम्बर, 1974
8.	अलवर	25 अक्टूबर, 1970
9.	खैरथल	15 सितम्बर, 1974
10.	बहरोड़	नवगठित नगरपालिका दिनांक 31.12.1981
11.	आमेर	नोटिफाइड
12.	किशनगढ़ रेनवाल	नवगठित नगरपालिका दिनांक 15-9-1978
13.	चौमू	15 सितम्बर, 1974
14.	जयपुर	25 अक्टूबर, 1970
15	लालसोट	नवगठित नगरपालिका दिनांक 22-7-1976
16.	झुन्झुनू	25 अक्टूबर, 1970
17.	विद्या विहार	मनोनीत
18.	बगड़	15 सितम्बर, 1974
19.	टौंक	25 अक्टूबर, 1970

240.

1	2	3
20.	भरतपुर	25 अक्टूबर, 1970
21.	सवाई माधोपुर	,,
22.	लक्ष्मणगढ़	1 अगस्त, 1976
23.	सीकर	25 अक्टूबर, 1970
24.	आमेट	15 सितम्बर, 1974
25.	उदयपुर	25 अक्टूबर, 1970
26.	कानोड़	नवगठित नगरपालिका 4-9-1975
27.	देवगढ़	15 सितम्बर, 1974
28.	नाथद्वारा	1 अगस्त 1976 नोटिफाईड
29.	फतेहनगर	15 सितम्बर, 1974
30.	भिण्डर	,,
31.	राजसमंद	,,
32.	सलूम्बर	,,
33.	चित्तौड़गढ़	1 अगस्त, 1976
34.	बेंगू	30 मार्च, 1983 नवगठित
35.	भीलवाड़ा	अक्टूबर 1972
36.	मांडल	नवगठित नगरपालिका दि. 17.10.1974
37.	मांडलगढ़	मनोनीत मंडल
38.	गुलाबपुरा	,,
39.	केथून	नवगठित 13.1.1978
40.	कोटा	25 अक्टूबर, 1970
41.	जैसलमेर	1 अगस्त 1976 नोटिफाइड
42.	पाली	25 अक्टूबर, 1970

1	2	3
43.	सुमेरपुर	नवगठित 25.3.1975
44.	रानी	नवगठित 20-1-1984
45.	फालना स्टेशन	नवगठित 1-11-1983
46.	समदड़ी	नवगठित 12-9-1983
47.	रावतभाटा	नवगठित 6-10-1983
48.	गंगानगर	25 अक्टूबर, 1970
49.	चूरू	"
50.	तारानगर	15 सितम्बर, 1974
51.	सरदारशहर	1 अगस्त, 1976
52.	बीकानेर	25 अक्टूबर, 1970
53.	माउंट आबू	मनोनीत

242

शिक्षा नीति

99. श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

श्री जगमाल सिंह (तिजारा)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

श्री सम्पत सिंह (नगर)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से तथा इसकी क्या रूपरेखा है ?

उत्तर

जी नहीं। शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नि

100. श्री ग्यारसी लाल (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार का निवाई कस्बे में आई. टी. आई का केन्द्र खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने हर जिले में एक आई.टी. आई. खोलने का लक्ष्य पूर्ण कर दिया और इस कस्बे के लिये टौंक में एक आई. टी. आई. वर्ष 84-85 से खोल दी गई है।

तहसील सांचौर स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था

101. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों मे कितने कितने स्टाफ की कमी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानों पर स्टाफ की कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(3) सांचोर, चीतलवाना एवं झाब में स्टाफ एवं दवाइयों की कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(4) झाब डिस्पेंसरी को दानदाता द्वारा निर्मित नई बिल्डिग में कब तक हस्तांतरित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) योग्य प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर स्टाफ की कमी की पूर्ती करना संभव होगा।

(3) स्टाफ की कमी को प्रशिक्षित

(चिकित्सा मंत्री)
स्टाफ उपलब्ध होने पर पूर्ति कर दी जावेगी। दवाइयों की कमी नहीं है।

(4) दानदाता द्वारा भवन का दान-पत्र निष्पादन कराये जाने पर ही नये भवन में भाव डिस्पेन्सरी को स्थानान्तरण करना संभव होगा। अभी तक निरंतर सम्पर्क के बावजूद दानादाता द्वारा उक्त भवन का दानपत्र भर कर नहीं दिया गया है।

तहसील सांचोर में रिक्त पदों का विवरण :

	डाक्टर	मैल नर्स श्रेणी-1	मैल नर्स श्रेणी-2	एस.आई.	ए.एनएम.	वरि. लिपिक	च.श्रे.क.
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर	–	2	–	–	–	–	–
उप केन्द्र	–	–	–	–	12	–	–
डिस्पेन्सरी, चितलवाना	–	–	1	1	–	1	3
डिस्पेन्सरी, भाव	–	–	2	–	–	–	1

जयपुर नगर व जिले के बाढ नियंत्रण प्रोजेक्ट की क्रियान्विति

102. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर व जयपुर जिले में 1981 की बाढ के बाद बाढ़ से बचाव के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है? यदि हां, तो कब? कृपया बाढ़ से बचाव के लिए बने प्रोजेक्ट की योजना व ब्ल्यू प्रिंट सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त बाढ़ प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? कृपया उक्त राशि व अनुमानित व्यय राशि तथा कार्यों का विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) अब तक उक्त प्रोजेक्ट की क्रियान्विति पर कितना खर्च हो चुका है? शेष व्यय कब तक किये जाने की संभावना है?

(4) जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर बरसात के समय जमा होने वाली मिट्टी व गन्दगी के बचाव के लिए क्या

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ;

उत्तर

(1) जयपुर नगर में बाढ़ के अवरोध के लिये एक विस्तृत परियोजना बनाई जा जा रही है, पर अभी तक इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) बाढ़ अवरोध कार्यों हेतु प्राधिकरण में वर्ष 84-85 में प्रावधान निम्नानुसार है :—

संख्या	मद	वर्ष	राशि
1.	बाढ़ अवरोध	84-85	7.0 लाख
2.	झालाना डूंगरी इन्सटांटयूशन एरिया में नालों का निर्माण	84-85	15.95 लाख
3.	नाहरी का नाका (अन्य योजना मद से)	84-85	2 10 लाख
4.	निक्षेप कार्य	84-85	13.0 लाख

बाढ़ अवरोध कार्यों पर व्यय की गयी राशि तथा कार्यों का विवरण संलग्न है।

(3) बाढ़ अवरोध के कार्यों पर उक्त परियोजना के बाढ़ अवरोध कार्यों पर प्राधिकरण द्वारा रुपये 55.47 लाख का व्यय किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है। वर्ष 85-86 में बाढ़ बचाव कार्यों हेतु प्राधिकरण के आय-व्यय अनुमानों में 20 लाख रुपये का प्रावधान है। शेष व्यय निधि उपलब्धि पर निर्भर है।

(4) जयपुर शहर में बरसात में मिट्टी के आने को रोकने हेतु निम्न कार्य किये गये :—

1. नाहरी के नाके की चैनल में भरी हुई मिट्टी को निकालने का कार्य, इससे बनीपार्क क्षेत्र में आने वाली मिट्टी को रोका गया है।

2. जनता कालोनी, आदर्श नगर में, झालाना पहाड़ी की तरफ से आने वाली मिट्टी को चैनल द्वारा मोड़ दिया गया है।

3. चांदपोल से आने वाली मिट्टी को रोकने हेतु चन्द्रशेखर की बगीचे के पास बांध बनाने का कार्य वहां के कच्ची बस्ती के निवासियों द्वारा नहीं करने दिया जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

बाढ़ अवरोध कार्यों पर व्यय की सूची

(लाख रु. में)

संख्या	मद	कार्य	वर्ष 83-84	वर्ष 84-85	योग
1.	झालाना डूंगरी इन्सटीट्यूशनल (ए) ऐरिया में नालों का निर्माण कार्य।	जवाहर नाले पर	21.40	15.29	36.69
		1. बांध नं. 1			
		2. बांध नं. 2			
		3. प्रपात			
		4. प्रपात जी-डब्लू-5			
		5. प्रपात जी डब्लू-6		9.54	
		6. जवाहरलाल नेहरू मार्ग व पुलिया का बचाव कार्य	—		10.54
		7. सिंचाई विभाग को बाढ़ कार्यों के लिए	—	1.0	
2.	नाहरी का नाका	चैनल से सिल्ट हटाने का कार्य।	—	2.10	2.10
3.	बाढ़ अवरोध मद से	जयपुर शहर के बाढ़ नियन्त्रण के लिये तकनीकी परामर्शदाता को	1.53	4.61	6.41
			22.93	32.54	55.47

जिला चूरू में आयुर्वेदिक औषधालयों में स्टाफ की कमी

103. श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कहां-कहां कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? उनमें से तहसील चूरू में कितने आयुर्वेदिक औषधालयों में स्वीकृतशुदा स्टाफ कार्यरत है ?

(2) यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इन औषधालयों में कब तक स्वीकृतशुदा स्टाफ लगा दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) चूरू जिले में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

तहसील चूरू में संचालित 11 आयुर्वेद औषधालयों में स्वीकृत स्टाफ कार्यरत है।

(2) नवीन नियुक्ति बाबत कार्यवाही प्रगति पर हैं तथा योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होते ही स्टाफ का पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

जिला चूरू में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	रतनगढ़
2.	सुजानगढ़
3.	तारानगर
4.	रतननगर (ठेलासर)
5.	भामासी
6.	जसरासर
7.	खण्डवा
8.	सांतड़ा
9.	धांधू
10.	सइनालीवड़ी
11.	लाखाऊ
12.	श्यामपुरा
13.	पोथीसर
14.	सहजूसर(जोड़ी)
15.	बाना
16.	रेड़ी
17.	उपनी
18.	बापेऊ
19.	सूड़सर
20.	बिग्गावासरामसरा
21.	गुसाइसर बड़ा
22.	पुनरासर
23.	ठीकरियासर
24.	बाड़ेला

1	2
25.	लिखामादेसर
26.	उदरासर
27.	सेहला
28.	पडिहारा
29.	भूखरेड़ी
30.	लद्दासर
31.	लाखडसर
32.	कनवारी
33.	पाबूसर
34.	भानूदाबीदावतान
35.	गुसाइसर
36.	नेसल
37.	चांदगोठी
38.	हमीरवास
39.	बघेला
40.	धानोटीबड़ी
41.	रामसराताल
42.	लहसेड़ी
43.	लाम्बोरबड़ी
44.	बहरासरबड़ा
45.	पहाड़सर
46.	घणाऊ
47.	चेनपुरा बड़ा
48.	बांधनाउत्तरादा
49.	फोगा (भीथनी)

1	2
50.	मालसर
51.	मार्लासर (भेड़वालिया)
52.	मेहरासर उपाधियान
53.	ढाणीगोचेरा
54.	खेजड़ा दिखनादा
55.	सारसर
56.	रातूसर
57.	राजसरबीकान
58.	बुकनसरा बड़ा
59.	महरीराजियान
60.	उदरासर चारण
61.	भड़सोसर
62.	राजियासर मीठा
63.	गोपालपुरा
64.	मलसीसर
65.	भासीना
66.	भीमसर
67.	सालासर
68.	न्यामा
69.	कानूता
70.	लालगढ़
71.	दरीबा
72.	तेनदेसर (आयदानुपुरा)
73.	शोभासर
74.	धीरवास

1	2	3
75.	बूचावास	
76.	कालवास	
77.	पुनसीसर	
78.	रेड़ी(भरावास)	
79.	बॉय	
80.	साल्यू	
81.	भालेरी	
82.	चंगोई	
83.	सारायण	
84.	गाजवासगडाणा	
85.	रैया टुण्डा	
86.	देपालसर	
87.	सीतसर	
88.	मालासर	
89.	मून्दड़ा	
90.	कोहना	
91.	सोवतसर	
92.	राणासर बिकान	
93.	डीगली	
94.	लोहा	
95.	झोथड़ा	
96.	आनन्दसिंहपुर	
97.	धीरदेसर पुरोहितान	
98.	मेलूसर	
99.	भीमसाना	
100.	नाकरासर	

1	2
101.	पारेवड़ा
102.	लुहारा
103.	रतवासर
104.	बरजांजरसर
105.	भोजूसर उपाधियान
106.	मेलूसर
107.	बैंजवा
108.	ढिगारला
109.	चांरिया
110.	मेघसर
111.	ब–श्रेणी चुरू
112.	ब—श्रेणी रतनगढ़

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची

"अ"

जलहौज में जिसका निर्माण हो चुका है—

1	2	3
पंचायत समिति, बीकानेर	1.	लाखसर
	2.	कालासर
	3.	गुसाईसर
	4.	केसरदेसर गंगागुरान
	5.	गैमासर
	6.	राणीसर
पंचायत समिति, नोखा	1.	मंसरी
	2.	थावरिया
	3.	गजसुखदेसर
	4.	रायसर
	5.	बीरमलर
	6.	हिम्मटसर (दो जलहौज)
	7.	सिंजगुरू
	8.	दासनू
	9.	गुण्डूसर
	10.	आणखीसर
	11.	पांचू

1	2	3
	12.	गजसुखदसर
	13.	सोवा
	14.	मोरखाना
	15.	सिघू
	16.	किरतासर
	17.	बैरासर
	18.	कुचोर आगुणी
	19.	साईसर नाथुसर (दो जल हौज)
	20.	लालसर
पंचायत समिति, कोलायत	1.	खारिया पातावतान
	2.	हुंदा
	3.	चानी
	4.	अक्खासर
पंचायत समिति, लूणकरणसर	1.	खारी
	2.	छटासर
	3.	कागासर

254

"ब"

उन गांवों की सूची जहां जलहौज बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं —

पंचायत समिति, बीकानेर

1	2
1.	मूण्डसर
2.	सूरतसिंहपुरा
3.	रामसर
4.	कल्याणसर
5.	रिडमलसर सिपाहियान
6.	सरूपदेसर
7.	सूरजंना चौहनान
8.	अम्बासर
9.	सालासर
10.	जालवाली
11.	सवाईसर
12.	दाउदसर
13.	लालसर
14.	हुसनपुर
15.	खारा
16.	शोभासर
17.	कानासर
18.	बरसिंहसर
19.	समलपुर
20.	उदय रामसर (रेलवे स्टेशन)
21.	मोतीगढ़
22.	सुरपुरा
23.	बम्बलु (कोकेरान)
24.	बम्बलु (फोजीयान)

1	2
25.	सीथल
26.	तेजराजसर
27.	आसेरा
28.	खरड़ा
29.	छत्तरगढ़
30.	सत्तासर
31.	मणावतवाला
32.	रानीसर
33.	कुंभाला
34.	डण्डी
35.	हुसेनवाला
36.	राजेवाली
37.	आवा
38.	खीचिया
39.	बन्धा
40.	किलचु
41.	अमरपुरा
42.	नापासर
43.	मालासर
44.	रिडमलसर पुरोहितान
45.	मेहरासर
46.	सुरजना
47.	सूजासर
48.	करणीसर भाटीयान
49.	मेघासर
50.	केसरदूसर जाटान
51.	कावनी

(256)

1	2
पंचायत समिति, कोलायत	
52.	बज्जू खालसा
53.	चांडासर
54.	खींदासर
55.	सियाणा
56.	रनजीतपूरा
57.	बीठनोक
58.	झझू
59.	गिरराजसर
60.	सेवणा
61.	गड़ियाला
62.	कोटड़ी
63.	गुड़ा
64.	हाडला भाटियान
65.	सुरजड़ा
66.	दियातरा
पंचायत समिति, लूनकरनसर	
67.	सुरनाना
68.	दुलमेरा
69.	शेखसर
70.	धीरदान
71.	जैसा
72.	सादेरा
73.	सोडवाली
74.	बीझरवाली

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची

जिला बांसवाड़ा में पशु चिकित्सालयों की सूची

1	2
1.	बांसवाड़ा
2.	भीमपुर
3.	घाटोल
4.	घंडी
5.	बागीडोरा
6.	भूखिया
7.	कुशलगढ़
8.	सज्जनगढ़
9.	छीछ
10.	कलिंजरा

258

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची

कोटा एवं झालावाड़ जिलों के उन औषधालयों की सूची
जहां वर्तमान में नर्स पदस्थापित की हुई है :—

नाम जिला	स्थान औषधालय	चिकित्सा पद्धति
1. कोटा	1. छीपा बड़ोद	आयुर्वेद
	2. फतेहपुर	आयुर्वेद
	3. रामचन्द्रपुरा छावनी	आयुर्वेद
	4. चल चिकित्सालय	आयुर्वेद
	5. रामपुरा, कोटा	होमियोपैथिक
	6. बांरा	आयुर्वेद
	7. रोटेदा	आयुर्वेद
	8. अ-श्रेणी चिकि०, कोटा	आयुर्वेद
2. झालावाड़	1. भवानी मण्डी	आयुर्वेद
	2. झालरापाटन	होमियोपैथिक
	3. अ-श्रेणी चिकि० झालावाड़	आयुर्वेद

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का विवरण

Area in Lakh Ha Prod. in Lakhtonnes/Lakh bales.

Name of the crops		1982-83				1983-84				1984-85			
		Area		Production		Area		Production		Area		Production	
		Targets	Achievements.	Targets	Achievements.	Targets	Achievements.	Targets	Achievements.	Targets	Achievements.	Targets	Achievements.
KHARIF													
Cereals	Paddy	2.00	1.18	2.80	0.88	1.50	1.60	2.10	2.17	1.50	1.49	2.48	2.43
	Jowar	8.00	9.51	4.00	3.56	9.00	9.85	4.60	5.91	9.00	7.35	5.00	3.46
	Bajra	43.00	48.08	14.00	13.90	47.00	50.04	12.90	24.57	48.00	36.50	20.00	8.02
	Maize	8.00	8.89	8.00	6.59	8.50	8.93	8.50	12.29	8.50	8.08	10.00	7.96
		0.50	0.42	0.20	0.04	0.50	0.44	0.20	0.21	0.50	0.49	0.10	0.20
	Total	61.50	68.08	29.00	24.97	66.50	70.86	28.30	45.15	67.50	53.91	37.58	22.07
Pulses	Kh. Pulses	21.40	17.21	5.15	2.17	19.90	17.88	4.00	5.32	22.00	13.12	4.05	1.80
	Arhar	1.10	0.22	0.65	0.08	0.40	0.28	0.20	0.14	0.50	0.47	0.40	0.22
	Total :	22.50	17.43	5.80	2.25	20.30	18.16	4.20	5.46	22.50	13.59	4.45	2.02
Total Foodgrains :		84.00	85.51	34.80	27.22	86.80	89.02	32.50	50.61	90.00	67.50	42.03	24.09
Oilseeds :	Til	4.25	4.49	0.75	0.41	4.45	3.77	0.83	0.65	4.50	3.13	0.80	0.52
	Groundnut	4.00	1.86	2.50	1.06	2.50	1.83	1.67	1.74	2.70	2.35	2.05	1.49
	Soyabean	0.50	0.14	0.50	0.14	0.30	0.28	0.29	0.24	0.50	0.40	0.50	0.33
	Castor	0.05	0.05	0.03	0.01	0.05	0.11	0.02	0.02	0.05	0.09	0.05	0.07
	Total :	8.80	6.54	3.78	1.62	7.30	5.99	2.81	2.65	7.75	5.97	3.40	2.41
Others	Sugarcane	0.50	0.38	24.50	14.30	0.50	0.34	20.00	14.85	0.50	0.42	20.00	13.48
	Cotton	4.00	3.97	5.65	5.54	4.25	4.16	5.70	5.79	4.50	2.80	5.00	3.18
	Guar	22.00	19.96	Not fixed	2.82	21.00	21.73	6.65	6.51	18.00	17.20	7.20	3.26
RABI													
Cereals	Wheat	17.15	20.70	30.29	37.87	20.50	21.65	34.00	34.51	20.00	16.54	38.00	30.17
	Barley	3.80	3.39	5.94	4.69	4.50	2.91	5.80	4.31	3.50	2.47	4.85	3.46
	Small millets	Neg.	0.01	Neg.	0.01	0.02	0.01	Neg.	0.01	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
	Total :	20.95	24.10	36.23	42.57	25.02	24.57	39.80	38.83	23.50	19.01	42.85	33.63
Pulses	Gram	15.40	17.56	15.12	13.18	18.48	17.96	18.37	10.89	18.10	16.28	16.80	10.30
	Other rabi pul.	0.28	0.34	0.26	0.27	0.41	0.34	0.31	0.24	0.40	0.31	0.20	0.20
	Total :	15.68	17.90	15.38	13.45	18.89	18.30	18.68	11.13	18.50	16.59	17.00	10.50
Total Foodgrains		36.63	42.00	51.61	56.02	43.91	42.87	58.48	49.96	42.00	35.61	59.85	44.13

परिशिष्ट (ख)

Statement showing the targets, allotment and distribution figures for Fertilizers during 1982-83, 1983-84 and 1984-85

(Qut. in M. Tonnes)

Period	Targests				1983-84				1984-85			
	Nitrogenous	Phosphatic	Potash	Total	Nitrogenous	Phosphatic	Potash	Total	Nitrogenous	Phosphatic	Potash	Total
1982-83												
Kharif	59990	12860	2410	75260	54890	9470	2410	66770	34842	9276	1662	45781
Rabi	115100	26900	6000	148000	111100	21377	5566	38043	91022	24458	4266	119746
Total :	175090	39760	8410	223260	165990	30847	7976	204813	125864	33734	5929	165527
1983-84												
Kharif	59500	13000	2500	75000	77978	10770	2500	91248	51204	13048	1636	65888
Rabi	117000	27000	6000	150000	108256	27998	5291	141547	106794	33154	3834	143782
Total :	176500	40000	8500	225000	177144	38768	7791	232795	157998	46202	5470	209670
1984-85												
Kharif	57300	14500	1800	73600	67090	23412	2800	93302	50868	16945	1427	69240
Rabi	116500	33400	4100	156000	130090	40960	4100	175150	103900	34100	3150	141150 (Est.)
Total :	173800	47900	5900	229600	197180	64372	6900	268452	154768	51045	4577	210390

परिशिष्ट (ग)

Statement showing the targets and distribution of Seeds during 1982—83, 1983—84 and 1984—85

(Qty. in Qtls)

Name of the Crop	1982—83		1983—84		1984—85	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
HIGH YIELDING VARIETIES						
Kharif						
1. Paddy	4,000	523	2,000	782	2,825	641
2. Jowar	9,000	3,179	5,700	2,977	6,500	1,713
3. Bajra	43,500	39,297	45,000	41,998	48,000	36,560
4. Maize	13,500	4,347	5,500	3,793	6,750	2,685
Total	70,000	47,346	58,200	49,550	64,050	41,599

1	2	3	4	5	6	7
Rice_						
Wheat	90,000	97,612	125,000	99,893	102,300	80,000
G. Total	160,000	144,958	183,200	149,443	166,375	121,599
OTHER CERTIFIED SEEDS						
Kharif	17,720	15,237	17,850	14,458	21,985	9,270
Rabi	16,500	16,778	25,003	14,260	16,250	17,785
Total	34,220	32,015	42,853	28,718	38,235	27,055
GRAND TOTAL	194,220	176,973	226,053	178,161	204,610	148,654

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूचना

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

मानचित्र "अ"

क्रमांक दिनांक

क्र सं.	भूमि के विक्रेता का नाम	भूमि की किस्म	गांव	खसरा नं.	क्षेत्रफल	टाईटल	भाव	मूल्य	भूमि के बदले विकसित भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इन्द्रसिह पुत्र श्रीगोरधन सिंह, राजपूत	बा चारए	जोधपुर शोभावती की ढाणी	775/40	9 बीघा 6 बिस्वा	खातेदारी		रु. 17,000/ प्रतिबीघा	4,02,050/
	—,,—	—,,—	—,,—	775/28	9 बीघा 5 बिस्वा	—,,—		—,,—	
				775/29	4 बीघा 12 बिस्वा				
					23 बीघा 13 बिस्वा				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	छोटू पुत्र श्री भूराराम	—,,—	—,,—	775/13	10 बीघा 10 बिस्वा	–,,–		—,,—	3,74,850/
				775/16	11 बीघा 11 बिस्वा	–,,–		—,,	
					22 बीघा 1 बिस्वा				
3.	श्री छोटू पुत्र श्री सूखा माली प्रवीण कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह, सत्येन्द्र परिहार पुत्र श्री धर्मवीर बच्छराज पुत्र श्री धनराम धांची			775/80	37 बीघा 16 बिस्वा	–,,–		17,500/–	6,61,500/
							कुल भुगतान 60% एक साथ एवं शेष 40% तिमाही बराबर किश्त में बिना ब्याज के।		भुगतान किया
									396,900
									66,150
									4,63,050

(25)

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

क्रमांक दिनांक

मानचित्र "ब"

क्र.सं.	भूमि के विक्रेता का नाम	भूमि की किस्म	गांव	खसरा नं.	क्षेत्रफल	टाइटल	भाव	मूल्य	भूमि के बदले विकसित भूखण्ड
1.	श्री मदन गोपाल एवं श्री मोहन गोपाल श्री रामेश्वर ब्राह्मण	आबादी	गेवा	808	54 बीघा 15 बिस्वा, (98594 वर्ग गज)	अतिक्रमी	–	–	कुल भूमि का 5% 5300 वर्ग गज के भूमि

उपरोक्त भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (11) यू. ओ. एच./3पी 81 दिनांक 12.12.82 के अनुसार समझौता कर आवाप्त की गयी है। इसकी टर्म्स एण्ड कीमत जिलाधीश महोदय से स्वीकृत करने के बाद भूमि प्रदान की गयी है। यह भूमि लीज बेसिस पर दी गयी है।

इसके अतिरिक्त ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 513/1, 513/3 व 513/10 को 91 बीघा 6 बिस्वा भूमि का समझौता कर 20,000 वर्ग गज भूमि दी गयी है। जिसके बारे में उच्च न्यायालय में याचिका दायर है। अतः इसकी सूचना अन्तिम रूप से न्यायालय के अन्तिम निर्णय बाद देना सम्भव है।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची

कोटा जिले के कच्चे मार्गों की सूची जिन पर परमिट स्वीकृत है

क्र.सं.	मार्ग का नाम	वाहन मालिक का नाम	वाहन संख्या
1.	बारां–रामगढ़ वाया धिनोद रेलावन	श्री चन्द्रस्वरूप	आर. आर. ओ. 1718
2.	बारां-खण्डेला वाया गरडा	मैं. गेरा बस सर्विस	आर जे. आर 3679
		श्री भैरूलाल	आर. एस. ओ. 6042
3.	बारां-सगोद वाया मिर्जापुर बैंगना, बैंगनी	श्री ताराचन्द	आर. आर. आर. 2688
4.	बारां–दहीखेड़ा वाया मिर्जापुर बैंगना, बैंगनी	श्री तुला शकर	आर. जे. आर. 5238
5.	बारां–सिसवाली वाया सीमली रायथल	श्री चन्द्र स्वरूप	आर. जे. आर. 6511
6.	कोटा मंडावरा वाया काला तालाब, रंग तालाब चन्द्रसैल, मानस गांव, हरिजी का नीमोदा।	श्री रामलाल	आर. जे. आर. 9851
		श्री बिजेन्द्र कुमार गुप्ता	आर. एस. आर. 1075
		म. मानमल तेजमल	आर. एस. आर. 1509
7.	इकलिंगपुरा–सुनल वाया खातीखेड़ा, अलोद, रीछी चेचट, गोविन्दा, रामगंज मण्डी, जुल्मी पीपलिया	श्री रामनारायण	आर. जे. इ. 5485
		श्री लक्ष्मीनारायण बालाराम	आर. जे. ओ. 1392
		श्री घनश्याम गुप्ता	आर. आर. ओ. 9475

1	2	3	4
8.	सांगोद-मांगरोल वाया अन्ता सीसवाली	म० निहाल ट्रान्सपोर्ट सहकारी समिति	आर. जे. आर. 6274
		श्री रामलाल	आर. जे. आर. 7590
		श्री शिवकुमार जैन	आर. जे. ओ. 2762
9.	बारां-बिलोदा वाया बराना, जलवाड़ा, नाहरगढ़	श्रीमती श्यामलता	आर. जे. आर. 7846
		श्री रामस्वरूप	आर. आर. आर. 6141
10.	बारां-बिलोदा मिसाई, किशनगंज, आकोलिया बजरंगगढ़, जलवाड़ा, नाहरगढ़।	श्री हरिशंकर शर्मा	आर. एस. एम. 9739

परिशिष्ट—क

झालावाड़ जिले के कच्चे मार्गों की सूची जिन पर परमिट स्वीकृत है

क्र. सं.	मार्ग का नाम	वाहन मालिक का नाम	वाहन संख्या
		श्री रवीन्द्रकुमार	आर. जे. ओ. 1256
1.	पाटन पिडावा वाया झूमकी, मगीसपुर	श्रीमती बलजीत कौर	आर. एस. आर. 1474
2.	बकानी-भवानी मण्डी वाया रायपुर, सुनेल	श्री सुरेश कुमार	आर. जे. ओ. 2471
		श्री फूलचन्द गुप्ता	आर. आर. एल. 395
3.	सुनेल-पाटन वृद्धिकृत पिडावा	श्री रामनारायण फोफलिया	आर. जे. आर. 9211
		श्री मदनलाल वैद्य	आर. जे. आर. 9297

267

1	2	3	4
4.	चौमेला–डग वाया उन्डेल, आलोट कथनारा	श्री अब्दुल रहमान	आर. एस. आर. 581
		श्री कल्लू खान	आर जे. ओ. 1413
		राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	फलीट परमिट
5.	भवानी मण्डी–पिडावा वाया सरपादोई, सागरिया, गैला, खारपा, कोटडी	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (तीन परमिट)	फलीट परमिट
6.	दुधालिया–चोमेला वृद्धिकृत पिडावा वाया गचनारा, आलोट, उन्हेल	श्री अब्दुल रसीद	आर जे. ओ. 2568
		श्री अब्दुल रसीद	आर. जे. ओ. 1132
		श्री जब्बार खान	आर. जे. ओ. 3492
7.	छबड़ा–कुम्भराज वाया पाडली	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	आर. जे. ओ. 644
		श्री नारायणलाल शर्मा	आर. आर. एल. 8694
8.	रिनावदा–छबड़ा वाया बामोरी, छीपाबड़ोदा	श्री नारायण लाल शर्मा	आर आर एल. 3775
		श्री श्यामसुन्दर	आर. आर. एल. 3768
		श्री राजेन्द्रमोहन	सी. पी. यू. 6901
9.	भवानी मण्डी–सोयत	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	फलीट परमिट

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की प्रतिलिपि

आडिट रिपोर्ट वर्ष 82-83 के पैरे की प्रति

(2) श्री बरकतुल्ला स्टेडियम के निर्माण कार्य में द्वितीय दर का टेण्डर स्वीकृत करने में अनियमितताऐं। रुपये 9,58,762/-की हानि।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 8/82-83दि. 11.8.82 द्वारा रावण का चबुतरा क्षेत्र में बरकतुल्ला स्टेडियम के निर्माण हेतु निविदा सूचना जारी करके टेण्डर दिनांक 30.9.82 तक करके उसी दिन खोलना निश्चय किया गया। दिनांक 30 9.82 तक प्राप्त सात टेण्डरर्स कापी का विक्रय हुआ लेकिन 30 9.82 को 6 टेण्डर निम्न ठेकेदारों के प्राप्त हुए हैं।

	दर वास्तविक व्यय
1. राजस्थान ब्रिज संगठन, जयपुर	+ 15% एबाउ
2. मेसर्स लीलाधर जैन, जोधपुर	26.45 % एबाउ
3. मैसर्स सांकला एण्ड कं०, जोधपुर	75% एबाउ
4. मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कं०, जोधपुर	7.25% बिलो आईटम 25 35% एबाउ आइटम 26 90%एबाउ = 47,05,753/-
5. मैसर्स परसमल पारख, जोधपुर	12.45 एबाउ
6. मैसर्स गेनसिंह गेहलोत, जोधपुर	54.71 प्रतिशत एबाउ

उपरोक्त टेण्डरों में से सबसे न्यूनतम दर जोधपुर कन्स्ट्रक्शन कं०, जोधपुर की 7.25 बिलो एवं आइटम सं. 25 की दर 35 प्रतिशत एबाउ एवं आइटम सं. 26 की दर 90 प्रतिशत एबाउ है। तथा द्वितीय दर मैसर्स पारसमल पारख जोधपुर की 12.45 प्रतिशत एबाउ है। तथा उक्त कार्य से शेडूयल "जी" की राशि 49,96,490/-है।

(270)

अत: उक्त दो से प्रथम न्यूनतम ठेकेदार की उक्त कार्य के निर्माण की लागत रु. 47,05,753/-जाती है तथा द्वितीय न्यूनतम दरदाता की लागत राशि रु. 56,64,535/-आती है इस प्रकार दोनों दरों में अन्तर रु. 9,58,782/- का है।

उक्त कार्य के टेण्डर्स अधिशासी अभियन्ता, नगर सुधार न्यास, जोधपुर के द्वारा दिनांक 30.9.82 को खोले गये थे तथा उक्त टेण्डरों के खुलने पर अधिशासी अभियन्ता ने उक्त निर्माण कार्य की नोटसीट के पेरा सं० 9 के अनुसार उक्त टेण्डर्स पर सहायक अभियन्ता एवं लेखाकार ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। तथा सहायक अभियन्ता ने अपनी टिप्पणी नोट सीट के पेरा सं. 10 में दिनांक 12.10.82 को दी कि मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कं. जोधपुर को न्यास की ओर से काफी निर्माण कार्य टेण्डर्स स्वीकृत किये गये हैं तथा उक्त फर्म स्वीकृत कार्य समय पर सम्पूर्ण करने पर असमर्थ रही है तथा फर्म का मैनेजमेंट ठीक ढग का नहीं है। तथा उक्त कार्य काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। जिसे उक्त फर्म उक्त कार्य को समय पर पूरा करने में असमर्थ रहेगी। लेखापाल ने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है कि दोनों दरों में रु. 8.50 लाख का अन्तर है। इसके पश्चात उक्त कार्य के टेण्डर्स लेखाधिकारी, नगर सुधार न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा उक्त अधिकारी ने उक्त टेण्डर्स का अवलोकन करने के पश्चात अपनी टिप्पणी नोटसीट के पैरा सं. 14 पर व 15 में उल्लेख किया है कि दोनों टेण्डरों में रु. 8.50 लाख का अन्तर आता है। तथा उक्त राशि बहुत बड़ी है तथा सहायक अभियन्ता ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि प्रथम दर दाता 'ब' श्रेणी में पंजीकृत नहीं है। तथा उसका कार्य संतोषजनक नहीं है तथा उक्त कार्य को समय पर सम्पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। इन बातों का निर्णय उक्त ठेकेदार को टेण्डर कापी विक्रय करने के पूर्व किया जाना आवश्यक था तथा अब इस स्थिति पर विचार करना असंगत प्रतीत होता है तब द्वितीय दरदाता का टेण्डर स्वीकृत करने से न्यास को रु. 8.50 लाख की स्पष्ट हानि प्रतीत होती है। इस प्रकार लेखाधिकारी ने उक्त टेण्डरों के संबंध में वित्तीय स्थिति को स्पष्ट किया है तथा उक्त कार्य के टेण्डर्स अधिशासी अभियन्ता, नगर सुधार न्यास को प्रस्तुत किये गये जिन्होंने अपनी टिप्पणी पैरा सं. 23 से 29 में उल्लेख किया है कि सहायक अभियन्ता एवं लेखाधिकारी की टिप्पणी के अनुसार मैसर्स जोधपुर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 'अ' श्रेणी में पंजीकृत नहीं है तथा गत अनुभव के आधार पर उक्त ठेकेदार उक्त कार्य समय पर सम्पूर्ण करने में असमर्थ रहेगा तथा न्यास की राशि बिना उचित कारण के अवरूद्ध हो जायेगी। तथा उक्त ठेकेदार को टेण्डर कापी इसी आधार पर दी गई थी कि टेण्डर खुलने के पूर्व पंजीयन पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा लेकिन उक्त ठेकेदार ने अपना "अ" श्रेणी का पंजीयन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तथा उक्त ठेकेदार ने अपना जबरदस्ती टेण्डर प्रस्तुत किया है। तथा ठेकेदार ने जो अपनी दर का उल्लेख किया है वो कार्य की

प्रगति को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता ने अपनी टिप्पणी उक्त ठेकेदार के विरुद्ध पैरा 29 में उक्त परिस्थितियों में द्वितीय दर-दाता के टेण्डर पर विचार करने का प्रस्ताव किया है।

इसके पश्चात उक्त कार्य के टण्डर्स अध्यक्ष नगर सुधार न्यास के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। तथा अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया कि उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार प्रथम दरदाता उक्त कार्य को समय पर पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि उक्त ठेकेदार ने न्यास के अन्य कार्य समय पर पूरा नहीं किया है। तथा उक्त ठेकेदार "अ" श्रेणी में पंजीकृत नहीं है। इस सारी प्रक्रिया एवं परिस्थिति को देखते हुए द्वितीय दरदाता की दर 12.45 प्रतिशत एबाव पर न्यास स्वीकृति पश्चात आवंटन करना उचित है। न्यास से उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति रु. 80,00,000/- की ली जानी है।

अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी 13.10.82 के अन्तिम पैरा सं. 32 में उल्लेख किया है कि चूंकि न्यास की बैठक में निकट भविष्य में होने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है अतः जनहित एवं कार्य की महत्वता को मद्दे नजर रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति बाई सरकूलेशन लें ली जायं।

इसके पश्चात उक्त कार्य की नोटसीट पर न्यास के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस नोट सीट में 10 (दस) सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। तथा इन सदस्यों ने उक्त कार्य टेण्डर्स स्वीकृत करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। राज्य सरकार के आदेश सं. प. 7 (10) न. वा. वि /71 दिनांक 9.6.81 द्वारा 5 सदस्य राज्य सरकार की ओर से इस न्यास के स्थाई सदस्य है जिनमें जिलाधीश के हस्ताक्षर दिनांक 17.10.82 के उपलब्ध है। जबकि अध्यक्ष ने उक्त कार्य की नोटसीट के पैरा सं. 33 द्वारा उक्त कार्य के कार्य आदेश दिनांक 15.10.82 को प्रसारित करने की अनुमति दी है। इस प्रकार अधिशाषी अभियन्ता नगर सुधार न्यास ने अपने पत्र सं. 1653 दिनांक 16.10.82 के द्वारा उक्त कार्य के कार्य आदेश मैसर्स पारस मल पारख जोधपुर को 12.45 प्रतिशत एबाउ पर रु. 56,64,535.40 का जारी किया है। एवं उक्त कार्य को सम्पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 17-10-82 से 16-10-83 निश्चित की गई है। जबकि निविदा सूचना के अनुसार उक्त कार्य दो वर्ष में पूरा करना है।

इस कार्य के 15 में रनिंग बिल के अनुसार उक्त ठेकेदार को उक्त कार्य के निर्गम के संबंध में रु. 30,20,945/-का भुगतान किया जा चुका है। एवं कार्य प्रगति पर हैं।

(272)

उपरोक्त विवरण के आधार पर उक्त कार्य के संबंध में आक्षेप पाये हैं :—

(क) उक्त कार्य के सम्पन्न करने के संबंध में न्यास ने अपनी बैठक दिनांक 28.4.82 के प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार 20 लाख रु. तक व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की। जिसमें 10 लाख रु० नगर परिषद जोधपुर से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव किया है। अर्थात उक्त योजना की स्वीकृति में स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजना पर आधार व्यय नगर सुधार न्यास, जोधपुर एवं आधा व्यय नगर परिषद को वहन करना होगा। लेकिन नगर परिषद ने उक्त व्यय की राशि अभी तक प्राप्त नहीं की है। तथा नगर सुधार न्यास कोष से दिनांक 3.6.83 तक उक्त कार्य के निर्माण पर रु. 30,20,945/- व्यय किया जा चुका है। उक्त योजना पर रु. 60,00,000/ तक व्यय होने की संभावना है। जैसा कि उक्त कार्य की नोट सीट के पैरा सं० 32 से स्पष्ट होता है तथा अध्यक्ष महोदय ने उक्त कार्य के आरम्भ से एवं अभी तक न्यास से विधि कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। तथा राज्य सरकार के आदेश संख्या प. (3) वि. वि/व्यय/11X74/1267 दिनांक 21.10.75 के अनुसार न्यास 50 लाख तक का राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के आधार पर किसी निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन उक्त कार्य के निर्माण की अनुमानित लागत 60 लाख की है। अतः उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से तत्काल प्राप्त की जावे एवं अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जाये।

(ख) सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम 318 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी निर्माण कार्य को सम्पन्न कराने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति जारी करना आवश्यक है। अन्यथा अनियमित है। इस कार्य की अभी तक तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की है। सामान्यतः तखमीना के आधार पर ही कार्य के सेड्यूल 'बी' का बनाना संभव है। लेकिन इस न्यास के तकनीकी अधिकारियों ने तकमीना के अभाव में सेड्यूल "जी" बनाकर ठेकेदारों से दरें प्राप्त करने की जो कार्यवाही की है वह पूर्णतः अनियमित है एव उक्त अधिकारी इस कार्यवाही के लिए दोषी प्रतीत होते हैं। इसके अलावा उक्त कार्य के सेडयूल "जी" के राशि रुपये 49,88,490/- है। सेडयूल आफ पावर के आइटम सं० 28 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता रु. 2,00,000/ तक का टेण्डर स्वीकृत करने में सक्षम है। जब कि उक्त कार्य के सेडयूल "जी" की राशि रु. 49.97 लाख है। अतः उक्त अधिकारी न्यास की पूर्व अनुमति के बिना उक्त सेडयूल "जी" पर हस्ताक्षर करने में एवं टेण्डर कापी विक्रय करने में पूर्णतः असक्षम है। लेकिन उक्त अधिकारी ने उक्त नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए समस्त कार्यवाही अपने स्तर पर की है। इसके लिए श्री सुधीर पंचोली अधिशाषी अभियन्ता दोषी है।

(ग) इस निर्माण कार्य की निविदा सूचना के अनुसार "अ' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार टेण्डर प्रस्तुत करने में सक्षम थे लेकिन नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष एवं अधिशाषी

अभियन्ता ने मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कं०, जोधपुर द्वारा उक्त निर्माण कार्य के टेण्डर कापी मांगने पर उचित समय कर इस कम्पनी को दिनांक 27.9.82 को टेण्डर कापी रु. 50,000/-धरोहर राशि लेकर दी है। तथा टेण्डर कापी देते समय किसी प्रकार की शर्त आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन न्यास ने अपने पत्र सं. 1530 दिनांक 30.9.82 के द्वारा उक्त कम्पनी को लिखा गया है कि अगर दिनांक 30.9.82 को 3 बजे तक "अ" श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो आपका टेण्डर मान्य नहीं समझा जावेगा। उक्त कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 30.9.82 के द्वारा न्यास के अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि उक्त पत्र 2 बजे प्राप्त हुआ है और टेण्डर डालने का समय 3 बजे तक का है। ऐसी परिस्थिति में "अ" श्रेणी का पंजीयन प्रस्तुत करना संभव नहीं है तथा हमने अपने पत्र दिनांक 27.9.82 के द्वारा आपको निवेदन कर चुके हैं कि हम "अ" श्रेणी में पंजीयन होना चाहते हैं। तथा न्यास के पास हमारे रु० 50,000/-जमा हैं।

अतः हमें अस्थाई तौर पर "अ" श्रेणी में पंजीकृत कराने की व्यवस्था फरमायें। उक्त पत्र पर विचार विमर्श के पश्चात अध्यक्ष ने समस्त टेण्डर्स बिना किसी आपत्ति के खोलने के आदेश दिये है। तथा अधिशाषी अभियन्ता ने दिनांक 30.9.82 को समस्त टेण्डर्स खोले हैं। जिसमें सबसे कम दर उक्त कम्पनी की आई है। तथा द्वितीय न्यूनतम दर वह इस कम्पनी की दर में रु० 9,58,782/-का अन्तर है। द्वितीय न्यूनतम कर-दाता से कार्य करने पर न्यास को रु० 9,58,782/- का अधिक भुगतान वहन करना पड़ेगा। उक्त टेण्डर्स के प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता ने उक्त कम्पनी के खिलाफ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उक्त कम्पनी का कार्य संतोष-जनक नहीं है। तथा उक्त कार्य करने की क्षमता नहीं है। तथा अधिशाषी अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में तो यहां तक उल्लेख किया कि उक्त कम्पनी ने अपना टेण्डर जबर-दस्ती दिया है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ है कि दिनांक 27.9.82 को अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर अधिशाषी अभियन्ता ने इस फर्म को टेण्डर कापी देकर फर्म की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता के पक्ष में निर्णय दिया है। जबकि 30.10.82 को इस फर्म के विषय में टिप्पणी देकर द्वितीय दरदाता के टेण्डर पर विचार हेतु अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव किया है। उक्त टेण्डर की राशि रु. 49,96,450/- है अतः सेड्यूल आफ पावर के आइटम सं० 28 के अनुसार उक्त टेण्डर पर किसी प्रकार की टिप्पणी देने में सक्षम नहीं थे तथा उक्त नियम के अनुसार उक्त कार्य के टेण्डर न्यास में प्रस्तुत किया जाना उचित था। लेकिन उक्त कार्य के टेण्डर न्यास के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। जैसा कि न्यास की बैठक पंजिका से स्पष्ट होता है कि इसके अलावा न्यास को रु० 50,00,000/- तक की राशि के टेण्डर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से स्वीकृत करने में समक्ष है। लेकिन उक्त कार्य में

द्वितीय न्यूनतम दरदाता का टेण्डर मात्र अध्यक्ष की अनुमति से स्वीकृत किया गया है, जबकि सेड्यूल ग्राफ पावर के ग्राइटम सं० 28 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के टेण्डरों में राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित थी । तथा प्रथम न्यूनतम दरदाता एवं द्वितीय न्यूनतम दरदाता की दरों में रु० 9,59,782/- का अन्तर है जो बहुत बड़ी राशि है तथा अध्यक्ष रु० 5,00,000/– तक की राशि को टेण्डर स्वीकृत करने में सक्षम है । इस कार्य में इन्होंने रु० 56,64,535/-टेण्डर स्वीकृत किया है । जो भी द्वितीय न्यूनतम दर का है जिससे न्यास को रु० 9,58,782/– की हानि हुई है ।

उपरोक्त समस्त प्रकरण से स्पष्ट होता है कि इस कार्य के टेण्डर्स में सहायक अभियन्ता की प्रथम न्यूनतम दरदाता की कार्यक्षमता और दक्षता की रिपोर्ट को एक-मात्र आधार बनाकर द्वितीय दरदाता टेण्डर पर विचार पूर्व नियमों तथा संभावित हानि पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार के बिना अधिशाषी अभियन्ता एवं अध्यक्ष ने राज्य सरकार के नियमों की खुलकर अवहेलना की है । जिससे न्यास को रु. 9,58,782/– की स्पष्ट हानि हो चुकी है । अगर मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कम्पनी के उक्त टेन्डर स्वीकृत किये जाते तो उक्त हानि से बचा जा सकता था । तथा उक्त कम्पनी ने अपनी दर दो साल के समय को मध्य नजर रखते हुए दी है । अगर कम्पनी समय पर काम नहीं कर सकती तो अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अनुसार न्यास को हानि के स्थान पर लाभ होना संभव था । इसके अलावा राज्य सरकार व न्यास का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय । जोधपुर शहर में एक स्टेडियम मौजूद है । तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड्स से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उक्त कार्य को एशियाई खेलों के समान पूरा किया जाय । इसके अलावा न्यास के पास उक्त कार्य हेतु अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं है ।

उक्त मामला सचिव नगरीय विकास एवं आवासन मंडल राजस्थान जयपुर के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाकर लेख है कि उक्त कार्य के टेन्डर स्वीकृत करने में राज्य सरकार के नियमों की उक्त अध्यक्ष एवं अधिकारियों के द्वारा भारी अवहेलना की जिससे न्यास को 9,58,782/– की स्पष्ट हानि हुई है । अतः धारा 93–ए के अन्तर्गत उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। एवं अन्तिम परिणाम से इस विभाग को अवगत कराया जायें ।

275

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूचना

नगरपालिका बिलाड़ा द्वारा सम्बन्धित सूचना

क सं.	आवेदक का नाम	आवेदन का दिनांक	आवेदन की मांग	मांग की प्रगति
1	2	3	4	5
1.	श्री फकीर मोहम्मद	15.9.83	इन्दिरा कालोनी में बिजली के खम्भे लगाने हेतु।	बिजली विभाग में इन्दिरा कालोनी में खम्भे लगाने हेतु पत्रावली पेश की जा चुकी है।
2.	श्री शाहबुदीन कुरेशी	15.9.83	पानी की पाईप लाईन लगाने बाबत।	मोहल्ला तेलियों के बास में पानी की पाईप लाइन बिछा दी गई।
3.	श्री मंगलप्रकाश	15.9.83	इन्दिरा कालोनी से कचरे के ढेर हटाने बाबत।	इन्दिरा कालोनी से मौके पर ही कचरा हटा दिया गया था।
4.	श्री फकीर मोहम्मद कुरेशी	15.9.83	बकरियां खरीदने हेतु ऋण दिलाने बाबत।	ऋण सम्बन्धी कार्यवाही के लिए बैंक में नाम भेजा जा चुका है।

1	2	3	4	5
5.	श्री गफ्फार	19.5.83	आवासीय भूखण्ड दिलाने बावत।	भूमिहीन का फार्म भरवाया गया एवं पालिका के पास आबादी भूमि के अभाव में मामला विचाराधीन है।
6.	श्री विरदाराम व अन्य	16.9.83	किसानो को बिजली की सुविधा दिलाने बावत।	मूल प्रार्थना पत्र सहा. अभि. बिजली विभाग, बिलाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।
7.	वार्ड नं. 1 के निवासियों द्वारा	16.9.83	वार्ड नं. 1 से लूणी नदी से जोधपुर रोड तक रास्ता ठीक कराने बावत।	ग्राम रास्ते ठीक कराने के लिए सिचाई विभाग के सहायक अभि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
8.	श्री बद्रीराम व अन्य	19.9.83	वार्ड नं. 2 में नाडी एवं बस स्टैण्ड के मकान नियमित करने बाबत।	उक्त जमीन गैर मुमकिन गोआ है इससे सम्बन्धित मामले कृषि भूमि रूपांतरण कार्या. जोधपुर में विचाराधीन है।
9.	घेवरराम व अन्य	19.9.83	उचियाडा रोडवेज बसे रोकने बावत।	सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
10.	श्री घेवरराम व अन्य	19.9.83	सर्व. ग्राम रास्ता उचियाडा से कालाउना रोड तक रास्ता ठीक करने हेतु।	ग्राम रास्ते की मूरड़ डालकर मरम्मत कर दी गई है।

1	2	3	4	5
11.	श्री घेवरराम व अन्य	20.9.83	उचियाडा से बिलाडा तक रोड लाईट लगाने बाबत ।	पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने,से रोड लाईट के पोल लगाने सम्भव नहीं है ।
12	सुराराम एवं अन्य	20.9.83	खारीया सीमा बागवान की कोईटा के रास्ते से अंग्रेजी बबूल कटवाने बाबत ।	अंग्रेजी बबूल काट कर रास्ता ठीक करवा दिया गया है ।
13.	श्री मोपाराम व अन्य	20.9.83	उचियाडा में फाटक लगवाने बाबत ।	बिलाडा पालिका क्षेत्र में फाटक बना हुआ है ।
14.	वार्डवासी वार्ड संख्या 3	20.9.83	उचियाडा में आमली वाले मोहल्ले में रोड लाइट हेतु ।	उक्त मोहल्ले में लाइट व्यवस्था पहले से ही पूर्ण है ।
15.	श्री शिवनाथ एवं अन्य	20.9.83	मकान का दरवाजा निकालने से रोकने बाबत ।	दरवाजा पूर्व में निकाला गया है अतः दरवाजा बन्द करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।
16.	श्री घेवरराम व अन्य	21.9.83	गन्दे पानी की नाली निर्माण करवाने बाबत ।	वार्ड नं 3 व 4 से नाली निर्माण करा दी गई है ।
17.	श्री घेवरराम व अन्य	21.9.83	उचियाडा से उच्च प्रा. विद्यालय से बिलाड़ा प्याऊ तक मूरड डालने बाबत ।	उक्त रास्ते में मूरड डालकर कार्य करा दिया गया है ।

1	2	3	4	5
18.	श्री कन्हैयालाल व अन्य	21.9.83	तहारतों की मरम्मत करवाने बाबत ।	प्रशासन शहरों के ओर अभियान में तहारतों की मरम्मत करवा दी गई है ।
19.	श्री हुकमाराम व अन्य	21.9.83	पीराराम मेघवाल को सार्व स्थान पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में ।	अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी के पट्टानुसार भवन निर्माण स्वीकृति दी जा चुकी है ।
20.	श्री घेवरराम व अन्य	21.9.83	हरिजनों के मोहल्ले में सार्व. नल लगाने बाबत ।	उचियाडा के हरिजन मोहल्ले में सार्वजनिक नल लगा दिया गया है ।
21.	श्री घेवरराम व अन्य	21.9.83	आम रास्ते से अतिक्रमण व गन्दगी हटाने बावत ।	मौके पर 24 घन्टे में ही अतिक्रमण हटा दिया गया व सफाई करवा दी गई ।
22.	श्री जैसाराम मेघवाल	21.9.83	प्लाट का समझौता कराने बाबत ।	दोनों पार्टियों का आपसी समझौता हो गया है ।
23.	श्री मीश्रीलाल	23.9.83	बिजली के खम्भे बदलने बाबत ।	मूल प्रार्थना पत्र सहा. अभि. बिलाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है ।
24.	श्री दगलाराम राठौड़	23.9.83	उचियाडा से बिलाडा जाने वाली कच्ची व सड़क से अंग्रेजी बबूल काटने बाबत ।	उक्त सड़क से अंग्रेजी बबूल कटवा दिये गये हैं ।

1	2	3	4	5
25.	दगलाराम कुम्हार व अन्य	23.9.83	नाडी से कुम्हार कालोनी से गन्दे पानी की निकासी बाबत ।	जो पानी कुम्हार कालोनी की तरफ जा रहा था उसे बन्द करवा दिया गया एवं नाले की सफाई करा दी गई ।
26.	श्री बाबूगिरी गोस्वामी व अन्य	23.9.83	मोहल्ले में नाली का निर्माण करा दिया गया है एवं नियमित रूप से नाली की सफाई की जा रही है ।	बस स्टैण्ड के पास भीवराज की मोहल्ले की नाली सफाई एवं पत्थर हटाने बाबत ।
27.	श्री हनुमानसिंह एवं अन्य	23.9.83	बिजली के बल्ब बदल दिये गये हैं एवं पाइप लाइन बिछवा दी गई ।	उचियाडा राठौडे के पास में रोड लाइट एवं पाइप लाइन लगाने बाबत ।
28.	वार्ड सं. 5 के निवासी	24.9.83	सड़क की मरम्मत करवा दी गई एवं बिजली व्यवस्था किया जाना पालिका के लिए अभी सम्भव नहीं ।	आम रास्ता पुनः निर्माण एवं रोड लाइट बाबत ।
29.	श्री भंवरलाल बर्फा	24.9.83	आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने बाबत ।	राजस्व जमीन होने के कारण मौके पर श्रीमान् तहसीलदार साहब को अवगत करा दिया गया ।
30.	श्री मोलनराम राठौड़ व अन्य	24.9.83	बिलाडा से बीजवाड़िया जाने वाले रास्ते को बाढ़ ग्रस्त घोषित करने बाबत ।	मौके पर तहसीलदार साहब का ध्यान इस ओर दिलाया गया ।

1	2	3	4	5
31.	श्री छोटूराम चौधरी	24 9.83	उचियाडा में बिजवाडिया चौराहे तक रोशनी व्यवस्था करने बाबत।	पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा आबादी क्षेत्र से दूर होने के कारण कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं।
32.	प्रधानाध्यापक शिवनगरी	24 9.83	वृक्ष दिलाने बाबत।	मौके पर आवश्यकतानुसार वृक्ष आवंटित कर दिये गये।
33.	श्री रतनाराम व अन्य	24.9.83	आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने बाबत।	वार्डवासियों के सहयोग के बिना अतिक्रमण हटाया जाना सम्भव नहीं हुआ।
34.	श्री हनुमानराम चोयल	24.9 83	उचियाडा से हर्ष जाने वाली सड़क के पास बबूल काटने एवं सड़क मरम्मत करने बाबत।	अंग्रेजी बबूलों को कटवा दिया गया है एवं सड़क मरम्मत करवा दी गई।
35.	श्री भंवरलाल वर्फा अन्य	24.9 83	हैण्ड पम्प एवं ट्यूब लाइट लगाने बाबत।	बिलाडा न. पा. क्षेत्र में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत नहीं है।
36.	श्री दगलाराम सिरवी	26 9 83	हिमताजी के बेरे पर जाने के लिए रास्ता दिलाने बाबत।	उक्त मामला राजस्व विभाग होने से प्रार्थी को सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करने को सलाह दी गई।

1	2	3	4	5
37.	श्री छोटूराम व अन्य	26.9.83	म्यूटेशन की नकल देने बाबत ।	तहसीलदार के मार्फत प्रार्थी को कार्यवाही करने हेतु जानकारी दी गई ।
38.	श्री कालूराम व अन्य	26.9.83	मितणिया मगरा पर जाने का रास्ता दिलाने बावत ।	मामला राजस्व विभाग का है अतः तहसील कार्यालय से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है ।
39.	श्री दगलाराम एवं अन्य	26.9.83	नये मुऐ पर जाने के लिए रास्ते की परमिशन बाबत ।	मामला राजस्व विभाग का है अतः तहसील कार्यालय से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है ।
40.	वार्ड सं. 6 के निवासी	28.9.83	विद्युत ट्रासफार्मर अलग करने बाबत ।	मूल प्रार्थना पत्र सहा. अभि. बिलाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।
41.	श्री भंवरलाल सिरवी व अन्य	29.9.83	चौपड़ा केनाल के ऊपर आम रास्ता बाबत ।	पत्र-क्रमांक 67 दिनांक 29.9.83 के द्वारा सहा. अभि. सिचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है ।
42.	श्री घीसाराम लाखावत	29.9.83	रास्ते से अतिक्रमण हटाने बाबत ।	तहसीलदार बिलाडा को राजस्व की जमीन के कारण अवगत कराया एवं उक्त कार्य को कराने हेतु निवेदन किया गया ।

1	2	3	4	5
43.	श्री घीसाराम लाखावत	29.9.83	देदानाडा से अतिक्रमण हटाने बाबत ।	मामला राजस्व विभाव विभाग का होने से तहसीलदार बिलाडा को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा गया है ।
44.	श्री घीसाराम लाखावत	29.9.83	विद्यालय भवन हेतु जमीन दिलाने बाबत ।	पालिका के पास वार्ड नं. 7 आबादी भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।
45.	श्री भोलाराम व अन्य	29.9.83	हर्ष एनीकट का निर्माण रोकने बाबत ।	जिलाधीश (सहायता) जोधपुर को निर्माण रोकने हेतु निवेदन किया गया है ।
46.	श्री जोगाराम व अन्य	29.9.83	आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत ।	गैर मुमकिन भूमि होने से जिलाधीश कार्यालय के मार्फत कराने हेतु प्रार्थी को अवगत कराया गया ।
47.	श्री गोपाराम व अन्य	29.9.83	बाढ़ग्रस्त होने से आबादी भूमि आवंटन करने बाबत ।	,, ,, ,, ,, ,,

1	2	3	4	5
48.	श्री मांगीलाल राठौड व अन्य	1.10.83	ग्राम रास्ता खुला कराने बाबत ।	राजस्व भूमि होने के कारण तहसीलदार बिलाडा के अधिकार क्षेत्र से ही अतिक्रमण हटाया जा सकता है अतः मौके पर तहसीलदार साहब को अवगत कराया गया ।
49.	श्री मलाराम पटेल	1.10.83	शमशान के लिए भूमि आवटन बाबत ।	शमशान भूमि आवंटन का अधिकार जिलाधीश महोदय को है अतः कार्यवाही सम्भव नहीं ।
50.	श्री डावँरराम चौधरी व अन्य	1.10.83	अंग्रेजी बबूल काटने बाबत ।	मौका देखने पर पाया गया की पेड़ बड़े हैं । अतः कटवाया जाना उचित नहीं है ।
51.	श्री घीसाराम लाखावत व अन्य	1.10.83	मरे हुए जानवरों को दूर डालने बाबत ।	मृत पशुओं के ठेकेदार को हिदायत दी जा चुकी है ।
52.	श्री मलाराम पटेल	3.10.83	चौपड़ा फिडर के पुल के सम्बन्ध में ।	सहा. अभि. सार्व. नि. वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है ।

1	2	3	4	5
53.	वार्ड नं. 4 के निवासी	4.10.83	एनीकट के पास रास्ते की व्यवस्था बाबत ।	राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः तहसील विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
54.	वार्ड सं. 9 के निवासी	4.10.83	चैनपुरा की ढाणी में भू-आवंटन बाबत ।	आबादी भूमि नहीं होने से मामला विचाराधीन है ।
55.	श्री सत्यनारायण छीपा	20.10.83	मांगीलाल के मकान के पीछे से अतिक्रमण हटाने बाबत ।	मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है ।
56.	श्री गिरधारी सिंह	21.10.83	तहारत निर्माण रुकाने बाबत ।	मामला विवादग्रस्त होने से स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई ।
57.	सोहनलाल पटेल	22.10.83	सार्व.नल लगाने बाबत ।	पूर्व में इस मोहल्ले में एक सार्व. नल लगा हुआ है अतः आबादी कम होने के कारण नया नल लगाने का कोई औचित्य नहीं है ।

1	2	3	4	5
58.	श्री रामचन्द्र लखारा	22.10.83	नाली निर्माण कराने बाबत ।	वार्ड सं. 12 में नाली निर्माण करा दिया गया ।
59.	श्री पारसमल	25.10.83	गन्दगी हटाने बाबत ।	मौके पर ही गन्दगी हटा दी गई है ।
60.	श्री नाथूराम एवं अन्य	25.10.83	पाइप लाइन एवं रोड लाइट बाबत ।	पानी एवं बिजली की व्यवस्था जनसंख्या के अनुमान में पूर्ण है ।
61.	श्री मदनलाल एवं अन्य	25.10.83	पाइप लाइन बड़ी डालने बाबत ।	पूर्व में इस मोहल्ले में पाइप लाइन डाली है ।
62.	वार्ड सं. 15 के निवासी	26.10.83	सफाई बिजली एवं नाली निर्माण व नल स्टेण्ड बनाने हेतु ।	सफाई व्यवस्था करा दी एवं ट्यूब लाइट लगा दी तथा नल स्टेण्ड बनवा दिया गया ।
63.	वार्ड सं. 15 के निवासी	27.10.83	गन्दगी हटाने बाबत ।	मौके पर सफाई व्यवस्था करा दी गई ।
64.	श्री चरणदास	27.10.83	वार्ड सं. 16 में खम्भा व पाइप लाइन डालने बाबत ।	बिजली का खम्भा लगा दिया गया एवं पानी हेतु पाइप लाइन बिछा दी गई ।
65.	श्री पुखराज पटेल	27.10.83	गोरियों के वास में खम्भा लगाने बाबत ।	बिजली का खम्भा लगा दिया गया है ।

285

1	2	3	4	5
66.	मंगलप्रकाश आर्य	27.10.83	मुंसिफ कोर्ट के सामने पेशाब घर बनाने बाबत ।	यहां काफी खुली जगह है अतः पेशाब घर बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।
67.	विकास अधिकारी बिलाड़ा	28.10.83	पाइप लाइन बदलने बाबत ।	पानी की पाइप लाइन बदल कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
68.	श्री नरसिंहराम	28.10.83	फ्लश तहारतों में पानी का कनेक्शन देने बाबत ।	वार्ड सं. 16 में फ्लश तहारतों में पानी का कनेक्शन लिया जा चुका है एवं ठीक चल रही है ।
69.	श्री हीरालाल नैनीवाल	28.10.83	बिजली एवं पेशाब घर की व्यवस्था करने बाबत ।	बिजली एवं पेशाबघर की व्यवस्था आबादी के अनुपात में सही है ।

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची

तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पेयजल से लाभान्वित किये गांवों को सूची फरवरी, 1985 तक

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं. संख्या 1981	योजना का प्रकार पी. एण्ड टी./टी. एस.एस./हैंडपंप	लगाये गये हैन्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जगपुरा	1	हैण्डपंप	4
2.	चरना मुंडवई	3	,,	2
3.	देवलिया आडा	4	,,	2
4.	रुमपुरा	6	,,	2
5.	बड़ों का फला	7	,,	2
6.	नवाली	8	एस. एस	4
7.	देवलिया शक्तावत	9	,,	2
8.	सांरडिया	10	,,	3
9.	भटवाड़ा	11	,,	1
10.	टामटिया	12	,,	2
11.	रेगनिया	14	,,	2
12.	आमलीकला	15	,,	2
13.	नगेड़िया	16	,,	2
14.	कालिमगरी	17	,,	1
15.	कोटामंगरी	18	,,	2
16.	टाडा बंजारा	21	,,	1
17.	झूरपुर	22	,,	2

1	2	3	4	5
18.	अमरपुरा	23	हैण्डपंप	2
19.	मुकनपुरा	24	,,	3
20.	पठरा	25	,,	1
21.	डागलकी	26	,,	5
22.	देलवाड़ा लोकिया	27	,,टी.एस एस	7
23.	देलवाड़ा रावना	28	,,	5
24.	दुदका	30	,,	3
25.	कुंडला	31	,,	2
26.	डिडोरिया	32	,,	7
27.	खोबला	33	,,	3
28.	ओडा देवजी	34	,,	2
29.	अमरसिंह गढ़ा	35	,,	3
30.	टापरा तलाई	36	,,	1
31.	नागवाड़ा	37	,,	2
32.	डांडा तल्लाजी	38	,,	1
33.	पटेलिया	39	,,	1
34.	मालनिया	40	,,	1
35.	मोटागांव	41	,, पीएण्डटी	8
36.	कैसरपुरा	42	,,	2
37.	घाना लाम्बा पीपल	43	,,	1
38.	मदनपुरा	44	,,	1

1	2	3	4	5
39.	अमरीया	45	हैंडपंप	1
40.	चेकला	46	,,	2
41.	चन्दु का बेला	47	,,	1
42.	रकबा का टांडा	48	,,	1
43.	नजरपुरा	50	,,	1
44.	जैतजी का गड़ा	51	,,	2
45.	पादर	52	,,	4
46.	सालन्डिया	53	,,	4
47.	भहु का गढ़ा	54	,,	2
48.	सतु की पादर	55	,,	2
49.	कराना	56	,,	3
50.	कालिका पारडा	57	,,	4
51.	विछावड़ा	58	,,	2
52.	गनेड़ा	59	,, पीएन्डटी	14
53.	सज्जनसिंह का गढ़ा	60	,,	1
54.	मोटाटांड़ा	61	,,	3
55.	लाम्बा पारडा	62	,,	2
56.	ग्रोडा भैरजी	63	,,	2
57.	काकाजी का गड़ा	64	,,	2
58.	मोर	65	,,	2
59.	दुकवाड़ा	66	,,	4
60.	भोयर	67	,,	6

1	2	3	4	5
61.	बोरडा	68	हैण्डपंप	4
62.	बामनपारडा	69	,,टी.एस.एस.	2
63.	कूंडली	70	,,	1
64.	रघुनाथसिंह का गढ़ा	71	,,	2
65.	सजिया	72	,,	4
66.	बकनपुरा	73	,,	2
67.	भारका	74	,,	2
68.	गणेशपुरा	75	,,	3
69.	भाभोर	76	,,	2
70.	कन्याव	77	,,	2
71.	मालीखेड़ा	78	,,	3
72.	हेरंग का खेड़ा	79	,,	2
73.	बडलिया	80	,,	6
74.	रोहनिया कालिया	81	,,	3
75.	गांगजी का खेड़ा	82	,,	2
76.	बेरीपुरा	83	,,	2
77.	टूंगरिया	84	,,	4
78.	सुवावानरु	85	,,	1
79.	सुवावाबरगोट	86	,,	1
80.	रावतपुरा	87	,,	2
81.	निमखोर	88	,,	2
82.	बड़ेता	90	,,	2

1	2	3	4	5
83.	तापडिया तोर	91	हैण्डपंप	3
84.	तेजपुरा	92	,,	2
85.	बोरपीखेड़ा	93	,,	3
86.	टोड़ी सीमरोल	94	,,	4
87.	वासंलीखेड़ा	95	,,	1
88.	बोरपी केरेंग	96	,,	3
89.	सोजनिया	97	,, टी.एस.एस.	2
90.	लोड	98	,,	2
91.	डूंगर	99	,,	2
92.	रोहनिया मार्नेग	100	,,	2
93.	चुड़ई	102	,,	2
94.	कूनिका धारा	103	,,	1
95.	हुड़तिया	104	,,	1
96.	रूपजी का खेड़ा	105	,,	2
97.	महापुरा राठोड़	106	,,	1
98.	महापुरा गुढ़ा	107	,,	1
99,	महापुरा वारेल	108	,,	1
100.	रामली	109	,,	2
101.	पारन छोटी	110	,,	4
102.	बरोडा	111	,,	5
103.	पारेल बड़ी	112	,, टी.एस.एस	7
104.	चोकड़ी	113	हैण्डपंप	3

1	2	3	4	5
105.	गरनावट	115	हैन्डपंप	3
106.	पाडिया	116	,,	1
107.	हिम्मतसिंह का गढ़ा	117	,,	3
108.	ठीकरिया चन्द्रावट	118	,,	2
109.	धर्मा	119	,,	1
110.	मिया कापारडा	120	,,	2
111.	सालरिया	121	,,	1
112.	बढ़ाना	122	,,	3
113.	बस्सी आड़ा	123	,,टी.एसएस	1
114.	सिरोला	124	हैन्डपंप	3
115.	बुआसा	125	,,	7
116.	सुजाजी का गढ़ा	126	,,	5
117.	नागतेसेल	127	,,	1
118.	सिहपुरा	128	,,	2
119.	सवा का पारड़ा	129	,,	2
120.	गूड़ा	130	,,	4
121.	पड़ोली रोठोड़	131	,, टी.एस.एस	3
122.	ओडवाड़िया	132	हैण्डपंप	3
123.	घोटिया	133	,,	1
124.	देवदा	134	,, टी.एस.एस.	5
125.	अजवाजी का गढ़ा	135	हैण्डपंप	1
126.	करनीया	136	,,	1

1	2	3	4	5
127.	हुरो	137	हैंडपंप	4
128.	कानजी का गढ़ा	138	,,	4
129.	घाटोल	139	,, पी.एण्डटी.	13
130.	सेवनिया	140	हैण्डपम्प	4
131.	हावरी	142	,,	4
132.	उदेजी का गढ़ा	143	टी.एस.एस.	5
133.	पाडरा	144	हैंडपंप	2
134.	खांडया का पारंडा	145	,,	3
135.	झरकनिया	146	,,	4
136.	गोलियावाड़ा	147	,,	2
137.	नेगरेड	148	,,	1
138.	नाथजी का गढ़ा	149	,,	1
139.	डुंगरा	150	,,	1
140.	खमेरा	151	,,	7
141.	लालपुरा	152	,,	3
142.	मगंरो का खेड़ा	153	,,	4
143.	हिलेज	154	,,	3
144.	कमजी का खेड़ा	155	,,	2
145.	कुसली तालाब	156	,,	1
146.	डेलियातालाब	157	,,	2
147.	कानरा	158	,,	3
148.	अंकड़िया	159	,,	2

294

1	2	3	4	5
149.	जेतलिया	160	हैण्डपंप	2
150.	लाम्बा डाबरा	161	,,	3
151.	पिपल खुटु	162	,,	9
152.	मुण्डासेल	163	,,	3
153.	काइया का खेड़ा	164	,,	1
154.	मीयासा	165	,,	1
155.	सादड़ी	166	,,	2
156.	पाडी खेड़ा	167	,,	5
157.	मूंदरी पाड़ा	168	,,	1
158.	नायू खेड़ी	169	,,	2
159.	डोको खेड़ा	170	,,	1
160.	कुण्डा	171	,,	3
161.	खेरवा	172	,,	2
162.	नावा खेड़ा	174	,,	1
163.	लखोरिया	175	,,	4
164.	चरड़ा	176	,,	4
165.	केहरी	177	,,	2
166.	कड़वा ऊमरी	178	,,	3
167.	बिजोर	179	,,	1
168.	सागथली	180	,,	2
169.	पड़ोलीगोवधर्न	181	,,टी.एस.एस	3
170.	मन्तकालिया	182	हैण्डपंप	2

1	2	3	4	5
171.	दौलतसिंह की गड़ा	183	हैंडपंप	2
172.	मुगाना	184	,,	4
173.	बल्दा खेड़ी	185	,,	2
174.	चन्दुजी का गड़ा	186	,,टी.एस.एस	2
175.	नागदला	187	,,	2
176.	जेदतां	188	,,	4
177.	सिनावासा	189	,, टी.एस.एस.	7
178.	गरनावट	190	,,	2
179.	भांमरबोर	191	,,	4
180.	भ्रमरधुन	192	,,	1
181.	नरोतो की गोज	193	,,	3
182.	बाड़गून	194	,, टी.एस.एस.	4
183.	उण्डवेल	195	,,	2
184.	किका की नार	196	,,	1
185.	गोज राठौड़	198	,,	2
186.	पाण्डला	198	,,	3
187.	भाटिया	199	,,	1
188.	लदरा	200	,,	1
189.	बोरी	202	,,	3
190.	धारना	203	,,	2
191.	फटिया	304	,,	2
192.	भीमा का खेड़ा	205	,,	9

(296)

1	2	3	4	5
193.	मोखनिया	206	हैंडपंप	4
194.	बखतोर	207	,,	3
195.	नरूका खेड़ा	208	,,	1
196.	घन्टाला	209	,,	4
197.	छर्री	210	,,	2
198.	पनयोल	211	,,	2
199.	बोरखेड़ा	212	,,	2
200.	टोडलपुर	213	,,	2
201.	मूंडी खेड़ा	214	,,	2
202.	हिमतो की भै	215	,,	1
203.	केलिया कुण्ड	216	,,	1
204.	रेंडा	217	,,	1
205.	कटारों का खेड़ा बी	218	,,	1
206.	कटारों का खेड़ा ए	219	,,	1
207.	सूरज पुरा	220	,,	5
208.	सेमलिया	221	,,	2
209.	रेनाल	222	,,	1
210.	कल्याणपुरा	223	,,	2
211.	बक्तपुरा	224	,,	2
212.	माता का बेड़ा	225	,,	1
213.	कुंडल गमाना	226	,,	1
214.	बालाखेड़ा	227	,,	5

1	2	3	4	5
215.	वोटामंगरी	228	हैण्डपम्प	1
216.	कुशलपुरा	229	,,	1
217.	खाखरीखेड़ा	232	,,	1
218.	चूली	234	,,	1
219.	कैसरपुरा	235	,,	2
220.	सूरपुरा	236	,,	1
221.	सिदड़ी मउड़ी ए	237	,,	4
222.	सिदड़ी मउड़ी वी	328	,,	2
223.	बोरी	239	,,	2
224.	मोजल	240	,,	2
225.	राना की हुरबार	242	,,	2
226.	जराती	243.	,,	1
247.	मदुला	244	,,	1
228.	लिम्वोड़ी -	245	,,	2
229.	लिम्बोदा	246	,,	1
230.	खोंचला	247	,,	3
231.	आमली का खेड़ा	248	,,	2
232.	गढ़ा	249	,,	1
233.	करबी	250	,,	1
234.	गठरा	251	,,	1
235.	करमोड़ा	252	,,	1
236.	बावड़ी	253	,,	2

1	2	3	4	5
237.	रिछन्री	254	हैण्डपम्प	2
238.	गालिया	255	,,	2
239.	बड़ा	256	,,	2
240.	कालीघाटी	257	,,	2
241.	बिलडिया	258	,,	3
242.	बरवाड़ा	259	,,	1
243.	माउड़ी खेड़ा	260	,,	2
244.	खेला मेला	261	,,	2
245.	नलदा	262	,,	2
246.	भैं	263	,,	1
247.	खेंलला	264	,,	1
248,	कनाडो का पाड़ा	265	,,	1
249.	गणेशपुरा	266	,,	4
250.	जाम्बोई	267	,,	2
251.	कुवानिया	268	,,	13
252.	उदयपुरा	269	,,	2
253.	मोरडी निचला	270	,,	2
254.	मोरडी निचला	271	,,	2
255.	तेलका	272	,,	2
256.	ईसरवाला	273	,,	2
257.	टाटिया	274	,,	1
258.	टिम्बागामड़ो	275	,,	2

1	2	3	4	5
259.	नौका	276	हैण्डपंप	1
260.	वंडलिया	277	,,	6
261.	घाटा को नाल	278	,,	1
262.	गोरछा	279	,,	2
263.	घुघला	280	,, पी एण्डटी.	2
264.	गरनावट	271	हैंडपंप	1
265.	बरवडिया	282	,,	1
266.	पाड़ा	283	,,	1
267.	खेखाड़ी	284	,,	2
268.	उम्मेदपुरा	286	,,	2
269.	सोमपुरा	587	,,	2
270.	उरन सोरन	288	,,	1
271.	सॅगड़ी	289	,,	2
272.	टामटिया	290	,,	2
273.	चौकी	291	,,	2
274.	नाल चौकी	292	,,	2
275.	सागवारी	293	,,	2
276.	सरखोटी	294	,,	2
277.	अखापुरा	295	,,	1
278.	कूंपड़ा	296	,,	2
279.	हुरो	297	,,	2
280.	सालिवा	298	,,	1

1	2	3	4	5
281.	नायन	299	हैण्डपंप	1
282.	माण्डवी	300	,,	3
283.	रोहनिया	302	,,	1
284.	सामेरी	204	,,	1
285.	कांकरा	305	,,	1
286.	पृथ्वीपुरा	306	,,	3
287.	खण्डियावानी	307	,,	2
288.	बण्डलीखेड़ा	309	,,	2
289.	उंडूगलावानी	311	,,	4
290.	वरड़ा	312	,,	2
291.	जामली	313	,,	2
292.	वाहनघाटी	315	,,	4